खण्ड-462, अंक-2
बुधवार, 04 माघ, शक संवत् 1928
(24 जनवरी, 2007 ई0)

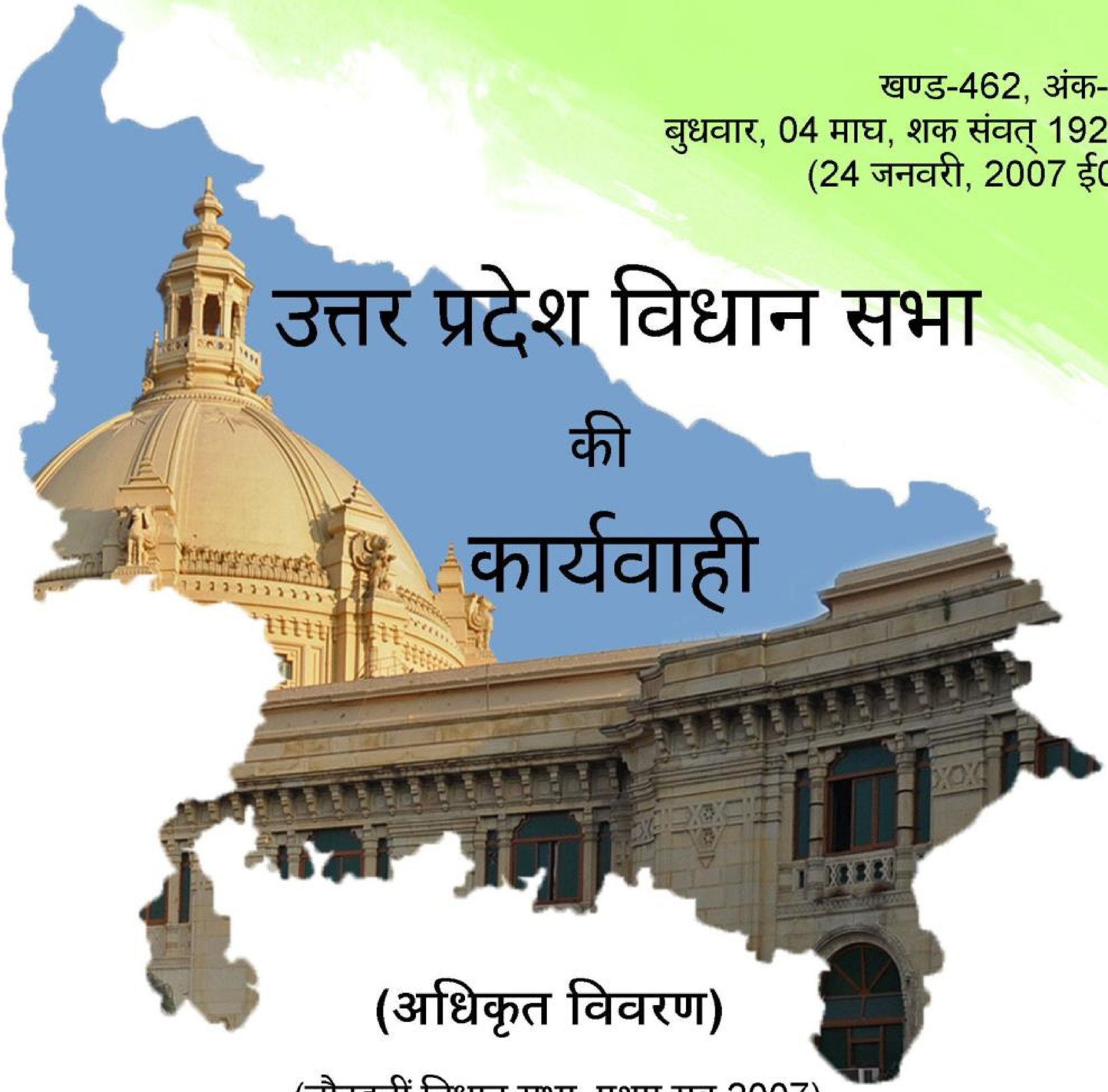

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2007)

खण्ड 462 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
नियम-311 के अन्तर्गत निठारी काण्ड की सूचना को लिये जाने की मांग ...	1-2
प्रश्नोत्तर	2-4
जनपद पीलीभीत के थाना हजारा परिसर में हुई हत्या एवं फर्जी एफ0आई0आर0 का प्रकरण	5-7
इलाहाबाद के थाना करेली स्थित छात्रावास में हुए बलात्कार का प्रकरण ...	7-13
निठारी काण्ड पर शोक-प्रस्ताव लाये जाने की मांग (जारी)	13-14
विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री चेतराम गंगवार, धन्नू लाल शास्त्री, धर्मवीर सिंह त्यागी, राम चन्द्र बख्श सिंह, श्याम मिश्रा, विक्रमादित्य पाण्डेय तथा कमल नयन वर्मा के निधन पर शोकोद्गार	14-19
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	19-20
जनपद जौनपुर के वाराणसी रोड से इजरी मनहन मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 पं0 राम कुमार वैद्य के नाम करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21
आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड टेकवा में शारदा सहायक खण्ड-23 नहर की पटरी पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।	21
बाराबंकी के सिद्धौर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से नगरीय बिल वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21
जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नहर की मरम्मत एवं प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	22
लखनऊ में महिला पी0जी0 कालेज की सेवानिवृत्त अध्यापिकाओं के देयों का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	22-23
लखनऊ में पी0जी0आई0 के पास नगर निगम अधिकारियों की सह पर अवैध कब्जा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23
आगरा के ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र में विद्युतीकरण योजना के वर्षों से अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	24

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
सुल्तानपुर के मुसाफिरखाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रक से मृत आठ लोगों तथा 5 घायलों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	24-25
जनपद आगरा में थाना एत्मादपुर की पुलिस के उत्पीड़न के विरुद्ध सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25
विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण योजनान्तर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु तीसरी सूची जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	25-26
रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्ग के डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26
जनपद जे0पी0 नगर के कांठ क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	26-27
शाहजहांपुर (रौजा) में पावर प्लान्ट हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर पर कास्तकारों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	27
जनपद मिर्जापुर के मंझवा क्षेत्रान्तर्गत सभी प्राइमरी पाठशालाओं में अनु0जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	27
मुजफ्फरनगर के थाना छपार में एक निजी स्कूल के बच्चों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु तथा छात्राओं के परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	27-28
नियम-301 की सूचनाओं का उत्तर समय से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	28
निठारी काण्ड पर शोक प्रस्ताव लाये जाने की मांग	29
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (जारी)	29
जनपद मुरादाबाद में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	29
मुख्य मंत्री द्वारा विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि में 25 लाख रुपये की बढ़ोत्तरी की घोषणा किये जाने के अनुरूप धन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	30
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	30-32
ताज एक्सप्रेस के जांच आयोग की आख्या एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	32

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित भारत परिसीमन आयोग के आदेश (सदन के पटल पर रखे गये)	33
यू0 पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन 2003-2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	33
उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2006 (दि0 21 अगस्त, 2006 से 15 दिसम्बर, 2006) में नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	33
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 108वां (एक सौ आठवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	33
विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई, 1998 को श्री रामजग द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-103 के उत्तर से निर्मित आश्वासन संख्या-419/98 के सम्बन्ध में निदेश संख्या 166 (2) के अन्तर्गत संशोधित उत्तर एवं कृत कार्यवाही की सूचना ...	34-35
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	36-37
उत्तर प्रदेश नगर योजना नगर विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	37-41
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों) तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	41-43
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2007 (पारित)	44-45
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	46-50
चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की फोटोग्राफी के सम्बन्ध में सूचना (जारी) ...	50
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	50-53
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	53-55
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	55
चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की फोटोग्राफी के सम्बन्ध में सूचना ...	55-56
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	56-108
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	108

विषय	पृष्ठ-संख्या
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2007 के पुरःस्थापन तथा पूर्व विधायकों की सुख-सुविधाओं से सम्बन्धित विधेयक के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	109
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	109-121
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर समयाभाव के कारण लिखित भाषण अंशों को कार्यवाही का अंश मान लिये जाने का अनुरोध .....(सहमति प्रदान की गयी)	121-122
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	122-124
नत्थी	125-161

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 जनवरी, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-377

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलका राय, श्रीमती	गाजीपुर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम एम0काम, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संतरविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबा फुलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री	ललितपुर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरेया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन),
औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम),
प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री (श्री बनवारी सिंह यादव) तथा
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-311 के अन्तर्गत निठारी काण्ड की सूचना को लिये जाने की मांग

(विपक्ष के अनेकों सदस्य डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सतीश महाना, श्री नबाव सिंह नागर, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री जगदीश नारायण राय, श्री रामवीर सिंह उपाध्याय आदि मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नियम-311 के अन्तर्गत निठारी काण्ड की सूचना को लिये जाने की मांग करते हुए निठारी काण्ड से सम्बन्धित नारे लगाने तथा वैनर दिखाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है और यह सारे विषय उसमें उठा सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी अपने-अपने स्थान पर जांय। अपना स्थान ग्रहण करें।

सदन के फ्लोर से मा0 सदस्य-

[×××]

मा0 सदस्यों द्वारा वैनर दिखाए गए-

[×××]

श्री अध्यक्ष-

यह कुछ नहीं लिखा जाएगा। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, नारे भी नहीं लिखे जायेंगे। मा0 सदस्यगण, मा0 नेता विरोधी दल, मा0 सभी दलीय नेता आप सभी इससे अवगत हैं जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो सारे विषयों को उठाया जाता है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है आप अपने स्थान पर जायें।

सदन के फ्लोर से मा0 सदस्य-

[×××]

श्री अध्यक्ष-

सभी मा0 सदस्यगण जानते हैं कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो सभी विषयों पर चर्चा होती है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यगण भी सदन के फ्लोर पर आकर इलाहाबाद मदरसा काण्ड की बावत नारे लगाने लगे)

(वेल में आये हुये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नारे लगा रहे थे श्री अध्यक्ष के निर्देश के विरोध स्वरूप डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व श्री सतीश महाना ने प्रतिवेदकों को उनकी सीटों से हटा दिया तथा डायस की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

हम सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करते हैं।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर धरना देकर बैठ गए)

(11 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 11.30 बजे तक बढ़ा दिया है। 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 12 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 मिनट तक और बढ़ा दिया है। 12 बजकर 5 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 10 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 12 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अर्न्तगत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार गोंड जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने की मांग

*1-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उ0 प्र0 की रिट सं0 5927 सन् 1982 के निर्णय दिनांक 26-2-1986 में उ0 प्र0 शासन ने अपने प्रति उत्तर शपथ-पत्र में अनुसूचित जाति गोंड की उप जातियां धुरिया, नायक, ओझा, पथरी व राजगोंड को माना है ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति गोंड की उप जातियों की सूची का शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उ0 प्र0 की प्रश्नगत रिट सं0 5927 सन् 1982 के निर्णय दिनांक 26-2-1986 की प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर नियमानुसार शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में चिकित्सा अनुभाग से जारी स्थानान्तरण आदेश की सूची में गड़बड़ियों की जांच

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश संख्या-2849/71-2-2001/9 स्था0/001, दिनांक 22-6-2001 के द्वारा चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के स्थानान्तरण की सूची में क्रमांक-47 व 75 में अंकित चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण क्रमशः जनपद-जालौन से झांसी एवं जनपद-हमीरपुर से बांदा जनपद हेतु किया गया है ? क्या उक्त चिकित्साधिकारी वर्तमान में इन जनपदों में सेवारत हैं ? क्या

स्थानान्तरण सूची में हुई गड़बड़ियों का सत्यापन मंत्री स्तर से जनपदवार कराया गया था ? यदि हां, तो सूची में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

आयुर्वेद एवं होम्योपैथी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती शान्ति देवी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनी नगर में नसबन्दी उपरान्त बच्चे के जन्म की जांच

2-डा0 सुशील चौधरी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मायाराम, बंथरा, लखनऊ थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सराय सहजादी के मजरे गुलरिहा खेड़ा ने 28 अक्टूबर, 2005 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनीनगर में नसबन्दी करायी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आपरेशन के बाद भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की जांच कराई गई ? क्या सरकार आपरेशन के बाद पैदा हुये बच्चे के भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

तत्समय नसबन्दी असफल होने पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं था।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक फैजाबाद को दण्डादेश के रद्द करते हुए भुगतान कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

3-श्री मो0 इरशाद खां-

क्या खाद्य रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य, विधान सभा, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा का पत्र दिनांक 10 मार्च, 2006 जिसमें सम्भागीय खाद्य नियंत्रक फैजाबाद के दण्डादेश दिनांक 10 सितम्बर, 1979 को रद्द करते हुए नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण कब तक सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)-

जी हां।

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न उत्तरित माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मा0 सदस्य विधान सभा के उक्त पत्र के सम्बन्ध में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, फैजाबाद से स्थिति ज्ञात की गयी और यह तथ्य प्रकाश में आया कि संभागीय खाद्य नियंत्रक, फैजाबाद के दण्डादेश दिनांक 10-9-1979 के विरुद्ध आरोपी श्री चन्द्रभान, विपणन सहायक द्वारा सक्षम स्तर पर कोई अपील अथवा प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री चन्द्रभान द्वारा अपील अथवा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में ही गुण-दोष के आधार पर वेतन भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रदेश में गत वर्ष चिन्हित भिक्षुओं की संख्या

4-डा0 सुशील चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2005 से 30 सितम्बर, 2006 तक प्रदेश में कितने भिक्षुओं को चिन्हित किया गया है और उनमें से कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रदेश के 28 जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार 3125 भिक्षुओं को चिन्हित किया गया है।

पुनर्वासित भिक्षुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही वेल में बैठे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और मदरसा काण्ड के आरोपियों को फांसी दिये जाने की मांग करने लगे)

(डा0 विनोद तिवारी भी फ्लोर से हजारा काण्ड की जांच की मांग करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी मैंने कह दिया है। अब आप अपने साथियों को वापस बुला लें। विनोद तिवारी जी आप चलें, आपकी बात सुनी जायेगी। मौर्या जी आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। राय साहब आप चलें, आपके नेता जी आपकी बात को कहेंगे। आप लोग चलें आपकी बात सुनी जाएगी, अब आप बैठ जाएं।

(वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, जो इलाहाबाद में ...

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, टण्डन जी खड़े हैं, टण्डन जी का दूसरा विषय है, आप कृपया बैठ जाएं। पहले टण्डन जी बोल लें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद पीलीभीत के थाना हजारा परिसर में हुई हत्या एवं फर्जी एफ0आई0आर0 का प्रकरण

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि जो नियम-311 का नोटिस हमारा है, उसमें पीलीभीत के हजारा थाने की घटना का भी जिक्र है, जिसमें हमारे विधायक जी को घटना के आठ दिन बाद फर्जी मुकदमा चलाकर फंसाया गया है। मैं चाहता हूं कि पहले उनकी बात को सुन लें।

*डॉ0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सात जनवरी रात्रि 11 बजे थाना हजारा जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत में पड़ता है, उसकी घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, थाना हजारा में एक लूट की हत्या का मुकदमा कायम कराने के लिए जिला पंचायत सदस्य बलजीत सिंह मान और ददराम रिपोर्ट लिखाने गये। थाने के अन्दर थाने के लोगों ने जो लोग लूट में अपराधी थे उनके साथ मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर जिला पंचायत सदस्य और ददराम की हत्या कर दी। मान्यवर, तमाम धरना-प्रदर्शन हुआ, आज तक, स्टार टी0वी0 सभी में प्रसारित किया गया, इससे पुलिस ने अपने को अपमानित समझा और पुलिस ने उसमें मुझे फंसाने के लिए मेरे खिलाफ और मेरे साथियों के खिलाफ थाना हजारा में आगजनी और लूट का मुकदमा कायम किया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सदन का एक सदस्य सुरक्षित नहीं है अगर कहीं कोई घटना होती है, जघन्य अपराध होता है, मान्यवर, बिहार को भी मात कर दिया इस घटना ने। हजारा थाने के अन्दर जो घटना हुई, माननीय नेता सदन बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, जहां पर मोहर्रर रिपोर्ट लिखता है, वहां पर वह लोग गये। आई0जी0 वगैरह घटनास्थल पर पहुंचे, मान्यवर, 13 पुलिसकर्मी निलम्बित किये गये और 3 टर्मिनेट किये गये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो पुलिस अधीक्षक वहां पर हैं, उनके रहते हुए पीलीभीत की कानून-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है, मैं उनके निलम्बन की मांग करता हूं। इतना ही नहीं मैं एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं, कल पूरनपुर कोतवाली के अन्दर एक दीवान और दूसरे दीवान के बीच में चार्ज को लेकर कहा-सुनी हो गई और मान्यवर, एक दीवान की हत्या पूरनपुर कोतवाली के अन्दर कर दी गई।

मान्यवर, जनप्रतिनिधियों के साथ तो होता था, जनता के साथ होता था, अब एक पुलिसकर्मी की हत्या कोतवाली के अन्दर कर दी गई। मान्यवर, मैं नियम-311 के अन्तर्गत कहना चाहूंगा कि तत्काल पुलिस अधीक्षक को निलम्बित किया जाए और चारों पुलिस कर्मियों को हथकड़ी लगाकर भेजा जाए। जो पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं, उसमें से तीन लोग टर्मिनेट हुए हैं और 13 लोग सस्पेंड हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह चाहते हैं कि सही तस्वीर सामने आये, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए तो इस मामले की सी0बी0आई0 से जांच करायें। इस मामले की जांच कराने के लिए और जो फर्जी मुकदमें कायम हुए हैं उन्हें वापस लिये जाने की मैं मांग करता हूं। नेता सदन यहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि वह आज सदन में आश्वस्त करें कि जो फर्जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमें कायम हुए हैं वह वापस लिये जाएंगे। फर्जी मुकदमों को वापस लेने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से और पूरे सदन से मैं निवेदन करता हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस सदन में श्री राज्यपाल का अभिभाषण पेश होने के बाद जो घटनायें घटीं उनके बारे में यह जो आज हमारी नोटिस है वह आयी है। एक घटना माननीय सदस्य ने आपके सामने रखी। कितनी गम्भीर बात है कि वहां थाने के अन्दर उसे बुलाया जाए कि आप आइये अपनी रिपोर्ट लिखाइये और रिपोर्ट लिखाने जाये तो हत्यारे पुलिस के सामने थाने के अन्दर दो लोगों को मार दें। जब पता लगा तो हमारे विधायक ने वहां जाकर धरना-प्रदर्शन किया। विधायक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि ऐसे कृत्यों का विरोध करें। जो जनप्रतिनिधि रियक्ट नहीं करता है वह कायर है। अगर रियक्ट किया है तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य था उसको पूरा किया है। उसके बाद सरकार ने कार्यवाही की, वह अपनी जगह है, जांच में जो बात आयेगी उसके अनुरूप कार्यवाही होगी लेकिन उसके बाद विधायक के खिलाफ आगजनी और लूट का मुकदमा कायम हो जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो इस तरह के मुकदमें कायम हुये हैं वह वापस होने चाहिए, वरना अगर थानों के अन्दर हत्यायें होने लगीं और किसी ने विरोध किया तो वह मुल्जिम हो जायेगा फिर तो सारा संविधान शीर्षासन कर जायेगा, संवैधानिक व्यवस्था खत्म हो जायेगी। इसलिए जो फर्जी रिपोर्ट लिखायी गयी है उसे खत्म करके एफ0आर0 लगना चाहिए।

दूसरी इलाहाबाद की घटना है मदरसे की दो बालिकाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, वह शर्मनाक है। इस घटना में जिनका नाम आ रहा है उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है और जो लोग फंसाये जा रहे हैं ये निर्दोष हैं। इलाहाबाद में एक दूसरी घटना हो गयी। एक बाहुबली का खास आदमी अवैधानिक तरीके से एक बिल्डिंग बना रहा था, उन्हें रोका गया लेकिन ऐसे लोग कानून को मानते नहीं हैं। वह बिल्डिंग गिर गयी। उसमे लगभग 50 मजदूर घायल हुए, सूचना यह है कि 11-12 लोग दबकर मर गये। सरकारी आंकड़े कुछ और हो सकते हैं लेकिन वहां से जो सूचना प्राप्त हुई है उसको मैंने बताया है। मान्यवर, यह ठीक है कि निठारी काण्ड एक शर्मनाक काण्ड है, जैसे कल विज्ञापन में पढ़ा था उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी की पार्टी ने एक साड़ी काण्ड हुई थी उससे तुलना की है। मैं क्या कहूं माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में मैंने उनको कितना विशाल हृदय का माना था, जब उन्हें पता लगा कि एक हादसा हो गया, एक समिति थी जो गरीबों को साड़ी बांटती थी, उसमें कुछ भगदड़ मच गयी और कुछ महिलायें मर गयीं लेकिन मुख्यमंत्री जी का कितना बड़प्पन था उन्होंने कहा कि मैं इसमें राजनीति नहीं देखता हूं, यह लाशों का मामला नहीं है, यह हादसा है, जानबूझकर हत्या नहीं की गयी है। यह एक दुर्घटना है। उनको शायद मालूम नहीं होगा कि चारों तरफ से प्रशंसा जनता से प्राप्त हुई और जनता ने कहा कि किसी ने एक निष्पक्ष बात कही है। आज उसकी निठारी काण्ड से तुलना की जा रही है। ये सारी बातें हैं, इसके लिए विस्तार से जितना समय चाहिए चर्चा के लिए वह नहीं मिल पा रहा है। आप कहेंगे कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में ये सब बातें आ सकती हैं परन्तु सबको मौका नहीं मिलेगा बोलने के लिए क्योंकि बहुत कम समय है । सदन का क्या औचित्य है,

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का नाटक कर दिया जब उसके ऊपर बोलने ही नहीं देना है, सब अपनी बात रख ही नहीं सकते हैं तो इसका क्या मतलब रह जाता है ? यही एक मौका होता है तमाम बातें सरकार के संज्ञान में लाने का। मेम्बर कहते हैं उनका अधिकार खत्म हो रहा है, उनको अवसर ही नहीं मिलेगा तो इन सबका औचित्य क्या है ? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे कार्य-स्थगन मानकर अलग से इस पर चर्चा करा दें।

इलाहाबाद के थाना करेली स्थित छात्रावास में हुए बलात्कार का प्रकरण

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम-311 के अन्तर्गत इलाहाबाद में स्थित...

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-311 में स्वीकार नहीं हुआ है लेकिन आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

धन्यवाद। मान्यवर, इलाहाबाद स्थित जानीकेस आलेहा अलइस्लामिया फरेन्दा, थाना करेली स्थित छात्रावास में जो दर्दनाक हादसा हुआ है वह बहुत शर्मनाक है। मान्यवर, अभी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अवसर आये जब हम सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर समय-समय पर चर्चा की है। तमाम आश्वासनों के बावजूद भी कानून व्यवस्था का मजाक उड़ता रहा और उसी का परिणाम निठारी काण्ड, कविता काण्ड रहा है। अभी उस गम से उबरे नहीं थे कि मान्यवर, थोड़े ही समय के अंतराल पर इलाहाबाद के छात्रावास में घुसकर अपराधियों ने जिस तरीके से छात्राओं के साथ बदसलूकी की और दुराचार किया, बलात्कार किया उससे सभी शर्मसार हैं। मैं आपको मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूं कि 17/18 की रात को 11-12 बजे रात को कुछ गुंडे माफिया पुलिस की वर्दी में आये और उस विद्यालय के छात्रावास का ताला खुलवाकर वहां सारी लड़कियों को बुलवाया। यद्यपि इस्लाम के मजहब में जाति और फिरकापरस्ती नहीं होती है लेकिन उसके बावजूद भी गुंडे, माफिया और मनचलों ने लड़कियों .....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायं, उपर से फोटोग्राफी हो रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माफिया और मनचलों ने लड़कियों से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये पूछा कि आप किस बिरादरी की हो, आप किस बिरादरी की हो, आप किस बिरादरी की हो और भुक्तभोगी बलात्कार की लड़कियों ने जो बताया उनके बकौल जिन लोगों ने कहा कि हम गद्दी जमात के हैं, उन जमात की लड़कियों को अलग सुरक्षित कमरे में भेज दिया और जिन लड़कियों ने गद्दी जमात के अलावा, किसी ने अपने को सैय्यद बताया, किसी ने अंसारी बताया और किसी ने अन्य बिरादरी बतायी उनको अलग कर दिया और उनमें से 2 लड़कियां जिनकी उमर 16-17 थी उनको जबरिया वह गुडें उठा ले जाते हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जमुना के किनारे ले जाकर उनके साथ दुर्व्यहार, दुराचार करते हैं और 5-6 घंटे बाद उनको छात्रावास पर लाकर छोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी आपने अपनी बात कह ली, अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी उसमें सब बातों को कहियेगा। एक बार जिस पर चर्चा हो जाती है उस पर दोबारा नहीं कहा जाता है। इतना आपने कह दिया फिर शेष बातें अभिभाषण पर कहियेगा। आपसे निवेदन है कि बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपका जैसा निर्देश है उसका अनुपालन करता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चूंकि नेता सदन यहां पर बैठे हुये हैं, ऐसे मामलों पर वह समय-समय पर गंभीरता दिखाते रहे हैं। मान्यवर, वहां पर बलात्कार के आरोपियों को बचाया जा रहा है और जो निर्दोष लोग हैं उनको बलात्कारी बताकर उनको जेल भेजा जा रहा है जिसके नाते इलाहाबाद में घोर असन्तोष है। वहां पर निर्दोष लोगों को फर्जी तरीके से आरोपित करके जेल भेजा जा रहा है और जो बलात्कार के दोषी हैं उनको बचाया जा रहा है। एक तो घिनौना कार्य हुआ ही उससे ज्यादा घिनौना कार्य अब किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसकी निष्पक्षता से जांच कराना चाहते हैं तो इसकी सी0बी0आई0 से जांच करा लें। क्योंकि इस मामले में समाजवादी पार्टी के एक बाहुबली सांसद का भी हाथ है जैसा कि वहां की लड़कियों ने बताया है इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले की सी0बी0आई0 जांच करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया अपने आसन पर बैठ जायं ऊपर फोटोग्राफी हो रही है।

*श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी बहुत ही दुःखद क्षण है जब एक अत्यन्त संवेदनशील और दुःखद घटना पर सदन में चर्चा हो रही है। निठारी में जो घटना घटित हुई वह केवल एक घटना नहीं है, इंसानियत शर्मसार हुई है। मानवता का सर झुका है वह ऐसी घटना है जो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। कठोर से कठोर हृदय भी जब उस घटना का जिक्र सुनता है तो उसकी आंख भीग जाती है। कल्पना कीजिए जो 8, 10, 12, 14 साल के बच्चे वह भी निर्दोष बच्चे उनकी जब हत्या की गई होगी तो क्या हाल हुआ होगा वह बच्चे अबोध थे उनका कोई दोष नहीं था उस घटना से निःसंदेह हमारा सिर झुक गया है, प्रदेश का सिर झुक गया है, देश का सर झुक गया है और दुनिया के सामने हमारी बहुत खराब तस्वीर प्रस्तुत हुई है। निठारी का दुःखद पहलू यह है कि वह ऐसे क्षेत्र में है जो औद्योगिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र माना जाता है यह घटना ऐसी घटना नहीं है जो एक दिन में घटित हुई हो महीनों यह सिलसिला चलता रहा जो आरोपी पकड़े गये हैं उन आरोपियों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खिलाफ पहले भी आवाज उठाई गई थी। उनके खिलाफ मामला चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में गया था चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 153-154 के तहत मुकदमा कायम करने के निर्देश दिए थे। यह जो दोनों अभियुक्त पकड़े गये हैं उनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी उनको थाने पर बुलाया गया था तफ्तीश शुरू हुई थी लेकिन पता नहीं किनके दबाव से उनको छोड़ दिया गया कौन ऐसा शक्तिमान था जिसने दबाव डाला जिसके कारण उन्हें छोड़ दिया गया यह दोनों तो दोषी हैं ही उनको छुड़ाने वाला भी कम दोषी नहीं है। अगर उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया होता तो बाद में पचासों बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। इस मामले में तफ्तीश में हर स्तर पर कहीं न कहीं कमी रही है। पांच छः दिन जब सी0बी0आई0 को जांच नहीं सौंपी गयी थी कुछ रिकवरी हुई थी लेकिन जब सी0बी0आई0 को संस्तुति की गई और सी0बी0आई0 ने जांच स्वीकार कर ली उसके बाद 40 बैग मिले हैं। यह बरामदगी पहले क्यों नहीं हुई। सी0जे0एम0 के निर्देश पर जो पहले मुकदमा कायम किया गया उसमें किसके निर्देश पर इन दोनों अभियुक्तों को छोड़ा गया इसकी भी जांच होनी चाहिए और तथ्य सबके सामने आना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं कि यह जो निठारी की घटना है इस पर सभी दलों के बन्धन से ऊपर उठकर सदन में एक मिनट का मौन रखना चाहिए और मृतकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करा चाहिए और यहां से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हम यहां बैठे रहें और तुम्हारी जान की रक्षा नहीं कर सके। हमें दलों के बन्धन से ऊपर उठकर ऐसा करना चाहिए। दूसरी घटना करेली इलाहाबाद में हुई वहां छात्रावास में लड़कियां रह रही थीं यह अल्पसंखक छात्रावास है यहां रहने वाली छात्राएं अल्पसंख्यक समुदाय की हैं इस तरह की घटनाओं को धर्म या जाति के बन्धन से नहीं बांधा जा सकता है यहां पर गुनहगार रात में सी0आई0डी0 के भेष में आए और कहा कि हमें पूछताछ करनी है जब दरवाजा नहीं खोला गया तो दरवाजा तोड़ दिया और 90 लड़कियों को लाइन में खड़ा करने के बाद जो वहां की घटना है जो मौके पर जाने के बाद पता चली है।

श्री प्रमोद कुमार-

उन्होंने उसी जाति धर्म के कुछ लोगो से कहा कि आप यहां से अलग हट जायं और मान्यवर जो लड़कियां उन्हें पसन्द आईं उन्हें उठा ले गये। तीन-चार घण्टे के बाद वह लड़कियां आईं। लहू लुहान स्थिति में मातम छा गया वहां कोहराम मच गया। जब उन लड़कियों के चीख पुकार की आवाज वहां पास की बस्ती में रहने वाले लोगों ने सुनी तो करेली थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनका ध्यान चाहता हूं इस पर कि रिपोर्ट क्या लिखी गई छेड़-छाड़ की। मान्यवर, यह बहुत दुःखद स्थिति है। फिर जब शाम तक जब दबाव बना तब जाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्वयं निर्देश देकर अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया डी0आई0जी0 के कहने पर या जैसा यहां से निर्देश गया हो उसके अनुसार रिपोर्ट हुई। मान्यवर, किसी भी बलात्कार में जो सबसे बड़ा साक्ष्य होता है वह मेडिकल एविडेंस होता है। मेडिकल एविडेंस में इतना डिले जानबूझ कर किया गया क्योंकि जितना डिले करते जाओ साक्ष्य उतना ही कमजोर पड़ता जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसको भी दिखवा लें कि मेडिकल

कराने में इतना जो विलम्ब हुआ है उसके लिये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं नेता सदन घोषणा करके उनके खिलाफ कठोरतम् कार्यवाही करें। मान्यवर, यह बलात्कार उन लड़कियों के खिलाफ नहीं हुआ हैं मानवता के खिलाफ, सम्पूर्ण महिला जगत के खिलाफ हुआ हैं हमारे और आपके सम्मान के खिलाफ हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो सवाल मैंने उठाया है इस पर बड़ी कड़ाई के साथ सरकार कार्यवाही करे जिससे फिर एक बार हमें इतिहास के सामने सिर झुकाकर न खड़ा होना पड़े। यही मैं चाहता हूं।

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद की करेली की घटना जो वहां के एक छात्रावास की लड़कियों के साथ हुई है, बहुत ही शर्मनाक है और सरकार ने इसको बड़ी गम्भीरता से लिया भी है और जितनी इसकी निन्दा हम सब मिलकर करें उतना कम है। सरकार की तरफ से किसी तरह का पक्षपात और किसी को बचाने की कोशिश यह की जायेगी कि इनके खिलाफ इतनी कठोर कार्यवाही की जाय ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। जहां तक कि हमारे सभी दलों के नेताओं ने जितनी बातें रखी हैं उस पर हम ध्यान देंगे और उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। सरकार की तरफ से किसी तरह का पक्षपात और किसी को बचाने की कोशिश न कभी की गई है और न की जायेगी। अब यह घटना तो गम्भीर है। बलत्कार का कोई समर्थन या किसी को बचाने का कोई काम नहीं किया जायेगा। आप लोगों के कहने पर और जैसा आपने निर्देश भी दिया है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समय पर हम और भी जानकारी जो आपने रखी है उसका भी जवाब देंगे। दूसरी बात निठारी काण्ड के बारे में जो हमारे सभी नेताओं ने जिक्र किया है। जहां तक लापरवाही का सवाल है आपके तीनों नेता बैठे हैं इनकी भी सरकार रही हैं बता दें कि तीनों की सरकार रहने पर ऐसी कोई जानकारी आने पर इन्होंने ऐसी कठोर कार्यवाही की हो जैसी कि हमने की है। यह घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है, वीभत्स है, गम्भीर है और इसने पूरे देश को कलंकित किया है। निठारी से लेकर चाहे हरियाणा का गुड़गांव का काण्ड रहा हो जिसमें 28 लोगों की हत्या हुई कोई उन पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिये नहीं गया। वहां भी समाजवादी पार्टी ही सबसे पहले गई। हम कहना नहीं चाहते कि इस काम को करने वाला गुनहगार कौन है ? किससे सम्बन्ध हैं, किससे सम्पर्क है, किसका रिश्तेदार है। इतना हम इशारा करना चाहते हैं। अगर पूरा जानना चाहेंगे तो हम बता देंगे।

(सत्ता पक्ष से किसी सदस्य के कहने पर कि बता दीजिये)

श्री मुलायम सिंह यादव-

समय आयेगा तो बता देंगे। विस्तार से बता देंगे। मौर्या जी बहुत विस्तार से बोले माननीय प्रमोद तिवारी जी बहुत बोले। बता देंगे। कुछ भी कहने से नहीं बचेगा। अभी सी0बी0आई0 की जांच चल रही है जाकर तथ्यों को सामने रखिये जो आपको जानकारी है। पुलिस ने पूरी तरह से तथ्यों को कहीं नहीं छिपाया है। आखिर इस मामले को जिन्होंने सावधानी नहीं बरती है, जिन्होंने गम्भीरता से नहीं लिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। दोषी लोगों को 6 लोगों को बर्खास्त किया है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी0ओ0 को मुअत्तल किया है। एस0पी0 को मुअत्तल किया है। आपके हाथ में है फांसी देना ? हमारे हाथ में है फांसी देना ? जांच हो रही है, चढ़ा देना जाकर, आप भी चले जाना, सी0बी0आई0 की जांच हो रही है कह देना सी0बी0आई0 से फांसी चढ़ा देना। फांसी चढ़ाएगी कोर्ट, इसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। सी0बी0आई0 जांच करे, जो भी जांच करे उसमें, लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि नेता विरोधी दल यह सही है कि राजनीति सियासत हो रही है अगर नहीं हो रही है तो इसके लिए हम प्रमाण दे देंगे, आज नहीं तो कल दे देंगे अच्छी तरह से। यह मानवतावादी और संवेदनाशील सरकार है, दल है।

आज जब मैंने खबर सुनी आपके जनपद में घटना हुई तो सीधे मैं आपके घर गया घटनास्थल पर नहीं गया। घटना पर गए बाद में, पहले हम आपके यहां गए। हम जानते थे कि आपका जन्म दिवस है ऐसे खुशी के अवसर पर, शुभ अवसर पर, आपकी खुशहाली के लिए आपकी उम्र के लिए स्वस्थ रहने की बधाइयां मिल रही हैं ऐसे मौके पर अगर यह घटना हो जाए तो आपके लिए कितना दुखदायी होगा और यह जो आप कह रहे हैं कि आलोचना नहीं हुई यह बैठे हैं यह आलोचना नहीं छिपाते हैं इनकी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से लेकर यहां तक क्या हमारी आलोचना नहीं की। क्या हम आलोचना से बचे हैं लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी ने उचित और अनुचित पर विचार किया है। क्या कौन कहता है इसकी हमने कभी भी परवाह नहीं की।

(मेजें थपथपाई गईं)

लेकिन यह उसको हल्के फुल्के में ले रहे हैं यह मामूली बात नहीं ऐसे संकट में आज भी कह रहे हैं कि बलात्कार के मामले में सबको एक होकर के, सबको मिलकर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि बलात्कार करने की किसी की हिम्मत न पड़े। हम मौर्या जी से लेकर सबसे अनुरोध करेंगे यह कम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और बाद में बता भी देंगे। कहां कानून व्यवस्था भंग हो गई ? जहां तक विधायक जी का मामला है विधायक जी सदन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं किसी भी विधायक के मामले में जब भी कोई सवाल आया हमने विधायक के मामले में विधायक को सही माना है चाहे वह सही बोले चाहे गलत बोले। यह हमारी एक आदत सी है हमने एक परम्परा कायम की है इस सदन के अन्दर। इस सरकार में। आपने तो हमेशा उल्टा किया है हमेशा चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जो हो, मैं तीनों का भुक्तभोगी हूं। कभी सही बात विधायकों की नहीं सुनी, और यह सरकार है चाहे हमारे त्रिपाठी जी कुछ कहें हम यह मानकर चलेंगे कि उनकी बात में सच्चाई है, दम है। हम उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। यही सरकार ऐसी है इस सदन में हमने देख लिया है हमारे पीछे भी जब हम बाहर थे नहीं थे सदन के अन्दर, तब भी हमने देखा कि है कोई विधायक की नहीं सुनता है हम जानते हैं आप भी सत्ता में रहे और भी लोग सत्ता में रहे आपकी सल्तनत में कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। बहुत कोशिश की है हम खुद गए हैं मिलने। हम जानते हैं।

सरकार हमने दिल्ली में भी चलाई, यहां भी चलाई सही बात कहने गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के महामंत्री जी से, निराश वहां से लौटे और वहीं बोलते हैं क्या किया। कोर्ट ने क्या किया न्यायालय ने क्या किया, हमने जो कहा उसको न्यायालय ने सही पाया। हम किसी पर ऊंगली नहीं उठाते हैं जांच के समय, हमने देख लिया अजीत जी बहुत बात करते हैं न्यायालय ने क्या किया है

उनके बारे में, क्या-क्या टिप्पणी की है और आज हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सिविल सी0बी0सीआई0डी के बारे में कह सकते हैं हमारे रहते निष्पक्ष जांच कोई एजेन्सी इतनी जल्दी नहीं कर पाएगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

हमने कभी मना नहीं किया हमने सी0बी0आई0 की जांच के लिए, मा0 कांग्रेस पार्टी के नेता से कहना चाहता हूं मैंने कभी मना नहीं किया। मैं राज्यपाल महोदय से कहने गया मैंने कहा हमें देखने दो एक-दो दिन अगर नहीं कामयाब होते हैं तो सी0बी0आई0 से जांच करायेंगे उन्होंने कहा मैं सुन ही नहीं पाया तो मैंने कहा ठीक है राज्यपाल जी हैं उनकी मानों वह सुन नहीं पाए बाकी सब सुन लिया। पत्र लिख दिया, मैंने भावनाओं का आदर किया, महामहिम राज्यपाल जी का आदर किया है, पत्र का आदर किया है, हमने संसदीय परम्पराओं का आदर किया है। अब हम कहना नहीं चाहते हैं इनके पास कुछ है ही नहीं यह इतनी गम्भीर, निन्दनीय घटना है कि सब लोगों को मिल करके इसकी निन्दा करना चाहिए और बैठ करके मिल करके हल निकालना चाहिए यह क्या कहेंगे वकीलों के बीच जाकर के, यह क्या कहेंगे किसानों के बीच, क्या कहोगे छात्र/छात्राओं के बीच, क्या कहोगे चौकीदारों के बीच, क्या कहोगे व्यापारियों के बीच, कुछ है आपके पास कहने को। यह जो अभी तक बैठे रहे चुप-चाप, यह कानून-व्यवस्था खराब होने की बात करते हैं, बता दें कहां की कानून-व्यवस्था अच्छी है, कल बता दूंगा कहां की कानून व्यवस्था अच्छी है, पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने रख देंगे कानून-व्यवस्था इतनी बेहतर कैसे है ? इसे हम कैसे अच्छी कह सकते हैं, उन किसानों के, गांव में रहने वालों के जो विचार हैं क्या हैं, लेकिन अब इनके पास नकारात्मक विचारहीन काम करने वाले और बहस करने के अलावा कोई रास्ता अब विपक्ष के पास बचा ही नहीं है, जनता के लिए कुछ नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए, कहां जा रहा है ? इसके लिए कुछ नहीं है और चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं। चुनाव के लिए संवैधानिक शर्तों को प्रभावित करने की पूरी साजिश सब मिलकर के कर रहे हैं, ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं।

हमने फरवरी में चुनाव के लिए कहा, अब भी फरवरी में चुनाव हो सकता है, चलिये सब मिलकर के चुनाव आयोग के सामने चलिये, क्या हम चुनाव से भाग रहे हैं, हम बता देंगे कि आप लोगों ने जब चुनाव हुआ क्या-क्या जुल्म हुआ है, कितना दुनिया के सामने सिर झुका है उस समय झुका और उस समय झुका है जब विपक्ष की भूमिका जिन्होंने निभाई जिनकी सरकार थी बतायें कि उनके सिर झुकना चाहिए देश के सामने सिर तब झुका है हम बतायेंगे कल, देश के सामने सिर कब झुका है माननीय नेता कांग्रेस को बता दूंगा कल, कब झुका है विपक्ष में जिनके दल थे वहां पर और जिनकी सरकार क्या रही थी, तब सिर किसका झुकना चाहिए था। वह भूल गये तब कभी नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, तब हिम्मत नहीं की, राष्ट्रपति शासन, श्री महामहिम राज्यपाल जी के बारे में आज तक में जितने बार आया, उदाहरण है तो अभी बिहार का है और ये रोज राष्ट्रपति शासन की रट लगाये हैं बता देंगे कल, जब आपकी कोई बात कहने वाला नहीं था, तब हमने कभी परवाह नहीं की कि कौन क्या कहता है।

झारखण्ड हो चाहे बिहार हो, हमारी पार्टी सबसे मजबूत रूप में खड़ी दिखाई दे रही थी, हम खड़े थे, और समाजवादी पार्टी दहाड़ रही थी, इसलिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस विपक्ष को और पूरे सदन को कि चाहे विधायक जी का पीलीभीत का मामला हो, चाहे निठारी का मामला हो, सी0बी0आई0 जांच कर रही हो पूरा सहयोग रहेगा और जहां तक करेली का मामला है उसको गम्भीरता से लिया है, लड़कियों और प्रबन्धक के सामने सारी बात, पुलिस के सामने पेश किये गये हैं सब लोग जो पकड़े गये थे, वह सभी को पता है स्थानीय स्तर के हैं प्रमोद तिवारी जी भले ही प्रतापगढ़ से विधायक हैं रहते तो इलाहाबाद में ही हैं वह क्यों छिपा रहे हैं, हम कोई बात नहीं छिपायेंगे हमारे वरिष्ठ मंत्री अहमद हसन साहब मौके पर गये हैं, प्रबन्धक से मिले हैं, लड़कियों से मिले हैं, पुलिस से भी बात की है पूरी विस्तृत जांच करके हमें चुपचाप भेजा था, जानकारी तो हो ही जाती हमें कि क्या हुआ था, लेकिन हमने कहा कि नहीं सही मामला आना चाहिए कभी सदन के अन्दर कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो कि सरकार छिपाती हो या पक्षपात करती हो वह भी रिपोर्ट है, अभी तक जितनी वहां की रिपोर्ट आयी है हमारे मंत्री जी के द्वारा वहां के जो बयान हुए हैं जो धार्मिक नेता भी मिले हैं और प्रबन्धक भी मिले हैं, लड़कियों से भी मिले हैं सबने मिल करके जो बात कही है वहां अभी तक कोई पक्षपात या बचाने की बात नहीं कही गयी और आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह की घटना न हो, इस तरह से लड़कियों की तरफ कभी भी कोई बुरी और टेढ़ी नजर से न देख सके यह कोशिश सरकार की तरफ से होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, मदरसा काण्ड पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसलिए इस मामले की सी0बी0आई0 जांच करा दें।

श्री अध्यक्ष-

आप की बात आ गई।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

(श्री राम नरेश यादव के खड़े होने और कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 यादव जी, आपसे निवेदन है, आप इस सदन के नेता रहे हैं। आपको अभी अभिभाषण में कहने का अवसर मिलेगा।

निठारी काण्ड पर शोक-प्रस्ताव लाये जाने की मांग

श्री राम नरेश यादव-

अध्यक्ष जी, अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने निठारी काण्ड की बहुत निन्दा की है और उसी आधार पर मैं समझता हूं, पूरा सदन भी इससे सहमत होगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में एक मिनट का मौन प्रस्ताव कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष सहमत हो जायेंगे, तब होगा, ऐसे नहीं। मुख्य मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है।

डा0 विनोद तिवारी-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए, यह लिखा नहीं जायेगा।

डा0 विनोद तिवारी-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए। अब निधन के निर्देश लेते हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अध्यक्ष जी, क्योंकि एक माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला है और नेता सदन खुद भी फरमा रहे हैं कि कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होगी जो नियम विरुद्ध है। यह तो आप मानेंगे कि यदि कानून के खिलाफ काम करेंगे तो रिपोर्ट लिखी जायेगी या नहीं लिखी जायेगी ?

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मेरे खिलाफ कभी एक एनसीआर नहीं लिखी गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप ऐसा रेजोल्यूशन कर दें कि जितने विधायकों के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हटा दिया जाए, आप प्रस्ताव ले आइये, हम समर्थन करते हैं।

विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री चेतराम गंगवार छन्नू लाल शास्त्री, धर्मवीर सिंह त्यागी, राम चन्द्र बख्श सिंह, श्याम मिश्रा, विक्रमादित्य पाण्डेय तथा कमल नयन वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब निधन के निर्देश ले रहे है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चेतराम गंगवार का 11 दिसम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री चेतराम गंगवार का जन्म 1 जुलाई, 1933 को ग्राम पंचपेड़ा, जिला बरेली में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चेतराम गंगवार सर्वप्रथम वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज, जिला बरेली से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1969, 1974, 1977, 1980 तथा 1985 में लगातार निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज , जिला बरेली से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री चेतराम गंगवार श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में तीन बार जेल गये। वे जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज के सचिव, पटेल इण्टर कालेज की कार्यकारिणी के सदस्य तथा बरेली राइफल क्लब के सदस्य तथा सचिव रहे थे। वे श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल तथा श्री वीर बहादुर सिंह मंत्रिमण्डल में

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

राज्य मंत्री भी रह चुके थे। बागवानी, खेती, पिछड़े लोगों की सेवा और उत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। श्री चेतराम गंगवार के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छन्नू लाल शास्त्री का 12/13 दिसम्बर, 2006 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 56 वर्ष के थे।

श्री छन्नू लाल शास्त्री का जन्म 30 जून, 1950 को ग्राम कन्दवा, जिला वाराणसी में हुआ था। उन्होंने शास्त्री एवं साहित्यरत्न की उपाधि ग्रहण की थी। श्री छन्नू लाल शास्त्री वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र चन्दौली (अ0जा0), जिला वाराणसी से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री छन्नू लाल शास्त्री विभिन्न आन्दोलनों में लगभग 18 वर्ष तक वाराणसी, बरेली, दिल्ली, लखनऊ आदि के कारागारों में बन्दी रहे। श्री शास्त्री उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण समिति के महामंत्री उत्तर प्रदेशीय डा0 अम्बेदकर केन्द्र तथा नव जागरण विद्यालय, कोरहुआ के अध्यक्ष भी रहे। श्री छन्नू लाल शास्त्री की सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में विशेष रुचि थी। डा0 लोहिया, श्री राजनारायण और चौधरी चरण सिंह की नीतियों व कार्यक्रमों के वे पक्षधर रहे थे। निर्बल वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की सहायता में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री छन्नू लाल शास्त्री के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मवीर सिंह त्यागी का 18 दिसम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री धर्मवीर सिंह त्यागी का जन्म 13 फरवरी, 1935 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री धर्मवीर सिंह त्यागी वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र मोरना, जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर तथा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र खतौली, जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे आठवीं लोक सभा के सदस्य भी थे। श्री धर्मवीर सिंह त्यागी राजनीतिक आन्दोलनों के सम्बन्ध में दो बार जेल जा चुके थे। वे मेरठ विश्वविद्यालय कार्य कारिणी तथा शिक्षा सदन माध्यमिक कन्या विद्यालय, मुजफ्फरनगर के सदस्य रह चुके थे। उन्होंने 'चीनी मन्द रिनवाद' नामक रचना प्रकाशित करायी थी। शतरंज खेलने का उनको शौक था।

श्री धर्मवीर सिंह त्यागी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम चन्द्र बख्श सिंह का 31 दिसम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री राम चन्द्र बख्श सिंह का जन्म 15 अगस्त, 1939 को ग्राम देवरा, जिला बाराबंकी में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामचन्द्र बख्श सिंह वर्ष 1974, 1985 तथा 1989 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज, जिला बाराबंकी से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रह चुके थे। श्री राम चन्द्र बख्श सिंह वर्ष 1961 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े। उन्होंने कई आन्दोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। पढ़ने-लिखने में उनकी विशेष रुचि थी। उनकी 'राज्य सत्ता' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम मिश्रा का 11 जनवरी, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री श्याम मिश्रा का जन्म 8 जून, 1934 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री श्याम मिश्रा वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र कानपुर छावनी, जिला कानपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री श्याम मिश्रा डी0ए0वी0 कालेज, छात्रसंघ कानपुर के अध्यक्ष रहे थे। वे समाजवादी युवजन सभा, उत्तर प्रदेश नेशनल यूनियन आफ स्टूडेन्ट्स, उत्तर प्रदेश, जे0के0 रियान मजदूर पंचायत, कानपुर तथा यूथ फोरम फार सोशलिस्ट ऐक्शन, उत्तर प्रदेश के महामंत्री रहे थे। वे कानपुर शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे थे। अध्ययन तथा विचार-विमर्श में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री श्याम मिश्रा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विक्रमादित्य पाण्डेय का 14 जनवरी, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री विक्रमादित्य पाण्डेय का जन्म 1 जुलाई, 1935 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, बी0एड0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विक्रमादित्य पाण्डेय सर्वप्रथम वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र बलिया, जिला बलिया से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1989 में जनता दल तथा 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी थे। श्री विक्रमादित्य पाण्डेय वर्ष 1977 तथा 1980 में धारा 144 के उल्लंघन में जिला कारागार, बलिया में बन्दी रहे थे। वे जिला जनता पार्टी, बलिया तथा जनता दल, जिला बलिया के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के महासचिव तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। वे कई शैक्षिक तथा सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे। वे मा0 श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमण्डल में वर्ष 1989 से 1991 तक नगर विकास, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे थे। अध्ययन, भ्रमण, लेखन एवं पत्रकारिता में उनकी रुचि थी।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब आप इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, स्व0 विक्रमादित्य पाण्डेय के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा है। हम सभी लोग उनके मृदु व्यवहार से, जो उनकी कल्पना थी, राजनीति के सवालों पर कई बार बहुत छोटी परिभाषाओं में न रहकर, समाज से जुड़ी हुई जितनी बातें थीं उन पर सहानुभूतिपूर्वक और ईमानदारी से, अपने जीवन में बेबाक तौर से विचार रखे और संघर्ष करने का काम किया। उनका यह उद्देश्य एक उदाहरण था। बलिया में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे और समाज सेवा की। उनके निधन से हम लोगों को जो क्षति हुई है उसे भविष्य में पूरा कर पाना संभव नहीं है। एक अध्यापक के रूप में शुरू करके नगवां कालेज में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। उनके प्रधानाचार्य काल में अनुशासन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत अच्छा था और इतना अद्भुत था कि जिसका अनुकरण कई विद्यालयों ने किया। किन्हीं भी परिस्थितियों में कितना भी दबाव पड़ा लेकिन उन्होंने इस दबाव पर खुद को टूटने नहीं दिया। वे अपने को मंगल पाण्डेय के निकट का मानते थे और उनका सम्मान करते थे। उन्होंने उनकी स्मृति में 18 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया और एक स्मारक की स्थापना की। उस स्मारक के माध्यम से अनेक गतिविधियों का संचालन किया। माननीय नेता सदन व्यक्तिगत तौर पर बहुत भाव विह्ल हो गये थे उनके निधन के दिन और अगले दिन वह अंत्येष्टि में दाह संस्कार में भी गये थे। वे ही नहीं दूसरे अन्य दलों के नेतागण भी उनके निधन पर गये थे। ऐसा नहीं लगता है कि वे एक दल के नेता रहे हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन बलिया में बड़ा ही भाव-भीना माहौल था। उनके निधन से समाजवादी पार्टी ने एक महान समाजसेवी तथा एक महत्वपूर्ण सदस्य खोया है जिसका भरपाई आगामी कई समय तक नहीं हो पायेगी। मैं अपनी तथा अपने दल के साथियों की ओर से शोक-संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी यह भावनाएं उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री कमल नयन वर्मा का 21 जनवरी, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री कमल नयन वर्मा का जन्म 15 जुलाई, 1927 को ग्राम रसूलपुर गुण्डा, जिला रायबरेली में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तथा साहित्यरत्न की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कमल नयन वर्मा निर्वाचन क्षेत्र सतांव, जिला रायबरेली से वर्ष 1985 में कांग्रेस (आई0) तथा 1989 एवं 1991 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वर्ष 1977 तथा 1978 में श्री कमल नयन वर्मा धारा 144 के अन्तर्गत जिला कारागार, रायबरेली में बन्दी रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी इण्टर कालेज, रायबरेली में वर्ष 1952 से 1985 तक अध्यापन कार्य किया था। वे देदौर इण्टर कालेज, देदौर के प्रबन्धक तथा वीणापाणि इण्टर कालेज, सतांव की प्रबन्ध समिति के सदस्य भी रहे थे। वे जिला सहकारी बैंक, रायबरेली के मनोनीत संचालक, क्षेत्र समिति, सतांव के प्रमुख तथा जिला कांग्रेस कमेटी, रायबरेली के अध्यक्ष रहे थे।

श्री कमल नयन वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

माननीय अध्यक्ष जी, स्व0 छन्नू लाल शास्त्री विधान सभा के सदस्य थे वे वाराणसी के ग्राम कन्दवा के निवासी थे। उनका जन्म अनुसूचित जाति में हुआ था लेकिन उसके बाद भी वे मेधावी छात्र थे और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी सेवा और शिक्षा के बल पर सभी लोगों का सम्मान प्राप्त किया। उनकी विशेषता यह रही कि जो गरीब, पीड़ित, दलित वर्ग, कमजोर वर्ग के लोग थे ऐसे लोगों के लिए पूरी ताकत से लड़े। उनका भला करने उनको बचाने और संभालने का काम करते थे। मान्यवर, यही कारण है कि घर से दूर जाने के बाद भी जब-जब और जहां-जहां से वे चुनाव लड़े हैं वे निर्वाचित होकर आये हैं। उनके हमारे बीच से चले जाने से, जो एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे जुड़ा हुआ था, उसको क्षति हुई है। मैं समझता हूं कि उस क्षति को पूरा करने के लिये हम सभी लोग अपनी सेवा भावना से, उन पीड़ित लोगों के मन में जो कष्ट है, उसको दूर कर सकेंगे। मैं अपनी ओर से और दल की ओर से उनको श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुये, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि

उनकी आत्मा को शान्ति दे। और उनसे सम्बन्धित जो लोग हैं उनके दुःखों को दूर करने के लिये हम लोग मिलजुल कर काम करें।

मैं आशा करता हूं कि हमारी ये शोक-संवेदनायें उनके दुःखी परिवारजन तक पहुंचाने की कृपा की जायेगी।

*श्री सतीश महाना-

श्रीमन् स्वर्गीय श्याम मिश्र जी कानपुर छावनी क्षेत्र से विधायक थे। वे एक जुझारू नेता थे और अपनी बात को प्रभावी रूप से और जोर से कहते थे। वे बहुत स्पष्ट कहते थे। वे सच को सच और गलत को गलत कहने में घबड़ते नहीं थे चाहे वह राजनीतिक दल की बात हो या परिवार की बात हो या फिर क्षेत्र की बात हो।

माननीय मुख्य मंत्री जी उनके निवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिये गये थे। मान्यवर, मैं उसी क्षेत्र से विधायक हूं और मेरे खिलाफ भी एक बार वे चुनाव लड़े थे। चुनाव के दौरान मान्यवर, उन्होंने कभी किसी प्रकार का वैमनस्य या वर्चस्व दिखाने का प्रयास नहीं किया। चुनाव का परिणाम आने के बाद भी उनका स्नेह और प्यार मुझे मिला। मान्यवर, उनसे बहुत कुछ राजनीतिक क्षेत्र में सीखने का अवसर मुझे मिला है। मान्यवर, उनके आज हमारे बीच न रहने से प्रदेश ने एक जुझारू नेता खो दिया है। मेरे क्षेत्र ने भी एक अच्छा नेता खो दिया है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें।

*श्री शिव कुमार बेरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर शहर में समाजवादी आन्दोलन के दिनों में उस जमाने में जो चमकते सितारे पैदा हुये थे, उनमें श्याम मिश्र जी भी एक थे। मान्यवर, मुझे याद है उस समय मैं विद्यार्थी था और इण्टर कालेज में पढ़ता था। मान्यवर, उनसे और दूसरे अन्य साथियों से प्रेरणा लेकर हम लोग समाजवादी आन्दोलन में आये थे। श्याम मिश्र जी का मान्यवर, धाकड़ स्वभाव था। समाज के प्रति उनका पूरा समर्पण था और समाजवादी विचारधारा के लोगों में या राजनीति नेताओं में चरित्र होना चाहिए था उनमें मौजूद था।

मान्यवर, मुझे याद है कि वर्ष 1974 में जब जय प्रकाश नारायण जी का आन्दोलन चल रहा था उसमें मैं भी भाग ले रहा था, उस समय मेरी बहन का तिलक जाना था, तिलक जाने के पहले ही मैं गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया, मुझ पर मीसा लगा दिया गया। मेरी बहन का तिलक चढ़ा, और जब उन्हें बाद में पता चला कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं तो उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मैं जेल में था, उनकी लाश मेरे घर में रखी हुई थी मुझे घर आने के लिये पैरोल नहीं दिया जा रहा था। उस समय कई लोग डी0एम0 के यहां गये लेकिन डी0एम0 नहीं माने। उस समय गणेश दत्त बाजपेयी भी जेल में थे लेकिन वह छूट गये थे और बाद में यहां मंत्री भी बने। फिर मेरे लिये श्याम मिश्र जी डी0एम0 के यहां गये तो डी0एम0 ने उन्हें मना कर दिया कि मीसा लगा होने के कारण उन्हें निकाला नहीं जा सकता। लेकिन श्याम मिश्र जी वहां धरने पर बैठ गये और कहा कि क्या शिव कुमार बेरिया गुण्डे हैं, बदमाश हैं या डकैत हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बेरिया एक राजनीतिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आन्दोलन में शिरकत करते हुए कार्यकर्ता के रूप में जेल गये हैं उसके बाद मुझे उन्होंने छोड़ा। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि तिलक में जाने के बाद अगर एक दिन बाद वह मुझे अरेस्ट करते तो शायद मेरी बहन की मौत नहीं होती। मुझे चार घण्टे का पैरोल मिला। श्याम मिश्र जी भी हमारे साथ गये थे।

मान्यवर, आज श्याम मिश्र जी का देहावसान हो जाने के कारण पूरा कानपुर शहर रोया है। मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके निधन से हम लोगों ने समाजवादी आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण नेता खो दिया है। कृपया मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी शोक-संवेदनायें उनके परिवारजन तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

जो सम्मानित सदस्य हम लोग के बीच अब नहीं रह गये हैं, उनके प्रति जो शोक-संवेदनायें व्यक्त की गयी हैं वह उनके परिवार तक पहुंचा दी जायेंगी।

मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये दो मिनट के लिये खड़े होकर मौन धारण करने का कष्ट करें।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, शोक प्रस्ताव था इसलिये मैंने अपनी बात रखनी बन्द कर दी थी। चूंकि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी इस गम्भीर मामले पर जब सी0बी0आई0 जांच नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि सरकार गम्भीर नहीं है, गम्भीर होने का ढोंग कर रही है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, ये सदन का बहिष्कार करना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसलिये बहुजन समाज पार्टी सरकार के इस रवैये का विरोध करते हुए सदन का बहिर्गमन करती है।

(मदरसा काण्ड की सी0बी0आई0 जांच न होने के विरोध स्वरूप श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 जनवरी, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर की वाराणसी रोड से इजरी मनहन मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 पं0 राम कुमार वैद्य जी के नाम करने के

सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा इरनी में शारदा सहायक खण्ड-23 नहर की पटरी पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राम मगन रावत की बाराबंकी के सिद्धौर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण विद्युत उपभोक्तओं से नगरीय बिल वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नहर की मरम्मत एवं प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ स्थित महिला पी0 जी0 कालेज की सेवानिवृत्त शिक्षिका को नियमानुसार देयों का भुगतान कराने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री बीजू पटनायक की लखनऊ स्थित पी0जी0आई0 अस्पताल के पास नगर निगम अधिकारियों की सह पर अवैध कब्जा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री गंगा प्रसाद पुष्कर की ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र आगरा के अन्तर्गत रु0 39.09 करोड़ की विद्युतीकरण योजना के वर्षों से अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की सुल्तानपुर के मुसाफिरखाना क्षेत्रान्तर्गत एक ट्रक से चार परिवार के आठ लोगों की मृत्यु एवं 5 घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की अपराध संख्या 352/06 थाना एतमादपुर जनपद आगरा की पुलिस के उतपीड़न के विरुद्ध सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण योजना, 2004 के अन्तर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु तीसरी सूची जारी करने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्ग के डामरी कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री रिजवान अहमद खां की जनपद जे0पी0 नगर के कांठ क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर (रौजा) में पावर प्लान्ट हेतु अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार काश्तकारों को दिलाने एवं पावर प्लान्ट का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की मिर्जापुर के मझवां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों के सभी प्राइमरी पाठशालाओं में अनु0जाति/पिछड़ी के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की मुजफ्फरनगर के थाना छपार अन्तर्गत एक निजी स्कूल के 34 स्कूली बच्चों के सड़क दुर्घटना में घायल होने तथा दो की मृत्यु के फलस्वरूप पर्याप्त आर्थिक सहायता परिजनों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है। जिन 15 माननीय सदस्यों के नाम मैंने पढ़े हैं उनकी वह पन्द्रह सूचनाएं मैंने स्वीकार कर लिया है। चूंकि कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित नहीं है अतः प्रतीक्षा सूची में श्री राम करन आर्य की सूचना नहीं ली जा रही है।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं-1-डा0 यशवन्त सिंह, 2-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, 3-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, 4-श्री आर0 एस0 कुशवाहा, 5-चौ0 महेन्द्र सिंह, 6-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, 7-श्री लालजी वर्मा तथा 8-श्री काली चरन राजभर।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद जौनपुर के वाराणसी रोड से इजरी मनहन मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 पं0 रामकुमार वैद्य के नाम करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[जनपद जौनपुर के जौनपुर-वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग से निकल कर ग्रामीण मार्ग इजरी, मनहन, रसूलपुर को जाता है। इसको बने काफी समय हो गया है। इजरी ग्राम में चार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। इनमें पं0 रामकुमार वैद्य जी एक महान सेनानी के साथ कवि एवं रचनाकार थे।

अतः वाराणसी रोड से इजरी मनहन मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 पं0 रामकुमार वैद्य जी के नाम करने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड ठेकवा में शारदा सहायक खण्ड-23 नहर की पटरी पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विद्या चौधरी-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा इरनी विकास खण्ड ठेकवा में शारदा सहायक खण्ड-23 नहर की पटरी पर पुलिया न होने के कारण जनता को चार चक्के के वाहन ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नियम-51 के अन्तर्गत सूचना लगाकर आपको अवगत कराया था। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला न पुलिया का निर्माण हुआ। जनहित को ध्यान में रखते हुए वहां पर पुलिया निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं।]

बाराबंकी के सिद्धौर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से नगरीय बिल वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन रावत-

[अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा सिद्धौर, बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट के ग्राम सभा धरौली व बनीकोंडर जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हैं कोई नगरपालिका व नगर पंचायत से सम्बन्धित भी नहीं है ग्रामीण दर से विद्युत आपूर्ति का लाभ उठाते हैं, परन्तु न मालूम किस कारण से उपभोक्ताओं से शहरी दर पर बिल भुगतान लिया जा रहा है जो अत्यन्त आपत्ति जनक व अन्याय पूर्ण है।

आपसे अनुरोध है कि तत्काल जांच कराकर उपभोक्ताओं से शहरी दर के बजाय ग्रामीण दर पर बिल चार्ज किए जाने का आदेश कराये जाने की मेहरबानी करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नहर की मरम्मत एवं प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पूर्णमासी देहाती-

[अवगत कराना है कि हमारे क्षेत्र तथा भैसा लोटन बिहार और नैपाल सीमा से बड़ी गण्डक नहर परियोजना का निर्माण जनपद महराजगंज, कुशीनगर होकर के बिहार को गयी है उक्त गण्डक नहर का निर्माण 1975 में पूर्ण हो गया था। तबसे बड़ी गण्डक नहर चालू है जिसकी मरम्मत न होने से हमेशा कहीं न कहीं टूट जाती है। यह बड़ी गण्डक नहर 1995 में पडरौना शहर के सामने टूट गयी थी, जिसमें सैकड़ों घर जलमग्न हो गये थे इसके पहले मैंने भी कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मरम्मत के लिए लिखा है। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई दिनांक 15-1-07 को मेरे क्षेत्र के मदनपुर शुकरौली मेन चौराहे के सामने उत्तर तरफ लगभग 20 मीटर बड़ी नहर टूट गयी। जिससे दर्जनों घर एवं हजारों एकड़ रबी बोई हुई खेती जलमग्न हो गयी जिससे किसानों की भारी क्षति हुई। गण्डक नहर के रिसाव से हजारों एकड़ खेती हर साल बर्बाद होती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बड़ी गण्डक नहर की मरम्मत एवं प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ में महिला पी0जी0 कालेज की सेवानिवृत्ति अध्यापिकाओं के देयों का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ में स्थित महिला पी0जी0 कालेज में कर्मचारियों का उत्पीड़न किस प्रकार किया जा रहा है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वहां पर सन् 1964 में डिग्री सेक्शन में बाटनी विभाग में श्रीमती मालती श्रीवास्तव की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी। बाद में प्रोन्नति देकर उन्हें वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक बना दिया गया और सन् 2005 में उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया। अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त जब उनके देय पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड आदि नहीं मिले तो मेरे द्वारा नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया और उन्हें बिना 21 साल की सर्विस तथा 26 साल की सर्विस पर इन्क्रीमेन्ट लगाये हुए त्रुटिपूर्ण कल्कुलेशन करके पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड का भुगतान कर दिया गया। उनके द्वारा बार-बार आपत्ति करने के बाद भी अभी तक 21 और 26 वर्ष पर लगने वाले इन्क्रीमेन्ट को लगाकर उनका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वेतन ग्रेच्युटी और फण्ड का कल्कुलेशन नहीं किया गया जिससे उनको आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है और पेंशन की धनराशि कम मिल रही है इस प्रकार की केवल एक ही घटना नहीं है बल्कि महिला पी0जी0 कालेज के अन्य अनेकों कर्मचारियों का इसी प्रकार उत्पीड़न किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नियमानुसार देयों का भुगतान करने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ में पी0जी0आई0 के पास नगर निगम के अधिकारियों की शह पर अवैध कब्जा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बीजू पटनायक-

[आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत पी0जी0आई0 हास्पिटल की दीवार आती है वहां पर बनी बाजार पेट्रोल पम्प तक अवैध कब्जा हो गया है सड़कों के किनारे कब्जा अनधिकृत नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से हो गया है माहवार वसूली हो रही है और कब्जा कराया जा रहा है। इसी प्रकार आर0टी0ओ0 आफिस के पास कब्जा हुआ है। बाराबिरवा बाजार के पास अवैध दुकानें खुल गई हैं। इन कब्जों को हटाया जाना चाहिए। पी0जी0आई0 गेट से लगा भी कब्जा कर लिया गया है। कब्जा तत्काल हटाया जाये। क्योंकि दूर-दूर से गरीब वहां पर इलाज कराने आते हैं अतिक्रमण होने से परेशानियां हो रही हैं आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं पी0जी0आई0 गेट के पास बनी बाजार में तो भयंकर कब्जा हो चुका है सड़कें कब्जा करने के कारण लोगों में रोष व्याप्त है स्थानीय नगर निगम के अधिकारी माहवार धन वसूली करते हैं तमाम शिकायतें होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लोगों में रोष व्याप्त है तत्काल अवैध कब्जे हटाने की मांग कर रहे हैं। बाराबिरवा में तो अवैध रूप से नगर निगम द्वारा दुकानें आवंटित भी की गई है जांच का विषय है। अवैध कब्जे तत्काल हटना चाहिए जिससे लोगों को आने-जाने में असुविधा न हो।]

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से तत्काल कार्यवाही कर पी0जी0आई0 लखनऊ के पास बनी दुकानों के पास सड़कों पर हुये कब्जे को हटाने की मांग करता हूं तथा इसमें दोषी स्थानीय अधिकारियों को दण्डित किया जाये। जो माहवार वसूली करते हैं उनको लखनऊ नगर निगम से बाहर हटाया जाये और अवैध कब्जे करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित दण्ड दिया जाये जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। जनहित का विषय है अवलोकनीय है लोक महत्व का है लोगों के हित से जुड़ा है। तत्काल कार्यवाही हो।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा के ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में विद्युतीकरण योजना के वर्षों से अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गंगा प्रसाद पुष्कर-

[आपकी सेवा में सानुरोध निवेदन करना है कि ताजट्रेपेजियम क्षेत्र आगरा के अन्तर्गत रु0 39.9 करोड़ की विद्युतीकरण की योजना 10 वर्ष पूर्व लागू की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत 2006 तक कुल 757 नग ग्रामों/मजरों में से 169 नग ग्राम एवं 420 नग मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष बचे 168 नग ग्रामों एवं मजरों में अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ हैं ग्रामों में जमीन पर बिजली के पोल पड़े हैं कुछ ग्रामों में पोल स्थापित किये गये हैं लेकिन तार नहीं खींचे गये हैं और ट्रांसफार्मर नहीं रखे गये हैं जिससे ग्रामवासियों में गहरा असन्तोष है और शासन की छवि धूमिल हो रही है। कुछ ग्रामों के खम्भे टूट गये हैं और कुछ ग्रामों में तार चोरी कर लिये गये हैं और शासन की क्षति भी हो रही है। यह लोकहित का विषय है जिस पर विधान सभा में चर्चा होनी अति आवश्यक है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त लोकहित के प्रश्न के विषय में विधान सभा में चर्चा कराने की अनुनति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि विद्युत विभाग की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके और अधूरा विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो सके।]

सुल्तानपुर के मुसाफिरखाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रक से मृत आठ लोगों तथा 5 घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[अत्यधिक हृदय विदारक घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहूंगा कि वह क्रूर रात्रि उन चार परिवारों के लोगों ने सोचा नहीं था कि वह सो रहे हैं और प्रातः सुबह की रोशनी नहीं देख सकेंगे। दिनांक 20 अगस्त, 2006 प्रातः चार बजे जब लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहा ट्रक संख्या पीबी 06 एफ 3535 नगर मुसाफिरखाना जनपद सुल्तानपुर में चार परिवारों के सो रहे लोगों को सड़क से हटकर उनके मकान की ओर रौंदता हुआ चला गया जिसमें 1-राम अंजोर पुत्र रामलखन, 58 वर्ष, 2-रामचन्दर पुत्र पण्डोही, 3-रामा पत्नी राम चन्दर, 40 वर्ष, 4-गुड़िया पुत्री रामचन्दर, 6 वर्ष, 5-राजेश उम्र 13 वर्ष रास्ते में मृत्यु, 6-केदार पुत्र माता प्रसाद उम्र 55 वर्ष, 7-केवला पत्नी अशरफी उम्र 55 वर्ष, 8-सोनाली पुत्री उम्र 6 वर्ष सभी आठ लोगों की निवासी वार्ड नं0 4 मुसाफिरखाना की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा मोटू पुत्र रामचन्दर, 20 वर्ष, प्रीती पुत्री रमेश उम्र 7 वर्ष, 2-धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रमेश उम्र 17 वर्ष दोनों निवासी अमेठी, 3-सुनील उर्फ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मोटू पुत्र रामचन्दर, 4-रबी पुत्र रामचन्दर, 5-अनूप पुत्र सन्तराम उम्र 20 वर्ष सभी (3, 4, 5) निवासी नगर मुसाफिरखाना पांच लोग गम्भीर रूप से घायल हुए।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पीड़ित परिवारों को कम से कम पांच लाख रुपये तथा घायलों को पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा में थाना एत्मादपुर की पुलिस के उत्पीड़न के विरुद्ध सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुंशी लाल गौतम-

[मैं आपके माध्यम से जनपद अगरा के थाना एत्मादपुर की पुलिस द्वारा की जारी उत्पीड़न की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम निवास, हरिओम पुत्र श्री रोशन लाल, आशीष पुत्र श्री रामकुमार निवासी बी0-29, चन्दन वन फेस-2 मथुरा, मथुरा रिफाइनरी में ट्रासंपोर्टर हैं। इस सम्बन्ध में विजेन्द्र कुमार का एक टैंकर मथुरा से भरकर औरैया एन0टी0पी0सी0 को जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने लूट के उद्देश्य से ड्राइवर व हेल्पर की हत्या कर दी, लेकिन टैंकर को नहीं लूट सके। थाना एत्मादपुर की पुलिस द्वारा आर्थिक प्रलोभन की पूर्ति न होने के कारण उपरोक्त निर्दोष लोगों को हत्या का दोषी करार देकर जेल भेज दिया गया। इसकी सूचना एवं न्याय की अपेक्षा हेतु पीड़ितों द्वारा कई रजिस्टर्ड पत्र वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशासन को दिया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराकर निर्दोष लोगों के विरुद्ध की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही को रोकने की मांग करता हूं।]

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण योजनान्तर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु तीसरी सूची जारी करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार ने विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण योजना 2004 के अन्तर्गत 46189 पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला था। सरकार ने 41150 पदों की पहली सूची जारी की, जिसमें बहुत से अभ्यर्थी फर्जी पाये गये। पुनः 6954 की दूसरी सूची जारी की गयी, इसमें भी कई अभ्यर्थी फर्जी पाये गये। शासन ने दोनों सूचियों के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए 38219 अभ्यर्थियों का चयन किया जिनमें फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या-5700 थी। प्रशिक्षण के बाद 32519 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें अन्तिम रूप से 30650

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर 3300 अभ्यर्थियों की नयी सूची जारी हुई, जिन्हें प्रशिक्षण पर भेजा गया।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने 6 दिसम्बर, 2005 को घोषणा की थी कि 13000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2004 की सूची से मेरिट के आधार पर जारी की जायेगी। बेसिक विद्यालयों में अभी कई हजार शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं अतः उचित होगा कि शासन योजना 2004 के अन्तर्गत तीसरी सूची जारी करें।

उक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है, अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्ग को डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 96 डलमऊ जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत तहसील-ऊंचाहार स्थित मार्ग अरखा से अकढ़िया होते हुए गौरीशंकरन तक गया है जिसकी लम्बाई 6 किमी0 है जिसका आधा भाग डामरीकृत था वह भी उखड़ गया है तथा शेष आधे भाग पर बड़े-बड़े बोल्डर पड़े हैं। क्षेत्र का प्रमुख मार्ग होने के कारण अरखा, सादे की बाजार, अकढ़िया, पूरे कुर्मिन, अइमा, जहानियां, पूरे नरायन, हरिहरपुर, निगोहां, शुकुरूल्लापुर, पूरे गोसाईं, गौरीशंकरन, हमीदपुर बड़ा गांव, बेहरामऊ आदि गांवों की जनता का आवागमन है। बोल्डर पड़े होने के कारण तथा मार्ग के ऊबड़-खाबड़ होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पैदल चलना भी दूभर है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग के डामरीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जे0पी0 नगर के कांठ क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रिजवान अहमद खां-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 8 कॉठ जनपद-जे0पी0 नगर में मीरा सराय से कांकर सराय होते हुए पूरनपुर तक व रजबपुर से मौनपुर तक व नन्हेंड़ा अल्यारपुर से खुशहालपुर तक, करूला नदी के रपटे तक जो मार्ग इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि उक्त रोड पर पशुओं का चलना दूभर हो गया है। जिससे जनता एवं कृषकों में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त रोडों को तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर (रौजा) में पावर प्लान्ट हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर पर काश्तकारों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अभी हाल ही में रिलायन्स इनर्जी (अनिल धीरू भाई अम्बानी ग्रुप) के द्वारा शाहजहांपुर (रौजा) में एक पावर प्लान्ट लगने का करार उ0 प्र0 सरकार के साथ किया है। इस करार के अनुसार रिलायन्स ग्रुप कब से विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कर देगा, इसके द्वारा उत्पादित विद्युत जनता को किस रेट पर मिलेगी। यह पावर प्लान्ट कितनी विद्युत का उत्पादन करेगा। इस सरकार की अन्य प्रमुख शर्तें/बिन्दु क्या हैं ? इस ग्रुप को शाहजहांपुर (रौजा) में जमीन किस दर पर दी गई है। क्या किसानों को इस जमीन की वर्तमान बाजार दर से मुआवजा मिलेगा ?

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रौजा शाहजहांपुर में पावर प्लान्ट हेतु जो जमीन अम्बानी ग्रुप को दी जाय उसका मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार काश्तकारों को दिलाया जावे तथा शीघ्र ही इस पावर प्लान्ट का निर्माण कार्य शुरू कराया जावे।]

जनपद मिर्जापुर के मझवां क्षेत्रान्तर्गत सभी प्राइमरी पाठशालाओं में अनु0 जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमेश चन्द्र बिन्द-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां, जनपद-मिर्जापुर के विकास खण्ड-पहाड़ी, पटेहरा, सीटी, मझवां के अन्तर्गत सभी प्राइमरी पाठशालाओं में अनु0जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। जिससे छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों में काफी रोष एवं जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से अनु0जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

मुजफ्फरनगर के थाना छपार में एक निजी स्कूल के बच्चों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु तथा घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकुम सिंह-

[दिनांक 07 नवम्बर, 06 को एक भयंकर सड़क दुर्घटना में 34 स्कूली बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा दो की मृत्यु हो गयी। ये दुर्घटना स्कूल की एक बस के नदी में गिर जाने से

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार के अन्तर्गत हुयी। ये सभी बच्चे गांव में स्थापित एक निजी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल की ही बस में अपने आवासों से स्कूल जा रहे थे। दुर्घटना की गम्भीरता को देखते हुए घटनास्थल पर हजारों क्षेत्रवासी इकट्ठा हो गये तथा सड़क पर जाम लगा दिया। जिस स्थान पर उक्त दुर्घटना हुयी उस नदी का पुल भी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था, जिसकी वजह से संभवतः ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और पुल की दीवार तोड़ते हुये बस नदी में गिर गई। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अनेक लोग संवेदना व्यक्त करने के लिये मौके पर पहुंच गये जिनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको सरकार की ओर से कैबिनेट या राज्य मंत्री स्तर तक का दर्जा प्राप्त था। मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता को दृष्टिगत रखते हुये मौके पर यह घोषणा की गयी कि मा0 मुख्य मंत्री कोष से प्रभावित परिवारों को 05-05 लाख रु0 सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी की ओर से इस प्रकार की संस्तुति प्रशासन को भेजी गयी, परन्तु आश्चर्यजनक है कि शासन की ओर से दि0 02-01-07 को (मात्र 25-25 हजार रुपये) सहायता राशि की सूचना प्राप्त हुयी। उक्त सहायता निश्चित रूप से अपर्याप्त है और मृतकों के परिवारों ने उक्त सहायता को अस्वीकार कर दिया है।

माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनों मृतक परिवारों को 05-05 लाख रुपये की सहायता तथा घायलों के परिवारों को 15-15 हजार रु0 की सहायता प्रदान की जाय।]

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 301 में 206 सूचनाएं 21-8-06 से 15-12-06 तक आपने कृपापूर्वक स्वीकार की थीं इसमें मान्यवर, 117 सूचनाओं का अभी तक उत्तर नहीं मिला है समय के अन्तर्गत मान्यवर, केवल 18 सूचनाओं का उत्तर प्राप्त हुआ, समय बीत जाने के बाद अपरिहार्य कारणों से 71 सूचनाओं का उत्तर दिया गया। मेरा क्रमांक 104 और 107 पर दो सूचनाएं हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं, उत्तर नहीं मिला है। हम विधायकगण चुनकर आते हैं और विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सूचनाएं देते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि समय से उत्तर मिल जाय। यह सरकारी संवेदनशून्यता का परिचायक है। मेरा निवेदन है कि जिन सूचनाओं का उत्तर नहीं मिला है उनका उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, इसका नियम है कि जब यह सूचनाएं आये तो 30 दिन के अन्दर माननीय सदस्य को उत्तर चला जाना चाहिए। कृपया अधिकारियों से इसका परिपालन आप करायें।

निठारी काण्ड पर शोक प्रस्ताव लाये जाने की मांग (क्रमागत)

*श्री राम नरेश यादव-

मेरा आपसे निवेदन है कि अभी निठारी काण्ड पर जिस तरह से चर्चा हुई और माननीय नेता सदन ने जैसे अपनी बात बताई कि बहुत ही दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है, इतने बच्चे मारे गये, इतने लोग मारे गये, सी0बी0आई0 की जांच चल रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी संवेदनशलता को ध्यान में रखते हुए, इस सदन से बढ़कर कोई संस्था है नहीं, सारे विरोधी दल की भावनाएं हैं सब लोगों ने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए उन बच्चों के लिए शोक-संवेदना व्यक्त कर दे और उनके शोक-संतप्त परिवारों तक उसे पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव आ गया है। अभी 2 बजे के बाद जब फोटोग्राफी हो जायेगी। मैं माननीय नेताओं से बात कर लूंगा अगर वह इस शोकोद्गार प्रस्ताव से सहमत हैं तो यह कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज औचित्य के प्रश्न की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इसमें पहली सूचना श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद में चल रहे अर्द्धकुम्भ मेला-2007 में गंगा जल को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है। इसमें कुछ बहुत नहीं कहना है, हम भी नहा आये हैं और आप भी नहा आये हैं दूसरी सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के थाना-हजारा के थाना परिसर में दिनांक 7 जनवरी, 2007 को जिला पंचायत सदस्य, श्री बलजीत सिंह मान की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। इनकी पूरी बात पहले हो गयी है। तीसरी सूचना श्री कौशल किशोर की है, वह हैं ही नहीं।

जनपद मुरादाबाद में इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

चौथी सूचना श्री अकीलुर्रहमान की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा के बावजूद जनपद-मुरादाबाद में इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु धनराशि उपलब्ध न हो पाने के सम्बन्ध में है, इसमें मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि यदि सदन में घोषणा हुयी है तो वह उसका परिपालन करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री द्वारा विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि में 25 लाख रुपये की बढ़ोत्तरी की घोषणा किये जाने के अनुरूप धन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पांचवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की, श्री जगदीश नारायण राय, श्री लालजी वर्मा, श्री अनिल कुमार मौर्य तथा ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि में 25 लाख रुपये की बढ़ोत्तरी की घोषणा के अनुरूप धन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर)

वर्मा जी, घोषणायें औचित्य नहीं हुआ करती हैं, आश्वासन हुआ करती है। आप बैठिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि 25-25 लाख रुपये हर विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि बढ़ा दूंगा। लेकिन जो शासनादेश आया है, उसमें इस बात का परिपालन नहीं हो रहा हैं इसमें कहा गया है कि किसी एक माननीय सदस्य का काटकर दूसरे को दे देंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सारे विधायकों से जुड़ा प्रश्न है। किसी एक की निधि दूसरे को काटकर दे देंगे, यह निश्चित रूप से न्यायसंगत नहीं है। इसके कारण विकास कार्य भी अवरुद्ध होगा, इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 25 लाख रुपये एक करोड़ के अतिरिक्त इसी वर्ष में दिये जायेंगे। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जो शासनादेश जारी हुआ है, उसमें इस घोषणा को एकदम समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि शासनादेश की शर्तों के अनुसार जनपद में यदि किसी विधायक की निधि बच गयी या बचत में आ गयी, उसका पैसा वह दे देंगे। तो जनपदों में कोई पैसा बचा ही नहीं है। किसी जिले में नहीं बचा है, अभी 25 लाख रुपये के बारे में कल भी मेरी अधिकारी से बात हुयी थी, उन्होंने कहा कि कोई 25 लाख की धनराशि आपको अवमुक्त नहीं की जायेगी, हमारे प्रस्ताव वहां चले गये। प्रस्ताव इस उम्मीद से चले गये कि जब यहां पर तय हो गया और यह भी जानकारी मिली थी कि मंत्रि-परिषद् से भी स्वीकार हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी कोई बात कहें और मंत्रि-परिषद् से स्वीकार हो जाय और उसके बाद में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा शासनादेश एक ऐसा जारी कर दिया जाय कि वह ऐसी तमाम स्थिति को समाप्त कर दे तो यह औचित्य का प्रश्न बनता है। इस दल की भावना को एकदम से अनदेखी करते हुये, एक ऐसा शासनादेश जारी कर दिया गया जो हमारे निर्णय के अनुरूप नहीं है, उसके प्रतिकूल हैं माननीय नेता सदन यहां पर बैठे हैं, स्थिति स्पष्ट हो जाय, एक भ्रान्ति फैली हुयी है पूरे सदन में।

*श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन की भावनाओं को देख करके और उस समय जबकि सत्र का आखिरी दिन था, वह तो कदाचित् फिर अवसर आया है कि हम लोग इस सत्र में मिल रहे हैं। उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश के जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि/विधायकों के सामने जो उत्तरदायित्व है और जो विकास का दबाव है, उसके अनुसार उन्होंने 25-25 लाख की घोषणा की। मान्यवर, जो ग्राम्य विकास के उस जी0ओ0 का उल्लेख हो रहा है तो वह कोई अतिरिक्त व्यवस्था तो है नहीं, अगर बचत की बात है तो यह तो एक तरह से माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के विरोधाभासी एक तरह से पत्र चला गया है। जिस पत्र से प्रदेश के कदाचित् किसी जनपद के किसी विधान सभा क्षेत्र में एक पैसा भी नहीं बचा हैं तो इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में अगर आ गया कि उस 403 क्षेत्रों में कहीं भी बचत का पैसा उपलब्ध नहीं हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस दिन घोषणा किया होगा उन्होंने निश्चित तौर से अपने वित्त विभाग से और वित्तीय साधन को देखते हुये बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कही होगी कि यह पैसा कहां से आयेगा और उसके बाद प्रमोद कुमार जी और तमाम सदस्य इस बात को कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी, आप सरकार की बात भी आ जाने दें। आप बैठ जायें।

श्री जगदम्बिका पाल-

यह बात हम लोग एक साल से लगातार हर सत्र में कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई, वैसे भी आपका तो कुम्भ मेला वाला मामला था, पानी वाला मामला था। आपका तो औचित्य का प्रश्न भी नहीं था, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी, वह सम्यक रूप से विचारोपरान्त की थी और अब अगर माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, उसके लिए वित्तीय व्यवस्था क्या होगी इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन सी बहस की आवश्यकता है। जगदम्बिका पाल जी कहते हैं कि बजट देख लिया था, जानकारी कर ली थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा था ऐसे ही स्वीकार कर लिया था। हमने समझाया कि सेप्लीमेंट्री बजट पास हो गया है, कोई प्रावधान बजट में नहीं है, आप आगे के लिए छोड़ दें विचार कर लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप बैठें, जो पाल साहब ने कहा, उसके लिए मैं बता रहा हूं, सुन तो लें। वैसे अब हमने सभी की भावनाओं को देखते हुए इसे कर भी दिया है, इसमें आलोचना क्या कर रहे हैं ? हुकुम सिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि अड़चने आ रही हैं, हम उस पर विचार कर लेंगे।

(डॉ0 विनोद तिवारी तथा डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब सारी बातें आ गई हैं, अब नहीं सुना जाएगा।

(व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

डॉ0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने विगत दिनों भूतपूर्व विधायकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था, उसमें मान्यवर, आपकी कृपा से और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भूतपूर्व विधायकों के लिए 50 हजार रुपये के कूपन और पेंशन की राशि 5-5 हजार रुपये करने की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आपकी बात आ गई है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सात-सात किलोमीटर की सड़क हर विधान सभा क्षेत्र में विधायकों की संस्तुति पर दी थी। लेकिन अभी केवल 15 परसेंट पैसा ही पहुंच पाया है। मेरा अनुरोध है कि शेष धनराशि भिजवा दें तो काम पूर्ण हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं, पैसा जा रहा है।

ताज एक्सप्रेस वे जांच आयोग की आख्या एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट +

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ताज एक्सप्रेस वे जांच आयोग की आख्या एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

+ छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित भारत परिसीमन आयोग के आदेश †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित भारत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या-27, दिनांक 28 जुलाई, 2006 तथा आदेश संख्या-34, दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 को परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन 2003-2004 ††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन 2003-2004 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2006 (दिनांक 21 अगस्त, 06 से 15 दिसम्बर, 2006 तक) में नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2006 (दिनांक 21 अगस्त, 06 से 15 दिसम्बर, 2006 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश 14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 108वां (एक सौ आठवां) प्रतिवेदन ††

सभापति, आश्वासन समिति (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 108वां (एक सौ आठवां) प्रतिवेदन, जो ग्राम्य विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, सूचना माध्यमिक शिक्षा, पर्यटन तथा गृह (पुलिस) विभागों के वर्ष 1984 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

† † छापे नहीं गये।

† †† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-9, 10 और मद सं0-11 में कुछ नहीं है।

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई, 1998 को श्री राम जग द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-103 के उत्तर से निर्मित आश्वासन संख्या 419/98 के सम्बन्ध में निदेश संख्या 166 (2) के अन्तर्गत संशोधित उत्तर एवं कृत कार्यवाही की सूचना

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से श्री राम जग, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार, दिनांक 03 जुलाई, 1998 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-103 के उत्तर से निर्मित आश्वासन संख्या-419/98 के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण)" के निदेश संख्या-166 (2) के अन्तर्गत उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या-103 का संशोधित उत्तर एवं कृत कार्यवाही की सूचना सदन को देता हूं।

"श्री राम जग, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-103 के उत्तर से निर्मित आश्वासन ...

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[संख्या-419/98 के सम्बन्ध में 'उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (बारहवां संस्करण)' के निदेश संख्या-166 (2) के अन्तर्गत संशोधित उत्तर एवं कृत कार्यवाही का विवरण।"

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
103-क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 व 1986-87 में विगत 11 वर्षों पूर्व ग्राम सभा-समुखा, जलिहापुर सेंधरौली, कथरी, डकैली, नयागांव, भजेहटा,	जी हां।	जी हां।	

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
खुर्दा आदि गांवों का सर्वे के आधार पर विद्युतीकरण कराया गया था ?			
क्या विद्युतीकरण कराने के 6 माह पश्चात ही बिजली के तार चोरों द्वारा काट लिये गये थे,	जी हां।	जी हां।	
लगभग 12 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा पुनः तार लगवाये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?	जी हां।	जी हां।	
क्या मंत्री जी उपरोक्त गांवों का पुनः विद्युतीकरण कराते हुए विभाग द्वारा बरती गयी अनियमितता एवं शिथिलता की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेंगे ?	जी हां।	जी नहीं।	तत्कालीन सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी, श्री प्रेमशंकर चित्रवंशी को चेतावनी दे दी गयी है।
यदि नहीं, तो क्यों ?	इन ग्रामों में कोई वैध विद्युत कनेक्शन न होने के कारण चोरी गये तारों को बदलवाने की कार्यवाही नहीं की गई जिसके लिए कोई कर्मी दोषी नहीं है।	इन ग्रामों में कोई वैध विद्युत कनेक्शन न होने के कारण चोरी गये तारों को बदलवाने की कार्यवाही नहीं की गई जिसके लिए कोई कर्मी दोषी नहीं है।]	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 जनवरी, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 24 जनवरी, 2007 से 25 जनवरी, 2007 तक के उपवेशनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 24 जनवरी, 2007 से 25 जनवरी, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जनवरी, 2007

---

24 बुधवार

(1) निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

क-उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

ख-उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007

ग-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

घ-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

ङ-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2007

च-उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007

(3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

25 गुरुवार

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।

(2) प्रदेश के अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा (जारी)।

(3) प्रदेश में बिक रहे शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जनस्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-(एक घण्टा)।

(4) प्रदेश में बढ़ती मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा (जारी)।

(5) विधायी कार्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

डा0 बाजपेयी जी व गौर साहब संशोधन पर अपने विचार रखे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, कार्य सूची में आज यह विधेयक नहीं था इसलिए तैयारी करके नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब आपने संशोधन दिया होगा तो उस समय विधेयक पढ़ा होगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, विधेयक तो मैंने पढ़ा है लेकिन आज के एजेण्डे में नहीं था इसलिए उसे हम लाये नहीं हैं। मैं सोंच रहा था कि यह कल की कार्यसूची में आयेगा। विधेयक की प्रति मिल जाए फिर बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह सही है कि यह आज के एजेण्डे में नहीं था परन्तु विधेयक प्रस्तुत हो चुका था और कार्य-मंत्रणा समिति ने इस पर विचार नहीं किया था। आज प्रातः 10.00 बजे कार्य-मंत्रणा समिति ने बैठकर यह निर्णय किया कि इसे आज ही एजेण्डे में रख लिया जाए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ बोलिये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है उसके उद्देश्य और कारण में बताया गया है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में आवास के योजनाबद्ध विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम, 1973 में संशोधन करके मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्था की जाय। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि महानगर के अन्दर जो भूमि पड़ी हुयी है और बड़े-बड़े महानगरों में ऐसी जो कालोनीज बनी हुयी है जो नियमित नहीं हैं, मेरा निवेदन है कि ऐसी जो अनियमित कालोनीज हैं उनको नियमित करने की व्यवस्था इसमें होनी चाहिये। लेकिन इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें निजीकरण की व्यवस्था तो की गयी है लेकिन नगरों में जो मकान बने हैं, इलाहाबाद में हजारों की संख्या में मकान बने हैं उनको नियमित नहीं किया गया है। मैं विधान सभा में इसको कई बार उठा चुका हूं कि इलाहाबाद के अन्दर 81 कालोनीज हैं जो अनियमित हैं। सरकार ने इनको नियमित करने का कई बार आश्वासन दिया है कि नियमित किया जाएगा, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने 13 कालोनियों को चिन्हित किया है लेकिन इन कालोनियों की प्रगति ठप है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार कर ले इसीलिये मैंने यह संशोधन दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने पहले भी आश्वासन दिया था कि वहां भी समस्या है और जहां-जहां ऐसी समस्या होगी उन सबका निदान करेंगे। मैंने पहले भी आश्वासन दिया है, सदन में दिया है। परीक्षण करा रहे हैं और मान्यवर, यह परीक्षण मुसलसल चलता रहता है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(घघघ) 'नगरीय विकास प्रभार' का तात्पर्य भूमि के विकास के लिये धारा 38-क के अधीन किसी निजी विकासकर्ता पर उद्गृहीत किये गये प्रभार से है";

(ख) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(जज) "भू-उपयोग परिवर्तन प्रभार' का तात्पर्य महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू-उपयोग के परिवर्तन के लिये धारा 38-क के अधीन किसी व्यक्ति या निकाय पर उद्गृहीत किये गये प्रभार से है;

(जजज) 'लाइसेन्स फीस' का तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के जुटाव और विकास करने के लिये धारा 39-ख के अधीन लाइसेन्स चाहने वाले किसी निजी विकासकर्ता पर उद्गृहीत की गयी फीस से है";

(ग) खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(तीन) 'निजी विकासकर्ता' का तात्पर्य किसी व्यक्ति, कम्पनी या संघ, व्यक्तियों के निकाय चाहे निगमित हो या न हो, से है जिसके पास विकास के लिये भूमि है या जुटाव किया हो या क्रय या अन्यथा द्वारा भूमि रखने या जुटाव करने के लिये सहमत हो और जिसे इस अधिनियम की धारा 39-ख के अधीन लाइसेन्स दिया गया है।"

नई धारा 38-क का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

भू-उपयोग परिवर्तन प्रभार और नगरीय विकास प्रभार उद्गृहीत करने प्राधिकरण की शक्ति

38-क (1) जहां किसी विकास क्षेत्र में धारा 13 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किसी विशिष्ट भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित किया जाता है वहां ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाए, प्राधिकरण को भू-उपयोग हेतु परिवर्तन प्रभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा :

परन्तु भू-उपयोग परिवर्तन प्रभार की वसूली, इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अन्तिम अधिसूचना के पूर्व प्राधिकरण द्वारा भू-स्वामी से की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां किसी विशिष्ट भूमि का भू-उपयोग महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् परिवर्तित किया जाता है वहां कोई भू-उपयोग परिवर्तन प्रभार, ऐसी भूमि के स्वामी पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) जहां किसी विकास क्षेत्र में किसी निजी विकासकर्ता को भूमि जुटाव करने और उसका विकास करने के लिये लाइसेन्स प्रदान किया गया हो वहां प्राधिकरण को, ऐसी भूमि के निजी विकासकर्ता पर ऐसी रीति से और ऐसे दरों पर जैसा कि विहित किया जाए, नगरीय विकास प्रभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा।

नई धारा 39-ख और 39-ग का बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम की धारा 39-क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

भूमि का जुटाव करने एवं विकास करने के लिये लाइसेन्स

"39-ख-प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का जुटाव करने एवं विकास करने के लिये निजी विकासकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिये जैसा कि विहित किया जाय, लाइसेन्स दे सकता है।

लाइसेन्स फीस उद्गृहीत करने के लिये प्राधिकरण की शक्ति

39-ग-प्राधिकरण को अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का जुटाव करने एवं विकास करने के लिये निजी विकासकर्ता को लाइसेन्स देने हेतु ऐसी दर पर और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, लाइसेन्स फीस उद्गृहीत करने का अधिकार होगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007 को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन सदन के अन्दर 1 माह में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इस विधेयक के माध्यम से जो संस्कृत विद्यालय हैं, उनके वेतन के भुगतान में दिक्कत हो रही थी इसलिये यह संशोधन लाया गया है। यह संशोधन ठीक है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जो संस्कृत महाविद्यालय चलते थे उनमें बहुत कठिनाई आती थी। पठन-पाठन संस्कृत महाविद्यालयों में होता था। लेकिन वेतन माध्यमिक शिक्षा विभाग से दिया जाता था इसलिए पिछली सरकार ने इस पर एक कमेटी बनाई थी मैं भी उच्च शिक्षा मंत्री के नाते उस कमेटी का सदस्य था उस समय सरकार के द्वारा वर्गीकरण कर दिया गया था कि जो स्नातक स्तर के संस्कृत महाविद्यालय है उनको संस्कृत विश्वविद्यालय के अन्तर्गत रखा जाय और स्नातक स्तर से नीचे के संस्कृत विद्यालय हैं उनके लिए माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन किया जाय लेकिन जो माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् गठित है वह ठीक नहीं चल रही है इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तो एक कंटीनुअस

प्रासेस है वेतन देने का जो निर्णय हुआ है वह तो अच्छा है लेकिन जो डिग्री स्तर के संस्कृत महाविद्यालय हैं मैं चाहूंगा कि उनको डिग्री कालेज स्तर की सुविधएं प्रदान की जायं इसलिए मैं संशोधन लाया हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जो काम आप अपनी सरकारों में न कर सके फर्जी शुभ चिन्तक बने रहे आपने खुद भी मान लिया कि समानता नहीं थी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

आप मेरी बात सुन नहीं सके हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वेतन बढ़ाए जाने का आपने स्वागत किया है। यही काम आप नहीं कर सके उसे इस सरकार ने किया। जब आपने स्वागत किया तो संशोधन किस बात का ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी पत्रावली में बिजी रहते हैं वह हमारी बात समझ नहीं पाए। हमने कहा कि हमारी सरकार में संस्कृत विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय थे उसके लिए कमेटी गठित की गई थी उसमें जो स्नातक स्तर के विद्यालय थे उनको हायर एजुकेशन में और जो इण्टर मीडिएट स्तर के विद्यालय थे उनके लिए माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन किया गया था। जो वेतन देने की बात है वह ठीक है लेकिन हमारा कहना है कि जो संस्कृत महाविद्यालय स्नातक स्तर के हैं उनके लिए यूनीवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 का अग्रतर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971, की धारा 2 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा,-

"(ख) 'संस्था' का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से है, जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है और इसमें राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत विद्यालय सम्मिलित हैं।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

श्री अध्यक्ष-

इस पर कुछ बोलेंगे आप ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह विधेयक हमारे पास नहीं है, पहले हमें विधेयक की एक कापी दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

इन्हें विधेयक की एक कापी दे दी जाय।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, या तो यह पहले विधेयक पर बोल लें, उसके बाद मैं बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अगर वह नहीं बोलें तो क्या आप भी नहीं बोलेंगे ? नहीं यह नहीं हो सकता है, अगर आपको इस पर बोलना है तो आप बोलें। दोनों लोग ही तैयारी करके नहीं आये हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, एक तो मैंने पहले ही आपत्ति की कार्य-मंत्रणा समिति के एक तो हम लोग सदस्य नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा आप अपना संशोधन वापस लेते हैं या नहीं ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

नहीं मान्यवर, मैं इस पर बल देता हूं। मान्यवर, पहले हमें विधेयक तो मिल जाय फिर मैं कुछ बोलूं।

श्री अध्यक्ष-

इनको विधेयक की कापी दिला दी जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आप दूसरे पर बोल लीजिएगा जो आगे आने वाला है, इसको पारित करा देते हैं, इसमें कोई दम नहीं है।

1-प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा। — संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 4-क निकाल दी जायेगी। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2004 की धारा 4 क का निकाला जाना

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न **यह है कि उत्तर प्रदेश किंग** जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, कोई भी विधेयक जब तैयार किया जाता है मान्यवर, उसको सरकार देखती है, मंत्री देखते हैं, अनुमोदन देता है, लेकिन इस सरकार के पास समय नहीं है। पहले जो संशोधन का रूप आया मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जितने भी मेडिकल कालेज थे पहले तो एक विधेयक लाये कि उनको सबको किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सम्मिलित कर लिया जाय फिर सरकार को लगा कि पता नहीं गड़बड़ हो गया मान्यवर, अब यह दूसरा विधेयक इसलिए लाये हैं कि साहब किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक जो है इसमें जो भी एफीलेट किये गये हैं उनको अलग कर दिया जाय मान्यवर, इसी तरह से पूरे सरकार का दायित्व होता है, शासन में बैठे हुए सचिव मान्यवर, वह विधेयक को या तो सचिव नहीं देखता है या तो सरकार का कोई मन्तव्य नहीं होता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा मान्यवर, इसी तरह से जब डाक्टर राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान का विधेयक आया था विधि संस्थान आया था कि संस्थान बनाया जाय मैं उसके विरोध में मान्यवर, संशोधन में बोल रहा था उस समय हमने यह बात कही थी कि संस्थान से विश्वविद्यालय बड़ा होता है कि उसको विश्वविद्यालय बनाया जाय विश्वविद्यालय से उसका अर्थ है विश्व से उसका सम्बन्ध है लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी थी विधि संस्थान बनाया बाद में एक संशोधन विधेयक ला करके फिर उसको विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया। इसी तरह से मान्यवर, सरकार एक बार तो सबको एफिलेट करती है और फिर संशोधन करके किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जैसा था वैसा ही करना चाहता है मान्यवर, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार खूब ठोंक-बजाकर के देख लें कि इसके लाभ क्या हैं और नुकसान क्या है ? इसी तरह से प्रदेश के अन्दर प्राविधिक यूनीवर्सिटी। प्रदेश के अन्दर जितने इंजीनियरिंग कालेज हैं वे सब इससे एफिलिएट कर दिये गये। जब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी नहीं थी तो किसी न किसी यूनीवर्सिटी से यह प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज एफिलिएट कर दिये गये। क्या सरकार इस पर विचार करेगी और अच्छी तरह से विचार करके। यह बिना विचार करके इस तरह से किया गया है इसीलिए मैं यह संशोधन लाया हूं और मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

*डॉ0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, सरकार जो बिल लाई है उससे यह चिकित्सा शिक्षा को किस दिशा में ले जाना चाह रही है यह स्पष्ट होना चाहिए। आपने एक विश्वविद्यालय बना दिया मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी और सारे मेडिकल कालेज को उससे एफिलिएट कर दिया। आपने एक दन्त विश्वविद्यालय बना दिया और आपके बहुत सारे प्राइवेट दन्त कालेज हैं आप आये दिन अखबार में पढ़ते हैं टी0वी0 में देखते हैं दन्त कालेज की फीस का, उनके टीचर्स का कोई स्ट्रक्चर आप अभी तक तय नहीं कर पाये। कोई परीक्षा कभी लेता है कोई कभी लेता है। मेरठ डेन्टल विश्वविद्यालय कभी लेता है, इलाहाबाद कभी लेता है। आप पूरे डेन्टल के भीतर और पूरे मेडिकल के भीतर एक इनऐथेंटी पैदा करना चाहते हैं। वह तो पैदा नहीं हो पा रही है। एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इलाहाबाद मेडिकल कालेज की आज कौन सी स्थिति है ? इलाहाबाद मेडिकल कालेज के टीचर्स आज यह महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको वेतन दे रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय चूंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कहता है कि आप हमारे अंडर में है। आज यह बात स्पष्ट होनी चाहिए विधान सभा के अन्दर जब आज आप इसको लाये हैं कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज जो है वह आज किस विश्वविद्यालय से है। वह क्या केन्द्रीय हो गया है या प्रदेश के भीतर है मान्यवर। जो गौर साहब संशोधन लाये हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आप एक इनफार्मिटी पैदा करना चाहते हैं पूरे जितने मेडिकल कालेज हैं सरकारी प्राइवेट के भीतर। तो उनके लिये करना चाहते हैं तो एक विश्वविद्यालय जैसा टेक्नीकल विश्वविद्यालय है उससे आपको इनको एफिलिएट करना चाहिए। एक दूसरा सुझाव मेरा है अगर आप किंग जार्ज को नहीं छेड़ना चाहते हैं आप उसको सिर्फ मेडिकल कालेज के रूप में विश्वविद्यालय बनाये रखना चाहते हैं तो जैसा हमारी सरकार थी हमने धन्वंतरि आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रपोज किया था जिसके भीतर सारे मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज एफिलिएट करने की योजना थी आप उसी धन्वंतरि आयुर्वेद विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित कर दीजिये जिसके लिये 50-60 लाख रुपये हम लोगों ने दिये थे और उसका दफ्तर भी कायम हो गया था और लोग काम भी करने लगे थे। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो चिकित्सा शिक्षा प्रणाली है आज की तारीख में चाहे डेन्टल हो चाहे मेडिकल हो चाहे पैरा मेडिकल हो सब पूरी तरह से अव्यवस्थित है। कहीं कोई निश्चित दिशा नहीं है। कहीं कोई निश्चित समय पर परीक्षा नहीं हो पा रही है। निश्चित समय पर टीचर नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिये कहना चाहता हूं कि पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिये या तो एक एफिलिएटेड मेडिकल विश्वविद्यालय बना दें और इसको सिर्फ एक रिसर्च का सेन्टर बना रहने दीजिये यह कर दीजिये या फिर इसी को सारे मेडिकल कालेज को एफिलिऐट करने का अधिकार दे दीजिये। मैं गौर साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार के द्वारा यह जो किंग जार्ज मेडिकल कालेज संशोधन विधेयक लाया गया है इस पर मुझे यह कहना है कि जो बात ओझा जी ने कही है कि केन्द्रीय धन्वंतरि विश्वविद्यालय बनाने की बात सरकार द्वारा की गई थी और लिम्ब सेन्टर में उसका कार्यालय भी खोल दिया गया था और उसको इस सरकार ने आने के बाद समाप्त कर दिया और फिर उसके बाद किंग जार्ज विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धीकरण की बात कह दी। आज फिर सरकार ने पुनर्विचार करके छत्रपति शाहू जी महाराज जो कानपुर विश्वविद्यालय है उससे सम्बद्धीकरण की बात कर रही है सरकार लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि छत्रपति साहू जी महाराज जो कानपुर में विश्वविद्यालय है उसमें वर्तमान में जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ के कालेज सम्बद्ध हैं उनकी परीक्षाएं इतने विलम्ब से चल रही हैं। उनमें लगभग एक सत्र पिछड़ गया है। इसलिये इस समय यह औचित्य होगा कि सरकार इस किंग जार्ज विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण की व्यवस्था नहीं रखना चाहती है तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से भी इन सबको निकालकर इन सबका एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापित करे और वह स्वतंत्र विश्वविद्यालय इन कालेजों की परीक्षा व्यवस्था, कोर्स की व्यवस्था देखे तो उपयुक्त रहेगा क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो जबसे केन्द्र विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया है आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ कालेज इनकी जो दुर्दशा हुई है। कानपुर विश्वविद्यालय में इनका कोई पुरसा हाल नहीं है। इसलिए बेहतर यह होगा कि सरकार एक स्वतंत्र चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो पुराना प्रस्ताव था उसको पुनर्जीवित करे और उसको धन्वन्तरि विश्वविद्यालय के रूप में काम करके फिर उसको सम्बद्धीकरण का अधिकार देकर प्रदेश के सभी चिकित्सा पद्धतियों के महाविद्यालयों को उससे सम्बद्ध करने की व्यवस्था को पुनर्जीवित करे ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, जितने भी सवाल उठाए हैं गौर साहब ने, अन्य मा0 सदस्यों ने वह इस मौजूदा से सम्बन्धित नहीं है। सुझाव हैं इन सुझावों पर हमेशा विचार होता रहा है। आपने धन्वन्तरी विश्वविद्यालय को मात्र 50 लाख रुपये दिये थे उससे ही आपकी उस नीयत का अंदाजा हो जाता है कि 50 लाख रुपये में किसी विश्वविद्यालय को कायम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। होता है सिम्बौलिक होता है लेकिन सिम्बौलिक में भी उसका पूरा प्लान, पूरा प्रोजेक्ट होगा, कहां होगा कितनी जमीन होगी, कितना स्टाफ होगा उस विश्वविद्यालय के अधीन क्या-क्या आएगा यह प्रस्ताव तो इस वक्त आपके सामने है लेकिन उस वक्त यह प्रस्ताव आपके सामने नहीं था। क्योंकि मैंने उसको भी स्टडी किया हुआ है तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो सारे सवालात यहां उठे हैं वह इससे सम्बन्धित नहीं हैं लिहाजा इसको पारित किया जाए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाए या बाजपेयी जी ने या अन्य सदस्यों ने, उसमें किसी का कोई उत्तर नहीं मिला। मान्यवर, जो हम लोगों ने ध्यान सरकार का आकृष्ट किया है यह प्रदेश के अन्दर सात मेडिकल कालेज थे, सरकार के। एक इलाहाबाद का जो मेडिकल कालेज है वह सेन्ट्रल यूनीवर्सिटी के अन्दर हो गया उसमें भी यह क्लीयर नहीं है कि राज्य में है या सेन्ट्रल में है। वहां के लोग परेशान हैं। किंग जार्ज सबसे पुराना मेडिकल कालेज था उसको यूनीवर्सिटी बना दिया गया। मान्यवर, अभी जो पांच मेडिकल कालेज बचे हैं प्रदेश के अन्दर उनकी स्थिति बहुत जर्जर है। शिक्षकों की कमी है। वहां बजट कम है, केवल विधेयक बनाने से वहां की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था टीक नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर चिन्तन करे और इस पर विचार करके एक प्रस्ताव लाए। एक विधेयक लाए इसमें कोई चीज नहीं है इसलिए जो कमियां इसमें हैं इस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया कोई प्रयास नहीं किया इसलिए हम इस संशोधन पर बल देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 11 में, खण्ड (अट्ठारह) निकाल दिया जायेगा। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 की धारा 11 का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की फोटोग्राफी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि दो बजे फोटोग्राफी होनी है मा0 चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने, सबसे आग्रह है कि वहां दो बजे समय से पहुंचेंगे।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, संशोधन को लाकर सरकार कोई नई चीज नहीं लाई यह लगता है कि किसी का समायोजन करने की दृष्टि से और उसकी आयु का ध्यान रखते हुए यह सरकार सदन का समय व्यर्थ कर रही है और संशोधन के रूप में यह लाई है। 62 और 65, अध्यक्ष के लिए 62 और सदस्य के लिए, 65 अधिवर्षता की आयु थी उसको 67 और 68 एक वर्ष बढ़ा दिया गया है। मेरा केवल इतना कहना है कि इसमें किसी को लाने की मंशा से उसमें उम्र बढ़ाने जा रहे है। इस तरह का विधेयक लाकर सरकार उसका दुरुपयोग कर रही हैं इसलिए इसको सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी राय सरकार को दे सके।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

अध्यक्ष जी, आयु के बारे में तो हमेशा आगे की बढ़ते गये हैं, यदि कोई सक्षम व्यक्ति मिलता है और कोई चीज बढ़िया बन रही है तो यह कोई बुरी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना संशोधन वापस लेंगे या नहीं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, से खण्ड-3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, कि धारा 3 में,- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :-

"(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या रुपये 18400-22400 या उससे अधिक के वेतनमान में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी किसी

प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह होगा परन्तु यह कि उसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो।"

(ख) उपधारा (8) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात :-

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में पद धारण नहीं करेगा यदि उसने,-

(क) अध्यक्ष के मामले में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और

(ख) उपाध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।"

(ग) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(8-क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (8) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का पद धारण करने वालों पर भी प्रवृत्त होंगे।"

धारा 4-क का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4-क में, उपधारा (3) में विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण** : इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश रहा हो या कोई उपाध्यक्ष, जो जिला न्यायाधीश रहा हो, न्यायिक सदस्य समझा जाएगा और कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य या रु0 18400-22400 या उससे अधिक के वेतनमान में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी रहा हो, प्रशासकीय सदस्य समझा जाएगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, उसके सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार, उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 जो लाई है, वह उद्योगपतियों के दबाव में लाई है। मान्यवर, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको स्पेशल इकोनामिक जोन के नाम से डेवलप किया जायेगा, उस क्षेत्र में कोई श्रमिक कानून लागू नहीं होंगे। यदि उस क्षेत्र में कोई श्रमिक मर जाए तो उसको कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस तरीके से यह सरकार स्पेशल इकोनामिक जोन को डेवलप करेगी। उसमें उद्यमियों से कोई टैक्स नहीं वसूलेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति को विचार करने के लिए सुपुर्द कर दिया जाए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

यह जो विधेयक लाया गया है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007, मान्यवर, प्रदेश में जितने उद्योग हैं, उनको चलाने वाले उद्योगपति और श्रमिक होते हैं। श्रमिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन उद्योगों में होती है, कोई विवाद होने पर औद्योगिक न्यायाधिकरण में जाना पड़ता है, इसमें पीठासीन अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। इसमें जो अनुभव की शर्त थी, उसको कम किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हजारों की संख्या में जो केसेज लम्बित हैं, उसकी भी चिन्ता होनी चाहिए।

मान्यवर, जितने भी पद हैं पीठासीन अधिकारियों के वे भरे जायें। सरकार इसको गम्भीरता से ले। मैं यह निवेदन इस संशोधन के माध्यम से करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान यह सरकार करे।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, सरकार पूरी तरह से चिंतित है, दो-तिहाई पद सभापतियों के भर दिये हैं। जो अवरोध उत्पन्न हो रहा था, जो तीन साल के अनुभव को लेकर था, उसके सम्बन्ध में इसीलिए यह संशोधन लाकर श्रमिकों के हित में और उद्योगों के हित में यह काम किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2-संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा 4-ङ में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 28, सन् 1947 की धारा 4-ङ का संशोधन

"(3) केवल ऐसा व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन तैयार की गयी सूची में नामांकन के लिये पात्र होगा जो राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा या उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो, या भारतीय प्रशासनिक सेवा, या राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) या राज्य श्रम सेवा का सदस्य हो या रहा हो और न्याय व्यवस्था का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव रखता हो।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि :--

"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदन के समक्ष दिनांक 18 जनवरी, 2007 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं।"

चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की फोटोग्राफी के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

कल ही मैंने आप सबसे यह आग्रह किया था कि आज फोटोग्राफी का कार्यक्रम होना है।

डा0 पी0 के0 राय-

हां मान्यवर, आपने यह निर्देशित किया था कि 2.00 बजे से फोटोग्राफी के लिये हम सबको जाना है तो मैं इस पर बाद में बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप उस पर बाद में बोल लीजिएगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता विरोधी दल, सभी दलीय नेताओं से और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सामने लॉन में अभी फोटोग्राफी होनी है, वह 15 मिनट में खत्म हो जायेगी। उसके बाद 3.00 बजे से हम लोग यहां पुनः बैठेंगे। फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर डा0 पी0 के0 राय जी बोल लेंगे।

तदपुरान्त 2 बजे सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।

(3 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राय साहब, अपना भाषण प्रारम्भ करें।

* डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने क अवसर दिया है, मैं आपका इसके लिये हृदय से आभारी हूं। मुझे सन् 2007 में पहली बार सदन में बोलने का अवसर मिला है। इसलिये आपको और सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनायें देता हूं, उनका वन्दन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी ने साढ़े तीन वर्षों की हमारी सरकार के द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त, तथ्यात्मक विवरण अपने अभिभाषण में दिया है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव नेता सदन ने लोक कल्याणकारी सरकार के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करते हुए समाज के सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी जातियों के विकास और बहबूदी का कार्य किया है। आज माननीय नेता सदन के द्वारा कथनी करनी के अन्तर को समाप्त करके जो समाज में विश्वसनीयता का संकट है उससे निजात दिलाने का भी प्रयास नेता सदन के द्वारा किया गया जिससे कि सरकारों के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता के मन में जो एक नाउम्मीद थी वह उम्मीद में परिवर्तित हुई है, विश्वास भी जागृत हुआ है।

उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। यह देश के 7 प्रतिशत भू-भाग पर स्थित है और उत्तर प्रदेश में 16 प्रतिशत आबादी देश की है, देश में हर छटा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का और दुनिया का हर तीसवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। हमारा राष्ट्रीय आय में योगदान 9 प्रतिशत है लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या 31 प्रतिशत है जबकि देश का प्रतिशत 26 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेशों में गिना जाने लगा है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का केवल सपना नहीं देखा है बल्कि उसको साकार करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये है। कानून व्यवस्था के बारे में बराबर चर्चा होती है लेकिन कानून व्यवस्था के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में अगर कहा जाय कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की स्थिति कानून व्यवस्था के मामले में बहुत अच्छी है। दस्यु उन्मूलन का कार्य उत्तर प्रदेश में किया गया और दुर्दान्त दस्यु गिरोहों का सफाया भी किया गया और चम्बल में शांति का माहौल स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आज पुलिस बल को ज्यादा मजबूत किया गया, आधुनिक करने का प्रयास किया गया। एस0टी0एफ0 के कार्यों की सराहना भी राष्ट्रीय स्तर पर की गयी है। निठारी कांड की बात अगर कही जाय तो यह मानसिक विकृति का परिचय है और मानवता के ऊपर कलंक है, इसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। लेकिन जो साइक्रेस्टिक के द्वारा और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि जो भी आरोपी लोग हैं, वह नैक्रोफीलिया और पीड़ोफीलिया से ग्रसित लोग रहे हैं। उसमें भी सरकार ने हिस्सेदार बनकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये अपनी तरफ से प्रयास किया है। इस समय सी0बी0आई0 की जांच चल रही है। हमारी सरकार ने मृतक परिजनों को अनुदान भी दिया है और जमीन में भी हिस्सेदारी दी गयी है।

मान्यवर, नकसलवाद की समस्या की जड़ बेरोजगारी है, गरीबी है, पिछड़ापन है, आर्थिक विपन्नता है और उससे निजात दिलाने के लिये हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में उस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का प्रयास किया है और नक्सलवाद के ऊपर काफी कुछ नियंत्रण किया है और नक्सलवाद से प्रभावित जो जनपद रहे हैं, वहां 107 करोड़ रुपया अवमुक्त करके, उसे विकास कार्य से जोड़ने का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया गया है। किसानों की बात अगर कही जाय तो हमारे प्रदेश का कृषि में योगदान है। कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आठवें स्थान पर है और देश के कुल उत्पाद में 21 प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। इसी प्रकार देश के कुल गेहूं उत्पादन का 35 प्रतिशत योगदान उत्तर प्रदेश का है। गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर किया है और जो बकाया भुगतान था, जिस बकाये भुगतान के लिये किसान आन्दोलन किया करते थे, कोर्ट का सहारा लिया करते थे, 1789 करोड़ रुपये गन्ने का भुगतान हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। वर्ष 2005-2006 में 8999 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। अब तक कुल भुगतान 21,137 करोड़ का हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। जहां भारत सरकार ने मात्र 75 पैसे प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया, वहीं पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाकर राहत देने का काम किया है और गन्ना किसानों को गन्ना की समस्या से भी निजात दिलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश आज महाराष्ट्र से भी ज्यादा चीनी का उत्पादन कर रहा है क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र देश का सर्वाधिक चीनी उत्पादक प्रदेश रहा है और इस प्रदेश में 28 नई चीनी मिलों की स्थापना की गयी है और जो पुरानी चीनी मिलें हैं, उनमें भी सुधार करने का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया गया है। नहरों में सिल्ट की सफाई 27 हजार कि0मी0 लम्बाई में की गयी है और 74600 नये बेड बार बनाये गये जो बेडबार अंग्रेजों के टाइम के थे और बेडबार से ही पता लगता है कि नहर

की खुदाई किस स्तर तक की जानी चाहिए और प्रायः उसको उखाड़कर फेंक दिया गया था या हटा दिया गया था। इसी के साथ 6631 नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम, और जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां पर 1013 नये नलकूप लगाने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। सहकारी प्रणाली में वैद्यनाथन कमेटी की जो संस्तुतियां थी, उसके ऊपर सहमति प्रदान करते हुए, राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों की स्थिति और सहकारी समितियों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये 2392 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रावधान किया है।

बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारों को रोजगार देने का भी प्रयास इस सरकार ने किया। क्योंकि इसके पहले की जो सरकारें थीं, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, तनख्वाह उन्हें नहीं मिला करती थी और नौकरियों में छटनी हो रही थी, लेकिन वहीं पर वर्तमान सरकार ने लोक कल्याणकारी सरकार ने जहां नई नौकरियां देने का काम किया है, वहीं शिक्षित बेरोजगारों को 500 रुपया महीना एक तरह से प्रोत्साहन राशि कहिये, वजीफा कहिये, साढ़े 5 लाख लोगों को देने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बारह तक सभी बालक बालिकाओं की शिक्षा मुफ्त की गयी और बी0ए0 तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त की गई। इसी सरकार में कक्षा 8 तक के बालक-बालिकाओं को नि :शुल्क पाठ्य-पुस्तकें दी गई हैं और उसी के साथ करीब 80 लाख बच्चों को यूनीफार्म दिया गया। 1 करोड़ 86 लाख बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन का इन्तजाम किया गया है। हमारी सरकार ने जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है वह फैसला है एक हजार विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया, जिससे कि 11 हजार परिवार और उनके शिक्षक कर्मचारियों को राजकोष से वेतन मिलेगा, जिन्हें पहले हजार-पांच सौ रुपये में अपने परिवार का गुजारा करने के लिये मजबूर होना पड़ता था, आगे आने वाले दिनों में इस संख्या को और भी बढ़ाने का विचार हमारी सरकार का है। बालिकाओं को प्राथमिकता प्रदान करते हुए जहां देश में सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में महिला सशक्तीकरण की है, कन्या भ्रूण हत्या की है और उनके आर्थिक-सामाजिक उत्थान की है, आज महिला की बहबूदी के लिये उनके सशक्तीकरण के लिये और इस प्रकार का राष्ट्रीय समस्याओं पर निजात पाने के लिये कन्याओं को कन्या विद्याधन के माध्यम से अब तक 11 सौ करोड रुपये साढ़े पांच लाख लड़कियों को दिया जा चुका है और इसके पीछे मंशा यही है कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा और लड़की बराबरी में खड़ी हो सके यह हमारी सरकार का केवल कहना नहीं है बल्कि इसे करके दिखाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी के साथ मदरसों में पहली बार 67 मदरसों को अनुदान सूची पर हमारी सरकार ने लिया है और सौ मदरसे अनुदान सूची पर लिये जाने का भी काम चल रहा है। 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 खोली गयी और 166 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 खोलने का प्रावधान किया गया हैं इंटीग्रल विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय और मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय खोले गये, जिससे कि इस वर्ग के लोग भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अच्छी तालीम हासिल कर सकें, यह

सारे कार्य हमारी सरकार द्वारा किये गये हैं। शिक्षा के साथ-साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य किये गये हैं। मान्यवर, चिकित्सा और शिक्षा देश की बुनियादी समस्यायें हैं और विकास के मूल-मंत्र हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने यह माना कि जो सरकारी अस्पताल हैं, वह खैराती अस्पताल हुआ करते हैं, उन अस्पतालों में गरीब लोग ही जाते हैं लेकिन विगत दिनों में यह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि सरकारी अस्पताल धीरे-धीरे नर्सिंग होम में तब्दील होते जा रहे थे और हर चीज का शुल्क गरीबों से वसूला जाता था। हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला ले करके आठ रुपये के पर्चे को एक रुपये कर दिया और जनरल वार्ड के बिस्तर को निःशुल्क करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने बजट में ऐतिहासिक इजाफा किया है और उसमें 55 प्रतिशत की वृद्धि करके 756 करोड़ रुपये का बजट पहली बार किया गया है जो पिछले वर्ष 488 करोड़ रुपये का था दवा खरीद के मद में 188 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने देने का काम किया है। इसके साथ ही रीजनल डायगनॉस्टिक सेन्टर्स भी मण्डल स्तर पर खोले गये हैं, जिससे कि गरीब व्यक्ति को भी आधुनिक सुविधायें मिल सके, उनको भी आवश्यक जांचें उपलब्ध हो सकें। चिकित्सकों की कमी स्वास्थ्य विभाग में है, चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये 1220 लोगों को नियमित पदों पर और 937 लोगों को संविदा पर तैनात किया गया है। सात जनपदों में नये संयुक्त चिकित्सालय खोले गये हैं और सौ से दो सौ शैय्या युक्त 15 जिलों में संयुक्त चिकित्सालय खोले जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 200 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 511 खोले गये हैं। मान्यवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस पिछले वर्ष बहुत जोर से थी और पिछले वर्ष जापानीज इंसेफेलाइटिस के 70 लाख टीके लगाये गये। सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार के द्वारा किया गया कि विगत वर्ष में जापानीज इंसेफेलाइटिस से जितने लोग प्रभावित हुए थे, उनमें से जो बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हुए, उन बच्चों को 50 हजार रुपये सरकार के खजाने से दिये गये। ऐसा फैसला कभी भी किसी भी सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है और मृतक आश्रितों को 25 हजार रुपये प्रति परिवार दिये गये। संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। इसी के साथ सभी लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधायें मिल सके इसके लिये 4 नये मेडिकल कालेज एवं एक पैरा मेडिकल कालेज भी खोला गया है। सड़क और पुलों की बात अगर कही जाए तो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सड़क और पुल के क्षेत्र में 1952 से लेकर वर्ष 2002 तक गंगा, यमुना, बेतवा, घाघरा, शारदा, चम्बल, राप्ती आदि नदियों के ऊपर मात्र 27 पुल बने थे। हमारी सरकार के मात्र 3 साल के कार्यकाल में 46 बड़े पुल बनकर तैयार हुए हैं और इसी के साथ 2003 से पहले के 10 वर्षों में कुल 355 पुल बनाये गये थे।

मात्र 3 साल में उत्तर प्रदेश में 361 पुल बनकर तैयार हो गये हैं। सड़कों के मामले में 65 हजार कि0मी0 लम्बी सड़कों का नवनिर्माण, मरम्मत एवं उच्चीकरण हुआ है। पहली बार सड़क और पुल के मद में रु0 5406 करोड़ का ऐतिहासिक बजट का प्राविधान किया गया है। मैं संक्षेप में अपनी बात रखते हुए समाप्त करता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, समय का

अभाव है, हमारी सरकार ने वृद्ध, विधवा व विकलांग पेंशन की कटौती समाप्त की। किसानों के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना लागू की। एक सबसे बड़ा फैसला किया हमारी सरकार ने, वह यह कि हमारी सरकार की नजर में केवल दो जाति हैं-अमीर और गरीब। गरीब, गरीब है वह चाहे जिस जाति का हो, उसको निगाह में रखते हुए जो लड़कियों की शादी का अनुदान मिला करता था आज की तारीख में सरकार ने निर्णय ले लिया है कि उन लड़कियों को भी मिलेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होंगे, वह चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हों। इसी तरह से वजीफा देने का काम भी किया गया है। वित्तीय प्रबन्धन में भी ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिये गये हैं और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा उत्तर प्रदेश को फास्टेस्ट मूविंग स्टेट की संज्ञा दी गयी है। शिक्षा, चिकित्सा और निवेश के मामले में उचित वातावरण उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है। उसके लिये मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी की प्रशंसा राष्ट्रपति जी के द्वारा की गयी है और उनको सम्मानित किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिना संशोधन के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

* श्री प्रभुदयाल-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् अधिवेशन में दिये गये अभिभाषण पर डा0 पी0 के0 राय जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसले लिये हैं वह इस प्रदेश को उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम हैं चाहे वह कन्या विद्याधन के संचालन के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो या इस वित्तीय वर्ष में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर सरकार ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है और प्रदेश की जनता के समक्ष समस्त वर्गों के प्रति जो संकल्पबद्धता प्रदर्शित की है वह अद्वितीय कदम है। किसान दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदेश के सभी किसानों को देने का जो ऐतिहासिक फैसला है, यह कदम सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही सरकार उठा सकती थी। छात्रों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों, प्रदेश के अल्पसंख्यकों , दलितों के लिये जितनी योजनाएं चलायी गयीं, अगर इसका उल्लेख करना चाहूं तो इसके लिये बहुत लम्बा समय लग जायेगा। समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में इन सारी उपलब्धियों के लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं और यह अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता पूरी तरह से लामबंद होकर सरकार के पीछे खड़ी है और सभी तरह की राजनीतिक साजिशों का पर्दाफाश करने एवं उन साजिशों को नाकाम करने के लिये भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है। मैं इसीलिये इस धन्यवाद के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक ऐसे दस्तावेज के ऊपर बोलने का अवसर दिया है जिसमें संशोधन पहले मेरा स्वीकार था। इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ दीजिये।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था.....

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब आप बोलें। बाकी सभी संशोधन अब प्रस्तुत माने जायेंगे।

1-[बढ़ते हुए अपराध, अपहरण, हत्यायें तथा जनता में व्याप्त भय और आतंक को रोकने के सम्बन्ध में,

2-जिला पीलीभीत के थाना हजारा के परिसर में ही भाजपा जिला पंचायत सदस्य श्री बलजीत सिंह मान व एक और की हत्या के सम्बन्ध में,

3-विधायकों की हत्याओं, राजनीति के अपराधीकरण, इस्लामीकरण व नक्सलवाद की बढ़ती समस्या को रोकने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की योजना के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में हो रहे प्रायोजित साम्प्रदायिक दंगों तथा बढ़ती हुई गौ-हत्या के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई को रोकने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में,

8-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा की जा रही अनाज की जमाखोरी को रोकने के सम्बन्ध में,

9-जनता को सुरक्षा तथा आत्मसम्मान की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

10-जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जन-सामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए उसे रोकने की योजना के सम्बन्ध में,

11-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

12-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

13-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

---

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

14-प्रदेश में नकली, मिलावटी, घटिया स्तर तथा स्मगलिंग के जरिये होने वाली खाद, बीज तथा अन्य वस्तुओं की खरीद-फरोख्त को पूरी तरह से बन्द न करने के सम्बन्ध में,

15-महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में हो रही नकली दवाइयों की खरीद-फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

18-पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पीड़न की जांच की प्रक्रिया को बदलकर पुलिस उत्पीड़न की जांच पुलिस द्वारा न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करके लोकतंत्र की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

20-भ्रष्टाचार में व्याप्त एवं घूस लेने वाले उच्च स्तर के अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

21-शासन द्वारा की जा रही सरकारी सेवाओं में अनियमित तरीके से अनर्ह व्यक्तियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

22-खाद्य पदार्थ जिनमें दुग्ध उत्पाद, तेल उत्पाद एवं अन्य जिन्स की नियमित जांच न कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-पुलिस द्वारा भ्रष्ट आचरण किये जाने तथा पकड़े जाने के उपरान्त भी कठोर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश में आ बसे बांगलादेशियों को निकाले जाने के सम्बन्ध में,

25-आतंकवाद समर्थक सिमी पर पुनः प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में,

26-नोएडा में निठारी जैसी घिनौनी घटना से पूरे विश्व में प्रदेश का सर शर्म से नीचा हुआ है, इस काण्ड के असली अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, को दण्ड दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

27-मंत्रियों एवं उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रतिपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से पुलिस प्रशासन में नियुक्तियां जातीय आधार पर न किये जाने के सम्बन्ध में,

29-सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन एवं प्रस्तावित योजनाओं से वापसी के सम्बन्ध में,

30-ग्रेटर नोएडा में एक उद्योगी घराने को 250 हेक्टेअर भूमि कौड़ियों के भाव में देने एवं किसानों को मूल्य भुगतान न करने के सम्बन्ध में,

31-विशेष आर्थिक जोन (SEZ) एवं हाई टेक नगरों के नाम पर कृषकों की हजारों हेक्टेअर भूमि का मनमाने ढंग से अधिग्रहण कर सत्ता पक्ष के इशारे पर कुछ प्रमुख उद्योगी घरानों का अनियमित आवंटन के सम्बन्ध में,

32-देश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव के सम्बन्ध में,

33-गन्ना कृषकों को गन्ने का मूल्य 200 रुपये प्रति कुन्टल न देकर 130 रुपये प्रति कुन्टल देना जो विगत वर्ष के 135 रुपये प्रति कुन्टल करने के सम्बन्ध में,

34-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना कृषकों के शोषण के सम्बन्ध में,

35-व्यापारियों का कारोबार पूर्णतया ठप्प तथा मंडियां चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव न किये जाने के सम्बन्ध में,

37-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

38-सरकारी शिक्षण संस्थाओं, प्राइमरी से लेकर महाविद्यालयों तक में अराजकता का माहौल तथा शिक्षकों की भारी कमी से शिक्षा का काम पूर्णतया अवरुद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में,

39-विभिन्न विकास योजनाओं हेतु सार्वजनिक संस्थाओं से अरबों रुपये का ऋण लेकर योजनाओं पर खर्च न करना तथा घोर आर्थिक अनियमितता से प्रदेश पर पिछले वर्ष हजारों करोड़ के ब्याज का भार समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

40-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के राज्य मार्गों की खस्ता हालत, करनाल-मेरठ मार्ग पर यमुना नहर एवं काढ़ा नदी के पुल वर्षों से ध्वस्त कृषकों एवं अन्य यात्रियों को भारी असुविधा को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

42-प्रदेश खनिज स्रोतों पर माफियाओं का कब्जा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

43-नगर विकास एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकरियों का पक्षपातपूर्ण रवैया को रोके जाने के सम्बन्ध में।"]

मान्यवर, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी कोई संवैधानिक महत्ता है ही नहीं। राज्यपाल महोदय ने इसको पढ़ा नहीं है मान्यवर, यहां ऐसा हुआ है कि जब सदन अव्यवस्थित होता है तो महामहिम राज्यपाल पहले की कुछ पंक्तियां और अंत की कुछ पंक्तियां पढ़ देते हैं और अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाता है, जैसे अभी मैंने अपने संशोधन को थोड़ा सा पढ़ा और आपने पढ़ा हुआ मान लिया। इस बार राज्यपाल जी ने केवल पन्ना पलटा और धन्यवाद कह कर चले गये। कहीं इसके

पीछे यह कारण तो नहीं है कि वह इसे पढ़ना नहीं चाहते थे। वह इसमें संशोधन करना चाहते थे लेकिन उन्होंने इसको न करके वह केवल रस्म अदायगी के लिये यहां आ गये। मान्यवर, इस सदन में आप राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़कर सुना देते। लेकिन आपने इसे उचित नहीं समझा कि अभिभाषण को पढ़ा जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल मैं पढ़ रहा था सम्पूर्ण सदन ने कहा इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय और आगे की कार्यवाही हो।

श्री लालजी टण्डन-

इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया। उसके अन्दर कुछ पढ़ा नहीं गया यही तो मैं कह रहा हूं। हर स्तर पर वह पढ़ा हुआ मान लिया गया। किसी स्तर पर किसी ने इसको पढ़ने का कष्ट नहीं किया। किसी ने कुछ सुना ही नहीं कि राज्यपाल महोदय ने क्या कहा, क्या संबोधन किया। तो जो आज प्रदेश में स्थिति बन रही है और बन गयी है, मुख्य मंत्री जी की कल्पना है कि उत्तम प्रदेश बनायेंगे अभी मैंने पढ़ा था कि अब यह प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। मैं कहता हूं यदि ऐसा उत्तम प्रदेश है तो सर्वोत्तम प्रदेश के लिये आप कृपा करें और इसे उत्तम प्रदेश ही रहने दीजिये, यहीं तक बहुत है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

ऐसा क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस अभिभाषण का केवल एक पैराग्राफ पढ़ लें और अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है।

"आप सभी जानते हैं कि विगत लगभग साढ़े तीन वर्ष में मेरी सरकार ने अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में संविधान की महान परम्पराओं, सार्वजनिक जीवन के मान्य नैतिक मूल्यों, प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द और प्रदेश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना विकसित करने में सफलता पाई है।"

अब अगर हमने सफलता पा ली है तो यहां पर जो रोज यह प्रकरण उभर कर आ रहे हैं, इतना वीभत्स स्वरूप उभर कर आ रहा है जितनी आशंकाएं पैदा हो रही हैं जितना भयावह दृश्य सामने दिखाई दे रहा है वह फिर क्या है ? राज्यपाल महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा है अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में यह सरकार बनी थी इससे अनुकूल परिस्थितियां फिर कौन होंगी जहां पर दो दलों को छोड़कर सारे दल सरकार के साथ थे उनको भी आपने तोड़फोड़ दिया उनका स्वरूप आपने बदल दिया अनुकूल परिस्थितियों में ही सरकार बनी थी सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए यह स्वीकार करने में सरकार का बड़प्पन साबित होगा। जो कुछ भी पहले कहा था वह करने में असफल रहे वह सम्भव नहीं हो सका विफल रहे जिस समय सरकार आई थी उस समय कांग्रेस का आपको

समर्थन था प्रमोद तिवारी जी बड़े जोरों से आपका समर्थन कर रहे थे, कौकब साहब आपके मंत्रि-मण्डल में शामिल थे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से साझेदारी थी, कम्युनिस्टों का समर्थन था महंगाई पर नियंत्रण था चीजों के मूल्य नहीं बढ़ रहे थे यह सब स्वीकार करते हैं। अनाज से गोदाम भरे हुए थे चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था थी अब क्या हो गया है। इस अभिभाषण को पढ़ने वाले जो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं उनकी दुर्दशा कार्यपालिका कर रही है। रोज बयानबाजी हो रही है राज्यपाल कांग्रेस के एजेंट हैं, राज्यपाल सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं राज्यपाल का संवधिान में महत्वपूर्ण स्थान है भले ही हम उनकी नीतियों से सहमत नहीं हैं मैं बहुत सी बातों में उनसे सहमत नहीं हूं लेकिन पद की गरिमा को बनाये रखना चाहिए इसके पहले क्या तमाशा कर रहे थे पिछला सेशन 6 महीने चला लेकिन कुल 8-10 सिटिंग हुई। विधायी कार्यों की यह स्थिति है कि एक विधेयक पास नहीं हो पाता बीच में ही दूसरा संशोधन विधेयक आ जाता है यह मैं जो इस सदन के अन्दर घटित हो रहा है उसे बता रहा हूं इससे संसदीय कार्य मंत्री अगर सहमत न हों तो वह बतायें। यहां कई विधेयक पेश हुए उसके ऊपर चर्चा हो रही है लेकिन दूसरे दिन संशोधन ले आये क्या मखौल हो गया है ऐसा क्यों हुआ। एक विधेयक दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय पास हुआ उसमें कहा गया कि जितने भी प्रदेश में डेन्टल कालेज हैं वह इससे एफीलियेटेड माने जायेंगे आज फिर विधेयक आया जिसमें कहा गया कि यह सम्बद्ध नहीं होंगे तो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें आपको वह विधेयक पेश करना पड़ा और कौन सी परिस्थिति थी जिसमें यह पेश करना पड़ा। कहीं कोई मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं विधायक मारपीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक सुपर मुख्य मंत्री हैं यह उन्हीं के शब्द हैं मेरे नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा इस सदन के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं उन्होंने कहा है कि मैं सुपर मुख्य मंत्री हूं अपने आप कहा है कि इसी मंत्रि-परिषद् के एक माननीय मंत्री मेरी निगाह में तो वह अपराधी नहीं हैं, लेकिन अगर उनकी निगाह में हों तो कहें क्योंकि वह हत्या में शामिल हैं वकार साहब बैठे हैं अब जहां यह स्थिति हो रही हो कि सुपर मुख्य मंत्री अपने अधीन, मुख्य मंत्री के अधीन जो मंत्री हैं उनकी बखिया उधेड़ रहे हैं उनको हत्याओं के बीच में शामिल कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं मैंने पहले ही दिन जब यह सरकार बनी थी अपने भाषण में कहा था कि बच्चन जी के आप बड़े भक्त हैं और बच्चन जी ने पार्लियामेन्ट में एक बार कहा था कि तागड़ धिन्ना नागड़ बेल, कविता में उन्होंने आलोचना की थी कि जिसे कुछ समझ में नहीं आता कि है क्या ? तागड़ धिन्ना वह होता है कि जब संगीत में कुछ गाने को नहीं है तो उतनी देर का वक्त काटने के लिये तागड़ धिन्ना, तागड़ धिन्ना होता है, नागड़ बेल जो आपके बिना किसी प्रयास के वह पैदा हो जाती है और पेड़ के ऊपर चढ़ कर उसका रस चूसती रहती है, अब न उसमें फल होता है और न फूल होता है। मान्यवर, थोड़ा बरदाश्त करने दें, तो नागड़ बेल वह होता है जिसमें न फल होता है और न फूल होता है। तो यह मान्यवर, तागड़ धिन्ना नागड़ बेल आज बिल्कुल यथार्थ दिखाई दे रहा है और आज सौभाग्य से उन्हीं के पुत्र प्रचारक बनकर आपके साथ जा रहे हैं। विज्ञापन में उनका आ रहा है क्या अगर आज वह बच्चन जीवित होते तो इन परिस्थितियों में

कोई उनकी टिप्पणी होती कि नहीं होती। मान्यवर, अब सत्रावसान की बहस चल गई, एक बार मंत्रि-परिषद् ने अगर प्रस्ताव पारित करके भेज दिया महामहिम राज्यपाल जी के पास तो यह इममैटीरियल है कि राज्यपाल के दस्तखत कब हुए या नहीं हुए, आपका दायित्व खत्म हो गया और वह प्रकरण समाप्त हो गया और अन्त में वह फिर करना पड़ा वही कि राज्यपाल को झुक कर 14 दिन के नोटिस के बजाय 3 दिन के नोटिस पर राजी हो जाना पड़ा। दबा लिया आपने उनको और आपने वही काम जो पहले कर देना चाहिए था, तीन दिन बाद किया लेकिन यह सारी दुर्दशा जितनी परम्पराओं की हो सकती है वह सब हुई, यह बयानबाजी, इसने जितना क्षतिग्रस्त किया है इस पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी संसदीय व्यवस्था को इससे पहले कभी नहीं हुआ विश्वविद्यालयों में हो रहा है, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं वहां की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है लेकिन यहां पर उप कुलपति, कुलपतियों का और सरकार का टकराव हो रहा है जबकि किसी कुलपति की अप्वाइंटिंग एथार्टी जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत है सरकार नहीं है, राज्यपाल है, यह बहस के मुद्दे हो क्यों रहे हैं, इसलिये कि सारे विश्वविद्यालय में मान्यवर, जो वर्षों से हास्टल के ऊपर कब्जा करके रह रहे हैं ठेकेदारी कर रहे हैं, अवैध हथियार रख रहे हैं, सारी शिक्षा का अपराधीकरण हो गया, आने वाली पीढ़ियां चौपट हो रही हैं। मान्यवर, इसमें कोई, यह जो शासन में होते हैं यह कोई एक दिन के लिये नहीं हैं, आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है या हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है कि कितने दिन हम मंत्री हैं या मुख्य मंत्री हैं बल्कि हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि जो परम्परायें हम डाल रहे हैं यह आने वाली शताब्दियों तक इस देश को कितनी हानि पहुंचायेंगी या कितना लाभ पहुंचायेंगी। जहां यह अंग्रेजी में मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं कहता हूं कि एक पोलिटिशियन और स्टेट्समैन में, दोनों में यही फर्क है कि -- दि पोलिटीशियन दि मैन हू सीज अप-टू दि नेक्स्ट इलेक्शन, ऐण्ड ए स्टेट्समैन हू सीज दि जेनेरेशन। एक राजनीतिज्ञ वह है जो यह सोचता है कि उसने कल चुनाव किस तरह से जीतना है, उसकी निगाह बस उसी पर है। लेकिन जो नीतिकार है, जिसको परम्परा बनानी है, जो इस देश के हित में काम कर रहा है उसको आगे आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखना होता है कि हमारे किस कदम का क्या परिणाम होगा। कौन इस समय है जो सुरक्षित है, किसके हित साधन हो रहे हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में कृषि और किसान यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पिछली बार अनाज का उत्पादन कम हुआ और इस बार इस मौसम में बरसात न होने की वजह से यह उत्पादन और कम होने की सम्भावना है। इसमें भी हम यह नहीं देख रहे हैं कि क्या उपाय किये जांय ? किस तरह से युद्ध स्तर पर बिजली और पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय ताकि फसल का उत्पादन बढ़ सके। यह व्यवस्था करने के बजाय हमारी सरकार यह कह कर अपना पल्लू झाड़ रही है कि हमने केन्द्र सरकार को लिख दिया है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 10 रुपये हो जाना चाहिए। केन्द्र को लिखकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यहां आज गेहूं 12 रुपये किलो बिक रहा है जितना कि पहले कभी आज तक नहीं बिका है। हम दुनिया भर की सब्सीडी बांट रहे हैं लेकिन उसका लाभ न किसानों

को मिल रहा है और न उपभोक्ताओं को मिल रहा है। यह लैप्स इकोनॉमी है। अर्थव्यवस्था व ध्वस्तीकरण है। जहां पर मूल्यों का नियंत्रण न हो, न उपभोक्ताओं को लाभ हो न किसानों को लाभ हो। इस सदन की मर्यादा की बात करते हैं। आप साक्षी हैं। मैंने तीन बार इस सदन में भुखमरी से आत्म हत्या करने वालों के विषय को उठाया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि ? आत्महत्याओं की रिपोर्ट आई है लेकिन उनका कारण भुखमरी न होकर अन्य था। उसी के कुछ दि बाद माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान आया और हमारे जो सांसद हैं सत्तारूढ़ दल के इनके महासचिव श्री राम गोपाल जी उनके नेतृत्व में बुन्देलखण्ड के लिये आत्महत्या से मरते हुए किसानों के लिये पैकेज के लिये गये। सदन में यह बोल रहे हैं और बाहर कुछ और बोल रहे हैं। क्या यही सदन की मर्यादा है ? यहां हम जो कहें उस वाक्य का अक्षरशः पालन हो। कहां पालन हो रहा है ? पिछ बार 5 किमी0 सड़क जो आपने दी थी। जब बात आई थी तो आपने स्वयं खुशी के साथ कहा कि इसको 7 किमी0 कर देते हैं। लेकिन कहीं आज तक इसके लिये पैसा नहीं पहुंचा।

(सत्ता पक्ष की तरफ से सदस्यों के कहने पर कि सब बन गई हैं)

अगर ऐसा है तो फिर भेदभाव हो रहा है। उधर के लोगों को पैसा दिया गया और इधर के लोगों को नहीं मिला है। कहीं 10 परसेंट पैसा पहुंचा है, कहीं 15 परसेंट पैसा पहुंचा है और कहीं तो काम ह शुरू नहीं हुआ है।

(सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

तो मान्यवर, यह स्थिति हो रही है। किसान तबाह हो रहा है। भुखमरी से आत्महत्या क रहा है, कर्ज से डूबा है तो आत्महत्या कर रहा है। आज उत्पादन घट रहा है और आज यहां हो क रहा है। मैंने भी तारीफ की थी कि आपकी उद्योग नीति अच्छी है। विकास परिषद् अच्छा काम क रहा है। लेकिन विकास परिषद् के नाम पर 20 हजार हेक्टेर उपजाऊ भूमि जिस पर 3/4 फसलें पै होती थीं कौड़ियों के दाम पर एक्वायर होकर रिलायंस को, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जाने किस-कि को दी जा रही हैं। खैरात की तरह बंट रही है। आखिर यह उपजाऊ जमीन इस तरह से बांट द जायेगी तो खेती कहां पर होगी ? आसमान पर।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री लालजी टण्डन-

आज किसानों के साथ जितना बड़ा अन्याय हो रहा है यह कोई समस्याओं का समाधा नहीं है। आपने पांच सौ रुपये किसी को बांट दिये, किसी को कुछ आपने बांट दिया, बांटने

भिखारी प्रवृत्ति पैदा की जा रही है। यह किसी स्वाभिमानी राज्य के लिये संतोषजनक नहीं हो सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

स्पष्ट कहें। जो बाहर कह रहे हैं। कन्याओं को, बेरोजगारों को भीख दे रहे हैं, भिक्षा की आदत डाल रहे हैं। जो कहना है स्पष्ट कहें।

श्री लालजी टण्डन-

मैं सिद्धान्त रूप से इसके खिलाफ हूं बिना किसी नीति के बांटना सही नहीं है गलत है। वित्तीय अनुशासन का हनन है। इसको वित्तीय अनुशासन नहीं कहते । जो चाहा बांट दिया। अगर आपकी रोजगार की मंशा थी तो कोई फार्मूला तय करते कि इसकी क्वालिफिकेशन यह है नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, अगर नौकरी मिलती तो इसका क्या वेतनमान होता, तो इसको 50 परसेन्ट हम दे रहे हैं अगर नौकरी मिलेगी तो पूरा पैसा मिलने लगेगा। तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में आपका प्रयास सराहनीय हो सकता था बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की शिकायतें मिलती हैं लेकिन जब हमारे पास लोग आते हैं आपके पास आते होंगे कि किस-किस तरह से नियुक्ति हुई है, अगर नियुक्ति करनी थी तो पांच सौ रुपये वालों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। तो जो आप कर रहे हैं यह सब लोगों को बहलाने और प्रलोभन देने के लिये किया जा रहा है। प्रदेश में आपसी भाईचारे की बड़ी कमी हुई है थोड़ी जो सफलता मिली है वह इस बात में शायद मिली होगी कि इराक में किसी को फांसी दी जाए, तो उस पर हम मुर्दाबाद कर रहे हैं बसें जला रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के लोग जला रहे हैं। यहां पार्लियामेंट पर जो लोग हमला कर रहे हैं उसको फांसी से माफ करने की बात कर रहे हैं।

(शेम-शेम की आवाजें)

कुछ तो नीति पर चलने की कोशिश करें। आप हमारे मित्र हैं हम चाहते हैं आप जितना परिश्रम कर रहे हैं उसका यश आपको मिले। जो मैं कह रहा हूं उसमें सत्यता है सदन में जो गुजर रहा है उसको हम आईना दिखा रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं यश भारती आप सबको बांट रहे हैं जिसने इसके बारे में लिखा है आप पहला पैराग्राफ देखें, उसको शाबाशी देनी चाहिए जिसने सारी चीजें एक पैराग्राफ में ला दीं प्रदेश के अनिष्टकारी काम और अन्याय के बारे में साफ कर दिया इसको पढ़कर कोई भी कमेण्ट कर सकता है अब मान्यवर, यहां समर्थन वापस ले लिया, इन्होंने दिल्ली में समर्थन वापस नहीं लिया कांग्रेस से। होड़ लगी है कहां अल्पसंख्यक समुदाय को कितना ज्यादा बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। प्रधान मंत्री का कहना है कि रिसोर्सेज पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है तो बहुसंख्यक समुदाय कहां डूबने जाए, कहां मरने जाए मैं तो यह कहता हूं कि अल्पसंख्यकों के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है, संविधान के अन्दर, वह सब कुछ किया जाना चाहिए लेकिन उन पर एहसान देकर, उनकी जो मांगें नहीं हैं, वह भी उनके मुंह में जबरदस्ती डाल करके जो यह किया जा रहा है, वह साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं बल्कि उसे बिगाड़ने का काम हो रहा है। बड़ी गम्भीरता

से ये चर्चाएं हो रही हैं, हमें कम से कम इन बातों पर चिन्ता करनी पड़ेगी। मान्यवर, यहां के मंत्री भी क्या काम कर रहे हैं, जो परिवार कल्याण मंत्री हैं, अहमद हसन साहब उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया कि खूब बच्चे पैदा करो और खूब पैसा ले जाओ। मैं तो उस सीमा के बाहर हो चुका हूं। (हंसी)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आपको तो कोई डर नहीं है, अपनी घर वाली से, मेरा इन्तजाम आप करने में लगे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण के लिये होता है, जिसके लिये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार खर्च करती है, उसी सरकार के एक मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि परिवार नियंत्रण मत करो, खूब बच्चे पैदा करो। अनाज मत पैदा करो, बच्चे पैदा करो। रोजगार के अवसर पैदा न करो, बच्चे पैदा करो, यदि बच्चे पैदा करोगे तो पैसा मिलेगा। तो एक कैम्प लगाकर वह वितरण भी शुरू कर दीजिए कि जो महिला एक बच्चे से ज्यादा बच्चों को प्रसव करेगी, उसको यश भारती का पुरस्कार दिया जायेगा। मान्यवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें पायी हैं। शिक्षा का प्रतिशत गिर रहा है, आप कह रहे हैं कि हम बहुत शिक्षा के लिये कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा का परसेण्टेज कम क्यों हो रहा है ? यह प्रश्न विचारणीय है या नहीं है ? यदि यह सदन इस पर विचार नहीं करेगा, सरकार विचार नहीं करती तो इस प्रदेश का क्या होगा ? जो अभी बैल गाड़ी संस्कृति से ऊपर नहीं उठा है, उसके लिये हाईटेक का कोई मायने नहीं है। हाईटेक का मायने उन्हीं के लिये है, जिसकी जेब में पैसे हैं, जिन्हें सुविधायें उपलब्ध हैं, जो बैलगाड़ी से चल रहा है, जो ट्रैक्टर को किराये पर लेकर खेत जुतवा रहा है, वह हाईटेक संस्कृति से बहुत दूर है। एक और जो खतरनाक बात चल रही है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप भी समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे हैं और मेरी राय है कि आप जुड़े रहें। एक बड़ा भारी षड़यंत्र यहां होने जा रहा है और यहां हाईटेक इकोनामी के नाम पर हम जो करने जा रहे हैं, यहां दुनिया के बड़े-बड़े व्यापारी सारा खुदरा व्यापार अपने हाथ में लेकर बड़े-बड़े मार्केट चलायेंगे, करोड़ों लोग जो छोटी-छोटी दुकानें रखकर अपनी रोटी कमाते हैं, भूखों मर जायेंगे। यदि समाजवादी चेतना जरा भी बाकी है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठायें, हम भी उठाते हैं। आप इस 'माल संस्कृति' को खत्म करिये। हमें रोजगार की जरूरत है। रोजगार के लिये आप भत्ता दे रहे हो और दूसरी तरफ आप यह कर रहे हो। जब आलू टमाटर से लेकर सोना चांदी तक एक बड़ा पूंजीपति खोलकर बैठेगा और सब बाजार से सस्ती चीज मिल जायेगी और वह भी उत्पादन करके नहीं देंगे, हमारे किसानों से उसके भाव पर लेंगे तो क्या होगा ? जो बिचौलिये होते हैं, जो कहते हैं कि मंडी में माल जायेगा मंडी टैक्स देना पड़ेगा, इन्हें यह टैक्स माफ है, मंडी माफ है। जो बीच में लेते हैं आढ़ती उसका कमीशन होता है, फिर रिटेलर लेता है और ठेले में रखकर सामान बेचता है, तो जब यह सीधे किसानों से खरीद ले रहे हैं तो बीच की कड़ियां समाप्त हो जायेंगी और वह भूखों मरने लगेंगी। आप यहां

रिलायन्स का माल देखकर खुश होंगे और कहेंगे कि हो गया विकास। तो यह सोचना चाहिए। अगर कोई कांग्रेसी बैठा होता मैं एक बार सोचता कि यह तो उसकी पुरानी संस्कृति है लेकिन यह समाजवादी कल्चर में कहां से हाईटेक आ गया ? हमारे मित्र हैं आपके महामंत्री, बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं, लेकिन उनसे कहिये कि प्रदेश में रहम करें और इस विकास परिषद् से मुक्ति दिलायें। इनको जमीन देने के बाद किसान अपनी छाती पीट रहा है, आन्दोलन चल रहे हैं। दो रुपये प्रति यूनिट बिजली देने वाली यह सरकार उन लोगों से एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं करा पायी और उन लोगों को एक यूनिट भी बिजली नहीं दे पा रही है जिनकी जमीनें ली गयी हैं। हमने आपकी नीति की सराहना की थी उसमें यह है कि सरकारी क्षेत्र में बड़े-बड़े कारखाने नहीं लग सकते हैं। मैंने चेतावनी दी थी, मैंने शुरूआत की थी जिस समय मैं पावर मिनिस्टर था, लेकिन आज तक उसका जनरेशन शुरू नहीं हुआ है, हालांकि पूरी तरह से तैयार है, विष्णु प्रयाग, लेकिन मोल भाव में क्योंकि पानी की बिजली सस्ती होती है, वह हाइड्रो के भाव में बेचना चाहते हैं, थर्मल के भाव में बेचना चाहते हैं, इसलिये चला नहीं रहे हैं। जब्त कर लेना चाहिए इनको। उसके अन्दर शर्तें हैं कि कितने दिनों में पूरा कर देंगे। जो पालन नहीं करता है उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन सजा की बात नहीं की गयी है। जो मल्टी नेशनल कम्पनियां हैं, जो बड़े-बड़े माल हैं सरकार उनके लिये गलीचा बिछा रही है तो आप उन छोटे-छोटे दुकानदारों के लिये कफन रख दें यह मैं कहना चाहता हूं। आप दोनों को साथ-साथ लेकर चलें, इसके लिये बैलेन्स बनाकर चलें अन्यथा यह बड़े ही खतरनाक ढंग से अर्थव्यवस्था चल रही है, इसे संभालिये। मान्यवर, दो सौ हैण्डपम्प लगने थे लेकिन नहीं लगे। जो लगे हैं उसमें से भी पच्चीस प्रतिशत हैण्डपम्पों ने काम करना बन्द कर दिया है। मैंने मंत्री जी से शिकायत की। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझे लिखकर दें दें। मैंने लिखकर दे दिया। जब सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि मेरे यहां नहीं आया है आप फिर लिखकर दे दें, मैंने फिर लिखकर दे दिया। लेकिन इनके एक्शन से मुझे नहीं लगता है कि कुछ हुआ होगा। शायद समय नहीं मिला होगा देखने के लिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपके यहां नल भी स्पेशल लगते हैं।

श्री लालजी टण्डन-

अरे आप रद्दी वाले ही लगवा दीजिये लेकिन वह पानी तो दे दें। खाली शक्ल देखने के लिये हम नहीं चाहते हैं। जहां तक लखनऊ राजधानी को सुन्दर बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा है, लखनऊ बहुत बड़ा है। जितने ट्यूबवेल हैं चालीस प्रतिशत यहां के खराब हो गये हैं, रीबोर के लायक हो गये हैं। कोई देखने वाला नहीं है। हमारे पास कोई बजट नहीं है, पैसा नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर एक प्रतिशत भी खराब हो तो जो सजा आप चाहें दे दें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं आपको लिखकर दे दूंगा। फिर आप कहेंगे कि चिट्ठी नहीं मिली है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आपके इनके बीच की चिट्ठियां गायब हो गयीं यह चिन्ता की बात है।

श्री हुकुम सिंह-

गायब करने वाले पीछे बैठे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता की दर है उसे देखें। आप जो सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं वह श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की कल्पना थी, उसके ऊपर आप प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। 2003-2004 में लगभग 12 लाख थे, 2004-05 में साढ़े सात लाख थे और 2005-06 में साढ़े छः लाख लोग इसमें सम्मिलित थे महिला पुरुष मिलाकर तो यह घट क्यों रहे हैं लोग।

आज आपने तेल मिल और साबुन के ऊपर कर बढ़ा दिया है व्यापार कर बढ़ा दिया है। आपको मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से लगी हुई सीमा पर कारखाने चल रहे हैं वह शिफ्ट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में, यहां औद्योगिक विकास कैसे हो सकेगा। सम्पूर्णता में जब तक विचार नहीं होगा कि टैक्स की दरे क्या हों और उसमें किसान का हित कैसे सुरक्षित हो, उपभोक्तओं का हित कैसे सुरक्षित हो और वे लोग भी कैसे लाभान्वित हों जो उद्योग लगाने जा रहे हैं तब तक सम्पूर्ण विकास नहीं हो पायेगा। अगर उद्योग लगाने वाले का हित ही आपको सर्वोत्तम देखना है तो यह प्रदेश कभी ऊपर नहीं उठ पायेगा। मेरी बात अशुभ साबित हो यह मैं नहीं चाहता। हमें आर्थिक अनुशासन पर भी ध्यान देना होगा, कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा और जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनको संविधान के दायरे के अन्तर्गत देख कर जब सब व्यवस्थायें की जायेंगी तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा।

मान्यवर, बहुत सा पैसा विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार से आया है और जो यहां पर खर्च नहीं हुआ है और वापस हो गया है। मान्यवर, एक तरफ तो हम संसाधनों की कमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो संसाधन आ रहे हैं वह उपयोग नहीं होते हैं। हम मानते हैं कि आपके और केन्द्र के आज सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं और, यह भी जानते हैं कि कोई उदारतापूर्ण व्यवहार उनकी तरफ से आपके प्रति होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको वहां से मिला है उसको हम बिना उपयोग किये ही लौटा दें तो यह अच्छी बात नहीं। तो इस तरफ आपको ध्यान देना होगा।

मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर हम लोगों के संशोधनों के प्रस्ताव पर पहली बार इस सदन में एक दिन चर्चा का अवसर मिल रहा है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यह चाहता हूं कि और लोगों को भी इस पर बोलने का अवसर मिले। धन्यवाद। (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है.....

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना है।

माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के लिये कोई समय-सीमा नहीं है। माननीय दलीय नेताओं को 15-15 मिनट और माननीय सदस्यों को 10-10 मिनट बोलने का समय है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं जब खड़ा होता हूं तो सबसे पहले प्रतिबन्ध यही लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो प्रतिबन्ध कभी मानते नहीं हैं, शुरू करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह दोनों तो दोस्त हैं, असली प्रतिपक्ष का रोल तो हमी अदा करते हैं और यहां आपने 15 मिनट कर दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया उससे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण केवल औपचारिकता मात्र था और यही कारण है कि उन्होंने इसको यहां पढ़ना उचित नहीं समझा लेकिन इसके बावजूद भी इस औपचारिक अभिभाषण के माध्यम से जो भी महामहिम राज्यपाल जी ने कुछ कहा है वह सत्य से पूरा परे है, व्यवहारिकता से उसका कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, सबसे पहले महामहिम राज्यपाल जी ने कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि हम बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो अपराध हैं उस पर अंकुश लगा है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा किसी भी नियम और कानून के क्रियान्वयन का, तब तक कानून व्यवस्था केवल कह देने से चुस्त-दुरुस्त होने वाली नहीं है। जैसा कि सदन में भी आज ही निठारी काण्ड का जिक्र किया गया जहां पर अब तक 40 बोरे, 40 पोलीथीन के बोरे नर-कंकाल, मृतकों के लोथड़े, हड्डी और कपड़ा भरे मिले, फोरेंसिक जांच भी हुई उसके माध्यम से अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि निठारी काण्ड के मामले में जो भी अभी तक अवशेष नरकंकाल, लोथड़े या कपड़े मिले हैं यह सारी घटनाएं लगभग ढाई साल के अन्दर की हैं। मान्यवर, एक ही निठारी गांव में इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर नर कंकाल का मिलना और साथ ही साथ अभी निरन्तर जारी है नरकंकालों का मिलना यह संख्या कहां तक जायेगी अभी यह भविष्य के गर्भ में है।

सी0बी0आई0 जांच कर रही है, सारे तथ्य तो बाद में आयेंगे। इसलिए मान्यवर, मैं यह कह देना चाहता हूं प्रमुख रूप में जब भी शिकायत किसी की हुई थी अगर हम मुस्तैद होते और कानून व्यवस्था चुस्त होती तो शायद इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार नहीं हुआ होता। मान्यवर, जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक एक वर्ष के अन्दर 19 बच्चे केवल निठारी गांव से गायब हुए और इसके पूर्व के वर्षों में 31 बच्चे यानि कुल 50 बच्चे एक गांव में गायब हुए थे और आसपास के सीमावर्ती गांव में निकटवर्ती जिलों के चतुर्दिक यानि आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां से जो ब्योरा कुल मिला था, कुल 194 लोगों के गायब होने की सूचना मिली है। जिसमें 70 लोगों की बरामदगी कानून व्यवस्था के रखवालों ने किया, शेष कहां हैं, आज तक इसका खुलासा नहीं हो सका। लेकिन निठारी काण्ड के हादसे में जो खुलासा होना शुरू हुआ है, यह इंगित करता है कि जो अब तक कानून की शिनाख्त में नहीं आ पाये हैं वह इस नरसंहार की चपेट में जरूर आये हैं। मान्यवर, हम कभी-कभी वाहवाही लूटने के लिये कह देते हैं कि हमने इसका खुलासा कर दिया और कानून व्यवस्था बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, सीना ठोंकते हैं लेकिन कभी पछतावा नहीं करते कि इतना बड़ा काण्ड इतने लम्बे समय से चलता चला आ रहा था और हम सो रहे थे हमारा अमला सो रहा था हमारा प्रशासन सो रहा था, आखिर ऐसे लोगों को हम कब तक छूट देते रहेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाने के लिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जुडीशियल मजिस्ट्रेट के इशारे पर शुरू हुई इस जांच से इस कांड का खुलासा हुआ। अगर जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने इस तरह दखल न दिया होता तो शायद आज भी यह खुलासा नहीं हुआ होता। इसलिये ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त कहने के बजाय कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने का काम किया जाय। मान्यवर, इसी तरीके से दूसरी शर्मनाक घटना कविता चौधरी से जुड़ी हुई है जिसमें एक दुःखद और बड़ा पहलू आया कि हमारे मंत्रि-मण्डल के ही कुछ साथी उसमें पाये गये, कुछ पूर्व में रहे, कुछ वर्तमान में रहे वह साझा दल के थे या मुख्य दल के थे यह मामला तो बाद का है क्योंकि अब यह मामला सी0बी0आई0 के अन्दर आ गया है। इसे भी सी0बी0आई0 ने जांच में ले लिया है, कौन कहां क्या दोषी है, खुलासा तो होना ही है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि आखिर कहीं न कहीं नैतिकता का कोई न कोई तकाजा होना चाहिए। ऐसे लोग जो अपराधियों पर बरदहस्त रखा करते हैं, वह कितनी भी घोषणा करें कि हम कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त कर लेंगे, गुण्डाराज पर अंकुश लगा लेंगे, कभी संभव नहीं है। मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं कि कानून की मुस्तैदी, सरकार की संवेदनशीलता तो उस समय महत्व रखती, जब बिना किसी मांग के सी0बी0आई0 जांच करा दी गयी होती, जब बिना किसी मांग के दोषियों का खुलासा करके उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया होता, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दी गयी होती। जब यहां पर मामले का खुलासा हुआ और सभी दल के नेताओं ने मौके पर जाकर सी0बी0आई0 जांच की मांग की, यहां तक कि महामहिम राज्यपाल जी को भी सी0बी0आई0 जांच के लिये सरकार से आग्रह करना पड़ा और उसके बाद सी0बी0आई0 जांच बैठाई जाती है।

सी0बी0आई0 जांच भले ही बैठा दी गयी हो लेकिन संवेदनशीलता सरकार की इस पर शून्य नजर आई क्योंकि तमाम मांगों के बाद सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए। मान्यवर, इस क्रम में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी आज ही हम लोगों ने इलाहाबाद के मदरसा काण्ड का हवाला इस सदन में रखा। यह घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह तो नमूने के तौर पर निठारी काण्ड, कविता काण्ड और इलाहाबाद काण्ड आते हैं, इस प्रकार की घटनाएं नित्यप्रति पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं लेकिन कानून के रखवाले उन पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। यह तो चाहे-अनचाहे मामले जो उजागर हो जा रहे हैं, उनको सरकार कबूल करने के लिये मजबूर होती है लेकिन इस प्रकार के हादसे आज सरकार का रोजनामचा बन गये हैं। मैं कह देना चाहता हूं मान्यवर, कि इन सब चीजों पर कहीं न कहीं सरकार को अपने अन्तर्मन को टटोलना होगा कि क्या कारण है कि आज माननीय नेता सदन के बार-बार कहने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं हो रहा है। कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उपाय नहीं किये जा रहे हैं और इसी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में दूसरे पेज पर कहा गया है कि मेरी सरकार के समय में साम्प्रदायिक झगड़े इतिहास के विषय बन गये। हम तो चाहते हैं कि भाईचारे का समाज हो, समतामूलक व्यवस्था कायम होनी चाहिए, जाति-पांति, ऊंच-नीच, धर्म और मज़हब के नाम पर जो भी व्यवहार किया जाता है, वह समाप्त होना चाहिए। लेकिन मान्यवर, कौन नहीं जानता कि इसी उत्तर प्रदेश में जहां पर यह कहा जा रहा है कि यह साम्प्रदायिक झगड़े इतिहास के विषय बन गये हैं, मान्यवर, इतिहास का विषय नहीं बने बल्कि इन्होंने नया इतिहास बनाया है। दंगों के क्रम में मऊ का दंगा हुआ, आगरा का दंगा हुआ, अलीगढ़ का दंगा हुआ।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, इन्हें [× × ×]बोलने का प्रशस्ति-पत्र दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

[× × ×] असंसदीय शब्द है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मऊ, आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर, कानपुर, बाराबंकी, लखनऊ सहित तमाम शहरों में छोटी-मोटी इस तरह की 36 वारदातें जब से वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आयी है तब से यह घटनाएं हो चुकी हैं, इसमें से कुछ छोटी हैं तो कुछ बड़ी हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। मैं उस राम-राज्य में विश्वास नहीं करता, जिसमें निर्दोष का सिर काटा गया हो, जहां पर इस प्रकार से निर्दोषों के सिर काटे जाएं, ऐसा राम-राज्य हम नहीं चाहते हैं, हमें ऐसा राम-राज्य, गुंडा-राज्य नहीं चाहिए।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सत्ता पक्ष की ओर से-

मान्यवर, इन्हें रावण-राज चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में लिखा गया है कि मेरी सरकार ने पुलिसतंत्र को आधुनिक बनाकर पुलिस बल की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर कानून-व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत करने में सफलता पाई है। वाह ! क्या सफलता पाई है आधुनिक बनाकर पुलिस तंत्र को। अभी जिस दिन इस सदन की शुरुआत हुई 18 तारीख को, उसी के दूसरे दिन बरेली में पुलिस कर्मी इसलिए मारा गया क्योंकि उसकी रायफल दगा दे गयी। मान्यवर, बदमाशों के कट्टे चल गये लेकिन पुलिस कर्मी की रायफल से गोली नहीं चली। नतीजा यह हुआ कि बदमाशों की गोली के शिकार पुलिस कर्मी हो गये। उत्तर प्रदेश के डी0जी0पी0 ने घटना पर खेद व्यक्त किया। (सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आयी कि-'मगर वह रायफल आपके जमाने में खरीदी गयी थी।') मान्यवर, इसी तरीके से प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी एक दिन दौरा करते हुए नवाबगंज थाने में पहुंच गये और इसी प्रकार से रायफलों को चेक करने की कोशिश की, अलग-अलग तीन रायफलों से फायर करवाया, तीनों रायफलों से एक भी गोली नहीं निकली, यह है चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था, बढ़िया प्रशासन और पुलिस का आधुनिकीकरण।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण शांत रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, प्रतापगढ़ में इसी के चलते 3 सिपाही मारे गये, क्या इसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक है कि अंग्रेजों के जमाने के असलहे हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। लेकिन आधुनिकीकरण का दम्भ भरने के लिये कम से कम पहले अपनी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए था, तब जाकर इस पर बोली बोलनी चाहिए। एक तरफ हमारे पुलिस कर्मी घिसे-पिटे पुराने असलहों के नाते गोली खा रहे हैं, शहादत देने के लिये मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम छाती पीट रहे हैं कि आधुनिकीकरण हो रहा है। मान्यवर, यही कारण है कि अपराधी आज भारी हैं और पुलिस भागा-भागा फिरता है। एक कारण और है आज यही शासन और प्रशासन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो चुस्त-दुरुस्त हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, 15 मिनट से ज्यादा हो गया है, संक्षेप करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसलिये आज सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपने दामन में झांकना पड़ेगा। सत्ता में बैठे हुए लोग ही कहीं पर शासन और प्रशासन चलाने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को बेइज्जत कर रहे हैं। कहीं फिरोजाबाद में एस0पी0 को डॉट-मारा जा रहा है तो कहीं लखीमपुर में वन विभाग के अधिकारी को हाथ-पैर बांध कर पीटा जा रहा है तो कहीं लखनऊ में चौक के सी0ओ0 राजेश साहनी को बोनट पर बिठाकर घुमाया जा रहा है, तो कहीं महराजगंज में आर0टी0ओ0 की पिटाई की जा रही है तो कहीं गौरीगंज में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में घुसकर डाक्टर और दायी की पिटाई की जा रही है। कहीं इसौली में थाने में घुसकर थानेदार सहित सभी पुलिस कर्मियों की पिटाई करके गुण्डों को जबरदस्ती छुड़ाया जा रहा है। इसलिये आज पुलिस इन गुण्डों की मेहरबानी पर जीने के लिये मजबूर हो रही है और जब सत्ता में बैठे हुए मंत्री, विधायक और सांसद के इशारे पर शासन और प्रशासन चलाने वाले लोग बेइज्जत होते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी भी कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए उसके लिये आपको अपने में दृढ़ संकल्प लाना होगा। हमारे जनपद रायबरेली में, माननीय नेता सदन को मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी क्योंकि बार-बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है, यहां धज्जियां उड़ रही हैं, मेरे जनपद रायबरेली में बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर, माननीय नेता सदन जानकारी कर लीजियेगा आपके सत्ता पक्ष के लोग दिन दहाड़े जाकरके कार्यालय में गोली चलाते हैं, दोनों को बेइज्जत करते हैं, मारते-पीटते हैं, इसी प्रकार से शासन और प्रशासन चलेगा। अगर सत्तापक्ष के मंत्री, विधायक या सांसद को शिकायत है तो शिकायत नेता सदन को आनी चाहिए क्योंकि कानून का रखवाला एक होता है जब सभी कानून-व्यवस्था के रखवाले हो जायेंगे तब कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त नहीं हो सकती है और मनमाना राज चलेगा जो आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, 20 मिनट हो गया, 15 मिनट से 5 मिनट ज्यादा हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं जब कभी कहीं पर पुलिसकर्मी कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं तो उनके मनोबल को तोड़ा जाता है सभी सत्ता में बैठे हुए लोग बेलगाम हो गये हैं इतना ही नहीं उनके मातहत अधिकारी/कर्मचारी भी बेलगाम हो गये हैं। इसी 20 जनवरी को महानगर में रामा बुक डिपो के मालिक की पत्नी से पांच हजार रुपये छीन लिये गये आज इस सम्बन्ध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है यह दोनों होमगार्ड के कर्मी थे।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ बातें सदस्यों के लिये छोड़ दें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपने 25-30 मिनट दिये थे।

श्री अध्यक्ष-

अब तीन मिनट और बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उन्नाव में एक सर्राफा व्यापारी से 11 किलो सोना लूट लिया गया उसमें भी पुलिसकर्मियों का हाथ था। विशाल वर्मा से इलाहाबाद में चार किलो सोना लूट लिया गया । फैजाबाद के लाल चन्द्र यादव से गोमती नगर में 11,500 रुपये पुलिस वालों ने छीन लिये हमारी पुलिस कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने में कितनी मेहरबान है यह इसी से पता चलता है। वायरलेस चौराहा महानगर में स्थित मन्दिर के पुजारी से पांच हजार की छिनैती में पुलिसकर्मी ही अभियुक्त हैं। महराजगंज में कक्षा तीन के विद्यार्थी अजीत वर्मा को हत्या का अभियुक्त बनाया गया इस तरह से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। बिना जांच पड़ताल के निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। यह भी नहीं देखा जा रहा है कि कोई कक्षा तीन का छात्र है। कानपुर के काकादेव में कक्षा दो के छात्र को डकैत बना दिया गया यह पुलिस विभाग का कारनामा है। इसी तरह से हमारे विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार थाने पर सीमा नाम की लड़की का अपहरण हुआ इसकी नामजद एफ0आई0आर0 हुई जिसके खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई उल्टा उससे कहा गया कि तुम गायब हो जाओ हम उल्टा अपहरण का केस उन पर लगा देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। 25 मिनट हो गये। घटनाओं पर अन्य लोग बोल लेंगे नेता को तो नीतियों पर बोलना चाहिए और लोगों को भी बोलना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अन्य सरकारें जब होती हैं तो व्यापारियों को दो टैक्स देने पड़ते हैं एक सेल टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में एक टैक्स गुण्डा टैक्स भी देना पड़ता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम लोगों को समय भी दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी खड़े हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरी बात मान जांय। एक मिनट में अपनी बात कह दीजिए। जो संक्षेप में आपको कन्क्लूड करना है कर दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, व्यापारियों की सुरक्षा की बात आयी इसी लखनऊ में आज व्यापारी लूट के शिकार हो रहे हैं। 10 दिसम्बर, 06 को बनारस में 2 व्यापारियों की हत्या हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

अब रहने दीजिए घटनाओं को सब जानते हैं। माननीय तिवारी जी खड़े हो गये हैं, अब आप बैठ जायें। जितना माननीय नेता विरोधी दल बोले उतना ही आप बोल चुके हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप इस तरीके से रोकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप अगर सीमा को नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा एक मिनट और ले लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जनपद कौशाम्बी में ग्राम काची, थाना कौशाम्बी में विगत सप्ताह में शिव दास पासी को दिन दहाड़े गोली मारी गयी लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जबकि नामजद एफ0आई0आर0 है।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म कीजिए। तिवारी जी को बोलने दीजिए। घटनाओं को लिखकर आप शासन में भेज दीजिए, जवाब आ जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब बहुजन समाज पार्टी को बोलने के लिए खड़े होने का मौका मिलता है इसी तरह से उनको बोलने से रोका जाता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी आपको मैंने 20 मिनट तक नहीं टोका है। आपके सदस्य बोलेंगे तो 10 मिनट तक नहीं टोकूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मेरे द्वारा एवं कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्यों द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्तावों पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह राज्यपाल का अभिभाषण मजबूरी में लाया गया एक दस्तावेज है। मजबूरी में लाया गया इसलिए कि 15 दिसम्बर को जब हम विदा हो रहे थे उस समय यह तय हो गया था कि अब इस विधान सभा में हम नहीं बैठेगें और जब मैंने अनुरोध किया था तब यह कहा गया था कि कभी भोजन पर बुला लेंगे, फोटो के लिए बुला लेंगे वह अंतिम सत्र था और राष्ट्रगान करके हम विदा हुए थे। उसके बाद मान्यवर, 15 तारीख को सत्र फिर आहूत हुआ। 15 तारीख को सत्र फिर स्थगित हुआ और 18 तारीख को फ़िर सत्र आहूत हुआ इसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक कशमकश थी जो यह बताती रही कि सरकार

राज्यपाल के अभिभाषण के लिए इच्छुक नहीं है। निःसंदेह जब तीन दिन में राज्यपाल का अभिभाषण नियत हो जायेगा तो उसमें वह कुछ नहीं होगा जो होना चाहिए क्योंकि तीन दिन में अभिभाषण बन ही नहीं सकता था।

मान्यवर, अगर विस्तार पूर्वक देखें तो राज्यपाल के अभिभाषण का आशय क्या है। संविधान क्यों कहता है कि राज्यपाल का अभिभाषण हो। अभिभाषण इसलिए होता है कि जब नयी सरकार बने या नया वर्ष हो तो आने वाले वर्ष में मौजूदा सरकार क्या करेगी इसका दिग्दर्शन राज्यपाल के अभिभाषण में होता है। राज्यपाल का अभिभाषण एक आइना होता है। लेकिन इसको मैंने पढ़ डाला लेकिन कहीं इच्छाशक्ति नहीं लगती है कि यह पूरे वर्ष का आइना है। इसमें उपलब्धियों की जरूर चर्चा है जिनको पहले की सरकार ने हासिल किया है। आगे कौन सा क्रांतिकारी कदम उठेगा इसका इसमें अभाव है। मान्यवर, जब अभिभाषण ढाई दिन के अन्दर बनेगा तो अभाव होना स्वाभाविक है। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह एक अपूर्ण दस्तावेज है। मान्यवर, इसमें वह नहीं है जो होना चाहिए, और इसीलिए इसमें बहुत से पैराग्राफ खत्म हुए हैं, हमने यह किया है। हमने यह किया है राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं होता है, राज्यपाल के अभिभाषण में होता है हम क्या करेंगें और इसीलिए बजट लाया जाता है मान्यवर कि जो कुछ हम करेंगें जो राज्यपाल के अभिभाषण में कहते हैं उनसे बजटरी प्राविजन से सपोर्ट करके हम उसको करने के लिए आगे बढ़ते है।

मान्यवर, कल चुनाव है और चुनाव के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, चुनाव के बाद एक नई सरकार का गठन होगा और शायद इसीलिए यह महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण ऐसा है कि इसमें बहुत सी बातें छूट गई हैं और मैं तो यह आग्रह करूंगा कि जो भी संशोधन हम लोगों ने रखे हैं यह मानते हुए कि आपको अभिभाषण बनाने का मौका कम मिला है आप ऐसे ही स्वीकार कर लें यह मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के आदरणीय नेता सदन से। मान्यवर, मैं दोहराऊंगा नहीं नोयडा का [illegible] काण्ड, कविता काण्ड या मदरसे का काण्ड क्योंकि सुबह उस पर बोल चुका हूं मान्यवर वह शर्मनाक है, दुःखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उनकी जितनी निन्दा की जाय उतनी कम है और यह स्वीकार करने में भी किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि वह कहीं न कहीं प्रशासनिक असफलता का एक ऐसा उदाहरण है जो कहीं न कहीं से हमारे मुंह पर कालिख पोत गया है और पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने हमारा सर खासतौर से निठारी के मामले में झुक गया है। मान्यवर, कैसे हम इन स्थितियों पर काबू पायें, इसके लिए विचार करना होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति लानी होगी सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा मान्यवर, अभी एक कमेटी बनी थी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दो अधिकारियों की बनाई थी उसकी जो रिपोर्ट आयी है अगर वह पढ़ लें तो उससे भी लगता है कि हां प्रशासनिक असफलता है तो हम नहीं कहते यह जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी मान्यवर वह कहती है कि हां यह-यह कमियां हैं इसमें, तो इसको स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ें मान्यवर, एक बात इसमें मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा था बड़ी चर्चा थी बेरोजगारी भत्ता की और विद्याधन की। मान्यवर, मैं यह सोचता था कि यह एक अच्छा कदम है और यह कदम था तो इसे विधेयक के रूप में क्यों नहीं लाया गया, कानून क्यों नहीं बनाया गया इसे, यह सिर्फ कहीं का पैसा लेकर कहीं खर्च किया

गया, जिनको मिला लाभान्वित हुए उनको लाभ मिला मान्यवर, लेकिन अगर नियत चुस्त और दुरुस्त है, तो जैसे रोजगार गारण्टी योजना आई केन्द्र की या प्रदेश की बहुत सी योजनाएं आयीं जिनमें विधेयक का स्वरूप क्यों नहीं दिया जा रहा है, कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है यह एक साल के टेम्प्रेरी बेसिस पर क्यों है। इससे लगता है कि इसे लागू रखने का कोई इरादा नहीं है बल्कि यह है कहीं-कहीं सुनता हूं तो ठीक लगता है कि अबकी से ठीक है इतना दिया है अगली बार हमको चुन दो तो हम दुगना कर देंगें, ठीक है समझ में आती है ये बात लेकिन इसे कानून का रूप क्यों नहीं दे देते कि जिससे हर वर्ष लोगों को मिले। कानून बनाइये अभी तक हिन्दुस्तान में कहीं नहीं बना है, आप पहले राज्य क्यों नहीं बनते। कानून बनाकर इसको करिये मान्यवर, तब तो इसकी वैधानिकता होगी मान्यवर, अन्यथा इसकी कोई वैधानिकता नहीं है इसे चुनाव से जोड़ के देखा जाता रहा और चुनाव से जोड़ के देखा जाता रहेगा।

मान्यवर, मानवाधिकार आयोग की बैठक हुई लखनऊ में, जस्टिस शिवराज पाटिल के नेतृत्व में मान्यवर, उन्होंनें कुछ चौंकाने वाली बातें कहीं, उन्होंनें साफ किया है स्पष्ट किया है कि मानवाधिकार के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के हैं। मान्यवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संवैधानिक संस्था है उसने अगर यह कहा है तो कहीं न कहीं से हमारे मुंह पर तमाचा मारा है हमारी कानून व्यवस्था पर तमाचा मारा है और हमारे प्रशासन पर और हमारी उपलब्धियों पर तमाचा मारा है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि ऐसा सुनने को आया है कि रिपोर्टें नहीं लिखी जाती या अगर कहीं लोगों को निदान था तो लोग मानवाधिकार आयोग में क्यों आ रहे हैं यही बात तो कुछ दिन पहले अपहरण के बारे में कही गयी जो क्राइम की रिपोर्ट आयी मान्यवर, कि हम बिहार के ऊपर चले गये तो मान्यवर मानवाधिकार आयोग का यह कहना और फिर उसके बाद मान्यवर, अपहरण के लिए जो केन्द्रीय रिपोर्ट आयी उसमें यह कहना कि हम देश में सबसे ज्यादा हैं मान्यवर, यह दोनों बातें अगर हैं तो हम यही कहेंगे कि सबकुछ ठीक-ठाक नहीं है, सुधारने की जरूरत है, जो कहा जा रहा है सुधरा हुआ है वह सही नहीं है। मान्यवर, अब बहुत सी बातों की ओर मैं ध्यान दिलाऊँ, मान्यवर, एक बहुत अच्छा कदम था जो बड़े डकैत थे जंगलों में उनका सफाया हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ मान्यवर, लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक या दो गैंग को छोड़कर मान्यवर, कोई सूचीबद्ध गैंग अब नहीं रह गया जंगलों में, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी उस जंगल में तो नहीं रह गये हैं लेकिन जो शहर में डाकू पैदा हो गये हैं इनके बारे में क्या राय है ? ये वो लोग हैं जो राजनैतिक सत्ता के संरक्षण में उससे ज्यादा गुनाह कर रहे हैं जो डाकू जंगल में बैठ कर किया करते थे यह बस्तियों में बैठ करके कर रहे हैं। यह सरकार के समानान्तर चलते हैं और इनका कब्जा होता है ठेकों पर, इनका कब्जा होता है कानून व्यवस्था पर। सरकार द्वारा बहुत से अच्छे किये गये काम इनके द्वारा किये गये कामों के नीचे दब जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं यहां पर यह नहीं कहूँगा कि उनका भी इनकाउन्टर हो जिस तरह से इनका हुआ है लेकिन यह तय है कि राजनैतिक रूप से जो इच्छाशक्ति इन माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने की होनी चाहिए थी जो पहल करनी चाहिए थी, इसकी जो जिम्मेदारी आपकी थी वह कहीं न कहीं से

रह गई है। आज हर चौथे जिले में आप देखिये कि एक मजबूत आदमी ऐसा कुछ कर बैठता है जिसकी जवाबदेही सरकार पर बन जाती है। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर पुलिस भी उनके सामने बौनी हो जाती है। आज आपकी कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है। काफी बातें आईं कि आत्म हत्याएं हुईं। कोई आत्म हत्या कहता है तो कोई मौत कहता है लेकिन मैं कहता हूं कि कोई मरा तो चाहे वह भूख से मरा हो, कुपोषण से मरा हो, बीमारी से मरा हो। इसके लिये किसकी जवाबदेही होगी ? मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था से बढ़कर और कोई दूसरा चिन्ता का विषय नहीं है।

आज आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। यह सही बात है कि आज मिट्टी का तेल बाजार में 30, 35, 40 रुपये लीटर मिल रहा है। इस बारे में कोई कहे न कहे लेकिन जो सत्य है मैं कह रहा हूं ? यह जवाब मान सकते हैं कि केन्द्र सरकार कम दे रही है। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कम नहीं दिया है जितना मांगा था उतना नहीं दिया। माना कि केन्द्र सरकार उसको आधा भी कर दे तो 35, 40 रुपये लीटर कैसे जस्टीफाई हो ? माना कि कम मिलने के कारण 5 लीटर वाले को ढाई लीटर, दो लीटर, एक लीटर मिल रहा है लेकिन यह 35 रुपये लीटर किस तरह से हो गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार का इससे ज्यादा मजबूत उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। मैंने आपसे कहा है और सदन में आज फिर कह रहा हूं खाद के बारे में कि कहीं पर भी समय से डी0ए0पी0 नहीं मिली। अगर कहीं मिली भी तो वह साधन सहकारी समिति में नहीं खुले बाजार में 500 रुपये बोरी के हिसाब से। इससे जाहिर है कि कहीं न कहीं आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिक्कत है। यूरिया की भी यही स्थिति है। आप चाहे जितने अच्छे काम कर लें लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि जन सामान्य से जुड़ी है जिससे आम आदमी जुड़ा है, जब उस पर चोट पहुंचती है अगर वही ध्वस्त हो गई है तो कहीं न कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो आप बहुत से राज्यों से तुलना कर देंगे। आपने इशारा भी किया कि हम कल बतलायेंगे। आप बहुत राज्यों के बारे में बतायेंगे। लेकिन मेरा तो सौभाग्य है, आपके साथ उत्तर प्रदेश में बैठने का मौका मुझे मिला है। मैंने बाहर कुछ देखा नहीं इसलिये मैं यहीं की बात करूंगा। बेहतर यह होगा कि यह कह कर काम न चलाया जाय कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है। हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, इस बारे में बात करें। एक दूसरी चिन्ता जो मुझे लगती है जिससे भविष्य में कहीं न कहीं परेशानी आयेगी। 74 हजार करोड़ रुपये का अनुबंध नोएडा में हुआ था। सड़कें बनी, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि सड़कें नहीं बनी क्योंकि 7 कि0मी0 सड़कें बहुत जगह बनी हैं और इसी कारण से सड़कों का बजट 500 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ हो गया। बिजली के लिये बहुत पैसा मिला। बेसिक शिक्षा अपनी जगह है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 74 हजार करोड़ का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कितने उद्योगपतियों ने पैसा खर्च किया और कितने उद्योगपति दूसरे राज्यों खासतौर से उत्तरांचल, हिमांचल और हरियाणा चले गये। अगर मेरी जानकारी गलत है तो मैं उसको सही कर लूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है ज्यादातर लोगों ने, मैंने तो कम्पनियों का नाम लिया था और धनराशि भी बताई थी। इन कम्पनियों का दूसरे प्रदेशों में जाना प्रदेश के लिये शुभ

संकेत नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि भारत जैसे गणराज्य में केन्द्र और राज्यों के बीच में अच्छा समन्वय होना चाहिए। अगर अच्छा समन्वय नहीं होगा तो कोई राज्य बहुत विकसित नहीं हो सकता है। हम लोगों का प्रयास यही रहा कि बेहतर सम्बन्ध हों। लेकिन मान्यवर, एक-दो लोगों को बीमारी सी थी कि वह सरकार गठन के दो तीन महीने बाद से सरकार में बैठे लोगों की बात नहीं करता, लेकिन जो बाहर लोग बैठे थे पहले से ही उन लोगों ने केन्द्र के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आप किस केन्द्र के खिलाफ बोल रहे थे, जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया योजना आयोग को, किस केन्द्र के खिलाफ बोल रहे हैं जिसने रोजगार गारंटी योजना के खिलाफ सबसे ज्यादा पैसा दिया। मान्यवर, फिर हम और आप निर्णायक तो हैं नहीं एक सर्वे रिपोर्ट आज छपी है देख लीजिएगा। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कहीं न कहीं जनमानस में तो यह है मैं तो यह कहता हूं कि केन्द्र और राज्य में भी है हर दो महीने बात यह भविष्यवाणी हो जाती है कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। 10 तारीख की तो घोषणा हो गई थी कि दस तारीख से राष्ट्रपति शासन लगेगा। 10 तारीख से 24 तारीख हो गई तो एक राजनीतिक वातावरण बनता है मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं दो तीन बिन्दुओं पर मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली मान्यवर, इस प्रदेश के गरीबों की कमर तोड़ रही है। इसको न नजरअंदाज कीजिए मुझसे नहीं आप अपने सम्मानित दल के विधायकों से अकेले में ले जाकर न पूछ लीजिए। बाजार में मिट्टी का तेल क्या भाव है। खाद क्या भाव है। क्या स्थिति है उनसे पूछ लीजिए दूसरा मान्यवर शहर में जो बढ़ते अपराधी हैं। राजनीति में जो नये आका बन गये हैं इन पर लग लगाइए जो निर्भय डाकू से ज्यादा खतरनाक है और यह आपके भी नहीं हैं वह थे तो उनके थे आप हैं तो आपके भी हैं, ऐसे लोग सत्ता के बगैर जी नहीं सकते हैं। यह सत्ता में रहेंगे और सत्ता के सहारे यह जियेंगे, यह जहां रहते हैं उसको यह दीमक की तरह खा जाते हैं। मेरी साफगोई के लिए मुझे माफ करिएगा। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपसे, यह जो मौते हुई हैं यह जो बातें हो रही हैं इन पर बहुत विचार करने की जरूरत है मैं तो हमेशा कहता हूं विपक्ष में रहकर भी एक रचनात्मक विपक्षी की भूमिका निर्वाह करने की हमारी वचन बद्धता है हम प्रदेश का हित सर्वोच्च हित मानते हैं। प्रदेश के विकास के लिए हम विपक्ष में बैठकर भी कर सकते हैं। आज नेता विरोधी दल बैठे थे बच्चन जी की पंक्ति तगड़म पगड़म कर रहे थे। लेकिन मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता हूं इतना जरूर कहना चाहता हूं प्रदेश में तरक्की हो, प्रदेश में अमन हो, प्रदेश में कानून व्यवस्था हो यह कांग्रेस चाहती है। लेकिन वहीं यह भी चाहते हैं एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस सदन में बैठकर हमारे नेताओं के खिलाफ क्या-क्या बोला गया। यह कार्यवाही का हिस्सा है कार्यवाही का अंग है इससे बचना चाहिए। यह कहीं न कहीं से जो करते हैं इसको रोकना चाहिए। यह उचित नहीं है मैं ज्यादा समय न लेकर और लोगों को बोलने का समय मिले इसलिए मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि बचाइए इस प्रदेश को नये माफियाओं से, बचाइए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, इस प्रदेश को बचाइए जो पलायन उद्योगपतियों का हो रहा है। बचाइए इस उत्तर प्रदेश को उस राजनीतिक

अस्थिरता से जो आपस में वैमनस्यता पैदा कर रही है। एक बात याद रखें साम्प्रदायिक ताकतें किसी की नहीं हुई हैं न आपकी होगी। आजकल आप दोनों की दोस्ती है हमसे कोई मतलब नहीं है। इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

महिला कल्याण, संस्कृति, सूचना औद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने सरकार के समर्थन में बोलने के लिए अनुमति दी इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मान्यवर लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में हम लोगों ने शुरू से ही इस बात को देखा, जहां सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी निर्वाचित होकर आई और जिस पार्टी के विरुद्ध हम लोगों ने जमकर प्रचार किया भड़ास निकाली उसके काले करतूतों को जनता के सामने उजागर किया उस पार्टी ने इस राजनीतिक दल ने सत्ता की लालसा में, सत्ता की चाहत में, एक ऐसे संगठन से, एक ऐसी पार्टी से दोस्ती करके अपनी सरकार बनाई जिसके हम लोग भी अंग हैं, मा0 अध्यक्ष जी, हमें शर्मिन्दगी है हम ऐसी सरकार में एक विधायक के रूप में बैठे रहे थे, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार उसमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन किया गया, उसका उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं मिल सकता है। मैं जानता हूं, पांच, साढ़े पांच साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पिछली योजना में और जो बड़े भारी राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र की बात करने वाले, बहुत साफ-सुथरी बात करने वाले, धर्म को आधार मानने वाले, लोकतंत्र की रखवाली करने वाले ये लोग, इनके कारनामे जो हैं, यदि चिन्तन किया जाये तो निश्चित रूप से देश के युवाओं का सिर शर्म से झुक जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी वेदना को, अपनी व्यथा को कहना चाहता हूं। केन्द्र में रक्षा मंत्रालय इनके पास, प्रधान मंत्री की कुर्सी इनके पास और देश में घुसपैठ हो गयी और इनके प्रधान मंत्री शिमला में बैठकर रंग-रेलियां मनाते रहे। (कुछ लोगों के बोलने पर) आप लोगों में सुनने का साहस होना चाहिए। एक हाथ में पेट्रोल की शीशी और एक हाथ में माचिस और उसको लिये-लिये पूरे देश में घूम रहे हैं उनके पास किसानों का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, देश के विकास का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है-पेट्रोल की शीशी और माचिस की तीली का। वह इसीलिये तो घूम रहे हैं कि मौका मिल जाये तो थोड़ा सा तेल डालें और माचिस लगाकर देश को स्वाहा करें । इन्होंने शपथ खाई थी, आपके नेताओं ने शपथ ली थी कि हम देश की, संविधान की रक्षा करेंगे और मान-मर्यादाओं का पालन करेंगे और किया क्या ? पूरे देश के सामने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। कहां गई शपथ, कहां गया शपथ-पत्र ? अध्यक्ष जी, गन्ना की हुकुम सिंह जी बार-बार बात करते हैं, बड़ी-बड़ी बात करते हैं लेकिन जब सरकार में थे, जब मिली-जुली सरकार थी, अध्यक्ष जी, आपको यकीन नहीं आयेगा, पार्टी की मुखिया ने कह दिया कि मेरा वोटर गन्ना बोता ही नहीं, शर्म से मर जाना चाहिए। गन्ने से कुछ लेना-देना ही नहीं था, आपकी सरकार में। आपकी सरकार में पहली बार गन्ने का मूल्य कम हुआ, न हुआ हो तो बतायें। एक रुपया कम हुआ है। लेकिन मा0 मुलायम सिंह यादव किसानों के दर्द को जानते हैं क्योंकि उन्होंने किसान के घर में जन्म लिया है। आप आंकड़े पढ़ें, 30 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ा है, 3 साल में। 5 साल में यदि 10-10 रुपये ही आप बढ़ा देते तो 50 रुपये बढ़ जाता। आप आंकड़े पढ़ें, आंकड़े उपलब्ध हैं, किसान के घर में 15875 करोड़ रुपये गये हैं, प्रदेश की इकोनामी ठीक हुई है, किसान का

जीवन स्तर ठीक हुआ है तो जिस वोटर के दम पर ये राजनीति कर रहे हैं, बहन जी वाले, इनके घर में भी दिया-बत्ती अच्छी जली है। हमारे साथी बैठे थे, तो मित्र ने पूछा कि यहां क्यों बैठे हो, यहां तो तीस-तीस लाख रुपया जन्मदिन पर देना पड़ता है, अभी जनवरी में दिया है। अगर चालीस लोगों का इसमें जोड़ लिया जाय तो यह 11, 12 करोड़ रुपया बचा है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, क्या आप इसे कार्यवाही का अंग बना रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मेरी इस बात को रिकार्ड कर लिया जाय जो मैंने कहा है।

श्री सुखदेव राजभर-

यह राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोल रहे हैं ? इन्होंने तो लोकायुक्त को बेईमान कहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर कोई बात माननीय सदस्य, बसपा को ऐसी लगती है कि वह तथ्यों से परे है तो वह इसका खण्डन अपने भाषण में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो असंसदीय हो और उन्हें कार्यवाही से निकाले जाने की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, निष्ठा भी देख लीजिये। एक इनकी निष्ठा है। मुझे तो जिस प्रकार के नेता का साथ अब मिला है उसके साथ तो मैं सात जन्म तक निभा सकता हूं। हमारी बहन सत्तो देवी बैठी है, जब से इस बसपा का जन्म हुआ है तब से इनका हसबैंड इसकी सेवा में लगे रहे हैं और कितने रुपये देकर टिकट इनको मिला है। बतायें कितने रुपये का टिकट मिला है ?

श्री अध्यक्ष-

राणा जी आप अभिभाषण पर बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

अबकी बार तो हमारा दल इतनी बड़ी तादाद में आयेगा कि वह वहां तक बैठेगा। यह लोग कैसे इकट्टा हो गये जैसे चो-चोर मौसेरे भाई।

(व्यवधान)

मान्यवर, गांव में एक बिलाव होता है उसे चूहे खाने के लिये पाला जाता है लेकिन वह मलाई खा जाता है। तो यह सब मलाई खा गये। क्रीम विभाग इनको दिये गये अब अलग हो गये हैं। प्रदेश के सामने सबकी जवाबदेही होती है। हमने आपके साथ क्या बुरा किया। तीन साल आपको सम्मान दिया, पार्लियामेंट की सीट दी, विधान सभा एवं विधान परिषद् की सीट आपको दी अब आप क्यों छोड़कर चले गये ? यह कहा गया कि गन्ने की समस्या थी। गन्ने की बात किसान तो कह नहीं रहा है और आप इसका सहारा ले रहे हैं। आपकी समस्या दूसरी थी। इसके बारे में रिसर्च करनी होगी और जब रिसर्च होगी तो आपका पर्दाफाश होगा और आप पब्लिक में जवाब नहीं दे पाओगे। मैं कोई तथ्यों से परे बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि सच से कभी मुंह छिपाया नहीं जा सकता है। नेता

जी ने कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन यह तो [***] बोलते हैं, जब यह राम मंदिर की घंटी बजाते हैं तभी इनका [×××] शुरू हो जाता है।

कुंवर भारतेन्दु सिंह-

मान्यवर, राम मंदिर और [×××] का इससे क्या लेना देना है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय राणा जी आप संक्षेप में अपनी बात कहिये और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कहें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, कैसा मंदिर बना लिया, क्या वह बन गया। उससे देश की अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान हुआ है अगर आप इसका आंकलन करायेंगे तो आपको हैसियत पता चल जायेगी कि आप कहां से कहां चले गये हैं। फर्जी और झूठे मुद्दों पर देश की राजनीति नहीं चलती है, अन्त में देश के सामने सच को लाना होता है।

मैं आपके लिये कह रहा हूं कि यदि इस बार भी आपको एक झटका और लग गया तो मुश्किल हो जायेगी कि यदि आप किसी को 50 हजार रुपये भी देंगे कि पार्टी का टिकट ले लो तो वह टिकट नहीं लेगा।

मान्यवर, रही बात कांग्रेस की तो पूरा जोर लगा दिया लेकिन सफल नहीं हुए। मान्यवर, इनके एक बड़े नेता हमारे यहां गये थे, हमारे बाबू जी भी राजनीति करते थे वह उस सम्मेलन में मौजूद थे, तो इनके नेता कहने लगे कि यदि गन्ना नहीं कर पा रहे हो तो खेत में गुड़ बो दो। वह रैली में कहे कि गन्ना नहीं है तो गुड़ खेत में बोओं। मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि जो इनके बड़े नेता हैं और जो देश का प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मान्यवर, अगर हम उन्हें गेहूं और धान की फसल दिखा दें तो वह यह नहीं बता पायेंगे कि कौन गेहूं है और कौन धान। मान्यवर, आपके यहां भी जो बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं वह जनता के सामने हैं और इसमें लिखा हुआ है मान्यवर, कांग्रेस पार्टी की नीति यह रही है कि प्रदेश में कोई अच्छा आदमी मुख्य मंत्री न बन पाये और कोई अच्छी सरकार न चल जाये और जो सरकार चले वह हमारी वजह से चले। इनकी नीति यह होती है कि अगर कोई अच्छी सरकार चलने लगती है तो यह उसका तख्त उखाड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं। मान्यवर, विदर्भ की घटना सबके सामने है वहां पिछले दो सालों में 750 किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। केन्द्र सरकार ने उसके सम्बन्ध में 12 समितियां बनाई हैं लेकिन उन सभी समितियों ने हाथ खड़े कर दिये और कोई निदान नहीं बता पाये। मान्यवर, इसकी गम्भीरता इस तथ्य से भी आंकी जा सकती है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री यह बोलते हैं कि विदर्भ की घटनाऐं चिन्ता की बात है। मान्यवर, आप देखें कि माले गांव की मस्जिद में नमाजी नमाज अदा कर रहे थे और वहां श्रृंखलाबद्ध तरीके से विस्फोट हुए कई सौ जाने गयी हैं तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की बात क्यों नहीं हुई। जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहां आप देखें मान्यवर, कि सब लोग प्रेम मोहब्बत से रह रहे

नोट :— [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हैं अमन चैन कायम है चारों ओर विकास हो रहा है तो यहां नहीं लगेगा राष्ट्रपति शासन और अगर आपने लगवाने की सोची तो फिर आपको दो एक सीट ही मिल पायेगी चुनाव में।

मान्यवर, आप देखें कानपुर में अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है और महाराष्ट्र में उसकी प्रतिक्रिया ट्रेनें जला कर की जाती है तो क्या यह गम्भीर चिन्ता का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षिप्त करें और अभिभाषण के विवरण पर बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, धन्यवाद की चर्चा पर दो दिन का समय है कल हमारे नेता जी बोलेंगे दो मिनट का मौका हमें दे दें। मान्यवर, बी0जे0पी0 का जो शासनकाल था उस साढ़े पांच साल के कार्यकाल में और 15 महीने के नापाक गठबन्धन के कार्यकाल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं नौकरियों में भर्ती के लिये किसी में भी क्या भर्ती की प्रक्रियाएं पूरी हो पायीं ? मान्यवर, जबकि हमारे नेता जी ने तीन लाख लोगों को सीधे-सीधे भर्ती कर दिया है। नौजवानों को रोजगार दिया है। अकेले गन्ना क्षेत्र में 28 नई चीनी मिलें लगी हैं 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जो रिकार्ड है। मान्यवर, जो उत्पादन क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन हमारा 26.71 प्रतिशत था, अभी नेशनल लास पचास फीसदी से अधिक है। क्योंकि अधिकांश गन्ना कोल्हू में और क्रेशरों में जाता है। मान्यवर, प्रत्यक्ष रूप से इसमें 30 हजार लोगों को नौकरी मिली है और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख अस्सी हजार लोगों को रोजगार के साधन मिले हैं इन नई चीनी मिलों के लगने से। मान्यवर, कांग्रेस की जब यहां पर सरकार थी तो कोई विधवा पेंशन स्वीकृत नहीं हुई थी। मान्यवर, हमने केवल एक बार फाइल भेजी और मुख्य मंत्री जी ने 68 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये। सवा दो लाख विधवाओं को लाभ पहुंचाने का काम इस तरह से हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, नरेश जी के जिम्मे परिवहन विभाग है इन्होंने कितनी नई बसें चला दीं। शताब्दी, जन शताब्दी, पवन गोल्ड सभी नई तर्ज की बसें आज प्रदेश में चल रही हैं। आप कोई क्षेत्र बता दीजिए जिसमें हमारी सरकार के समय में काम नहीं हुआ हो। जहां तक मेडिकल का क्षेत्र है नये अस्पताल बनाने का मामला हो, नये पशु अस्पताल बनाने का मामला हो, चाहे सड़क बनाने का मामला हो, पुल का मामला हो, आप बताइये इन्फ्रास्ट्रक्चर जितने इस सरकार ने डेवलप किये हैं आप कह सकते हैं किसी ने किये हैं। आप 50 साल का इतिहास उटा लें अगर इसमें बढ़िया हो तो बतायें। जो सरकार लोक कल्याण और जनकल्याण का काम करती हो लेकिन जब उस पर ऐसे लोगों की बुरी नजर हो तो उसके लिए कोई मंत्र हमको ढूंढ़ना पड़ेगा, उनका कोई इलाज करना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का। जब साढ़े तीन साल पहले सरकार बनी थी तो पूरा सदन यह जानता है, राष्ट्रीय लोकदल यह कदम न लेती तो यह साढ़े तीन साल की सरकार बन नहीं सकती थी, बनी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शान्त रहें, बोलने दें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मुझे तो ज्यादा नहीं बोलना है। मैं समझता था कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में 2-3 चीजों का जिक्र जरूर होगा एक तो महत्वपूर्ण यह है.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह बात जो मैं कहने जा रहा हूं यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जिक्र यूनाइटेड नेशन में होता है। मैं पोलियो की बात करने जा रहा हूं। मैं समझता था कि इसका जिक्र जरूर होगा। यह उत्तर प्रदेश की बदकिस्मती है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। 280 केस हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं। क्योंकि यह फीगर वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की है। तो यह सारी फीगर कहा जाता है कि उसमें कमी नहीं है। तो मान्यवर, इस पोलियो को किस तरह से यहां रोका जायेगा, बिल्कुल जड़ से खत्म किया जायेगा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इसे चाहे आवाज में उठाकर खड़ा कर दें, यहां शोरगुल में खत्म कर दें मगर बात अपनी जगह काबिज है। उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है, 280 केस यहां हो चुके हैं मुरादाबाद, मेरठ, बागपत भी इसमें है। यह सारे के सारे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा बनना चाहिए और इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अन्दर पोलियो कैसे खत्म हो। दूसरी बात यहां बुनकरों का एक बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ी संख्या में बुनकर यहां रहते हैं और पूरा मान्यवर, बनारस से लेकर इस तरफ तक और खेकड़ा, बागपत है। मान्यवर, बनारस के नाम से कर्नाटक में साड़ी बिक रही है और बनारस के बुनकरों का हाल यह है कि वहां पर दुकान पर अगर कोई पहुंच जाय, एक भी ग्राहक पहुंच जाय तो बड़ी बात होगी तो जो भी कदम उठायें जायं, कदम चाहे किसी भी तरह का उठायें लेकिन इस बारे में कोई न कोई थीम जरूर बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश का बुनकर अहिस्ता-अहिस्ता खत्म हो रहा है। चाहे तो बिजली की वजह से, इनका बिजली का मसला ही बहुत बड़ा है, चाहे तो हम उन्हें जो रेशम देते हैं, सूत देते हैं चाहे वह हो, मगर बुनकरों का उत्तर प्रदेश से अब नाम खत्म होता जा रहा है। जो नामी जगहें थीं, वहां आज ग्राहक चाहे बाहर का हो, चाहे कहीं का हो, वह उत्तर प्रदेश के अलावा हिन्दुस्तान की और जगह पहुंच जायेगा, कर्नाटक पहुंच जायेगा, हैदराबाद पहुंच जायेगा, वहां खरीद लेगा, बनारस के नाम से खरीदेगा, उत्तर प्रदेश के नाम से खरीदेगा लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं खरीदेगा। इसकी कोई न कोई वजह है क्योंकि हमारा नाम इतना मशहूर था, इसलिए हमारे नाम से बिकता है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह है, गन्ने का मूल्य, इस पर बड़ा विवाद हो चुका है। हम लोग भी सरकार से बाहर आ गये, सारी बातें हुई हैं, बहुत विवाद हुआ है। मगर एक बात अपनी

जगह सही है कि उत्तर प्रदेश में जहां इतना शुगर मिलें भी लगी हों, जहां गन्ना किसान सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में केवल उत्तर प्रदेश में हों और वहां सबसे ज्यादा मूल्य न हो, यह उचित नहीं है। मान्यवर, यह आंकड़े दे रहा हूं, यह मेरे बनाये हुए आंकड़े नहीं हैं। हिन्दुस्तान में जहां-जहां एनालिसस होती है, जहां की स्टेटिक्स आती है, वहां के हैं। यह आप अपने आप मंगा लीजिए, चाहे तो पुस्तकालय से मंगा लीजिए, कहीं और से मंगा लीजिए तो यह आपको मिल जायेगा। मान्यवर, हरियाना अर्ली वैराइटी दे रहा है, 138, जनरल 128 और लेट 126। पंजाब दे रहा है 132, 128 और 126। उत्तर प्रदेश देता है 130, 125 और 122.50 और उत्तराखण्ड देता है 132, 127 और 124.50 इसके बाद महाराष्ट्र का बहुत जिक्र आता है कि वहां बहुत कम मिलता है मान्यवर, सागाल कोआपरेटिव सोसाइटी जो है, कोल्हापुर की, जो 170 तक दे रहे हैं और जो एवरेज उनका आ रहा है, वह 130-140 के बीच में आता है, क्योंकि वह किश्तों में पेमेन्ट करते हैं। मुझे कुछ और नहीं कहना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है और यह भी सही है कि इस साल 2005-2006 के अन्दर उत्तर प्रदेश में शुगर फैक्ट्री भी बहुत ज्यादा लगी है, इससे इंकार नहीं है लेकिन

(इस समय 5 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

दाम उत्तर प्रदेश में किसान को सही मिलना चाहिए इसमें कहीं न कहीं कोताही हुई है, मेरा अनुरोध है कि इसको बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 135 कर दिया जाय, धन्यवाद।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डा0 पी0 के0 राय जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उनके नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसने चुनाव से पहले जितने भी वायदे जनता से किये थे जिसको हम चुनाव घोषणा-पत्र कहते हैं, चुनाव में जाने से पहले हमने जनता से जितने वायदे किये थे, एक-एक वायदा उत्तर प्रदेश की सरकार से इस साढ़े तीन वर्ष में पूरा करके दिखाया है। मुझे दुख है, मैं तो विपक्ष में भी रहा हूं। श्रीमन्, विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रजातन्त्र में है। आलोचना उसका बहुत हथियार बड़ा है। हम आलोचना से डरते नहीं और आलोचना को हम नकारते भी नहीं हैं। हम निन्दा सुनना भी चाहते हैं लेकिन सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना, केवल विरोध के लिए आलोचना करना, यह भी प्रजातन्त्र में बहुत अच्छा सूचक नहीं है। टण्डन जी, आलोचना कर रहे थे, मौर्या जी की तो बात ही छोड़ो, नौकरी का प्रश्न है, अगर आलोचना नहीं करेंगे तो नौकरी खतरे में पड़ जायेगी। प्रमोद जी चले गये, मैं कौकब जी को बधाई दूंगा कि कम से कम तीन वर्ष की उन्होंने आलोचना तो नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं कि दिल से नहीं गये, मजबूरी में गये और अगर आपके नेता के हाथ में बागडोर होती तो शायद आप नहीं जाते, लेकिन आप लोग तो रिमोट में चल रहे हैं किसी और की बागडोर में। इसका भी दुख है कि प्रजातन्त्र में गैर राजनीतिक व्यक्ति जब पार्टियों पर हावी हो जाते हैं तब जो स्थिति होती है.....

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अगर वित्तीय अनुशासन हमने पैदा किया तो फिर क्यों नहीं प्रशंसा होगी ? अन्य राज्यों के मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश की योजनाओं पर विचार करते हैं, मुख्य मंत्री जी से वार्ता करते हैं, इस चीज को सीखते हैं कि कैसे वित्तीय अनुशासन उत्तर प्रदेश में पैदा किया गया, बजट के घाटे को कैसे समाप्त किया गया। अन्यथा तो एक प्रणाली थी कि बजट के घाटे को कैसे समाप्त किया गया। अन्यथा तो एक प्रणाली थी कि बजट का घाटा हम पेश करते थे, लेकिन श्रीमन्, हमने तो तीन साल में कभी बजट घाटे में नहीं रखा, हमने तो बजट को लाभ में रखा। उस पर भी कह दिया गया कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। हमने तो उत्तर प्रदेश का प्लान 19 हजार करोड़ रुपये इस वर्ष कर दिया। प्रमोद कुमार कह रहे थे कि प्लानिंग कमीशन की बहुत कृपा हम पर है, मान्यवर, हमने जब अपने संसाधन प्लानिंग कमीशन को दिये तब हमारा प्लान 19 हजार करोड़ रुपये का हुआ। उस प्लानिंग कमीशन की कृपा से नहीं हुआ अगर हम संसाधन नहीं ले जाते, संसाधन अगर कम होते तो प्लानिंग कमीशन कभी हमारा प्लान इतना बड़ा नहीं देता लेकिन उस पर भी कहा जाता है कि प्लानिंग कमीशन की हम पर कृपा हैं हम तो देख रहे हैं जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से यही देख रहे हैं कि एक काम हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कैसे बर्खास्त किया जाए, कैसे उसे हटाया जाए। चुनाव आयोग के सामने जो भाजपा ने बोला, वहीं कांग्रेस ने बोला, वही लोकदल ने बोला, वही बसपा ने बोला। केवल एक इश्यू है कि मुलायम सिंह के रहते उत्तर प्रदेश में फेयर चुनाव नहीं होंगे। क्या नगर पालिका के चुन.व फेयर नहीं हुए ?

विपक्ष की ओर से-

नहीं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अगर नहीं हुए होते तो आप नहीं जीतते उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद में साढ़े तीन हजार वोटों से हमारा प्रत्याशी नही हारता। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा है कि इलाहाबाद में जीत गये, [x x x] यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा थी कि इलाहाबाद में जीत गये। हुकुम सिंह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप भी कुछ जीते हैं लेकिन आरोप यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन में फेयर चुनाव नहीं होंगे, हमने तो कभी नहीं कहा आपको सरकार में भी चुनाव हुए, हमने तो नहीं कहा कि चुनाव फेयर नहीं किये।

विपक्ष की ओर से-

आप होते तो बेमानी करते।

नोट :-[× × ×] दिनांक 25 जनवरी, 2007 को संसदीय अनुभाग की विज्ञप्ति के अनुसार विवादास्पद अंश मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

[x x x] बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, एक जबरदस्ती का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। चलिये प्रमोद जी का तो एजेण्डा है महामहिम जी से मिलना, अपनी फार्मेलिटी पूरी करना, एक जमाने में हम भी बहुत दिन उनके साथ गये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और नेता सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्ता में रहने के लिए अगर उन्हें बेईमानी भी करनी पड़ती तो वह बेईमानी भी करते। मान्यवर, अगर साधारण सदस्य इस प्रकार से बोलता तो दूसरी बात थी, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के मुँह से यह कहना और फिलासफी देना कि मुलायम सिंह नहीं कर पाये अगर मेरा बस चलता और मैं सत्ता में रहता तो साम, दाम, दण्ड और भेद करके सत्ता में रहने के लिए [x x x] मान्यवर, इसे आप देख लें, नेता सदन कुछ विचार कर लें, आपके कैबिनेट मंत्री इस विचार के हैं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं ? अगर सहमत हैं तो ठीक है लेकिन अगर नहीं सहमत हैं तो इनको इधर भेज दीजिए, पास बैठ जाएंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, हुकुम सिंह जी बोल रहे हैं, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि वह खुद वरिष्ठ सदस्य हैं, संसदीय कार्यमंत्री भी रहे हैं, हमने उन्हें उपाध्यक्ष बनाने में बड़ी भूमिका निभायी, चौधरी साहब को नाराज किया, सब कुछ किया। मंत्री जी किस सन्दर्भ में बोल रहे हैं, यह तो दिमाग से सोचना चाहिये। वह सही बोल रहे हैं और सन्दर्भ में बोल रहे हैं, पहले सन्दर्भ लीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

खुद ही सरकार का दर्शनशास्त्र सामने आ गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप सन्दर्भ लीजिए कि किस सन्दर्भ में कह रहे हैं, वह निष्पक्ष चुनाव के सन्दर्भ में कह रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव चुनौती है, आप किसी भी कमीशन को बैठा लें, आज तक इतने निष्पक्ष चुनाव नगरपालिका और स्थानीय निकायों के नहीं हुए। आप बताइये कि आप तो जीते हो, इसका मतलब है कि बेईमानी से आप जीतें अगर बेईमानी होती तो आज जीतकर नहीं आ सकते थे। अगर बेईमानी होती तो हम इलाहाबाद में 2600 वोटों से नहीं हार जाते।

नोट :-[× × ×] दिनांक 25 जनवरी, 2007 को संसदीय अनुभाग की विज्ञप्ति के अनुसार विवादास्पद अंश मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री लालजी टण्डन-

प्रश्न यह है कि कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। कैबिनेट का एक वरिष्ठ सहयोगी यह कह रहा है कि अगर इनकी जगह मैं होता, यह कोई अस्वाभाविक नहीं है, उनमें यह गुण हैं, कल हटाकर यह बन सकते हैं। कल यह होते तो किसी तरह से भी, बेईमानी करके भी चुनाव जीत जाते। माननीय मुख्य मंत्री जी का पक्ष लेना तो मजबूरी है। यह सरकार की नीति बन गयी है जो लोग कह रहे हैं वह अपने आप सिद्ध कर दे रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, साफ कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव हुये हैं यही कह रहे थे कि ईमानदारी से चुनाव हुए।

श्री हुकुम सिंह-

यह भी कह रहे हैं कि अगर आपकी जगह यह होते तो ईमानदारी से नहीं हो पाते। यह भी यह कह रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है कि टण्डन जी ने सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही। वैसे साम, दाम, दण्ड, नीति हमने ये शब्द कहे थे। आप तो चाल, चरित्र और चिन्तन का नारा देते थे, ईटिंग मीटिंग और चीटिंग पर काम करते थे। मुझे पता नहीं टण्डन जी, राजनाथ सिंह जी आपके नेता हैं या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम यह आपका अपना विवेक है क्योंकि इसके पहले भी जो सरकार थी उसके पहले जिस तरह का विरोधाभास एक दूसरे के प्रति था, तो आपको यह नहीं कहना चाहिए था। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम जिन्दा रखे हैं तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, यह जिस सरकार में थे, उस सरकार के खिलाफ विष-वमन कर रहे थे इसलिए बर्खास्त किये गये थे। इसके अलावा सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे थे इसलिए हटाये गये। अनुशासनहीनता तो इनके रक्त में है। अभी इनको सीखने का काफी मौका मिलेगा। श्रीमन्, हम बात कह रहे थे कि आज अन्य प्रदेशों के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श प्रदेश है। हमने उत्तम प्रदेश बनाने का नारा दिया। तो उसको लोगों ने स्वीकार किया। आज प्लानिंग कमीशन को सोचना पड़ रहा है कि बेरोजगारी भत्ते की उत्तर प्रदेश की नीति को कैसे प्लानिंग कमीशन अपनाये, कन्या धन योजना को कैसे प्लानिंग कमीशन अपनाये। मैं अखबार में देख रहा था परसों तमिलनाडु के मुख्य मंत्री जी ने भी कन्याओं को स्कूल जाने के लिए साइकिलों का वितरण किया करीब 40 करोड़ रुपया उन्होंने सरकारी खजाने से इस बात के लिए दिया कि वहां की लड़कियों को अपने स्कूल जाने के लिए साइकिल दे दें, जिससे लड़कियां स्कूल चली जाएं। यह तमिलनाडु के मुख्य मंत्री जी ने किया। माननीय करुणानिधि जी बैठे खुद बांट रहे थे। हमने उत्तर प्रदेश में जो-जो काम किये बहुत से अखबार वाले पूछते हैं कि आपकी पार्टी का चुनाव में एजेण्डा क्या होगा ? हमारा एजेण्डा हमारी उपलब्धि होगी। हम अपनी

उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं हमने तो कभी आलोचना नहीं की, जनता के बीच में भी आपकी आलोचना नहीं करते। इतना जरूर कहते हैं कि क्यों आप रोजाना गवर्नर हाउस से ही हमारी सरकार बर्खास्त कराने की बात करते हैं। आप जनता के बीच हमको बर्खास्त करने की बात करो तो हम प्रजातंत्र में चुनौती स्वीकार भी करें। हम तो चुनौती भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

हमने तो फरवरी में चुनाव कराने की मांग की लेकिन आप सब लोग ही इलेक्शन कमीशन के पास गए और फरवरी में चुनाव न कराने की मांग की। हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव में जाने के लिए हम तैयार हैं रोज षडयंत्र किये जा रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव न हों तमाम तरह की बातें कही जाती हैं जिनको मैं कहना नहीं चाहता हूं। कहीं न कहीं एक डर आप लोगों के मन में बैठा हुआ है। हमने तो अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जाने की बात कही है। उन उपलब्धियों को कैसे भूल जायेंगे। बिजली के बारे में मैं कहना चाहता हूं टण्डन जी आपको तो मालूम है अनपरा सी क्यों नहीं लगा आपस में मतभेद और एक दूसरे का विश्वास न होने के कारण यह हुआ। दादरी प्रोजक्ट में चुके हुए नेता जिन्होंने हमेशा विश्वासघात किया है, विरोध कर रहे हैं वह विरोध करें तो कोई बात नहीं लेकिन कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है। ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने खुलेआम उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की खुलकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम किया। हम 7 हजार मेगावाट निजी क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। एक हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हमने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है। इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे ? किसानों के बारे में कहा जा रहा है कि गन्ना मूल्य कम है आप उन राज्यों से तुलना करेंगे जहां दो-दो, चार-चार चीनी मिलें लगी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में 132 चीनी मिलें लगी हैं तो उन राज्यों से तुलना कीजिए जहां पर ज्यादा चीनी मिलें लगी हों। कुछ लोग गलत फहमी फैला रहे हैं कि गन्ना किसान आन्दोलित है कहीं पर कोई किसान आन्दोलित नहीं है न ही कहीं कोई असंतोष है। कौकब साहब मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरी है आपको मजबूरी में साथ देना पड़ा यह मैं खुद जानता हूं। आपके नेता से मेरी बात हुई थी उनसे भी मैंने कहा था जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था उसी समय मैंने कहा था चौधरी साहब गलतफहमी मत पालिए अगर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा तो उत्तर प्रदेश में आपको हैसियत मालूम हो जायेगी पता लग जाएगा कि किस हैसियत में हैं। आने वाले दो महीनों में आपको पता लग जायेगा कि आपकी क्या स्थिति है। सत्ता का रस चूसकर साथ छोड़ने वालों को जनता कभी माफ नहीं करती है। श्रीमन् हमारी सरकार ने किसानों को गेहूं का मूल्य 800 रुपये से ऊपर दिलाया जबकि केन्द्र सरकार ने गेहूं का मूल्य 600 रुपये तय किया था उस समय हमने विरोध किया था और उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों को खुले बाजार में 800 रुपये से ज्यादा मूल्य मिला। हमारे नेता ने एक हजार रुपये में गेहूं बिकवाने की बात कही है। हमने धान का मूल्य किसानों को दिलाया पिछले तीन सालों से आलू किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है जबकि पहले आलू सड़क पर पड़ा रहता था। इस सरकार के समय में सड़क और पुल निर्माण के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये की

व्यवस्था की गई हर दूसरे दिन एक पुल उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। परिवहन व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं पहली बार हमने परिवहन निगम को लाभ की स्थिति में पहुंचाया है। इस उपलब्धि को कैसे भुलाया जाएगा। चारों तरफ विकास हो रहा है व्यापारियों को जिन्दगी भर आपने गुमराह किया और अपना वोट बैंक समझा उस व्यापारी का अगर किसी ने काम किया है तो मुलायम सिंह जी ने काम किया है। आपने वैट का विरोध किया लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार थी वहां पर वैट लागू कर दिया लेकिन उत्तर प्रदेश में वैट लागू नहीं किया गया। अब क्यों न व्यापारी हमारा समर्थन करें। तहबाजारी हमने समाप्त की। व्यापारियों, वकीलों के हित में हमने काम किया बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता हमने दिया हमने रोजगार भी दिया समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी नीतियां अपनाने वाली सरकार के विरोध का जवाब क्या जनता में दे पायेंगे।

आप राष्ट्रीय दल हैं लेकिन राष्ट्रीय दल को उत्तर प्रदेश में आज आधार ढूंढना पड़ रहा है। कांग्रेस तो उन लोगों से समझौता कर रही है जो दल हैं ही नहीं। उनके नाम मैंने नहीं सुने थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनसे समझौता कर रही है। कांग्रेस 3 जिलों का एक दल, डेढ़ जिलों का दल, ऐसे दलों से समझौता कर रही है। आखिर कांग्रेस की यह हालत क्यों हुयी आपने इस पर कभी सोचा है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को रोज बर्खास्त करने की बात करेंगे लेकिन गुजरात के मुख्य मंत्री मोदी को रोज एवार्ड देने की बात कर रहे हैं। आपने राजीव गांधी फाउन्डेशन में नम्बर एक का मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी को बनाया है। आप धर्मनिर्पेक्षता की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के काम में रोज रोड़ा, रोज अवरोध डालते हैं और कहते हैं कि केन्द्र से मदद कर रहे हैं। आप क्या मदद कर रहे हैं हमारी सारी योजनाओं को रोक दिया गया, सारा पैसा रोक दिया गया है। केन्द्र से हम रोज कहते हैं कि हमारी योजनाओं को स्वीकृति दीजिये। आपको खुद याद है कि जब हम लोग ऊर्जा मंत्री के पास गये थे और कहा था। हजार मेगावाट बिजली हमें दे दीजिये तो उन्होंने क्या शब्द कहे थे, "आप रोज हमारे खिलाफ बयान दें, हम बिजली कैसे दे दें"। एक मंत्री का उत्तर प्रदेश के प्रति यह कहना क्या शोभा देता है और फिर भी आप कह रहे हैं कि केन्द्र हमें मदद दे रहा है। दिल्ली की मुख्य मंत्री ने हमारी बसों को जबरदस्ती रोक दिया। हमने कितना अनुरोध किया कि बसें चलने दीजिये लेकिन वह जिद पर अड़ी रहीं कि उत्तर प्रदेश की बसों को नहीं चलने देंगे। आखिर इतनी घृणा क्यो ? आप यह मत सोचिये कि यह ज्यादा दिन चल पायेगा। बिना उत्तर प्रदेश के देश में कभी भी आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है। यह गलतफहमी आप निकाल दीजियेगा। अटल जी विरोध करें तो मैं मान सकता हूं लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। हमने भा0ज0पा0 को उत्तर प्रदेश में समाप्त किया। 40-50 से हम उनको दस पर ले आये। अब यह विरोध करें तो हमारी समझ में आ सकता है लेकिन टिहरी से जो अटल जी कह रहे थे वही इनके दल वाले लखनऊ और दिल्ली से कह रहे थे कि मुलायम सिंह की सरकार बर्खास्त की जाय और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाय। किसकी हैसियत है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करे। बर्खास्त करके देखिये। हम बहुमत साबित करना चाहते हैं, हमने कब कहा कि हम बहुमत साबित नहीं करना चाहते। तीन साल आप

हमको समर्थन देते रहे और तीन साल हमारा विरोध करते रहे। उत्तर प्रदेश से आपने उत्तराखण्ड अलग कर दिया। उत्तर प्रदेश के साथ विश्वासघात किया किसने किया, टण्डन जी उत्तराखण्ड आपने अलग करके उत्तर प्रदेश के हित में काम नहीं किया। इन्होंने सारी छूट उत्तराखण्ड को दे दी कि उत्तर प्रदेश किसी तरह गिरे। हमारे उद्योग धंधे उत्तराखण्ड में भागें क्योंकि वहां इन्कम टैक्स फ्री, इक्साइज ड्यूटी फ्री, कस्टम फ्री, सब चीजें फ्री कर दिया और उसके बावजूद भी सबसे अधिक पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में यदि हमने करवाया तो क्या यह कीर्तिमान नहीं है। इसका कैसे आप विरोध करेंगे।

मौर्या जी आप सी0बी0आई0 की मांग करते हैं, हर बात में सी0बी0आई0 की मांग करते हैं, इलाहाबाद गये तो सी0बी0आई0, लखनऊ आये तो सी0बी0आई0, जब मायावती के खिलाफ सी0बी0आई0 की जांच हुयी तो आप बहुत विरोध कर रहे थे। आप सिर्फ एक मांग और कर लीजिये आपके यहां जैसे टिकट बंटते हैं उसकी भी सी0बी0आई0 की जांच करवा दीजिये। आप एक बार मुख्य मंत्री जी से कहिये तो हम लोग मुख्य मंत्री जी से कहेंगे कि आप रिकमेंड कर दीजिये केन्द्र सरकार से कि इस मामले की जांच हो जाय कि टिकट का बंटवारा कैसे होता है। बहुत चीजें मैं कहना चाहता हूं। आपकी गलतफहमी है कि सत्ता में आ रहे हैं थोड़े दिनों में आपको इसका पता लग जायेगा। हमने उत्तर प्रदेश को सब कुछ दिया है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। धन की कमी नहीं है, वि[illegible] अनुशासन है, 70 प्रतिशत पैसा हम यूटीलाइज कर चुके हैं जनवरी में कभी हुआ ? पहले 31 मार्च को पैसा रिलीज होता था और पैसा पी0एल0ए0 में चला जाता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पास कराते ही सबसे पहले हम लोगों को लेटर लिखा कि 10 अप्रैल तक बजट का पूरा रिलीज हो जाना चाहिये जिससे कि वित्तीय वर्ष का काम शुरू हो जाय। आज उसी का नतीजा है कि 70 प्रतिशत पैसा विकास पर खर्च हो चुका है और उत्तर प्रदेश में खुलेआम विकास दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था के नाम पर चर्चा करते हैं, माननीय प्रमोद जी आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें। श्रीमन् एन0एच0आर0सी0 ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उत्तर प्रदेश में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 31, 47 मर्डर, 1.58 डकैती उसमें उत्तर प्रदेश में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 31.47 मर्डर, 1.58 डकैती, 6.70 रेप और किडनैपिंग की 16.28 है। श्रीमन् बिहार हमसे बहुत ऊंचे हैं, बिहार में प्रत्येक 10 लाख पर 38.64 प्रतिशत मर्डर है, 13.49 डकैती, 12.77 रेप, 29.98 और दिल्ली आ जाइये जहां पर यह लोग बहुत दूर, रोज आरोप लगाते हैं, दिल्ली का भी देख लें, यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की न तो पुलिस पर इन्हें विश्वास है और न उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर इन्हें विश्वास है उत्तर प्रदेश की पुलिस से इनका विश्वास खत्म हो गया बस सी0बी0आई0 पर इन्हें विश्वास रह गया है। हम भी यही कह देते कि जब इन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं है तो हम सी0बी0आई0 पर कैसे विश्वास कर लें भारत सरकार की पुलिस पर, आखिर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर राज्यों को छूट दी गई है, राज्यों का अपना अधिकार है, उन अधिकारों का अगर दमन किया जायेगा तो राज्य इस बात पर विरोध करेंगे ही। श्रीमन् दिल्ली में

प्रत्येक 10 लाख पर 28.91 प्रतिशत मर्डर है, 1.07 डकैती, रेप का 41.79 है। उत्तर प्रदेश में 6.70 दिल्ली में 41.79 है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है यह भारत सरकार की रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़ रहा हूं।

महाराष्ट्र का भी श्रीमन् बताये देता हूं, महाराष्ट्र का है 25.41 मर्डर, 6.21 डकैती, 14.98 रेप, उत्तर प्रदेश में 6 परसेन्ट वहां 14 परसेन्ट और दिल्ली में 41 परसेन्ट, जिस देश की राजधानी ही महिलाओं के लिए सुरक्षित न हो और वह आज कहे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। आप ही की रिपोर्ट में तो सबसे खराब कानून व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश की है जहां आपकी सरकार है, नम्बर दो-तीन को भी ले लें तो वहां पर भी आपकी ही सरकार है। उत्तर प्रदेश तो बहुत नीचे है कानून व्यवस्था में, लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित षडयंत्र के तहत उत्तर प्रदेश में इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। हम तो कहते हैं खुलके चैलेन्ज है इस पर डिस्कसन हो जाय एक दिन सदन चल जाय पूरे दिन सदन में बैठ के एक-एक बिन्दु पर आप डिस्कसन कर लीजिए, कानून-व्यवस्था पर मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सामने आनी चाहिए। गलत प्रचार खत्म होना चाहिए। मैं तो अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि हमारा विरोध लिखिये लेकिन हमारे पक्ष का भी तो लिख दीजिए जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, सही लिखिये, मैं गलत नहीं, मैं तो पक्षपात नहीं चाहता, उत्तर प्रदेश की सरकार में जो सही हो उस पर भी लिख दीजिए, गलत आंकड़े दीजिए साथ में सही भी दे दीजिए, जनता के सामने सारी स्थिति आ जायेगी। श्रीमन्, में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं चुनाव जल्दी आने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज घोषणा की है कि 10 मई तक उत्तर प्रदेश में चुनाव करा देंगे और वैसे भी बाध्यता है जुलाई में महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव है, बिना उत्तर प्रदेश की असेम्बल के महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव सम्भव भी नहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा वोट वैल्यू अगर किसी की है तो उत्तर प्रदेश की है। चुनाव सामने आ गये हैं अब क्या है ? चल रहे हैं जनता के सामने हम तो मुख्य मंत्री जी तो रोज जनता के सामने रहते हैं हम लोग जनता के बीच में हैं, आप अखबारों में रहिये ईश्वर आपको अखबारों में बनाये रखे, हम तो ईश्वर से यही कहेंगे कि आप अखबारों में बने रहे, हम लोग जनता में बने रहे, जो जनता में होगा जय जनता उसकी बोलेगी। भविष्य समाजवादी पार्टी का है और तीन चौथाई बहुमत से लौटेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देता हूं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर .....

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य जरा समय का भी ध्यान रखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, समय आप ही तय कर दें।

श्री उपाध्यक्ष-

समय पहले से ही तय है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं उस अभिभाषण पर जो महामहिम राज्यपाल ने इस सदन के अन्तर्गत पढ़ा नहीं उस अभिभाषण पर जिसको माननीय अध्यक्ष जी ने भी पूरा नहीं पढ़ा। उस अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए और उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उस पुलिन्दे के अन्तर्गत सरकार की उपलब्धियों और सरकार के बारे में बहुत बड़े-बड़े बखान किये गये प्रारम्भ किया गया कि इस सरकार के रहते हुए लोकतंत्र मजबूत हुआ है, मान्यवर, मैं ही नहीं पूरा प्रदेश इस बात को जनता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जो सबसे मजबूत, निचली पायदान होती है जो ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं जो गांव-गांव के अन्तर्गत चुनाव होते हैं जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं मान्यवर, उन चुनावों के अन्तर्गत जिस प्रकार की धान्धलीगिरी हुई है मान्यवर, पंचायतों के चुनाव में तो बी0डी0सी0 सदस्यों को उठाकर ले जाया गया उनका अपहरण कर लिया गया। मान्यवर, इसी औरैया के अन्तर्गत मान्यवर, चुनाव के दौरान कुछ लोगों की हत्यायें कर दी गयीं। मान्यवर, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह से हत्याएं हो रही हों और उसके बाद भी उसको मजबूत कहा जाय तो यह बड़ा दुर्भाग्य है। प्रदेश के अन्दर जिस विकास की बात करते हैं, जिस विकास परिषद् की बात करते हैं विगत साढ़े तीन वर्षों में मैंने नहीं देखा कि कहीं कोई एक भी इन्डस्ट्री लगी हो, एक भी उद्योग लगा हो। कौन से जिले के अन्दर लगी हो बता दें। कानपुर में एक डंकन फर्टिलाइजर है। सरकार ने कृपापूर्वक उसको चलाने के लिये पैसा दिया कि वह चले। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया। उसको रिव्यू पैकेज देने के दो महीने बाद ही वह बन्द हो गयी। इस तरह से अपने पास से आर्थिक सहायता देने के बाद वह बन्द हो गयी तो इसकी सी0बी0आई0 से जांच करवाई जाय नहीं तो प्रदेश सरकार इसकी जांच करे कि पैसा देने के बाद भी वह बन्द क्यों हो गई। इसी तरह से एल0एम0एल0 को बन्द कर दिया गया प्रदेश के अन्दर जिस इन्डस्ट्री को पैसा दिया वह बन्द हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह कह रहे थे कि सरकार की अच्छाइयों के बारे में व्यापारियों से पूछ लीजिए। सत्ता पक्ष के सदस्य ताली बजा रहे थे। हमने व्यापारियों से जाकर पूछा तो वो कहते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक दुकान में बैठकर मेहनत से पैसा कमाते हैं और शाम को जब पैसा लेकर निकलते हैं तो यह डर लगा रहता है कि हम घर पहुंच पायेंगे कि नहीं इसकी गारन्टी नहीं। जिस समय पूरे दिन की मेहनत के बाद दुकान से घर जाते हैं तो रास्ते में हत्या कर दी जाती हैं हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यह बताया कि इस सरकार के समय में हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे परिवार सुरक्षित नहीं हैं। हमने उनसे कहा कि आपका तो उद्योग व्यापार

अच्छा चल रहा है तो वे कहते हैं कि बिजली आती नहीं। अगर बिजली की मांग के लिये सड़कों पर उतरते हैं तो सेवन क्रिमिनल ऐक्ट का मुकदमा लगा दिया जाता है इस बारे में मैंने सदन को पहले भी जानकारी दी थी और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बताया था तो उन्होंने कहा था कि उनके मुकदमें वापस ले लिये जायेंगे। मान्यवर, चूंकि वे व्यापारी हैं अपना काम करते हैं बिजली की मांग करते हैं तो उन पर इस तरह का मुकदमा लगा दिया। आपने कहा कि जाकर छात्रों से पूछिये। मैंने कानपुर में छात्रों से कहा कि सरकार ने तो आपको बड़ी उपलब्धियां दी हैं आप तो बड़े प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा कि हां बड़े प्रसन्न हैं, उन्होंने हमारे हास्टल बन्द करा दिये। हमने अपने परिवार को भेजा कि उनकी बात सुन ली जाय तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। छात्र जब सड़कों पर उतर आये तो उनके ऊपर सेवन क्रिमिनल ऐक्ट लगा दिया। इस तरह से व्यापारी अगर बिजली के लिये सड़क पर आ रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा और छात्र अपनी बात के लिये आ रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं कुछ महिलाएं विद्युत आपूर्ति के लिये विद्युत स्टेशन पर जाती हैं कि हमको बिजली नहीं मिल रही है, हम खाना नहीं पका पा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी सेवन क्रिमिनल का मुकदमा कायम किया जा रहा हैं व्यापारियों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ इस तरह से मुकदमें कायम किये जा रहे हैं किस प्रकार से यह प्रदेश चल रहा है ? किसी अपराधी के खिलाफ मुकदमा कायम हो तो ठीक है लेकिन यहां तो अपराधी स्वछन्द रूप से घूम रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लग रहा है।

मैं प्रमाण के साथ बता सकता हूं कि आज अपहरण होता है तो उसमें पुलिस के लोग दलाली करते हैं कानपुर में चकेरी थानान्तर्गत सन्तोष नामक एक महिला का बेटा जो टैक्सी ड्राइवर है। एक टैक्सी ड्राइवर मुश्किल से 1500 और क्लीनर 800 रुपया पाता है उनका अपहरण हो जाता हैं अपहरण करके अपहरणकर्ता उनको प्रदेश में जो मशहूर जिला है इटावा वहां ले जाते हैं। इसमें पुलिस वाले दलाली करके इन अपहृत लोगों को छुड़ा लेते हैं। अगर किसी बच्चे का अपहरण हो जाय तो दलाली के बाद उसको छोड़ दिया जाता हैं अगर कहीं पर दलाली नहीं हो पाती है तो जिस तरह से कानपुर में कनिष्क जैसे बच्चे की हत्या हो जाती है। इसी तरह से निठारी में दो वर्ष के भीतर 33 बच्चों की हत्या हो गई। पता नहीं और कितनों की हुई हो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने इसमें जिन लोगों को सस्पेंड किया है उनके खिलाफ 120 बी का मुकदमा लगाइये। उनको भी उस षडयंत्र का हिस्सेदार बनाकर यह मुकदमा लगाइये। केवल सस्पेंड कर देने से उन उन परिवारों को न्याय नहीं मिलने वाला। यह किसी भी प्रकार की बात जो हम कहेंगे उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के बारे में कहा, मान्यवर, खाद नहीं मिल रही है ब्लैक में ले रहे हैं। मान्यवर, परम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सिंचाई के लोग तीन साल तक मलाई खाते रहे। सिंचाई का बुरा हाल था। मान्यवर, वह अगर तीन साल तक मलाई खाते रहे सिंचाई का बुरा हाल था तो आप मुख्य मंत्री थे आपको उन्हें

बर्खास्त कर देना चाहिए था इसको छोड़कर और अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती थी। आपको ऐसे लोगों को जिनको आप कह रहे हैं इन्होंने सत्ता में रहकर मजा लिया, जिनको आप कह रहे हैं सत्ता में रहकर मलाई खाई। जिनको आप कह रहे हैं सिंचाई विभाग इनके पास था इसलिए प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल रही थी अगर सिंचाई की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल रही थी तो उनको भी बाहर कर देना चाहिए था और उनके मुखिया को भी बाहर कर देना चाहिए था। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं जितने भी अपराध हुए हैं जितने घोटाले हुए हैं जिसके कारण किसान को पानी नहीं मिल रहा है इसकी जांच करवा लें। मान्यवर, जो आपको छोड़कर गए हैं आप हिम्मत करके उनकी जांच करवा लीजिए। उनके खिलाफ कार्यवाही करके अगर उन्होंने अपराध किया है तो उनको जेल में भिजवा दें। अगर उन्होंने अपराध किया है तो यह कहकर कि वह मलाई खाकर चल दिए हैं इतने से मान्यवर, प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है इससे प्रदेश की जनता के सामने उनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। मान्यवर, अगर हिम्मत हो तो ऐसे दल के सदस्य के लिए जो एक दल से दूसरे दल में टापता हुआ पहुंच जाता है अगर उसमें हिम्मत हो तो जिस दल से चुनकर आया है उस दल से इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाकर फिर चुनाव लड़कर उस दल में जाए और उस पार्टी का सदस्य बने तब उसको इस बात को कहने का अधिकार है वरना उसे कहने का अधिकार नहीं है। जाते-जाते चुनाव के बीच में अपनी बात कहकर आते मान्यवर, बस अन्तिम बात कहूंगा हमारे कांग्रेस के सदस्य और समाजवादी पार्टी के सदस्य दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं आरोप केवल इस बात पर लगाते हैं कि मैं मुसलमानों का अच्छा हितैषी हूं। इसके अलावा इन लोगों के पास आरोप लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं हैं साढ़े तीन साल तक, पौने चार साल तक जो सत्ता को समर्थन दे रहे थे आज जब समर्थन से वापस हो गए, हमको कहते हैं कि हम मिले हुए हैं आपने महामहिम राज्यपाल को समर्थन का पत्र दिया था, अब थोड़े दिन पहले समर्थन वापस लेने का पत्र दिया। अगर समर्थन नहीं दिया तो वापस लेने क्या गये थे। अगर समर्थन दिया था तो प्रदेश विगत साढ़े तीन सालों से जिस त्रासदी से गुजर रहा था इसके जिम्मेदार दोनों हैं। मान्यवर, अब चुनाव आने वाले हैं पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

इनके पता चलेगा लोक शक्ति की ताकत सबसे बड़ी होती है। मान्यवर, मैं इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। चारों ओर अंधेरा है रोशनी करने का काम अब प्रदेश की जनता दो महीने में करेगी। इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में बोलने के पश्चात् अपनी बात समाप्त करता हूं।

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय डा0 पी0 के0 राय द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि पिछले काफी दिनों से जो लोग राजभवन के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते थे 18 जनवरी को महामहिम राज्यपाल ने उन सबके इरादों पर तुषारापात करने का काम किया जब महामहिम राज्यपाल ने इसी पीठ से खड़े होकर अपना अभिभाषण जिसमें इस सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र किया और जिसमें सबसे पहले कहा इस प्रदेश की कानून व्यवस्था दूसरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी है और मान्यवर, पूरा संतोष उन्होंने जाहिर किया, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, और उत्तर प्रदेश के विकास की ओर बढ़ते कदमों की ओर। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है जब इसका आजादी के बाद का इतिहास लिखा जाएगा तो साढ़े तीन साल का यह समाजवादी पार्टी का समय स्वर्णिम काल कहलाएगा। मान्यवर, इन तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश ने जो विकास की ऊंचाइयां छुई हैं मैं पिछले तीस वर्षों से इस माननीय सदन का सदस्य रहा हूं लेकिन मुझे गर्व होता है कि तीन वर्षों में विकास हुआ है विश्वास नहीं होता है। मान्यवर, यह वही लखनऊ है जो प्रधान मंत्री का लखनऊ कहा जाता था लेकिन साढ़े तीन वर्षों में समाजवादी पार्टी का लखनऊ देख लीजिए राजधानी का रंग रोगन देख लीजिए। सड़कें देख लीजिए, सड़कों का सौन्दर्यीकरण देख लीजिए। विकास कार्यों को देख लीजिए यह मैं राजधानी का उदाहरण दे रहा हूं राजधानी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को संवारने का काम किया गया मान्यवर तीन वर्षों में 15 हजार करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर राज्य सरकार ने व्यय करने का काम किया है। आज तक जिन तमाम दुरूह पुलों को बनाने की कल्पना भी सरकारें नहीं कर पायी थीं, हमारी सरकार ने उन पुलों का शिलान्यास ही नहीं किया, वह चालू भी हो गये हैं। जितने बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हुआ है वह पहले कभी सम्भव नहीं हुआ। जिस प्रकार गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए तेजी से कदम उठाये गये हैं, जितने बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण का काम किया गया है, बिजली उत्पादन के लिए जो कदम उठाये गये हैं, उसका महामहिम राज्यपाल जी ने भी स्वागत किया है। जहां पर उद्योगपति, औद्योगिक इकाइयां लगाने से तौबा करते थे, 8 साल तक बसपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक भी औद्योगिक घराना उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने को तैयार नहीं हुआ। जब से यह सरकार बनी है, बड़े औद्योगिक घराने यहां पर उद्योग लगाने के लिए लालायित हैं। 5700 करोड़ रुपये का निवेश केवल चीनी उद्योग के क्षेत्र में हुआ है। सरकार की नई चीनी नीति का ही नतीजा है कि 28 नई चीनी मिलें यहां लगी हैं। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी बड़े औद्योगिक घराने आ रहे हैं, औद्योगिक निवेश निरन्तर बढ़ रहा है। मान्यवर, आज जो दल विपक्ष में बैठे हैं, उनकी आलोचना मैं सुन रहा था। अब आलोचना के लिए बहुत लम्बा समय नहीं है, अब परीक्षा के लिए जाना है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। जितनी आलोचना आपने की है, उसका जवाब आपको जनता के

बीच में देना होगा। आप कन्या विद्या धन और बेरोजगारी भत्ता को खैरात बता रहे हैं, जब आप जनता के बीच में जायेंगे, नौजवान आपसे उसका जवाब मांगेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कन्या विद्या धन योजना को चालू करके कन्याओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। अब गरीब घरों की बेटियां भी इण्टर पास कर ले रही हैं और हर एक संरक्षक चाहता है कि उसकी बेटी इण्टर पास कर ले ताकि कन्या विद्या धन का पैसा उसे भी मिल जाए। इससे कन्याओं की शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जो बच्चे बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी के लिए फार्म भरने के लिए अपने मां-बाप से पैसा मांगना पड़ता था, हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देकर उनमें आत्म विश्वास पैदा किया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने 6 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी है, चाहे शिक्षा मित्र के रूप में हो, चाहे पंचायत मित्र के रूप में हो, जिस पर 10 साल से ताला लगा था, हमारी सरकार ने 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम किया है। 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। मान्यवर, आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो वकील कचहरी में बैठे हैं, वह फूस के छप्परों के नीचे बैठकर काम करते थे, आज वह अच्छे वातावरण में बैठकर मुवक्किल के मुकदमें की तैयारी करते हैं। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष करके हमारी सरकार ने शिक्षकों की कमी को पूरा करने का काम किया है और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करके चाहे माध्यमिक, उच्च या बेसिक शिक्षा हो, उनमें शिक्षकों की कमी को पूरा किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, उतना काम आज तक कभी नहीं हुआ। चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या बेसिक शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में 5 मेडिकल कालेज हैं, इस सरकार ने तीन नये सरकारी मेडिकल कालेज स्थापित किए हैं। इन मेडिकल कालेजों में अत्याधुनिक सुविधायें होंगी और यह सभी पिछड़ी क्षेत्रों में खोले गये हैं। मान्यवर, डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करके विधि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य सरकार ने किया है। डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, विधि के क्षेत्र में विश्व स्तर का एक संस्थान होगा। ऐसे संस्थानों के निर्माण, उनकी गुणवत्ता और स्तर को देखते हुए आज लखनऊ शिक्षा की राजधानी बनता चला जा रहा है इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से पढ़े हुए छात्रों का देश के बाहर बहुत तेजी से समावेश हो रहा है वह देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। यह प्रदेश के शैक्षिक वातावरण का जीता जागता नमूना है। मैं इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत दिनों से एक कोहरा छाया हुआ था हमारी राजनीति के अन्दर लेकिन महामहिम राज्यपाल जी ने उस कोहरे को समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है कि उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से निरन्तर आगे बढ़ा है, यहां पर विकास के कार्य हुए हैं, विकास कार्यों की प्रशंसा की है, कानून व्यवस्था की प्रशंसा की है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ता ने वैट की बात कही थी कि यह नहीं लगना चाहिए। जब वैट लगाने की बात आयी तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में इसको लगाने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हमारे

मुख्य मंत्री जी ने वचन दिया था कि वैट नहीं लगायेंगे, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के सम्मान के लिए वैट नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि हम बिना व्यापारियों की सहमति के वैट नहीं लगायेंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी जो कहते हैं कि वह करते भी हैं। इसके पूर्व जो मुख्य मंत्री थे वह सिर्फ घोषणा मंत्री थे लेकिन हमारे मुख्य मंत्री, मुलायम सिंह यादव जी ने अपने खजाने और अपनी नीतियों को देखकर जो कहा वह किया है। जो उन्होंने अपने घोषणा-पत्र में बातें कही थी उन बातों को पूरा करने का काम किया है । जो उन्होंने घोषणा-पत्र में वायदे किये थे उन वायदों को पूरे करने का काम किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ऐसा सौभाग्यशाली प्रदेश है जिन्हें मुलायम सिंह यादव जी जैसा मुख्य मंत्री मिला। इन्हें ऐसे ही धरती पुत्र नहीं कहा जाता है यह जमीन से जुड़े हुए हैं और सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि हैं। आज समाजवादी पार्टी ने धर्म और जाति को मिटा दिया हैं तीन साल में उसने किसी भी जाति का विभेद नहीं किया है। वह सारे समाज को लेकर चलने की बात कहते हैं और किया भी है। हमारे विपक्ष के लोगों ने जो उनकी आलोचना की है तो पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। इनके मन में यह भरा है कि जो यह स्वयं नहीं कर पाये उसे समाजवादी पार्टी ने करके दिखा दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, अभी नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा तथा और भी अन्य नेताओं ने धन्यवाद प्रस्ताव को झूठ का पुलिन्दा बताते हुए अपनी बात रखी है। मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के लोग अपनी पीठ तो थपथपायेंगे लेकिन धरातल पर क्या है यह वह लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मान्यवर, जैसा कि कहा गया कि विपक्ष के लोगों ने कानून-व्यवस्था पर हाय तौबा मचा रखी है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर विकास की नींव रखी जाती है। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने घृणित कार्य इस सरकार में हुए हैं, कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ायी गयी हैं इस सरकार में वह कभी नहीं हुई हैं। मान्यवर, निठारी काण्ड इसका जीता जागता नमूना है। मान्यवर, यह दिल्ली के नजदीक था, नोयडा दिल्ली के नजदीक है लेकिन जब वहां एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस वाले कैसे एफ0आई0आर0 लिखते होंगे। मान्यवर, वहां पर एक पुलिस विभाग में टेस्ट एफ0आई0आर0 भी किये जाते हैं। मान्यवर, 2 सालों से निठारी में बच्चों के साथ दुराचार करके उनकी हत्यायें होती रही और उनके परिवारजन जब बार-बार अपलीकेशन दे रहे थे तो एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो रही थी। मान्यवर, दरोगा से लेकर सी0ओ0, एस0पी0, डी0आई0जी0

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनेक चैनल पुलिस विभाग में बने हुए हैं लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। मान्यवर उनको देखने के लिये जो टेस्ट एफ0आई0आर0 होती है दो साल में वह एफ0आई0आर0 नहीं करायी गयी। क्या उन बच्चों के परिजन इन अधिकारियों से नहीं मिले थे। मान्यवर, दिल्ली के नजदीक होने के कारण वहां के लोगों ने जरूर हर जगह फरियाद की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। मान्यवर, चाहे आज सत्तारूढ़ दल के लोग आंकड़े प्रस्तुत करके कहें कि उनके यहां की कानून व्यवस्था दिल्ली और दूसरे प्रदेशों से बहुत अच्छी है लेकिन यह सही है कि उत्तर प्रदेश में एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती है। उसका उदाहरण यह निठारी काण्ड है। आप जो कह रहे हैं आप अपने किसी परिजन को पुलिस थाने भेज दीजिये कि कोई चोरी की एफ0आई0आर0 लिख जाये तो जो कहियेगा मैं शर्त हार जाऊंगा। मान्यवर, जब तक सत्तारूढ़ दल का दबाव नहीं पड़ता तब तक एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती है। आप सही कह रहे हैं, बहुत बार तो सत्तारूढ़ दल के लोग भी कहते-कहते थक जाते हैं और जब धरने पर बैठते हैं तब मुश्किल से एफ0आई0आर0 दर्ज होती है। मान्यवर, निठारी काण्ड में एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी जिसका कारण है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो गयी। मान्यवर, अभी यहां पर श्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं इनके जिले में एक घटना हुई और इनकी पार्टी के एक बड़े नेता बेनी प्रसाद वर्मा जी कह रहे हैं कि न्याय नहीं हो रहा है मान्यवर, जब बेनी प्रसाद जी जैसे धुरन्धर नेता कहते हैं कि न्याय नहीं हो रहा है तो बाकी के साथ क्या स्थिति हो रही होगी इसको समझा जा सकता है। मान्यवर, मैं पिछले तीन वर्षों में प्रदेश भर में तो नहीं घूम पाया हूं लेकिन अपने जिले की बात बताता हूं। मान्यवर, मैं भदोही जिले से, बनारस जिले से आता हूं भदोही जिले में डी0एम0 के गनर ने गोली मारी गिरीश पाण्डे को उसका भेजा उड़ गया और उसमें एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। आपके मिनिस्टर या अधिकारी वहां चले जाये और देख आये कि एफ0आई0आर0 लिखी गयी है। यदि लिखी गयी है तो वह क्या है। मान्यवर, अगर वह पुलिस की गोली से न मरा हो तो मैं जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। मान्यवर, 18-20 साल की उसकी पत्नी विधवा हो गयी उसके दो बच्चे अनाथ हो गये। आपके विधायक गये थे और 50 हजार रुपये दिये। मैंने इसी सदन में उसकी सी0आई0डी0 जांच की मांग की थी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना बयान दे दिया। वह जो जिले से रिपोर्ट आयी थी अगर आपने उसको पढ़ लिया होता तो भी स्थिति स्पष्ट हो जाती कि डी0एम0 और एस0पी0 सरेआम [× × ×] बोल रहे हैं। 4 बजे हत्या हुई उसको 2 किलोमीटर अपनी गाड़ी में लिटा कर ले गये और जब वह स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचा तो उसे मृत घोषित कर दिया गया मान्यवर, 4 बजे के बाद, एफ0आई0आर0 की बात 7 बजे होती है और उसमें 302 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस अपनी खुद की गर्दन को बचाने के लिए 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करती है और बाद में उसे 304 में दिखा रहे हैं और यही नहीं मृत के परिजनों को लाश तक नहीं दी जा रही है। इससे ज्यादा अन्याय और क्या हो सकता है।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, अभी की घटना है अधिकारीगण यहां बैठे हुए हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है कि जी0टी0 रोड पर स्थित पेट्रोल पम्प पर माफिया ने अपना कब्जा कर लिया है और उस कब्जे को हटवाया जाये। प्रमुख सचिव खाद्य विभाग की यहां से चिट्ठी जाती है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। मान्यवर, लानत है इस सरकार को। मान्यवर, पेट्रोलियम सेक्रेटरी कहता है कि इस तरह से माफिया ने इण्डियन आयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प पर कब्जा कर लिया है और उस पर प्रमुख सचिव खाद्य भी लिख रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। फिर भी कब्जा नहीं मिल रहा है इण्डियन आयल को।

एक सदस्य-

वह आपके गोल के हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, वह न मेरे गोल के हैं न आपके गोल के हैं, वह माफिया हैं। किसी भी गोल के हों कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है। इस प्रकार मान्यवर, अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जोकि शर्मसार कर दे रही हैं। आप कानून व्यवस्था जब तक नहीं ठीक करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। आप किसानों की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए हमने बहुत काम किये, कौन सा काम किसानों के लिए हुआ ? न उनको पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है उसके ऊपर तुर्रा यह कि खाद नहीं मिली। जब बोने का समय आया तो डी0ए0पी0 नहीं और जब छिड़कांव की बात आई तो यूरिया नहीं, यह कैसी व्यवस्था है ? आप किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। आज व्यापारियों से गुण्डा टैक्स लिया जा रहा है। आप कहेंगे कि हमने गुण्डों को नियंत्रित कर दिया, माफियाओं को नियंत्रित कर दिया। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो एक तरफ विनीत और एक तरफ दूसरे गुण्डों को लेकर यहां के मंत्री चल रहे थे और वही विनीत अब कह रहा है कि आज हम बहुत खराब हो गये। कल तक मंत्रीगण लेकर चल रहे थे गुण्डों को महिमामण्डित किया जा रहा था। एक तरफ जब गुण्डों को महिमामण्डित किया जायेगा दूसरी तरफ फिरोजाबाद में एस0पी0 को जूते मारे जायेंगे, लखनऊ में सी0ओ0 को बोनट पर घुमाया जायेगा तो पुलिस भी सोचती है कि जब इन्काउन्टर पर बंदिश हो गयी, सपा का झण्डा लगाकर नेता आ जायेगा तो कार्य करना है तो वह सोचता है कि 10 हजार रुपये मिल रहे हैं अपने बीबी बच्चों को खिलाइये, पिलाइये, एवार्ड मिलना दूर रहा, मैजिस्टीरियल जांच कराकर उत्पीड़न कराते हैं। इस प्रकार से कार्रवाई करके गुण्डों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ माफिया को बढ़ावा देंगे और दूसरी तरफ पुलिस को हतोत्साहित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, आज अभी विनोद तिवारी कह रहे थे कि थाने में जाकर मार दिया। दो-दो लोगों की हत्याएं थाने में हो रही हैं तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। जहां तक सवाल है अभी एक सज्जन ने आरोप लगाया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था मेरे क्षेत्र में मेरा नाम लेकर कि पैसा देकर टिकट लिया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था। मैं चुनाव लड़ा था और पूरी सरकार खड़ी थी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर पैसा देकर चुनाव लड़ना होता तो रंगनाथ मिश्रा कभी भी चुनाव नहीं लड़ता। यह सरासर झूठ है। यह गलतबयानी नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप आसन ग्रहण करें, मैंने भारतेन्द्र जी को बुला लिया है। अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(कुंवर भारतेन्द्र सिंह और श्री रंगनाथ मिश्रा के एक साथ बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

* कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। दो-तीन बिन्दुओं पर हमारे योग्य साथियों ने चर्चा नहीं की है। मैं इन 2-3 बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, 1970 से पूर्वी गंगा नहर परियोजना बनाई जा रही है, मुरादाबाद मण्डल में।

श्री उपाध्यक्ष-

संक्षेप में केवल बिन्दुवार कहिये।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मैं केवल वही बात कहूंगा जो अभी तक मेरे योग्य साथियों ने नहीं कही। पूर्वी गंगा परियोजना में पानी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा टिहरी बांध बनने के बाद गंगाजल में बढ़ गया है। इस हिस्से से हमें सबसे पहले पूर्वी गंगा नहर परियोजना में जिसमें हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, हजारों एकड़ भूमि किसानों की लेकर उसमें नहरें बन चुकी हैं और आज वह नहरें सूखी पड़ी हैं। सबसे पहले हमें प्राथमिकता पर, वहां पर इसे रबी, खरीफ की फसल के लिये सिंचाई उपलब्ध करवानी चाहिये। मान्यवर, यह दुःख की बात है कि जमुना कैनाल बनाकर गंगा का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पानी जमुना में डालने की योजना तो इस सरकार ने बना ली, जमुना में पानी डालने से गंगा का जल दूसरे प्रदेशों में चला जायेगा, जबकि बिल्कुल गंगा की तलहटी पर सबसे पहला जिला उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला आता है, वहां पर किसान सूखे से त्रस्त हैं और पिछले तीन वर्षों से सूखे की स्थिति का सामना पूरा प्रदेश कर रहा है और किसानों की जो दुर्दशा है, वह सबको मालूम है। केन्द्र सरकार को प्राकृतिक आपदा की रिपोर्ट प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक नहीं भेजी गयी है। केन्द्र सरकार से खाद्यान्न की मांग नहीं की गयी है और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि करोड़ों रुपया नाच-गाने में सैफई में खर्च किया जाता है, वही पास में बुन्देलखण्ड में किसान भूखा मरता है, आत्महत्या करता है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं सैफई में। काश यह पैसा किसी खाद्यान्न बैंक में लगाया जाता, काश यह पैसा सूखा राहत के लिये दिया जाता। इस विषय पर चर्चा हुयी थी, सूखा राहत पर प्रश्न लगाया था तो जवाब दिया गया था कि सूखा राहत को अब जिलावाइज नहीं, तहसीलवाइज देखा जायेगा किन्तु आज तक इसकी कोई घोषणा जिले में नहीं हुयी कि किन किसानों का नुकसान हुआ है, उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा। यह बात आई थी कि मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरियों में और मुरादाबाद में बहुत सूखाग्रस्त लोग हैं और अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। दस जिलों में मात्र 40 प्रतिशत से भी कम बारिश हुयी है समय से नहरें नहीं चल पाई हैं। माननीय मंत्री जी ने सदन में खुद बयान दिया था कि प्रदेश में 47 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े हैं। इस समय भी मान्यवर, वर्षा नहीं हो पाई है जो गेहूं बोने से पहले वर्षा होती है जिसके कारण फसल अच्छी होती है, समय से बो लिया जाता है, यूरिया डालने से पहले थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो यूरिया डाल दिया जाता है उसके कारण गेहूं की फसल खराब हो गयी। बरसात नहीं हुयी तो धान की फसल खराब हुयी, सरसों की खराब हो गयी है, तिलहन, दलहन, ज्वार, मक्का और गन्ना सब पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई नया बिन्दु लें।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह सारे विषय बड़े जरूरी है, मैं कृषि प्रधान क्षेत्र से आता हूं। यह सब दैवी आपदा के कारण है जिस स्थिति में आज किसान है, यह बिजली विभाग और सिंचाई विभाग की अकर्मण्यता है। क्योंकि ट्रांसफारमर महीनों तक फुंके रह रहे हैं। 47 प्रतिशत नलकूप नहीं चल रहे हैं, नहरों में पानी देर से दिया जा रहा है। राजस्व विभाग का यह आश्वासन था कि सूखा राहत की तहसीलों को चिन्हित किया जायेगा। वह अभी तक नहीं की गयी है और बिजली पानी का संकट भयावह है। खाद, कीटनाशक, डीजल, दवाई सारी चीजों की कीमतें बढ़ गयी हैं, लागत बढ़ती जा रही है, परिणामस्वरूप देश के अन्नदाता आज आत्मदाह जैसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

इस सबको लिखकर दे दीजियेगा।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बहुत सारे रंग-बिरंगे कार्ड जो गरीबों को बांटे गये हैं, लाल, पीला, हरा, सफेद, मगर गरीबों को जो मिट्टी का तेल मिलना चाहिये। वह नहीं मिल पा रहा है, मेरे अपने जिले में मिट्टी के तेल के पीछे लड़ाई में मर्डर हुए हैं। गरीबों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, वह ब्लैक में बिक रहा है। कल के टी0वी0 प्रोग्राम में आया, खुल करके एक कार्यकर्ता ने कहा कि सत्तू जो है डंगरों को दिया जा रहा है, बच्चों को सही मात्रा में नहीं दिया जा रहा है। गंगा नदी का प्रवाह परिवर्तित होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम राजाराम पुर और देवलगढ़ आपदा की स्थिति में आ जाते हैं, गंगा का जल बढ़ेगा तो यह दोनों गांव बह जायेंगे। मान्यवर, इसके लिए सिंचाई विभाग का कुछ जरूर आना चाहिए था। मान्यवर, हमारे जिले के उपाध्यक्ष की हत्या हो गई है, एफ0आई0आर0 में नाम नामित किये गये हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें साफ लिखा हुआ है कि चारों तरफ से उन्हें चोटें लगी हैं, ऐसा मान्यवर, एक्सीडेन्ट में कभी नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपकी बात आ गई है, आप समाप्त करें।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इसके बावजूद आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। मान्यवर, अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो लोकतंत्र कैसे चल पायेगा ? अभी-अभी नरेश जी ने बड़ी चतुरता से कुछ आंकड़े पेश किये थे कि उत्तर प्रदेश में 5 हजार 711 हत्याएं हुई हैं और बिहार में 471 हत्याएं हुई हैं। यह वही आंकड़े हैं, वही कागज है, मान्यवर, 1 हजार 217 बलात्कार और 1 हजार 564 दहेज हत्याएं हुई हैं, 2 हजार 955 अपहरण हुए हैं। मान्यवर, इस सबसे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार और दहेज हत्या ही जोर पर है और अगर उत्तम प्रदेश के यही मानक हैं तो हमारा प्रदेश निश्चित ही उत्तम प्रदेश है।

श्री उपाध्यक्ष-

आदित्य जी आप शुरू करें।

*श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमोद जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के सबसे विषम स्थिति वाले क्षेत्र बुन्देलखण्ड की ओर इस संशोधन के प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया था कि बुन्देलखण्ड की भौगोलिक स्थिति सबसे विषम है। आज बुन्देलखण्ड में त्राहि-त्राहि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मचा हुआ है, किसान परेशान हैं और वह भुखमरी के कगार पर है और वहां से पलायन कर रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। आज पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा पलायन दर बुन्देलखण्ड में है। वहां के 17 फीसदी लोग पलायन करते हैं और वर्तमान वर्ष में लगातार तीन-चार साल से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि तथा सूखे से वहां का पूरा भौतिक ढांचा ही चरमरा गया है। आज स्थिति यह है कि बुन्देलखण्ड के लोग आन्दोलन की राह पर हैं। वहां पीने के लिए पानी नहीं है, किसान के लिए नहरों में पानी नहीं है। मवेशी मर रहे हैं लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं और बुन्देलखण्ड से भाग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी बुन्देलखण्ड के अन्दर नलकूप डिवीजन था, उसमें करोड़ रुपये की राशि झांसी और उरई में गई थी लेकिन पूर्व में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे, उन्होंने जिस राशि से नलकूप सूखे के लिए स्थापित होना था वह पूरी की पूरी राशि असंवैधानिक ढंग से झांसी और उरई से हस्तान्तरित कर दी गई है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जहां पूरे प्रदेश में एक तरफ अराजकता, हत्याएं हो रही हैं वहीं बुन्देलखण्ड में लोग भूख से मर रहे हैं। सूखे के नाम पर कोई राहत सामग्री प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। जिसकी कि आज वहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं तो निरन्तर आत्म हत्याओं की संख्या में इजाफा होगा। जो डी0ए0पी0 है वह उत्तर प्रदेश में न बिक करके समीपवर्ती मध्य प्रदेश में बिक रही है।

मैं आपके माध्यम से जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद का वितरण है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डी0पी0ए0 खाद का वितरण उत्तर प्रदेश में न होकर के मध्य प्रदेश में हुआ है। एक तरफ राज्य सरकार से करोड़ों रुपये की सब्सिडी ली और किसानों को खाद नहीं मिली, दूसरी तरफ वह खाद मंहगे दामों में मध्य प्रदेश में बेच दी गयी। जो सिस्टम है पूरे का पूरा बुन्देलखण्ड का वह चरमरा गया है, मिट्टी के तेल का खाद का वितरण किसानों को नहीं हो रहा है। अगर आप किसानों की स्थिति देखें। आपके माध्यम से यह सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए और किसानों की वसूली स्थगित होनी चाहिए। बुन्देलखण्ड तमाम क्षेत्र जैसे-झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट को देखें सभी जगह किसान भुखमरी के कगार पर हैं। प्रदेश सरकार का ध्यान निर्माण कार्यों में लगा है, किसानो की तरफ कोई ध्यान नहीं है। झांसी के अन्दर सूती मिल थी, कालपी में हाथ से बनाये जाने वाला कागज का उद्योग था, रानीपुर में टेरीकॉट उद्योग था, ललितपुर के पाली में पान का उद्योग था तथा वनौषधि का भी बड़ा कार्य था, भरुआ समेरपुर में जूती का उद्योग था, ये सारे के सारे उद्योग राज्य सरकार की उदासीनता के कारण बन्द हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्य जिलों में जहां पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया लोग नक्सलवाद की राह पर चल पड़े है और हथियार उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार रोजी-रोटी के लिए कोई निर्णय नहीं ले रही है। बुन्देलखण्ड के लोगों का जहां तक भुखमरी का सवाल है, लोग आन्दोलन की राह पर है। प्रदेश सरकार के बड़े-बड़े नेता दिल्ली

में जाकर यह बात कहते हैं लेकिन बुन्देलखण्ड के लोगों को राहत देने के नाम पर क्या प्रयास किये गये हैं। बुन्देलखण्ड के किसानों की वसूली स्थगित होनी चाहिए। आज वहां पर आत्महत्यायें हो रही हैं, उस पर वक्तव्य सभी के आते हैं लेकिन कहीं कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। हमारा झांसी जिला बहुत ज्यादा उपेक्षा का शिकार है। मैंने माननीय मंत्री जी से भी आग्रह किया था, झांसी को वर्ष 2002 में नगर निगम घोषित कर दिया गया था परन्तु उसे बी टू ग्रेड की मान्यता नहीं मिली, वहां के पूरे के पूरे कर्मचारी आन्दोलन की राह पर है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी स्थिति यह है कि जो नगर पालिका का स्टाफ था वही स्टाफ है और बजट भी नगर पालिका की तरह पहुंच रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संवैधानिक दृष्टि से वर्ष 2002 में झांसी नगर पालिका को नगर निगम में परिवर्तित कर दिया गया तथा जो सुविधायें कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, जो स्टाफ नगर निगम में होना चाहिए वह नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के किसानों को स्पेशल पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। पिछली बार भी जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो आग्रह किया था कि बुन्देलखण्ड को योजनायें नहीं चाहिए लेकिन बुन्देलखण्ड के निवासियों के पेट में खाने के लिए रोजी रोटी की आवश्यकता है। आज पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। आज लोग सल्फाश खाकर, हेयर डाई पीकर आत्महत्यायें कर रहे हैं, रेल लाइन की पटरी पर कट रहे हैं, पेड़ पर फांसी लगा रहे हैं। सरकार को इन स्थितियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वसूली स्थगित हो और बुन्देलखण्ड को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 13 फरवरी, 2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 के पुरःस्थापन तथा पूर्व विधायकों की सुख-सुविधाओं से सम्बन्धित विधेयक के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज सुबह जब कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक थी उस समय उसके समक्ष यह विधेयक विचारार्धीन नहीं था यह ठीक है कि सरकार को अधिकार है कि किसी भी विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इसका उल्लेख करते हुए कहना चाहता हूं कि पूर्व विधायकों के सम्मेलन में मुख्य मंत्री जी ने पूर्व विधायकों के कूपन और अन्य सुविधाओं के बारे में कुछ घोषणा की थी बार-बार आग्रह करने के बावजूद सरकार द्वारा आश्वस्त करने के बावजूद वह विधेयक अभी तक सदन में नहीं आया है बिना विधेयक आए कानून बनाने में सरकार असमर्थ होगी। मुख्य मंत्री जी की सदाशयता है कि उन्होंने घोषणा की थी लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में विधेयक नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि कल सदन उठने तक वह विधेयक आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

इस पर चर्चा हो चुकी है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

जिस विधेयक की सुबह तक चर्चा नहीं थी वह आ गया लेकिन मुख्य मंत्री जी ने जो पूर्व विधायकों के बारे में घोषणा की थी वह विधेयक नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं जब मुख्य मंत्री जी होंगे उस समय इस पर चर्चा हो जायेगी।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री राम लाल अकेला-

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो डा0 पी0 के0 राय साहब ने रखा है उसका समर्थन करने के लिए बोलने का अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो विकास की मंजिल तय की है उसका उदाहरण पिछले 50 वर्षों में देखने को नहीं मिलता है। वर्ष 1950 से 2002 तक प्रदेश में केवल 27 बड़े पुलों का निर्माण हुआ था जबकि इस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में 46 बड़े पुलों का निर्माण हुआ है। इसी तरह से पचास वर्षों में छोटे और मध्यम 355 पुल बने थे जबकि पिछले तीन साल में 361 छोटे और मध्यम पुलों का निर्माण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है। 65 हजार कि0मी0 नई सड़कों का निर्माण किया गया है इसके अलावा हर क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं चाहे कन्या विद्या धन योजना हो चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो चाहे प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को यूनीफार्म देने का मामला हो चाहे प्राथमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण का मामला हो सरकार ने जाति बन्धन से ऊपर उठकर सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम किया है। किसानों की बेहतरी के लिए सरकार ने किसान बीमा योजना लागू करने का काम किया। आज कानून व्यवस्था का सवाल बार-बार उठाया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आज सारे दल के लोग चाहे वह बसपा हो या कांग्रेस या भाजपा बार-बार यह सवाल उठाते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में अधिकारी बेईमान हैं, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी बेईमान हैं मैं सारे दलों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी कहां से आए वह हमारे ही भाई बन्धु हैं हमारे ही समाज से निकलकर वह आए हैं। अगर यह सारे बेईमान हैं तो हम लोग भी बेईमान हैं जो दिल्ली के अधिकारी आयेंगे वह क्या फरिश्ते बनकर आयेंगे उनके नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो क्या ज्यादा अच्छा चुनाव होगा आज हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं।

जहां तक कानून व्यवस्था की बात है मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं जब इनकी सरकार थी तो मुंडेरवा में और रामकोला में किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम किया गया उस समय कानून व्यवस्था का सवाल किसी ने नहीं उठाया। यहीं पर समाजवादी पार्टी के सदस्य मंजूर अहमद को गवर्नर हाउस के सामने गोलियों से उड़ा दिया गया तब प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बात किसी ने नहीं उठाया। समाजवादी पार्टी की सांसद फूलन देवी को दिल्ली की पार्लियामेन्ट के सामने गोलियों से उड़ा दिया गया, दिल्ली की पार्लियामेन्ट पर बमों से हमला किया गया, गुजरात में दंगा हुआ, पूरा गुजरात जल जाता है तो ऐसी घटनाओं पर कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं उठाया जाता है। अगर जांच करायी जाय तो गुजरात में हजारों-हजार नर कंकाल मिलेंगे लेकिन किसी ने इस सम्बन्ध में कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं उठाया। असम में 70 हिन्दी भाषी लोगों का कत्ल कर दिया जाता है तब कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं उठाया जाता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है तो निठारी के काण्ड को लेकर बवाल पैदा किया जा रहा है। निश्चित रूप से निठारी कांड दिल दहलाने वाला है। लेकिन यह जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया वैसे ही हमारी सरकार ने जैसी कार्यवाही की वैसे आज तक किसी सरकार ने नहीं की। मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं कि बम्बई में जाकर देख लें कि कानून-व्यवस्था की वहां पर क्या हालत है। सबसे ज्यादा कानून-व्यवस्था आज बम्बई और दिल्ली के अन्दर खराब है। इसका एक उदाहरण है कि जब समाजवादी पार्टी की रैली बम्बई में होने जा रही थी तो यह कहकर अनुमति नहीं दी गयी कि बम्बई के अन्दर जातीय दंगे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी की रैली के लिये सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बम्बई के अन्दर

कानून-व्यवस्था तार-तार हो गयी है। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। उसको यह लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनके पेट खौल रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अभी साड़ी काण्ड का सवाल उठाया लेकिन हमारे नेता ने उसका राजनीतिक करण करने का काम नहीं किया। लेकिन आज जिस तरह से निठारी कांड को लेकर राजनीति की जाती है। जब 40 लोग साड़ी कांड में मार दिये गये थे तो हमारे नेता ने लाशों पर राजनीति करने का काम नहीं किया। हमारे जो ब0स0पा0 के मित्र हैं मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बढ़ी हुयी फीस को कम करने के लिये छात्रों ने आन्दोलन किया था तो उस समय की सरकार ने छात्रों पर लाठी गोली चलायी थी और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर गोली चलाने का काम किया गया था और उस समय किसी ने कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं उठाया था। आज आप लोग निठारी की बात करते हो। मान्यवर, काशीराम के हत्यारे, इन्होंने दिल्ली के अन्दर काशीराम को कैद करके और स्लो प्वाजनिंग दे करके यह काशीराम की हत्या के जिम्मेदार हैं। उनके परिवार को काशीराम की लाश को नहीं दिया, [x x x] यह मुलायम सिंह जी के बारे में क्या बात करेंगे। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी तो इस देश के फरिश्ता हैं, मजदूर किसान के फरिश्ता हैं (शोर-व्यवधान) जो काम मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर किया है वह और कोई कर नहीं सकता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से जो हमारे माननीय राय साहब ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना है विकास के कार्य हुये हैं इसलिये मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारे सम्मानित सदस्य ने चाहे गुस्से में आकर या किसी भाव में आकर सीधे आरोप लगा डाला कि [x x x] मान्यवर, क्या यह कार्यवाही का अंग रहेगा। सदन से मैं यह निवेदन कर रहा हूं। क्या यह कार्यवाही का अंग रहना चाहिये ? मान्यवर, सीधे आरोप लगाया है। मान्यवर, यह कार्यवाही में नहीं रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष-

अगर कोई ऐसी बात है तो कार्यवाही को दिखवा लिया जायेगा।

श्री राम लाल अकेला-

मान्यवर, हिन्दू संस्कृति में यह मान्यता है अगर कोई पुरखा है अगर कोई जाता है इस धरती से तो उसके परिवार को उसके अन्तिम संस्कार का अधिकार होता है। उनका पूरा परिवार दिल्ली की

नोट :-[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़कों पर टहलता रहा। अगर यह कातिल नहीं थे तो मान्यवर, इन्होंने काशीराम की लाश उनके परिवार के लोगों को क्यों नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तक उस परिवार को ये लोग ले गये और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने पैसा दिया कि जाओ कांशी राम जी की लाश तुम रुकवाओ और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करो ताकि कांशीराम जी की लाश पड़ी रहे और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लाश ले जाकर के दाह संस्कार सुश्री मायावती जी करे मैं कोई रोक की नहीं मानने वाला हूं, माननीय न्यायालय के आदेश पर ही यह हुआ है मैं निन्दा करता हूं और ऐसे सदस्य के बयान की निन्दा करता हूं कि कांशीराम जी की मृत्यु तीन साल तक जो वहां ब्रेनस्ट्रोक हुआ था, अस्पताल में जो हुई है यह दैवी मृत्यु हुई है ऐसे झूठे आरोप का मैं खण्डन करता हूं और उसकी निन्दा करता हूं कि इस तरह के अपरिपक्व लोग अगर बोलेंगे सदन में तो सदन की गरिमा नहीं रह जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें। बार-बार ऐसी टीका-टिप्पणी ठीक नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद दो-तीन मिनट का ही बस मैं समय लूंगा। मान्यवर, गांव के हम लोग रहने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा आम चर्चा होती है कि दो रोटी कम मिले सुकून की जिन्दगी हो, आज जो आप लोग यहां पर बोल रहे हैं गांवों में भी आप लोगों के कानों में आवाज होती होगी आपकी सभी योजनायें अच्छी बनी चलिये ठीक है सब कुछ आपने दिया ठीक है, ईमानदारी से चले जायेंगे यहां पर पुस्तिका में है अभी यहां पर माननीय मंत्री जी से मैं कहने वाला था व्यक्तिगत तौर पर कि जो आपने बहुत बड़ा हाईलाइट किया कि इतना हजार केन्द्र पुष्टाहार के मैंने खोले हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जाकर पता लगा लें कि अब पुष्टाहार का स्वरूप अगर पशुआहार के रूप में न बदल गया हो तो सुखदेव राजभर अभी अपना भाषण बन्द कर देगा। ईमानदारी से आप भी कहें, जानवर खा रहे हैं, गाय-भैंस खा रही हैं, 25-25 बोरियां जा रही हैं यह पुष्टाहार पशु आहार के रूप में परिवर्तित हो गया है हम लोग तो इतना ही कहना चाहते हैं आज भारत सरकार का आप दोष दे रहे हैं कोई भी किसी भी माननीय विधायक से पूछ ले कि गारण्टी रोजगार योजना का पैसा जनपदों में आया है। सी0डी0ओ0 10-15 परसैन्ट पैसा लेकर रुपया बांट रहा है गारन्टी रोजगार योजना में। 20 परसैन्ट तक किन्हीं-किन्हीं जनपदों में ले रहा है। जो ग्राम प्रधान बेचारा दे रहा है उसको पैसा मिल रहा है हमारे सम्मानित सदस्य भी प्रस्ताव दिये हैं नहीं दिया जा रहा है। जो 20 परसैण्ट

25 परसेण्ट सी0डी0ओ0 को पैसा देगा उसी को गारण्टी रोजगार योजना का पोखरा खुदवाने का, नाला खुदवाने के लिए पैसा जायेगा। मैं तो कह रहा हूं अनुपालन केवल आप कराइये, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। एक भी बी0पी0एल0 का अनाज आप पता लगा लें, मंत्री जी पता लगा लें, अभी छः सौ टन अनाज पकड़ा गया यह सब बी0पी0एल0 का अनाज था। बी0पी0एल0 माने गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की पेट की रोटी। अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे और पूरे देश का नक्शा दे रहे थे, यहां इतने मरे यहां इतने मरे। इन्हीं की तरह हम लोग निठारी काण्ड, कविता काण्ड और इलाहाबाद के मदरसा काण्ड का एक चित्रण रख रहे हैं मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इन्हीं की तरह एक आदमी था उसके एक रिश्तेदार था, जिस तरह से हम लोग निठारी काण्ड पर रो रहे हैं, एक आदमी को मिलिट्री में सीमा पर गोली मार दी गई, उसकी कनपटी में गोली लगी थी और वह मर गया, नरेश अग्रवाल की तरह जो रिश्तेदार था, उसे देखने गया, उसने पूछा कि गोली कैसे लगी तो उन्होंने बताया कि सीमा पर गये थे, दुश्मन की गोली से मर गये, तो उसने पूछा कि गोली कहां लगी थी, तो उन्होंने बताया कि गोली कनपटी में लगी थी, तो उसने कहा कि भगवान का शुक्र है कम से कम आंख तो बच गई नहीं तो मर ही गया, मर ही गया। यह ठीक उसी तरह की संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह की संवेदना व्यक्त करने वालों पूरे देश का नक्शा मत पेश करो, पूरे देश का नक्शा पेश करने से काम नहीं चलेगा। आज आप पूरे प्रदेश में चले जाइये चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों गली-गली चौराहों-चौराहों पर आम चर्चा शुरू हो गयी है कि इस प्रदेश में जहां किडनी का व्यापार हो, आंखों का व्यापार हो, पोस्टमार्टम की लाश पांच सौ रुपये बचाने के लिए कुएं में फेंक दी जाय ताकि पांच सौ रुपये बच जायं, गारण्टी रोजगार योजना 20 प्रतिशत पैसे में बांटी जाय, पुष्टाहार बेच दिया जाय। अभी पिछड़ी सरकार है, माननीय समाज कल्याण मंत्री, इस वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को नहीं दिया गया है।

डा0 पूर्णमासी देहाती-

ऐसा नहीं है, हमारे क्षेत्र बंटा है।

श्री सुखदेव राजभर-

अभी केवल परिषदीय विद्यालयों में गया है, जो प्रबन्धकीय विद्यालय हैं वहां एक भी पैसे की छात्रवृत्ति पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को नहीं मिली है और 60 प्रतिशत 40 प्रतिशत केवल डिमाण्ड के रूप में यहां शासन से अवमुक्त हुआ है। और आपने क्या कर दिया। किसी लड़के ने गलत ले लिया तो पहले तो रिकवरी का प्राविधान था लेकिन अब 12 परसेन्ट इन्टरेस्ट के साथ बच्चों से वसूली का शासनादेश दिया गया है। अभी मैं उस दिन पेपर में पढ़ रहा था कि 26 जनवरी के दिन शहीद भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस के बलिदान के बारे में, उनके गुणों के बारे में चर्चा होगी। शासन से आदेश जाता है कि समस्त जिलाधिकारियों कि उस दिन तुम शहीद भगत सिंह और सुभाष चन्द्र बोस की चर्चा मत करना कन्या विद्याधन और रोजगार भत्ते आदि के बारे में बहस करना। माननीय नेता सदन यह आपका धन उस समय रुक गया जब आपने इलाहाबाद में उस लड़की को जिसकी इज्जत

चली गई उसको दो लाख का चेक दे रहे थे तो उसने यह कह कर मना कर दिया कि हम अपनी इज्जत के लिये कुर्बान हो जायेंगे हमको यह पैसा नहीं चाहिये। जौनपुर में आज डी0 एम0 50 लड़कियों से कन्या विद्या धन का चेक जबरिया वापस मंगाये जा रहे हैं और आज यह संख्या बढ़कर 1000 हो गयी है। आज 1 हजार लड़कियों से वहां चेक जबरिया वापस मंगाये जा रहे हैं। आज यह कन्या विद्या धन अपमान धन में न परिवर्तित हो जाय। लड़कियां अपमानित न होने लगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस मद में जितना पैसा जाना चाहिये वह नहीं जा रहा है स्पेशल कम्पोनेन्ट के बारे में जैसा कि भारत सरकार की गाइड लाइन है उसके अनुसार 30 परसेंट खर्च होना चाहिये। आज पूरी मद के बजट को दूसरे दूसरे खर्चों में डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं आज यह आरोप लगा रहा हूं कि यह पहली सरकार है जो वित्त विभाग की सहमति के बिना पूरे का पूरा धन दूसरे मद में डाइवर्ट कर रही है। आप गलत तरह से दबाव बनाकर एक जगह का पैसा दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं। वह तो वित्त विभाग ने थोड़ा कड़ा एक्शन लेकर आपके साड़ी बंटवाने के धंधे पर रोक लगा दी। 60 रुपये की साड़ी और उस पर 80 रुपये उसकी जांच पड़ताल का लगा रखा था। आज वित्त विभाग रो रहा है कि हमको जेल हो जायेगी। हमको कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी मर्जी से बस कह रहे हैं कि इतना पैसा रिलीज करो। एक मद का पैसा दूसरी मद में डालने वाली सरकार, जनता के लिये जो योजनायें हैं उनको उसमें न लगाकर दूसरे दूसरे मदों में खर्च कर रहे हैं। आप गरीबों की झोली में डालने वाले 2/4 रुपये का भी बन्दर बांट कर रहे हैं। स0 पा0 के कुछ कार्यकर्ता लखनऊ में नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जा करके उस पर मकान बना रहे हैं सरकार उनसे कब्जा तो हटवा नहीं पा रही है। कुछ गलत होर्डिंग लगी थी उसको जरूर हटवा दिया क्योंकि इससे गलत मैसेज जा रहा था। जिस तरह से हमने बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि 26 जनवरी को लोगों के बीच में शहीदों के बारे में न बोलकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में भाषण दें। इस बारे में एक शासनादेश भी जारी किया गया है आप कहेंगे हम उसकी प्रति आपको दे देंगे। पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति का पैसा भी अभी तक विद्यालयों में नहीं गया है केवल परिषदीय विद्यालयों में गया है। सामान्य जाति में भी 40 परसेन्ट ही गया है। अनुसूचित जाति का जहां 100 परसेन्ट डिमान्ड है वहां पर 40 परसेन्ट ही गया है। 12 परसेन्ट इन्टरेस्ट के साथ बच्चों से वसूली के लिये तो आप कर रहे हैं। आपका पुष्टाहार जो वह पशु आहार में बदल गया है। बी0 पी0 एल0 का अनाज 600 करोड़ का ब्लैक मेल किया गया है। आपकी तमाम योजनायें जिनकी घोषणा आप कर रहे हैं सब इसी तरह से हो रही हैं। हम कहना चाहते हैं कि खाद पानी बिजली के लिये हम चिल्ला रहे हैं लेकिन वह नहीं मिल रही है। इस सरकार ने अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा रखा है। उनके ऊपर आपका कोई दबाव नहीं है। आपके एक मंत्री को डी0 एम0 के खिलाफ तीन दिन धरने पर बैठना पड़ा तब जाकर कहीं उनको हटाया गया। आपका अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं रहा है। आपके समाजवादी पार्टी के विधायक भी कह रहे हैं कि दरोगा हमारी नहीं सुनता है, कोतवाल हमारी नहीं सुनता है। कोई विधायक एनेक्सी में जाता है तो आपके प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी 8 बजे के बाद

मिलेंगे। आपके निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। अभी आपने वृद्धावस्था पेंशन का पैसा बढ़ाया लेकिन वह नहीं पहुंचा है। यह सब जो हो रहा है यह सब भाषण का असर नहीं है। यह जो जनता के बीच में छोटी-छोटी परेशानियां आ रही हैं उसी का असर है। अभी आपके पास डेढ़ महीने का मौका है। गारन्टी रोजगार योजना का पैसा 20 परसेन्ट लेकर आपका सी0 डी0 ओ0 बांट रहा है। जहां पर प्रभावशाली लोग हैं वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। भारत सरकार की गाइड लाइन के विपरीत काम हो रहा है।

*श्री वसीम अहमद-

आपके लोग अपनी विधायक निधि कितने में बांटते हैं ? उसको भी बोल दीजिये। एक कमेटी बनाकर भेज दें मेरे क्षेत्र में, मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। अगर कार्य नहीं हुआ होगा। मेरा चैलेंज है 52 लाख रुपये, 50 लाख रुपये 60 लाख रुपये टिकट बेचने का काम करते हो और जब उसके बाद जीत कर आते हो तो 50 परसेंट निधि बेचने का काम करते हो निधि बेचकर अपना पेट भरने का काम करते हो और जहां आपकी पूर्व मुख्य मंत्री जी कहती हैं वहां खर्चा करने का काम करते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं करते हो। इस पर बोलो तब समझ में आएगा।

श्री सुखदेव राजभर-

अब सुनिये, आपके ऊपर हमारी कोई शंका नहीं थी हमारे जनपद के अच्छे विधायकों में से गिने जाते हो, आप बिला वजह सफाई के लिये खड़े हो गये। सफाई तो वह देता है जो जरा-जरा शंका में रहता है। आपका तो मैं स्वागत करता हूं। आपको तो खड़ा ही नहीं होना चाहिये था। आप तो ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, अच्छे विधायक हैं, जनपद में आपका स्वागत होता है क्यों परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो बांटे होंगे, उनको खड़ा कर दीजिये। हमको खड़ा कीजिये अगर हम बांटे हों लेकिन हमारे पार्टी के लोग किसी बिरला टाटा डालमिया से हाथ नहीं मिलाये हैं। किसी को जाकर नोयडा की जमीन नहीं बेचे हैं। दलालों को जमीन नहीं बेचे हैं। एक हजार करोड़ रुपया नोएडा से नहीं कमाया है। जमीन का धंधा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) कार्यकर्ताओं से अर्जी लगाकर शपथ-पत्र लगाकर मांगा गया है। नोएडा वालों से जमीन नहीं बेचा हूं अरे आंख बिकवाकर पैसा इकट्ठा नहीं किया हूं। मुर्दा बिकवाकर पैसा इकट्ठा नहीं किया हूं। नोएडा काण्ड नहीं किया हूं निठारी काण्ड नहीं किया हूं। हमने गरीबों की जमीन नहीं हड़पी है बहराइच में अभिताभ बच्चन को जमीन नहीं बेची है। पूंजीपतियों को जमीन नहीं बेची है। अगर मांगा है तो हाथ फैलाकर मांगा है। कार्यकर्ताओं से मांगा है .....

श्री उपाध्यक्ष-

मा0 सदस्य शान्त रहे। अब समाप्त रहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य-

ताज वाले मामले में क्या हुआ ?

श्री सुखदेव राजभर-

जांच हो रही है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सत्ता की सरकार में गरीबों की योजनाओं का सही अनुपालन नहीं हुआ है लूट हो रही है। इन घटनाओं के बारे में सरकार संवेदनशील नहीं है। जो भी निठारी काण्ड के बारे में हम लोग संवदेना व्यक्त किये हैं इसमें इनके मंत्री का बयान आता है कि यह छुटपुट घटनायें होती रहती हैं जनता ने आक्रोश व्यक्त किया तब सी0 बी0 आई0 की जांच हुई। इस तरह से हल्केपन से लेने वाली सरकार, गरीबों का शोषण करने वाली सरकार गरीबों की योजनाओं को खाने वाली सरकार अधिकारियों द्वारा नीचे तबके की योजनाओं में लूटपाट कराने वाली सरकार अधिकारियों का एक वर्चस्व कायम करने वाली सरकार का मैं विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में बोलने का अवसर दिया महोदय हम तो समझ नहीं पाते ऐसी जगह पर आकर के कि असत्य का सहारा लिया जायगा। हम तो सीखने आये थे जिन्दगी भर इंसान सीखता है। महोदय उन लोगों से भी सीखना चाहिये जिनकी आपके ऊपर तस्वीर है। राम मनोहर लोहिया जी से भी सीखना चाहते थे अब लोहिया जी का नाम नहीं लिया जाता है जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है तो पूंजीपतियों की वकील बनकर रह गई है। आज गरीबों की बात नहीं होती है, लाचार लोगों की बात नहीं होती है, किसानों की चर्चा नहीं होती है अब तो रिलायेन्स की चर्चा होती है। सहारा के सुब्रतो राय की चर्चा होती है। कुमार मंगलम् की चर्चा होती है। हाईटेक सिटी के नाम पर किसानों की जमीन कौड़ी के भाव अधिग्रहीत कर ली गई हम लोगों ने अनेकों बार कहा इन गरीबों को हाईटेक कब करोगे। सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। और सरकार चाहे किसी की भी हो, मान्यवर, अपने को सत्ता में रखने के लिये देश की युवा पीढ़ी को चौपट करते हो। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस कुर्बानी से कुछ सीखा है, जिन्होंने देश की आजादी के लिये फांसी का फंदा चूम लिया था। मान्यवर, रोज अखबारों में छपता है, किसी भी राज्य को एक अच्छी दिशा देने के लिये और किसी भी देश को अच्छी दिशा देने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि तत्व आवश्यक है। आज मुट्ठी भर, 5-7 परसेंट लोग, महानगरों में रहने वाले लड़के पूरे हिन्दुस्तान की चुनौती स्वीकार किये हैं। एक-एक लाख रुपये की कोचिंग करके वह ऐसे बने हैं। लेकिन 90 परसेंट लड़के-लड़कियां जिनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था करायी गयी है कि स्कूल में आयें और खिचड़ी खायें और यह खिचड़ी भी लूट का एक जरिया बन गयी है। जब सत्ता से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाहर थे, तब बोलते थे लेकिन सत्ता में आते ही खिचड़ी बेचने के व्यापारी बन कर रह गये। जैसा हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीवास्तव जी ने कमेंट किया है कि आज उत्तर प्रदेश का छात्र दिशाहीन हो जायेगा, यदि उसे चोरी करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। उस कन्डीशन में 2025 तक हाई पावर बनने का हमारा सपना धरा का धरा रह जायेगा। मान्यवर, आज शिक्षा माफियाओं की चंगी हैं। आज शिक्षा माफिया हर जिले में हैं, कोई अपने बेटे को सरकारी विद्यालयों में भेजना नहीं चाहता, भेजना भी नहीं चाहिए, जो सक्षम हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना ही चाहिए, जो सरकार सक्षम हो, उसे अपने नागरिकों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए लेकिन यह सरकार जिस तरह से जस्टिस श्रीवास्तव के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में गई, आज उत्तर प्रदेश उजड़ता नजर आ रहा है। मान्यवर, बिहार जिस पर हम उंगली उठाते थे, आज वहां 5 राज्यपाल द्वारा नामित प्रोफेसर एप्वाइंट हैं। कार्यालयों में पूरी उपस्थिति हो रही है। गलत काम करने वाले 1500 से ऊपर अफसर जेल में डाल दिए गए हैं। अधिकारियों के मोबाइल नम्बर गांव में लिख लिए गये हैं और कह दिया गया है घूस मांगने वाले अधिकारियों की सूचना विजलेंस को दीजिए। हमें उनसे सीखना चाहिए। अभी सुखदेव राजभर जी चर्चा कर रहे थे लेकिन उनका भी अब मतलब नहीं रह गया है, गरीब का टिकट काट दिया और अमीर को टिकट दे दिया। मान्यवर, रोज समस्याएं आती हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी विधवा पेंशन के लिए 1500 रुपये ले रहा है, कोई कान की बाली बेंच रहा है, कोई कुछ बेंच रहा है, किसी के पास 5 डिस्मल जमीन है, उसको बेचता है और मान्यवर, यह लाल कार्ड जो है, मैं मांग करता हूं, आन्ध्र प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को जब से रामाराव साहब थे, 25 किलो चावल 2 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है। मान्यवर, बाजपेयी जी ने 35 किलो अन्त्योदय योजना में देने की व्यवस्था करायी थी। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो आंकड़े हैं, बहुत गलत हैं, 100 में 31 गरीबी रेखा से नीचे हैं। मान्यवर, गांव में, अगर दस हजार की आबादी वाला गांव है तो उसमें एक हजार किसान ऐसे होंगे जो अनाज बेचता है बाकी नौ हजार लोग खरीदकर खाते हैं। आज की तारीख में मैं दावे के से कह सकता हूं कि अकेले बलिया में 34 लोग ऐसे हैं जिनकी इन तीन सालों में भूख से मृत्यु हुई है। एक तरफ हाईटेक सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ किसान भुखमरी से मर रहा है। खाद साधन सहकारी समितियों में उपलब्ध नहीं होती है। क्या कारण है कि रात को खाद साधन सहकारी समितियों में उतरती है, रात को ही खाद्यान्न उतारा जाता है ? यह एक गम्भीर विषय है। यह आज गांव की हालत है, किसान की हालत है। अन्त्योदय योजना अनाज के बिना डम्प हो गयी। हम मांग करते हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों को, जो आप यह बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, इस पैसे को आप उन लोगों को, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको दो रुपये किलों के हिसाब से गेहूं और चावल दे दिया होता तो उनका पेट भर जाता। कन्या विद्या धन, रिज़वी साहब यहां पर बैठे हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं बटा। रसडा और द्वाबा में नहीं बंटा। सियर में बंटा होगा कोपाकिट में बांटा होगा।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

आप एक नाम भी बता दीजिये जो पात्र हैं उनको नहीं मिला हो। इकबाल साहब को तो विरोध में बोलना है। कैम्प लगाकर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने बंटवाया है। एक भी पात्र ऐसा नहीं है जिसको न मिला हुआ होगा।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जो पात्र हैं उनका एक भी नाम दे दें, तो आप लिस्ट दे दीजियेगा।

महिला कल्याण, संस्कृति, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आदरणीय राम इकबाल सिंह जी का आदर करता हूं, वह युवा हैं अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बात अधिकारपूर्वक कही कि कन्या विद्या धन का वितरण उनके यहां नहीं हुआ। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस आशय की कोई सूची, जिन पात्र व्यक्तियों को पैसा नहीं मिला हो, प्रदेश के मंत्रीपरिषद् के किसी मंत्री को उपलब्ध करायी। इस तरह के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। प्रदेश के सब जगह बंटवाया गया है, लोगों के द्वार तक गया है। यह फर्जी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह-

विपक्ष के क्षेत्र में नहीं बंटा है। रिज़वी साहब बता दें।

श्री वकार अहमद शाह-

मान्यवर, अगर एक भी शिकायत हुई है तो आदरणीय मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को दण्डित किया है। आजमगढ़ में कैम्प लगाकर बांटा गया है।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

मान्यवर, मैं राम इकबाल सिंह जी का बड़ा सम्मान करता हूं। आपके समक्ष इकबाल सिंह जी ने दो बातें रखी हैं जो बिल्कुल असत्य हैं। वे विरोध की राजनीति कर रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, राजनीति न करिये।

*श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि राम इकबाल सिंह जी संघर्ष की राजनीति करते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। यह दिन में भी सपने देख लेते हैं जहां कहीं भी कोई व्यक्ति अपनी मौत से मरा है। उसको भी यह कह देते हैं कि भूख से मरा है और अखबारों में बयान दे देते हैं। मान्यवर, मेरी इनकी तहसील एक ही है। मान्यवर, भूख से मौत का कोई उदाहरण बलिया जनपद में सामने नहीं आया है। मान्यवर, कन्या विद्या धन योजना की जो बात है। इनका पूरा ब्लाक हमारी तहसील में पड़ता है। चूंकि मैंने अपने यहां कैम्प लगवाया था सिकन्दरपुर में, इनके आधे क्षेत्र का पैसा तो हमीं ने बटवा दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनके आधे क्षेत्र में कैम्प नहीं लगवाया इन्होंने। चूंकि इनकी तादाद नगरा ब्लाक में बहुत कम थी मुश्किल से 100-150 लड़कियां थी और लेखपाल ने ज्यादा लिख दिया था तो डाक से वह चेक उनको भेजे गये। भरत सिंह जी के क्षेत्र में भी चेक गये हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, वह कह दिये तो कह दिये हमने तो वहां की स्थिति पर भरोसा करके यह बात रखी है। मान्यवर, जो सरकार का गुणगान हुआ है राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव में उससे अलग आप देखें तो निठारी जैसा अमानवीय काण्ड भी इस सरकार के समय में हुआ है और उस पर सभी लोगों ने सदन में आज चर्चा की है। मान्यवर, सारे विश्व में ऐसा कहीं कोई काण्ड नहीं हुआ है जो निठारी गांव के लोगों के साथ हुआ है। मान्यवर, इससे बड़ी दुर्दशा और क्या हो सकती है। कि जहां छोटे-छोटे बच्चों की किडनी बेची जा रही हो उनका मांस खाया जा रहा हो और यह तीन वर्ष से काम हो रहा हो। मान्यवर, पूरा इनका एल0आई0यू0 फेल है। विजिलेन्स फेल है तो फिर शासन भी फेल है और सरकार भी विफल है। मान्यवर, जब लगा कि जनता में इस काण्ड को लेकर बगावत हो जायेगी तो सी0बी0आई0 जांच शुरू हो गयी। इसी तरह से कविता काण्ड हुआ है और भी

(इस समय 6 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

न जाने कितने काण्ड इस सरकार में हुए हैं मान्यवर, 15 दिसम्बर को जब हम लोग सदन में बैठे थे तो कोयला व्यापारी की हत्या की गूंज उठी थी। मान्यवर, जो गजेन्द्र सिंह जी थे मैं उनसे मिला नहीं था। लेकिन उनके दो बच्चे थे और वह अपनी लड़की को एम0बी0बी0एस0 में दाखिला दिलाना चाहते थे और इसके लिए वह कोटा में कोचिंग कर रही थी। जब उनके ऊपर दबाव पड़ा असामाजिक तत्वों का कि यह व्यापार छोड़ दो तो वह चिन्तित थे कि कैसे व्यापार छोड़ दें। मान्यवर, उनके लिए जो दो माल गाड़िया आयी थी उसमें दो रैक पत्थर भेज दिया गया जिससे उन्हें 70 लाख का नुकसान हुआ था। उन्होंने वह व्यापार छोड़कर मार्बल की दुकान कर ली थी। उनकी लड़की का एम0बी0बी0एस0 में सलेक्शन नहीं हो पाया था उन्होंने कहा था कि तुम पढ़ती रहो हम डोनेशन देकर कहीं एडमीशन करा देंगे। मान्यवर, उनको अपनी लड़की से प्रेम था वह उसको डाक्टरी पढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फिर यह व्यापार शुरू किया और 15 दिसम्बर को यहां यह बात उठी थी कि उनकी ए0के0 47 से हत्या कर दी गयी। मान्यवर, पहली रैक आयी थी। मान्यवर, कभी वह व्यापारी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा था कभी 144 में भी वह दोषी नहीं पाया गया था और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, ए0डी0जे0 शर्मा जी गये थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, पूरा पूर्वान्चल उस घटना से क्षुब्ध है। आप लोग तो उस गरीब के यहां आंसू पोछने भी नहीं गये जबकि 4 मंत्री उस जनपद से यहां हैं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी और अम्बिका जी वहां गये थे जो सत्य है वह सब जानते हैं इसमें बहुत बड़े नेता का हाथ उसमें है।

श्री राम इकबाल सिंह-

उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कि अपराधी पकड़े जायेंगे वह वोट बैंक के मद्देनजर वहां गये थे।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

कौन लोग उसमें हैं यह आप अच्छी तरह से जानते हैं ? इस काण्ड की आपने निन्दा नहीं की।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, जिले का पहले मैं राजनीति करने वाला जनप्रतिनिधि हूं कि लाश के साथ भी गया, जलवाया गांव पर। हम परिचित नहीं थे न हमारा वोटर लाइन है। अखबार वाले भी डरे थे मैंने बहुत कहा तो हिन्दुस्तान दूसरे दिन हिम्मत जुटाया और हिन्दुस्तान ने 4 लाइन छापा 'विधायक ने कहा इस घटना का न्याय पुलिस नहीं दे सकती है, इसलिए सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए। क्योंकि इसमें बड़े गैंगवार का हाथ है। आप नहीं पढ़े हिन्दुस्तान अखबार उठाकर पढ़िये 17 तारीख की सुबह का, जब कोई नहीं बोला, मंत्री जी गये थे मुझे पता है। एक भी आश्वासन नहीं दिया उन्होंने मीडिया के माध्यम से कि नहीं अपराधी पकड़े जायेंगे चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों। किसी का नहीं आया पूरा सहमा हुआ है 4 जिला 5 जिला वहां का। मैं इसमें कभी नाइन्साफी नहीं किया रिज़वी साहब। यह ध्यान रखियेगा कि मैंने कभी राजनीति के लिए राजनीति नहीं किया। माफिया चाहे किसी पार्टी का हो, अगर आपकी पार्टी में मेरी सरकार होती, तो शायद विधायकी से रिजाइन कर दिया होता। नहीं रहता उस सीट पर यह ध्यान रखियेगा। हमने कभी क्रिमनल अपराधी माफियां को शह न हीं दी न कभी लंच डिनर लिया आज तक। यह ध्यान रखियेगा, जिन्दगी में इतनी भी उम्र हो तो बहुत है, जी लिया। लेकिन फिर बलिया बार एशोसियेशन को पत्र लिखा, पांचों संघों को पत्र लिखा 27 तारीख को बैठक है, हमने कहा कि सब चुप हो जायेगें तो आप भी चुप हो जायेगें। लोकतंत्र बचेगा। जिस दिन न्यायपालिका से जुड़े बार एशोसियेशन के लोग चुप हो जाय। पूरे इस हत्या से कोहराम मचा हुआ है पूर्वान्चल में और कोई बोल नहीं रहा है। 27 को बैठक हो रही है और सारे दलों को बुलाया है उन लोगों ने। हमने कहा पूछने की जरूरत है. जो सफेद खादी कुर्ता पहनकर किसी भी दल वाला सुबह घर से निकलता है अपनी मां के हाथ से रोटी खा करके, जा रहा हूं राजनीति करने, राजनीति करते हो और माफिया के खिलाफ नहीं बोलोगे। एक निर्दोष की हत्या हो जाय, कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस जुटा रहा हो और उसकी हत्या हो जाय और आप उसको भी राजनीति से देखोगे एक महीना से ऊपर हो गया।

माननीय अध्यक्ष जी, इन सारी घटनाओं के होते हुए, वही हैं उनके क्षेत्र में 7 वर्ष का लड़का उन्हीं की बिरादरी का सहबाग का अपहरण हुआ, मैं गया था कि नहीं, गया था उनके घर का आंसू पोछा। बल्कि एक महीना बाद एसपी ने फोन किया विधायक जी वह लड़का मिल गया हमने कहा मिल

गया पूरे जिला की तरफ से आपको बधाई हो, कहा कि बिहार में मिला है। हम और रिज़वी साहब पिछली 15 तारीख को साथ में जा रहे थे मैंने कहा कि रिज़वी साहब आपके क्षेत्र का लड़का मिल गया रिज़वी साहब ने कहा वह बेईमान झूठ बोल रहा है 20 लाख रुपया फिरौती देकर लाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

आपस में क्यों बात करते हैं जो बात जल्दी समाप्त होने वाली है उसको क्यों बढ़ाते हो ?

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आज ऐसे माहोल में अभी हसीन सपने सरकार को वैसे ही आ रहे हैं जैसे मुंगेरी लाल को आते थे कि हम फिर आ रहे हैं हमारे कामों की दुन्दुभी बज रही है। मान्यवर, अगर एक लाख अपराधी फांसी पर चढ़ा दिये जांय लेकिन एक निर्दोष की हत्या नहीं होनी चाहिए। निर्दोष मारे गये हैं। अभी हमारे सुखदेव जी बोल रहे थे क्या बिगाड़ा था सुगाम रूगटा ने आजमगढ़ में दर्जा 7 के बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गयी। इन हत्याओं का तार जुड़ा है। आपकी उपलब्धियां हैं आपने भोजन कराया भरपेट और आपके घर का एक आदमी बाहर दो-दो थप्पड़ लगाकर 100-100 रुपया घूस ले रहा हो, काम खत्म हो गया आपका भोजन इसलिये गलतफहमी का शिकार न हो, मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया है लेकिन उनके नीचे की जो सेना है वह प्रदेश को लूट ली है। इन्हीं बातों के साथ आपके आदेश को मानते हुए मैं राज्यपाल महोदय के इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर समयाभाव के कारण लिखित भाषण अंशों को कार्यवाही का अंग मान लिये जाने का अनुरोध

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सब बोलना चाहते हैं समय अब हो गया है कल शायद माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तो फिर सबको कठिनाई होगी, समय नहीं मिलेगा। अगर आप उचित समझें और अनुमति दे दें तो माननीय सदस्य रात को अपना लिख लेंगे जो उनको विषय रखने थे और कल सुबह जो 11.00 बजे आपके कार्यालय को दे दें वह कार्यवाही का अंग बन जाय। यही परपज है इसका तो फिर सरकार उस पर कार्यवाही करेगी तो कार्यवाही का अंग बनने की अनुमति अगर आप दे दें तो कल सुबह 11.00 बजे आपके सचिवालय को जो लिखकर दे दें उसके लिखे को यहां सदन का वक्तव्य मानते हुए कार्यवाही का अंग मान लें, यह अनुमति आप दे दें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन सहमत है ?

(हां की आवाजें)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(कुछ लोगों द्वारा बुलवाये जाने का विरोध करने पर)

आप लोग लिखकर दे देंगे तो वह बोलने के बराबर होगा और यह पूरे का पूरा कार्यवाही का अंग बन जायेगा। जो आप लिखकर देंगे, वह पूरा का पूरा कार्यवाही का अंग बन जायेगा, वैसे बहुत सी बातें छूट जाती हैं। कल आप लोग बोल नहीं पायेंगे। सब सहमत हैं लिखकर देने के लिये। अब आज बहस बन्द की जाती है। जिन माननीय सदस्यों को, चाहे सत्तापक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, जो बोलना है, वह लिखकर दे देंगे। कल 11.00 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाबी भाषण होगा क्योंकि परसों 26 जनवरी को लोग घर जाना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कल जल्दी कार्यक्रम खत्म हो जाय।

(लिखित भाषण अंशों के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 125-161 पर)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 जनवरी, 2007 को 27 सूचनायें आई थीं नियम-51 में। मैं आज सबको स्वीकार कर लेता हूं और सब पर ध्यानाकर्षण करता हूं।

पहली सूचना श्री नवाब सिंह नागर, श्री मुंशीलाल गौतम की नोयडा के ग्राम निठारी में गायब बच्चों के नरकंकाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री मदन चौहान की जनपद-गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत जिला पंचायत के द्वारा सड़कों के पेण्टिंग कार्यों की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा शहर के विभिन्न पुलिस थानों में की जा रही लापरवाही एवं उत्पीड़न के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री श्री महेश त्रिवेदी की प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों द्वारा गलत सूचना देकर अपने गृह जनपद में तैनात रहने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने एवं उनको अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री सुशील चौधरी की जनपद-मेरठ के थाना खरखौंदा अन्तर्गत श्री जितेश कुमार, श्री सर्वेश कुमार एवं श्री राजेश कुमार को शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर के अस्थायी वर्क चार्ज/दैनिक वेतनभोगी/ड्रेसर का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद-मिर्जापुर के लिफ्ट सिंचाई प्रखण्ड में कार्यरत स्व0 श्री लालजी बिन्द, कनिष्ठ लिपिक की विधवा को मृतक आश्रित के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना चौधरी महेन्द्र सिंह की जनपद-अलीगढ़ के ग्राम-मघुवां के पास खारिज नहर पर टूटे हुये पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना चौधरी रिजवान अहमद की जनपद-मुरादाबाद स्थित मुरादाबाद हाई-वे की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद-आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में अग्निकाण्ड में हुये बेघर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद-लखनऊ के चौक खण्ड अन्तर्गत सैकड़ों घरों में बिजली कनेक्शन बल्लियों के सहारे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौदवहीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की एन0 आई0 एम0 टी0 (इंस्टीट्यूट) ग्रेटर नोयडा में वर्ष 2006-07 के लिये बी0-टेक में बिना मान्यता के प्रवेश दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री राम मगन रावत की जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड-बनीकोंडर व सिद्धौर में जलस्तर काफी नीचे होने के कारण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना श्री रामकरन आर्य की जनपद-बलिया के विकास खण्ड-सियर के ग्राम-दोथ के चकरोड पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सत्रहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद-बरेली के ग्राम-अनिरुद्धपुर में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

अट्ठारहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर में कमेलों के कारण हो रहे जल, वायु प्रदूषण, जल निकासी तथा जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में है।

उन्नीसवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की जनपद-खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क के रेंज वन दरोगा द्वारा श्री राजेन्द्र को गोली मारने से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

बीसवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की विधायक की बोलेरो गाड़ी बहुखण्डी मंत्री आवास, डालीबाग, लखनऊ से चोरी होने एवं पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में है।

इक्कीसवीं सूचना श्री हरि प्रताप सिंह की जनपद-प्रतापगढ़ स्थित गुलाब सिंह मार्ग वाया मान्धाता से छितापालगढ़ तक की सड़क का जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बाइसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की जनपद-सुल्तानपुर के ग्राम-पुरेऋषि ग्रामसभा में विद्युत तार लगवाये जाने के सम्बन्ध में है।

तेइसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ में ड्रग लाइसेंस अथारिटी (डी0 एल0 ए0) के रिक्त पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौबीसवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ/अल्पकालिक शिक्षकों के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

पच्चीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार मुन्नी की प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय पेंशनर्स को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छब्बीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की लखनऊ अन्तर्गत ग्राम-बस्तौली में श्री गणेश राम चौरसिया के द्वारा अनधिकृत रूप से भूमि कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है तथा

सत्ताइसवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की आवासीय भूखण्डों को नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर द्वारा किये गये अर्जन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 7 बजकर 06 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 24 जनवरी, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 122 पर)

मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में दिनांक 24 जनवरी, 2007 को समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके तथा जिन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं, जो निम्नलिखित हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद-

विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में निम्नलिखित समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। :--

1-हमारे क्षेत्र की खलीलाबाद एवं मुन्डेरवा चीनी मिल बन्द पड़ी है। विगत कई वर्षों से जिले के कई मिलों द्वारा गन्ना किसानों को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। बस्ती वाल्टरगंज बभनान, सरदार नगर व परतापपुर आदि चीनी मिलों का काँटा लगा है। परन्तु पर्चियों के अभाव में किसानों का गन्ना खेतों में पड़ा है। न तो गन्ना बिक रहा है न किसानों को भुगतान हो रहा है। दलालों के माध्यम से पर्चियां ब्लैक हो रहा है। सभी गन्ना किसान परेशान हैं।

2-खाद्यान्न गरीबी रेखा को जो सरकार द्वारा प्राप्त होता रहा वह गरीबों को न देकर ब्लैक किया जा रहा है। जैसा कि कई स्थानों पर छापे के द्वारा पकड़ा गया इसकी जांच की कार्यवाही की मांग करता हूं।

3-संतकबीरनगर में शिक्षा मित्रों को जिलाध्यक्ष व ब्लाक अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष धरना प्रदर्शन कर अपनी जांच मांग करने पर जेलों में बन्द किया गया है। अविलम्ब जेल से बाहर किया जाय तथा नियमित किया जाय।

4-विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में मुख्य मंत्री जी के द्वारा 7 कि0मी0 जो सड़क विधायकों के प्रस्ताव पर दिया जाना था वह पैसा भेजा गया मात्र 15% सम्पूर्ण पैसा भेजा जाय।

5-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले/लोगों को जांच कराके कार्ड उपलब्ध कराया जाय। इसमें व्यापक रूप से अपात्र व्यक्तियों को मुहैया कराया गया। पात्र व्यक्ति वंचित है।

6-मिट्टी का तेल सरकारी मूल्य पर दिया जाय।

7-सभी अधिकारियों को ग्रामों में चौपाल के द्वारा समस्याओं का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में।

8-प्रत्येक ग्रामों में पोखना नाला खुदाई में अतिशीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

9-विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा टूटी-फूटी सड़कों का मरम्मत न होने के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा न पैसा विभागों में भेजने के सम्बन्ध में।

10-गन्ने का उचित मूल्य न देने के सम्बन्ध में, ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मेरा निम्न वक्तव्य महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में सम्मिलित कराने का कष्ट करें :-

1-निठारी काण्ड :-निठारी काण्ड (नोएडा) की घटना न केवल मानवता पर कलंक है बल्कि नोएडा जैसे विश्व-विख्यात शहर के माथे पर भी कलंक है, अब तक जो नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में दुनिया में प्रतिष्ठा व सम्मान के साथ पहचाना जाता था, आज वह निठारी की घिनौनी घटना के कारण चर्चा में है पिछले दो वर्षों में बच्चे गुम होने की शिकायत हमने कई बार थाने से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की थी, दिनांक 10 अगस्त, 2005 को एस0एस0पी0 गौतमबुद्ध नगर कार्यालय पर प्रदर्शन कर अन्य आपराधिक घटनाओं के साथ इस घटना की भीजांच की मांग की थी, इससे पूर्व मा0 लालजी टण्डन, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल जी को इस घटना के बारे में दि0 8 अगस्त, 2005 को ज्ञापन पत्र दिया था, जिसे महामहिम राज्यपाल कार्यालय से कार्यवाही हेतु दि0 9 अगस्त को कमिश्नर, मेरठ को प्रेषित किया गया था किन्तु नोएडा पुलिस की लापरवाही के कारण कोई प्रगति नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि नोएडा में तैनात सभी पुलिस अधिकारी सत्ता के सर्वोच्च पर बैठे लोगों के रिश्तेदार या सम्बन्ध के लोग थे, जो आम की शिकायत की कोई परवाह नहीं करते थे, पैसा कमाना ही इनका मुख्य ध्येय था।

पायल नामक युवती के गायब होने के बाद पुलिस द्वारा सुनवाई न करने के बाद कोर्ट में जाने पर और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उस काण्ड के मुख्य आरोपी को पकड़ा था किन्तु बड़े राजनैतिक दबाव के बाद तथा पुलिस को मोटे पैसे देने पर मनिन्दर सिंह को छोड़ दिया गया था, स्वयं पुलिस के विशेष जांच प्रकोष्ठ के दरोगा विजेन्द्र सिंह ने एक न्यूज चैनल के माध्यम से दरोगा पाण्डेय को रिश्वत देने की बात स्वीकारी है, महिला दारोगा चौकी प्रभारी निठारी के मनिन्दर से अन्तरंग संबंध की बात भी स्वीकारी ही साथ ही थानाध्यक्ष कमल सिंह यादव एवं ए0एस0पी0 सोमित्र यादव की लापरवाही को भी इंगित किया है, इसलिए सत्ता मदान्ध सभी राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारियों को नियुक्त करने की दोषी सरकार भी इस काण्ड के लिए पूर्णतः दोषी है। अतः सरकार इस घटना के दोष को स्वीकार करते हुए जघन्य अपराधिक के साथ दोषी पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों एवं

राजनैतिक संरक्षणदाताओं के विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही कम से कम समय में कराने का कार्य करें।

2-**किसानों की जमीन की लूट**-नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किसानों की उपजाऊ जमीनों को बहुत ही कम दर से अधिग्रहण के नाम से लूटकर बड़े पूंजीपतियों को भारी लाभ पहुंचाने के लिए सांठगांठ कर 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 350 एकड़, 2500 एकड़ जमीन दी जा रही है। यह जमीन कहीं हाईटेक सिटी के नाम से, कहीं एस0ई0जेड0 के नाम से, कहीं ग्रुप हाउसिंग के नाम से, कहीं आई0टी0 पार्कों के नाम से दी जा रही है, किसानों की बनी आबादियों को भी अधिग्रहण कर किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसका क्षेत्रीय किसान एवं राजनैतिक दल विरोध आन्दोलन कर एक हजार रुपये प्रति गज मुआवजा देने, आबादियों को अधिग्रहण से मुक्त करने, 6 प्रतिशत के अनुमन्य भूखण्ड तत्काल देने एवं इसे 10 प्रतिशत करने, पट्टों की अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा तत्काल देने, बिजली कटौती मुक्त करने, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को तत्काल शुरू करने, दादरी रेलवे ओवरब्रिज का कार्य तत्काल शुरू कराने की पुरजोर मांग कर रहे हैं।

3-उ0प्र0 विकास परिषद केवल पसन्दीदा पूंजीगतियों का हित साधन :-उत्तर प्रदेश विकास परिषद को प्रदेश के आम उद्योगपतियों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, न ही इस बात की चिन्ता है कि किन कारणों से उ0प्र0 से उद्योग पलायन कर उत्तरांचल, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश आदि राज्यों में जा रहे हैं। न ही कभी इस समस्या पर ध्यान दिया कि उ0 प्र0 में अनेक वस्तुओं पर व्यापार कर की दर दिल्ली के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसके लिए कई दिन तक पेट्रोल पम्पों पर डीजल-पेट्रोल के व्यापार कर एवं विकास कर की दर को दिल्ली के बराबर करने की मांग को लेकर हड़ताल रही। अतः उ0प्र0 की व्यापार कर को दिल्ली के सतुल्य होने व्यापार एवं उद्योग के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि उ0प्र0 विकास परिषद् का कार्य रिलान्स कम्पनी को ढाई हजार एकड़ जमीन दादरी विद्युत संयंत्र के लिए दिलाने, रिलायन्स को एस0ई0जेड0 के नाम पर नोएडा में ढाई हजार एकड़ जमीन दिलाने, एवं रिलायन्स को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की लाभकारी विद्युत वितरण व्यवस्था को सौंपने का कार्य ही इस संस्था का एकमात्र लक्ष्य है।

4-उ0 प्र0-दिल्ली के बीच परिवहन व्यवस्था के विवाद को समाप्त कर बसों का संचालन पूर्ववत् कराया जाये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, हम लोगों को एक पुस्तक उपलब्ध करायी गयी है जिस पर लिखा है कि श्री टी0 वी0 राजेश्वर राज्यपाल उत्तर प्रदेश का अभिभाषण। मान्यवर, वास्तविकता तो यह है कि राज्यपाल

महोदय ने कोई अभिभाषण सदन में प्रस्तुत ही नहीं किया। वह सदन में आये और किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़े रहे और चले गये। यह पुस्तक राज्यपाल जी का अभिभाषण नहीं हो सकती। हां इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी उपलब्धियों का एक असत्य वर्णन हो सकता है।

इस पुस्तक में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश कैसे लगाया जायगा इसका उल्लेख नहीं है, जब कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिम्मी के एजेण्ट, आई0एस0आई0 के एजेण्ट, जिनके पास से सुरक्षा से सम्बन्धित दस्तावेज बरामद हुए पकड़े गये हैं। यह इस बात के प्रमाण हैं कि उत्तर प्रदेश में अलगाववादी शक्तियां सरकार के संरक्षण में पल रही हैं और उन्हें सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। राजधानी में हुए शिया सुन्नी झगड़े हिन्दू, मुस्लिम झगड़े, हिन्दुओं के आस्था के केन्द्रों पर आतंकवादी हमले, प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था की कहानी कह रहे हैं। किन्तु सरकार आंख बन्द करके "सब कुछ ठीक है" कहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। संक्षेप में यदि कहा जाय तो कहा जा सकता है कि "सरकार के तीन उपहार-हत्या लूट बलात्कार।।"

राजधानी में पेय जल का गम्भीर संकट है उसे दूर करने के लिए सरकार धन नहीं दे रही है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में कुन्ड्री पार्क, सरीपुरा, राजाजीपुरम् आदि अनेकों क्षेत्र हैं जहां पर पुराने नलकूपों को रीबोर करने के लिए शासन धन नहीं उपलब्ध करा रहा है और नहीं नये नलकूप लगाने के लिए धन दे रहा है। धनाभाव के कारण हैण्डपम्प भी रिबोर नहीं हो पा रहे हैं।

जलसंस्थान जोन-6 में केवल पिछले 2 वर्ष पहले 39 नलकूपों को रीबोर करने के लिए धन मांगा गया था किन्तु मात्र 15 नलकूप रीबोर के लिए धन दिया गया। राजाजीपुरम् का जोनल पम्पिंग स्टेशन अभी तक चल नहीं पाया।

मेंहदीगंज जोनल पम्पिंग स्टेशन बन नहीं पाया। लखनऊ में पानी का मुख्य स्त्रोत लखनऊ की जीवनधारा गोमती नदी का बेड मल तथा कचड़े से ऊँचा हो गया है उसे साफ करने की गम्भीर आवश्यकता है।

लखनऊ की सीवर व्यवस्था ध्वस्त है। उसकी कार्य योजना शीघ्र बनाने की आवश्यकता है। गोमती नदी में गिरते गन्दे नालों को गोमती बैराज से बाहर करने की आवश्यकता है। अधिक मात्रा में लखनऊ में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट बनाने की आवश्यकता पर सरकार को धन देना चाहिए। लखनऊ की पहले से सुन्दर और मजबूत बनी पी0 डब्लू0 डी0 सड़कों पर मुलम्मा चढ़ाकर के सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और लखनऊ के एक व्यापारी राज्य सभा के सदस्य इन सड़कों पर प्राइवेट ठेकेदार लगाकर अपने पैसे से अपने नाम का पत्थर लगाये चले जा रहे हैं और सरकारी अधिकारी मौन हैं। इन पत्थरों को हटाने का कार्य किया जाना चाहिए।

लखनऊ में तीसरे जल कल को भी बनाने का कार्य किया जाना चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए आवश्यक है कि मोतीझील स्थित पुराने बूचड़खाने को हटाने का जो कार्य भा0ज0पा0 सरकार ने किया था उसे वर्तमान सरकार ने रोक दिया उसे पुनः प्रारम्भ किया जाये।

लखनऊ महानगर में आवासीय भूखण्डों पर बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमित किया जाय। इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो कानून बनाया जाय। लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज को धन्वन्तरि आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय बनाया जाय। मोहान रोड पर आलम नगर की रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी पुल बनाया जाय।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित मोतीझील, यमुनाझील, पाण्डेय का तालाब, रामनगर तालाब, हैदरबेग तालाब, अन्नात्रोती तालाब आदि को अतिक्रमणमुक्त कर उनको पुर्नर्जीवित कर सौन्दर्यीकरण कराया जाय।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पूर्व विधायकों के सम्मेलन में उनकी पेंशनराशि बढ़ाने, रेलवे कूपन की राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की थी जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया।

विधान सभा में लोक निर्माण मंत्री ने इसके पहले के सत्र में 7 कि0मी0 सड़क बनवाने की घोषणा की थी, न तो इसे पूरा किया गया और न ही सन् 2006-2007 में एक-एक सौ हैण्ड पम्प लगवाने की घोषणा को पूरा किया गयां।

मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा करके लखनऊ को पेरिस जैसा शहर बनाने की कल्पना करना अविवेक पूर्ण होगा।

मैं अपने द्वारा तथा मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों पर बल देता हूं।

श्री राजेश कुमार-

महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 18-01-2007 के अभिभाषण में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने निम्नलिखित बिन्दुओं को अपने अभिभाषण में सम्मिलित नहीं किया है :-

(1) जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत गोला तहसील में मुंसिफ कोर्ट की ब्रांच बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) जनपद लखीमपुर खीरी जिला चिकित्सालय में छः हड्डी रोग विशेषज्ञ के स्थानान्तरित होकर आने से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में।

(3) जनपद लखीमपुर खीरी के जिला चिकित्सालय में जैसे चर्म रोग, नाक, कान आदि रोगों के डाक्टर के न होने से मरीजों पर उपचार न हो पाने के सम्बन्ध में।

(4) जनपद खीरी के तहसील पलिया में ग्राम कुंवरपुर कल ढकिया शाहपुर में गरीबों के पट्टे निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) जनपद लखीमपुर खीरी के विभिन्न विकास खण्डों में अपात्रों को अन्त्योदय, बी0पी0एल0 राशन कार्ड, दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) जनपद लखीमपुर खीरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की हो रही काला बाजारी को रोके जाने के सम्बन्ध में।

(7) जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्डों जैसे बाकेगंज, लखीमपुर बिधुवा ब्लाक में आंगनबाड़ी कार्यकृतियों की अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(8) जनपद लखीमपुर खीरी में गिरती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(9) जनपद लखीमपुर खीरी के बेहजम चौकी के दरोगा की हत्या का वर्क आउट न होने के सम्बन्ध में।

(10) जनपद लखीमपुर खीरी के विभिन्न विकास खण्डों में पात्र व्यक्तियों को अन्त्योदय, बी0पी0एल0 राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) जनपद लखीमपुर खीरी के वन विभाग को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत तालाबों की खुदाई न कराकर भट्टों वालों को मिट्टी बेचकर और उसको तालाब खुदा दिखाकर सरकार का लाखों रुपया फर्जी भुगतान करा लिये जाने के सम्बन्ध में।

(12) जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया व गोला में पिपरिया मोड़ व राम नगर कला में शारदा नहर की कटान से प्रभावित किसानों को एवं झुग्गी-झोपड़ियों वालों को अन्य जगह बसाने जाने के सम्बन्ध में एवं उन्हें मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की कटान से राम नगर में शारदा नदी में ठोकर न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) जनपद लखीमपुर खीरी के जिला सहकारी बैंक की शाखा धीरा की समितियों के सदस्यों के खाते की धाधंली के सम्बन्ध में।

(15) जनपद लखीमपुर खीरी की भीरा सहकारी समिति की प्रबन्धकीय देय खाते से पृष्ठ गायब करके फर्जी भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(16) जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बेहजम में भूमि विकास बैंक के संचालक श्री राम चन्द्र माझा के वित्तीय अधिकार को सीज होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत मैलानी बिजली खम्भों की खरीद में की गयी अनिमितताओं के सम्बन्ध में।

(18) जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत मैलानी में लगभग दस वर्षों से तैनात अधिशाषी अधिकारी श्री हनीफ अहमद की जांच नियम 51 की लगायी गयी सूचना के आधार पर जांच कमेटी से मिलकर सही जांच न होने के सम्बन्ध में।

(19) जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बाकेगंज ग्राम देवीपुर नकहा घाट, चाचापुरवा वृन्दावन सौकिया बिजोखर ठोगवा में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(20) जनपद लखीमपुर खीरी में विकास खण्ड बिजुआ के ग्राम रामालखना तिखड़ा धनतरिया लौकिहा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(21) जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड बिजुआ में नायक बंजरा समाज के गांवों को सड़क बिजली पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(22) जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के ग्राम बिजुआ के रामालखन दा के मध्य दो नग रपटा निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

(23) जनपद लखीमपुर खीरी ग्राम बिछुआ वि0खं0 बिजुआ के दलित बस्तियों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(24) जनपद लखीमपुर खीरी के वि0खं0 बिजुआ में राजस्व ग्राम काप पेलतगंज व किशुनपुर में विद्युतीकरण न होने से जंगल के जानवरों के गांवों में घुस जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(25) जनपद लखीमपुर खीरी में मण्डल परिषद् द्वारा बनाये गये सड़कों का डामरीकरण होने में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

(26) जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ वि0खं0 बाकेगंज वि0खं0 लखीमपुर, वि0ख0 बेजम के अन्तर्गत 53 विधान सभा क्षेत्र पैला के समग्र ग्रामों को डामरीकरण सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(27) जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा 53 पैला के समस्त जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

(28) जनपद लखीमपुर खीरी विधान सभा क्षेत्र 53 पैला के समग्र क्षेत्र में खराब नलकूप की मरम्मत कर उन्हें शीघ्र चलाये जाने के सम्बन्ध में।

(29) उ0प्र0 के होम गार्ड के स्वयं सेवकों के नियमतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(30) जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम संसारपुर, टिकौला, धीरा, कुकुरा, रजागंज, सरिगवां, करनपुर मवइया आदि गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(31) जनपद लखीमपुर खीरी में लगभग पांच वर्षो से विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के तैनात रहने के सम्बन्ध में।

(32) जनपद लखीमपुर खीरी में प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध अध्यापकों को अध्यापक विहीन विद्यालयों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

(33) जनपद लखीमपुर खीरी के पीलीभीत बस्ती मार्ग गदागंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के मध्य रपटा पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(34) जनपद लखीमपुर खीरी ब्लाक बिजुआ में सलियाबाद पेन्टेड रोड व तिखड़ा के मध्य रपटा व पेन्टेड रोड कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

(35) जनपद लखीमपुर खीरी ब्लाक बिजुआ साहपुर पेन्टेड रोड से डकिया होते हुए जमुनहा तक पेन्टेड रोड व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(36) जनपद लखीमपुर खीरी ग्राम कुटवा पेन्टेड रोड से बहादुरापुर होते हुए खजुआ मोड़ तक पेन्टेड रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

(37) जनपद लखीमपुर खीरी मोहम्मदी रोड के सलिहाबाद चौराहे कुरई होते हुए खरगपुर बिलरिया तक पेन्टेड रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

(38) जनपद लखीमपुर खीरी ग्राम रजागंज से अमवापुर होते हुए ग्राम एटा से अटवा पेन्टेड रोड तक पेन्टेड रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

(39) जनपद लखीमपुर खीरी 53 पैला विधान सभा में ग्राम बेल इटकुटी में सिरदाजपुर, नगरिया इत्यादि जगहों पर नये सिंचाई नलकूप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

(40) जनपद लखीमपुर खीरी की 53 विधान सभा में गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(41) जनपद लखीमपुर खीरी विधान सभा क्षेत्र 53 पैला में अनु0 जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में उत्थान एवं उन्हें छात्रवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री पूर्णमासी देहाती-

आपने महामहिम के अभिभाषण पर माननीय डा0 पी0 के0 राय द्वारा पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह बतलाना चाहते हैं कि जब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार बनी है तब से विकास की गंगा बह रही है, मान्यवर जब प्रदेश में बसपा और भाजपा की सरकार थी तब गन्ना किसानों का काफी गन्ना मूल्य बकाया था, और गन्ना कौड़ी के मूल्य बिके। सामने बैठे हुए साथियों के जमाने में पडरौना में गन्ना किसानों के उपर गोली चली जिसमें भूलन गुप्ता की गोली लगने से मृत्यु हो गयी, तथा किसानों के ऊपर उल्टे मुकदमा दर्ज किया गया जिससे वापस किये जाने की मांग हम सरकार से करते हैं। मान्यवर, हम माननीय सदस्य राम इकबाल को बतलाना चाहते है कि उनकी सरकार में नकल अध्यादेश कानून लागू किया गया था। जिसमें अनेक छात्र एवं छात्रायें जेल गयीं सपा की सरकार बनने पर जेल गये छात्र छात्राओं के माता पिता ने काली माई को कढ़ाई चढ़ाया था। नकल अध्यादेश को समाप्त किया गया था। स्वयं केन्द्र परीक्षा में गरीब छात्रों को घर से जाकर परीक्षा देने में कठिनाई नहीं होती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इसने कई कीर्तिमान स्थापित किये है जैसे :-- कन्या विद्या धन योजना, बेकारी का भत्ता, विधवा, बृद्धा, विकलांग पेंशन, आसाध्य बीमारी के लिए विवेकाधीन कोष से अनेक लोगों को अनुदान दिये गये, इस सरकार का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय डा0 पी0के0 राय द्वारा

धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का प्रबल विरोध करता हूं क्योंकि महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पढ़ा ही नहीं गया इसलिये धन्यवाद का कोई औचित्य ही नहीं बनता।

मैं अपने द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा यह मत है कि प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर विफल हुई है। पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम है। जनपद पीलीभीत में आये दिन थानों में हत्यायें हो रही हैं। दिनांक 7-1-2007 को हजारा थाने में श्री बलजीत सिंह मान एवं ददराम की नृशंस हत्या थाने के पुलिस कर्मचारियों की मिलीभगत से कर दी गयी और हत्यारों की मदद करने के लिये मेरे साथ साठ अन्य कार्यकर्ताओं पर लूट एवं आगजनी के 3 फर्जी मुकदमें कायम कर दिये गये जिससे क्षेत्र की जनता में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है, मैं श्रीमान् एवं ददराम की हत्या में नामजद लोगों दोषी पुलिस कर्मचारियों एवं षड़यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं तथा इस घटना की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा कराने का आग्रह भी करता हूं। दिनांक 23/24 जनवरी, 2007 को थाना कोतवाली पूरनपुर, पीलीभीत में अर्धरात्रि को श्री हरपाल सिंह सिपाही की हत्या थाने के अन्दर ही श्री देशराज सिंह सिपाही द्वारा कर दी गयी। दिनांक 24 जनवरी, 2007 को विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा जब इस घटना का विरोध किया गया तो उन लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया और लोगों को सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया। इस घटना से क्षेत्रीय लोगों में अत्यधिक आक्रोश एवं भय व्याप्त है। जनपद में पुलिस की कार्यप्रणाली की घोर निन्दा हो रही है, जिला प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गया है पूरे जनपद में अराजकता का माहौल व्याप्त है। मान्यवर, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गयी है इसका प्रमुख उदाहरण निठारी काण्ड और जनपद पीलीभीत में जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिस थाने के अन्दर जनवरी, 2007 में हुई हत्या से शासन एवं प्रशासन की पोल खुल जाती है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

मान्यवर, प्रदेश में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार असफल है। अभी हाल में हुई कई भर्तियों में भ्रष्टाचार के कारण न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी इस भ्रष्टाचार में शासन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक लिप्त हैं।

मान्यवर, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से शिक्षा प्रभावित हो रही है, सरकार द्वारा विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से अध्यापकों के चयन करने की बात कही जा रही है, शिक्षा के लिये शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां की गयी हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब

शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से कर रहे हैं और सभी अर्हतायें भी पूर्ण करते हैं तो क्यों न सरकार इन शिक्षा मित्र शिक्षकों को नियमित करके शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने की घोषणा करती है मैं इन शिक्षा मित्रों को नियमित करने एवं पड़ोसी राज्यों की भांति मानदेय दिये जाने की मांग करता हूं। एक तरफ तो सरकार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रही है दूसरी तरफ बाद में इन शिक्षा मित्रों को बेरोजगार कर देती है।

मान्यवर, गन्ना किसानों को उनकी लागत को देखते हुए उनकी उपज मूल्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है किसानों को कम से कम उनकी लागत को देखते हुए 150/- रु0 प्रति कुन्तल गन्ने का मूल्य का दिया जाना चाहिए यह सरकार किसान हितैषी नहीं किसान विरोधी है।

मान्यवर, प्रदेश में किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही है, समय से बिजली एवं सिंचाई हेतु पानी, उर्वरक की कालाबाजारी के कारण समय से खाद न मिलना शासन की उपलब्धियां स्वयं उजागर हो रही हैं।

मान्यवर, प्रदेश में किसानों को कम से कम 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए और पावर कनेक्शन जितनी बिजली इस्तेमाल हो उसी के हिसाब से बिल भुगतान होना चाहिए परन्तु इस समय कहीं-कहीं दो-तीन महीने से विद्युत आपूर्ति तकनीकी खराबी के कारण न होने पर भी किसानों उस अवधि का विद्युत बिल का भुगतान करना पड़ रहा है यह उचित नहीं है।

मान्यवर, प्रदेश में पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 कार्ड अन्त्योदय कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है बल्कि अपात्र व्यक्तियों को धनबल या बाहुबल के आधार पर बी0पी0एल0 कार्ड जारी किये गये हैं जिसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, प्रदेश में आवास विहीन लोगों को इन्दिरा आवास देने की योजना है परन्तु इसका लाभ पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है इन्दिरा आवास आवंटन के मामले में भी काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

मान्यवर, निठारी काण्ड में दोषी व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए तथा पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये की सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

मान्यवर, डा0 कविता रानी चौधरी काण्ड में सत्ता में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए परन्तु सरकारी मशीनरी द्वारा इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय उन्हें बचाने का प्रयास किया गया है।

मान्यवर, प्रदेश के जूनियर विद्यालय को अनुदान सूची में छूट गये हैं उन विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाना चाहिए।

मान्यवर, जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में माधव टाण्डा एवं गढ़वा खेड़ा में नये विकास खण्ड कराये जाने चाहिए।

मान्यवर, जनपद पीलीभीत के कलीनगर में नयी तहसील की स्थापना आबादी एवं जनमानस के हितों को देखते हुए कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

मान्यवर, माधव टाण्डा जनपद पीलीभीत में नया कृषि इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है यहां पर कोई कृषि इण्टर कालेज नहीं है।

मान्यवर, गोमती उद्गम स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित कराया जाना चाहिए।

मान्यवर, आसाम-बस्ती मार्ग को पीलीभीत से खुटार तक तत्काल हाटमिक्स निर्मित कराया जाना चाहिए।

पूरनपुर में निर्मित 132 के0वी0ए0 बिजली घर को तत्काल जनहित में चालू किया जाना चाहिए।

मान्यवर, जनपद शाहजहांपुर के जो 94 गांव सन् 2002 में जनपद पीलीभीत में जोड़े गये हैं उन गांवों की पुलिस विभाग की अधिसूचना तत्काल जारी कराये जाने एवं अन्य विभागों का कार्य जिनको पीलीभीत स्थानान्तरित नहीं किया गया है उन्हें पीलीभीत स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

मान्यवर, जनपद पीलीभीत में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के ऊपर जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं उन्हें तत्काल वापस कराकर उत्पीड़न की कार्यवाही रोका जाना चाहिए। इसी प्रकार भाकपा माले नेता कृष्णा अधिकारी एवं अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

मान्यवर, पूरनपुर तहसील के जनपद पीलभीत में कई साल से रह रहे बंगाली परिवारों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

मान्यवर, शारदा कटान में जिन लोगों के आवास कट गये हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन्दिरा आवास आवंटित किया जाना चाहिए और कृषि योग्य जमीनों एवं फसलों की बर्बादी पर पर्याप्त मुआवजा देकर सहायता किया जाना जनहित में आवश्यक है।

ट्रान्स शारदा क्षेत्र में जिन लोगों को उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत पट्टे आवंटित किये गये हैं उन्हें उत्तराखण्ड की भांति सीरदारी राइट्स दिये जाने चाहिए। इसी प्रकार बाढ़ से जो सड़कें एवं पुलिया टूट गयी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर आवागमन हेतु पुनर्निर्माण कराया जाना चाहिए। शारदा नदी के ऊपर धनारा घाट पर पुल का निर्माण आवागमन की दृष्टि से तत्काल कराया जाय जिससे कि लखीमपुर तथा नैपाल जाने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधा मिल सके।

मान्यवर, पूरनपुर तहसील के मार्गों जैसे-पुरनपुर से धनरा घाट मार्ग, पूरनपुर से बण्डा, शेरपुर कला से बिलहरी होते हुए नजीरगंज मार्ग, जरा से शिवनगर मार्ग, हरदोई ब्रांच से बाइफरकेशन होते हुए चुका मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाना चाहिए।

मान्यवर, पूरनपुर तहसील जनपद पीलीभीत में बूंदीभूड़ से लेकर पलिया कलां तक जहां-जहां कटान से नुकसान हो रहा है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर ठोकरें बनाकर ट्रान्स शारदा क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से निजात दिया जाना आवश्यक है।

सहकारी चीनी मिल पूरनपुर की पेराई क्षमता बढ़ाई जाय एवं डिस्टलरी की स्थापना कराया जाय।

मान्यवर, हरदोई ब्रान्च में माधव टाण्डा के पास रेगुलेटर लगाया जाना एवं पूरनपुर तहसील में सिंचाई के लिये पर्याप्त जल दिलाया जाना अति आवश्यक है।

मान्यवर, कलीनगर टाउन एरिया का अभी तक चुनाव नहीं कराया गया है उसके अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना चाहिए तथा इस टाउन एरिया में ई0ओ0 की नियुक्ति की जानी चाहिए।

मान्यवर, पूरनपुर तहसील में जंगल के किनारे बसे हुए गांव में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के लिये जंगल के किनारे पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक वायरिंग कराया जाना चाहिए।

जनपद पीलीभीत में विगत वर्ष जितनी अपहरण, बलात्कार, हत्या की घटनायें हुई हैं जैसे पवन हत्याकाण्ड, अजय खण्डेलवाल के लूटकाण्ड का तत्काल पर्दाफाश नहीं होने से इस सरकार की विफलता उजागर होती है। नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम करन आर्य-

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत व समर्थन करता हूं। महोदय, 3 साल के शासन में प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हुआ है। पिछले दस साल में जितने पुल बने हैं उससे अधिक पुल बड़ी नदियों पर 3 साल में पुल बने हैं। महोदय, मेरे विधान सभा नगर पूर्व बस्ती में 6 करोड़ रुपये का पुल बना है और एक पुल देवरांव घाट पर कुआनों नदी पर मा0 मुलायम सिंह यादव ने दिया है जिसका मैं आभारी हूं।

महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी निवेदन है कि मेरे विधान सभा में अभी भी विकास की जरूरत है। मेरे विधान सभा में सोलिया घाट पर पुल बनना जरूरी है। कुआनों नदी पर वानपुर में पुल बनना जरूरी है। इसे बनवाने की कृपा करें।

महोदय, कन्या विद्या धन, बेरोजगारी का भत्ता, छात्राओं को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा, इण्टर तक फीस माफी, कक्षा 8 तक छात्राओं को वर्दी, एक रुपया अस्पताल में पर्ची की कीमत, 130 रुपया गन्ने की कीमत, एक हजार जू0 हा0 स्कूल को एड पर लेना, 5 हजार उर्दू टीचरों की भर्ती, चौकीदारों को एक हजार रुपया वेतन, 58 से 60 साल टीचरों के अध्यापन कार्य आदि तमाम जनहित के कार्य किये हैं।

महोदय, उ0 प्र0 की सरकार की प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है। इसलिये कांग्रेस, बसपा और भाजपा में बौखलाहट है और सभी मिल कर सरकार को गिराना चाहते हैं। इनके मंसूबे पूरे नहीं

होंगे। हम हमेशा चुनाव के लिये तैयार हैं। यह सरकार जनता की सरकार है सारे कार्य जनहित में किये हैं। भविष्य में भी हमारी सरकार बनेगी और उ0 प्र0 उत्तम आदर्श प्रदेश बनकर देश में उभरेगा।

महोदय, मैं डा0 पी0 के0 राय द्वारा प्रेषित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

महोदय, अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं को सदन में रखने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

मेरी किशनपुर विधान सभा यमुना के बीहड़ में स्थित अति ही पिछड़ी विधान सभा है, इस क्षेत्र में निचली गंगा नहर ही एक मात्र सिंचाई का प्रमुख साधन है एवं इस नहर में जल आपूर्ति हेतु, जरौली पम्प कैनाल योजना चालू हो चुकी है। जिससे निचली गंगा नहर से सम्बन्धित निम्न राजबहों एवं माइनरों को टेल तक खुदाई हेतु विभाग को आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

1-सुजानपुर रजबहे को टेल तक खुदाई कराकर जल आपूर्ति कराना,

2-छाता रजबहे को हेड से डेडा साई तक टेल मान कर सिल्ट सफाई,

3-परसिद्धपुर माइनर को किशनपुर पम्प नहर से सम्पर्क कराना,

4-करारी रजबहे को हेड से टेल तक वेडवार सिल्ट सफाई,

5-सातों माइनर की हेड से टेल तक खुदाई कराना,

6-जरौली माइनर को हेड से टेल तक सफाई एवं हेड का चौड़ीकरण।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री लालजी टण्डन जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है।

मान्यवर, सरकार कानून का सामना करने का ढिढोरा पीटती है, लेकिन एक ही उदाहरण सरकार के इस दावे की पोल खोलने के लिये काफी है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध विचाराधीन याचिका में अपना निर्णय दिनांक 18-5-05 को दिया। राजेश श्रीवास्तव बनाम राज्य अवमानना वाद सं0 820/2002 में मा0 न्यायाधीश सुनील अम्बवानी ने अपने निर्णय में सहारनपुर के हकीम मो0 अकरम, हकीम खलील अहमद तथा हकीम नजरूल हसन को अस्वीकार करते हुए इनके द्वारा सहारनपुर में चलाये जा रहे फर्जी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय को बन्द करने का निर्देश दिया, उसे बन्द भी किया गया खेद है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इनके विरुद्ध निर्णय के बावजूद उ0 प्र0 की बेशर्म सपा सरकार ने हकीम अकरम जी को भारतीय चिकित्सा परिषद् उ0 प्र0 का अध्यक्ष तथा हकीम खलील अहमद व श्री नजरूल हसन जी को सदस्य

के रूप में चिकित्सा शिक्षा-2 की विज्ञप्ति सं0 580C.M.71-2.06-383/97, दिनांक 11-10-06 द्वारा नामित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ही प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों का पंजीकरण करती है। अर्थात् हाईकोर्ट से दोषी सिद्ध व्यक्तियों को ही अनियमितता करने की खुली छूट दे दी।

सरकार का यह कृत्य भारतीय चिकित्सा अधिनियम, उ0 प्र0 1939 की धारा 5,10, 18 जिसमें शैक्षिक योग्यता निर्धारित है, का उल्लंघन है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0 27850/05 में मनोनयन समाप्त कर चुनाव कराने के आदेश का उल्लंघन है।

मनोनीत अध्यक्ष श्री अकरम ने अपने आपको को दर्जा राज्य मंत्री घोषित कर लिया। कथित अध्यक्ष श्री अकरम अब अपने अधिकारों को दुरुपयोग कर भारतीय चिकित्सा परिषद् के अधिनियम 1939 की धारा 39 तथा 41(2) का तथा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् के अधिनियम की धारा 17(3) बी के विपरीत व्यक्तिगत उन चिकित्सकों को जिनमें से उनकी नाराजगी है सर्वश्री डा0 विनोद गुप्ता, डा0 सत्य प्रकाश सैनी, सहारनपुर, डा0 नागेन्द्र मेरठ तथा बाराबंकी व शाहजहांपुर के कुछ चिकित्सकों के विरुद्ध अनर्गल आदेश जनपद में सी0 एम0 ओ0 तथा जिले के अधिकारियों को कार्यवाही करने का आदेश रजिस्ट्रार से भिजवा रहे हैं।

सरकार को चाहिए कि आई0 एम0 सी0 सी0 ऐक्ट, 1970 तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप तथा यू0 पी0 आई0 एम0 सी0 सी0 ऐक्ट, 1939 की धारा 41(2) को अद्यतन संशोधित करने की कार्यवाही करें तथा तमिलनाडु की भांति भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद यूनानी) के संदर्भ में अपना भी अधिनियम भी बनावें।

मान्यवर, सरकार एक मंत्री जी द्वारा अपने जनपद बलिया में अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाकर एक महाविद्यालय स्थापना के नाम पर ग्राम समाज की 27500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि मंत्रि-मण्डल का निर्णय कराकर उच्च शिक्षा विभाग का आदेश कराकर अपने कालेज के नाम करा ली।

किसी महाविद्यालय की स्थापना हेतु मात्र 5000 मीटर भूमि की आवश्यकता होती है तब इतनी जमीन का औचित्य क्या, प्रक्रियानुसार एल0 एम0 सी0 का प्रस्ताव नहीं, जमीन में 20 बी0 सी0 तथा 4 एस0सी0 के पट्टे थे। उनको पुनः भूमिहीन बना दिया गया।

मंत्रि-परिषद् के निर्णय के 3 वर्ष पूर्व वर्ष 2004 में खतौनी में वह भूमि अपने नाम कराने का अवैधानिक कार्य किया गया है।

मान्यवर, यह सरकार की कारगुजारी। स्वच्छकार विमुक्ति योजना को प्रभावी बनाने, सफाई कर्मचारी की नियमित भर्ती की तरफ भी सरकार ने बारबार आग्रह के बावजूद कोई रुचि नहीं दिखाई है।

मान्यवर, मेरठ विश्वविद्यालय के मूल्यांकन घोटालों की जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया, दोषियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं, कार्यवाही तो क्या होगी, छात्रों का भविष्य अंधकारमय, छात्रों में बेचैनी है, उत्पीड़न हो रहा रहा है, बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा 2006-07 हो चुकी, परिणाम आया। प्रवेश अभी भी 2005-06 के भी पूरे नहीं, पूर्णतः अराजकता व्याप्त है, स्वेच्छाचारिता हो रही है।

मेरठ में पुलिस लाइन के बंजर पड़े पार्कों को विकसित कर पुलिस लाइन के आवासीय परिसर में बच्चों हेतु सुविधा प्रदान करने की मांग करता हूं।

मेरठ में ओडियन नाले पर काली नदी के समीप चिकौड़ी ग्राम की भूमि पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन स्थापित कर मेरठ की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। विक्टोरिया पार्क अग्निकाण्ड घायलों की शेष चिकित्सा व्यवस्था, प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। पूर्व में हुई चिकित्सा के व्यय की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। उसके लिये जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा सितम्बर, 06 में मांगी गयी राशि तत्काल अवमुक्त की जानी चाहिए।

प्रदेश में शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण खाली पदों के विरुद्ध किया जाना चाहिए।

मान्यवर, मेरठ में भोले की झाल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की लम्बित योजना को तत्काल प्रारम्भ करना पर्यटन हित में आवश्यक है।

उत्तर भारत के प्रसिद्ध नौचन्दी मेले को गौरवशाली स्वरूप में पुनर्स्थापित करने हेतु मेला अथारिटी बनानी चाहिए तथा मेले के व्यापार को ग्वालियर व सैफई मेले की भांति व्यापार कर से मुक्त करना चाहिए।

मान्यवर, प्रदेश में मानदेय शिक्षकों के नियमितीकरण की लड़ाई मैं पिछले सात वर्षों से लड़ रहा हूं, सरकार ने अनुकूल निर्णय लिया है, मैं आभारी हूं।

परन्तु इसकी एक विसंगति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि तीन वर्ष या उससे अधिक तक पढ़ा चुके परन्तु आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी के कारण हटे अर्थात् वर्तमान में मानदेय शिक्षक के रूप में कार्यरत न होने वाले शिक्षक हेतु भी विनियमितीकरण करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार मा0 शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 की धारा 18(8) के अधीन गठित मण्डलीय चयन समिति के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापिकाओं को भी नियमित करने की व्यवस्था करे जाने की मांग करता हूं। सरकार पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ने वाला है।

मुरादनगर रुड़की नहर पटरी योजना कांवड़ियों की सुविधा हेतु मई, 2007 से पूर्व पूर्ण की जानी चाहिए।

मान्यवर, मेरठ में आयात/निर्यात मूलक उद्योगों की सुविधा हेतु स्थापित आई0 सी0 डी0 कन्टेनर डिपो समाप्त कर दिया गया है, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा यह सुविधा पूर्ववत बहाल किये जाने की मांग करता हूं।

मेरठ में पी0 वी0 एस माल, विक्टोरिया पार्क अग्निकाण्ड, स्टेट बैंक अग्निकाण्ड के बाद भी सरकार मेरठ की अग्निशमन व्यवस्था में सुधार एवं प्रभावी बनाने हेतु परतापुर, मवाना, सरधना में भूमि होते हुए भी भारत सरकार द्वारा स्थापना एवं चार वर्ष तक संचालन व्यय उठाने के वायदे के बाद भी स्थापित न करना, सरकार की मेरठ की जनता के साथ नाइंसाफी है। तत्काल स्थापित करने की मांग करता हूं।

मेरठ में बुढ़ाना गेट स्थित इस्सार कालेज बुढ़ाना गेट स्थित ट्यूबवेल के फेल हो जाने के कारण रीबोर कराने हेतु तत्काल 15 लाख रुपये अवमुक्त किये जाने चाहिए, जिससे पेयजल की उत्पन्न समस्या का समाधान हो सके।

मेरठ विकास प्राधिकरण में सी0 टी0 पी0 तथा सी0 ई0 तथा ई0 ई0 के रिक्त पदों की पूर्ति विकास के हित में तत्काल किये जाने की मांग करता हूं।

मान्यवर, विधान सभा की याचिका समिति के निर्देश पर मेरठ में हुई नाला सफाई घोटाले की जांच में दोषी तत्कालीन नगर आयुक्त श्री अनिल राजकुमार के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की निन्दा करते हुए तत्काल निलम्बित कर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

मेरठ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने की भी मांग करता हूं।

प्रदेश विधान सभा में घोषित मेरठ में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना करके खेल व खिलाड़ियों को विकसित किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। काफी लम्बे समय से लम्बित है।

मेरठ महानगर में ज्वैल सिटी स्थापित करने की लम्बित योजना को तत्काल गति प्रदान कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

मेरठ महानगर में सरफेस वाटर पेयजल आपूर्ति हेतु भोले की झाल की योजना व कचरे से बिजली बनाने की योजना को पूर्ण करके कचरे निस्तारण की योजना को जनहित में कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

मान्यवर, मेरठ में 90 अनियमित कालोनियों को जैसा है, जहां की स्थिति में उनकी परिस्थिति के अनुसार नियमों को शिथिल करके नियमित किये जाने की कार्यवाही कर उनके निवासियों का उत्पीड़न रोका जाना चाहिए।

पश्चिमी उ0 प्र0 में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग को पूर्ण करने हेतु हाल ही में केन्द्रीय कानून मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज द्वारा दिये गये बयान तथा सरकार से मांगी गयी सहमति को तत्काल देकर जनता की मांग पूर्ण कर वादकारी हित को सुरक्षित किये जाने की मांग करता हूं।

प्रदेश मंत्रि-परिषद् के दो माननीय सदस्यों द्वारा श्री अहमद हसन जी तथा श्री शाकिर अली जी द्वारा परिवार कल्याण के राष्ट्रीय कार्यक्रम दो बच्चे/नियोजित परिवार के विरुद्ध बयान देने का मैं विरोध करता हूं तथा मांग करता हूं कि उनको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। संवैधानिक पद पर रहते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के विरुद्ध आचरण, व्यवहार निन्दनीय है।

यह उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण, जातीय भेदभाव तथा पुनः नये एक पाकिस्तान को जन्म देने की गोपनीय योजना का भाग है। इन दोनों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

मेरठ के एक शताब्दी पुराने मेरठ कालेज, मेरठ में भवन व प्रयोगशालाओं हेतु एक करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की मांग करता हूं।

नानकचन्द ऐंग्लो संस्कृत कालेज में एस्ट्रोटर्फ स्थापित किये जाने की मांग भी करता हूं। मेरठ में श्रद्धेय लोहिया जी, अग्रसेन महाराज, पं0 दीनदयाल जी व भगवान बुद्ध की मूर्तियों को स्थापित करने हेतु मूर्ति उपलब्ध कराने हेतु संस्कृति विभाग से मांग करता हूं।

मेरठ नगर निगम कमेले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने की मांग तथा कमेले को, ठेके को सांठगांठ कर गलत ढंग से देने के तत्कालीन नगर आयुक्त श्री अनिल राजकुमार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

मान्यवर,

अन्त में प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था की स्थिति है, पर बल देते हुए मा0 टण्डन जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मसहूद खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे डा0 पी0 के0 राय जी, विधान सभा सदस्य द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर कहने का अवसर दिया है मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और डा0 पी0 के0 राय जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए इसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। मान्यवर, आज हमें गर्व है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चल रही कल्याणकारी सरकार ने जनहित, प्रदेश हित व देश हित में जो काम किये हैं उसके लिये प्रदेश की जनता माननीय मुख्य मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है। हमारी सरकार से पहले जिस अनिश्चितता का वातावरण चारों तरफ फैला था उससे कौन वाकिफ नहीं है, प्रदेश में जो चुनौतियां थीं उससे घबराकर किस तरह तत्कालीन मुख्य मंत्री ने किस तरह इस्तीफा देकर मैदान छोड़ा था तथा जनता को पीठ दिखाई थी यह जग जाहिर है। परन्तु हम और हमारे साथ-साथ प्रदेश की महान जनता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री जी को बधाई देती है कि उन्होंने उस समय जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी एवं त्राहि-त्राहि मची हुई थी, सारी चुनौतियों को स्वीकार किया तथा हालात से घबरा कर भागे नहीं बल्कि हालात का बड़ी बहादुरी से सामना किया और आज इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, लेकिन मुझे खेद है ऐसी सोच वालों पर जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश न बने तथा आये दिन कोई न कोई बाधा उत्पन्न किया करते हैं, परन्तु हमारी सरकार और इसके मुखिया तथा मंत्रि-मण्डल के मंत्रीगण और प्रदेश की महान जनता के सहयोग से हर प्रकार की बाधाओं से निपटना भी जानते हैं।

आज ब0स0पा0 या कांग्रेस के लोगों को इलाहाबाद का मदरसा काण्ड नजर आता है, परन्तु जब गुजरात में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था तब ब0स0पा0 सुप्रीमो भा0 ज0पा0 का चुनाव प्रचार करने गयी थीं तथा उस समय कांग्रेस के लोगों को मुसलमानों पर हो रहा जुल्म क्यों नहीं दिखाई दिया ? अहमदाबाद में इस कदर जुर्म बरपा किया गया कि इसके बारे में शायरों ने कहा कि "कलम कारों जुल्म का रुदाद लिख देना, कयामत जब भी लिखना हो अहमदाबाद लिख देना।"

आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है लाशों पर राजनीति करने की नापाक कोशिश की जा रही है जब देखो तब बस एक ही रोना निठारी कांड-निठारी कांड ! अरे विपक्ष वालों तुम्हें तो माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि जिस तरह संवेदनशीलता का परिचय माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है और निठारी कांड की जांच सी0 बी0 आई0 से कराने की बात की है उससे सारी सच्चाई सामने आ जायेगी तथा दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जायेगा। हमारी सरकार ने तथा इसके मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हर मामले में ईमानदारी से काम किया है और जिसका जो हक बनता था उसको बिना मांगे ही उसे दे दिया है, आज समाज का हर वर्ग प्रसन्न है तथा माननीय मुख्य मंत्री की तारीफ कर रहा है कि ऐसी कल्याणकारी सरकार हमेशा रहनी चाहिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी विधवाओं, सभी वृद्धों तथा सभी विकलांगों को पेंशन दे दिया, सभी जाति के गरीब व्यक्तियों के लड़कियों की शादी के लिये अनुदान दे दिया, विपक्ष वालों बताओ क्या यह सब तुम्हें नहीं दिखाई देता ? हमेशा तुम्हें बुराई ही नजर आती है। समाज में जिन लड़कियों के जन्म लेने पर कोई खुशी नहीं होती थी आज कन्या विद्या धन की देन है कि समाज लड़की पैदा होने पर अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है, बेरोजगारी भत्ते ने बेरोजगार नौजवानों को जीने की एक नई राह दी है, एक हौसला दिया है, हिम्मत दी है।

आज हमारी कल्याणकारी सरकार ने जिस तरह पुल व सड़कों का निर्माण किया है वह अपने आप में ऐतिहासिक है आजादी के बाद 54 वर्षों में जो काम नहीं हो पाये थे हमारी सरकार ने उससे कहीं ज्यादा विकास कार्यों को करने का काम किया है। हमारी सरकार से पहले किसानों की क्या हालत थी उसे कौन नहीं जानता ? परन्तु आज हमारी सरकार द्वारा दिये जाने वाले गन्ने का मूल्य तथा किसानों की ब0स0पा0 सुप्रीमो पहले तो मुसलमानों को कट्टरपंथी कहती हैं और अब जब चुनाव करीब हैं तो मदरसा कांड के जरिये मुसलमानों का वोट लेने के लिये घिनौनी साजिश कर रही हैं, यही हाल कांग्रेस का है आजादी के बाद लगभग 50 वर्षों तक उ0 प्र0 की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस ने मुसलमानों के लिये कुछ नहीं किया, बल्कि भा0ज0पा0, आर0 एस0 एस0 तथा वि0 हि0 प0 के लोगों ने जहां-जहां मुसलमानों पर अत्याचार किया वहां कांग्रेसियों ने मूक दर्शक बनकर भा0 ज0 पा0, आर0 एस0 एस0 तथा वि0 हि0 प0 का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया, कौन नहीं जानता कि सबसे अधिक दंगे उ0 प्र0 में कांग्रेस के शासन काल में हुये। अरे विपक्ष में बैठे लोगों तुम तो मुसलमानों को हमेशा गिरी निगाह से देखते रहे परन्तु आज जब मर्दे मुजाहिद माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा समाज के

हर वर्ग के साथ मुसलमानों को इसी देश का वासी मानकर (विपक्ष वालों तुमने तो कभी मुसलमानों को भारतवासी दिल से कबूल ही नहीं किया तुमने तो कभी मुसलमानों के जज्बातों से खेलने के लिये वन्देमातरम् पर राजनीति की तो कभी मुसलमानों को इस देश से ही बाहर निकालने की बात की।) मुसलमानों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिये जो सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं उसे क्या तुम्हारे चिल्लाने से मुसलमान भूल जायेगा ? ब0 स0 पा0 और कांग्रेस के लोगों कान खोल कर सुन लो मुसलमान अब समझ चुका है कि उसका हमदर्द अब मात्र श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के साथ रहने में ही मुसलमानों की भलाई है और ये मत समझना कि हम गद्दार हैं माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को यह बता देंगे कि आपने हमारे ऊपर जो एहसान किये हैं उसका बदला आने वाले चुनावों में हम मुसलमान माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाकर करेंगे, जहां तक वफादारी की बात है कि मैं बताता चलूं कि वफादारी का सबूत तो हम पहले ही दे चुकें हैं जंगे आजादी की लड़ाई में हमने वीर अब्दुल हमीद बनकर पाकिस्तान की पेटेन टेंके भी तोड़ी हैं और अशफाकउल्ला बनकर फांसी के फंदे को भी गले से लगाया है और ये भा0 ज0 पा0, आर0 एस0 एस0 व वि0 हि0 प0 के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे उसे कौन नहीं जानता ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किसने की इसे कौन नहीं जानता ? अरे लाशों की ढेर पर राजनीति करने वालों तुम्हारी नापाक कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुसलमानों के हित में जो कार्य किये हैं उसे क्या मुसलमान भूल जायेगा पहली बार आजादी के बाद किसी ने अगर मुसलमानों पर ध्यान दिया तो वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, अरे जिन्दों के लिये तो करना आम बात है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे आबा व अजदा जो इस दुनिया से रुख्सत हो गये उनके लिये भी किया, हमारे कब्रस्तानों की भी हिफाजत की देश के इतिहास में पहली बार उ0 प्र0 की कल्याणकारी सरकार ने यह शासनादेश जारी किया कि प्रदेश के सभी कब्रस्तानों की हदबरारी कराकर उससे अवैध कब्जा तथा गन्दगियां हटवा दी जाएं, क्या मुसलमान इसको भूल जाएगा ? नहीं भूलेगा शैक्षिक स्तर ऊपर उठाने के लिये जौहर अली विश्वविद्यालय कायम करने का जो ऐतिहासिक काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा किया गया है उसके लिये मुसलमानों की आने वाली नस्लें भी माननीय मुलायम सिंह जी को दुआएं देंगी, मेरा तो मानना है कि समाज के हर वर्ग के साथ-साथ मुसलमानों के लिये भी जब भी कुछ किया गया है तो वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा ही किया गया, किसने नहीं देखा कि उ0 प्र0 में जब भी मदरसे ग्राण्ट पर लिये गये तो वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही किया बहुत सारी बातें हैं जिसे जनता खूब अच्छी तरह जानती है, समय कम है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह माननीय मुलायम सिंह जी समाज के हर वर्ग के लिये किया है उसी तरह आने वाले चुनावों में समाज का हर वर्ग दिल खोल कर समाजवादी पार्टी का साथ देगा तथा पूर्ण बहुमत की सरकार उ0 प्र0 में माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में बनेगी।

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत-जय समाजवाद।

धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर हमारे संशोधन पर आपने मुझे कृपापूर्वक बोलने का अवसर दिया, जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं :-

मा0 अध्यक्ष जी-राजयपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह तथ्यों से बहुत दूर तथा सत्य से परे है। सम्पूर्ण प्रदेश से कानून का राज समाप्त हो गया है। इस सरकार के राज में न केवल गुंडे, बदमाश, माफिया, अपहरणकर्ता, हत्यारे निर्भय होकर अपना काम कर रहे हैं बल्कि प्रदेश की सपा सरकार के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश की की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गयी है। पुलिस प्रशासन के निचले स्तर के अधिकारी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं की भांति कार्य कर रहे हैं। यदि प्रदेश में आगामी विधान सभा के चुनाव वर्तमान सरकार तथा उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव के सरकार में रहते हुये तो चुनाव निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने की बात कल्पनातीत होगी।

मा0 अध्यक्ष जी इस सरकार के रहते यदि चुनाव हुये तो किस ढंग से होंगे, इसका संकेत अभी वरिष्ठ मंत्री श्री नरेश अग्रवाल जी ने अपने भाषण में यह कहकर दे दिया है कि यदि मैं रहता तो विपक्ष नगर निगम की एक भी सीट नहीं जीत सकता था क्योंकि हम साम दाम दंड भेद में सत्ता का संचालन करते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी इस सरकार में प्रदेश का किसान, खाद, बिजली, पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहा है। यूरिया, डी0 ए0 पी0 खादों के वितरण में किसानों को लाठियों से पीटा जा रहा है। किसानों को प्रतिदिन 14 घंटे बिजली देने का वायदा करके यह सरकार एक सप्ताह में भी 14 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है। सरकार में डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थों से व्यापार कर तथा अन्य कर कम करके किसानों को राहत देने से इन्कार कर दिया है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इसलिये भी धन्यवाद नहीं दे सकते कि प्रदेश सरकार में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है। सरकारी योजनाओं का धन पूरी तरह लूटा जा रहा है। गरीब आदमी का विश्वास इस सरकार से पूरी तरह खत्म हो गया है। उसको विश्वास ही नहीं कि उसका कोई न्यायसंगत कार्य बिना पैसा दिये हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हाल में प्रकाश में आयी दो घटनायें सम्पूर्ण देश को हिला देने वाली हैं। नोयडा के निठारी गांव में गत दो वर्षों में 40 से अधिक बच्चे न केवल गायब हुये, उनकी हत्या की

गयी। किन्तु इस दिल दहला देने वाली घटना का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि गायब बच्चे के परिजन पुलिस थाने, वरिष्ठ अधिकारियों के यहां गिड़गिड़ाते रहे लेकिन उन्हें ढूंढ़ने की कोशिश करने की जगह उनके एफ0 आई0 आर0 तक नहीं लिखा गया उल्टे निठारी गांव में 40 से अधिक अस्थि कंकाल मिलने के बाद प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री तथा प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री जी सगे छोटे भाई शिवपाल यादव की यह टिप्पणी की "यह एक सामान्य घटना है। ऐसी घटनायें तो होती रहती हैं।" यह इस सरकार की निर्दयता तथा घोर असंवेदनाशीलता का परिचायक ही नहीं है बल्कि कानून और व्यवस्था की स्थिति का यह एक नमूना है। कविता काण्ड में तो प्रदेश सरकार के एक दर्जन मंत्रियों का नाम प्रकाश में आया है। यह पूरे प्रदेश के लिये शर्म से झुकाने वाली घटना है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सपा के निचले स्तर के ही नहीं बल्कि मंत्री तक अपराध में लिप्त हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले जौनपुर में हत्या, डकैती, छिनैती की बाढ़ आ गयी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तथा केराकत टाऊन एरिया के चेयरमैन के जेठ उनके एक सहयोगी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी इसके पूर्व एक साल पहले उसके सगे भाई की हत्या कर दी गयी थी। इन हत्याओं के अभियुक्त समाजवादी पार्टी के दूसरे ग्रुप के नेता हैं।

मा0 अध्यक्ष जी उ0 प्र0 में विभिन्न विधान सभा क्षेत्र में विधायकों द्वारा चयनित समग्र गांवों के विकास के लिये धन नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। भूगर्भ जल का स्तर चिन्ताजनक स्थिति तक गिरता जा रहा है। इस गम्भीर समस्या का हल निकाला जाना चाहिये।

मा0 अध्यक्ष जी, जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है। मैं मांग करता हूं कि इस विश्वविद्यालय में एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त पूर्ण मेडिकल कालेज, खोला जाय ताकि पूर्वांचल के गरीब लोगों को सस्ता एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवायें मिल सकें।

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे जनपद जौनपुर में बड़ी संख्या में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 चयनित प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का चयन हुआ है किन्तु उन्हें दूसरे जनपदों में जौनपुर से दो तीन सौ कि0 मी0 दूर नियुक्त कर दिया गया है। जबकि सरकार की सामान्य नीति है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को अपने गृह जनपद में ही नियुक्त किया जाता है। मेरी मांग है कि प्राइमरी अध्यापकों को जो विशिष्ट बी0 टी0 सी0 चयनित है अपने गृह जनपद में वापस बुला कर नियुक्त किया जाय तथा उनका बकाया वेतन तत्काल भुगतान किया जाय। मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश के महाविद्यालयों में तदर्थ, मानदेय, अंशकालिक तथा संविदा में रखे गये शिक्षकों के विनियमितीकरण में घोर भेदभाव बरता जा रहा है; हमारी मांग है कि सभी शिक्षकों को विनियमित किया जाय।

महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या विद्या धन योजना में घोर भ्रष्टाचार तथा भेदभाव बरता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में सपा सरकार द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण तथा अलगाववादी हिंसक एवं आतंकवादी घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों तथा संगठनों को संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिये जाने की घटनाओं की घोर निन्दा करते हुये चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति देश को दूसरे विभाजन की ओर ले जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने संशोधन पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने हमें बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सोमारू राम सरोज-

मान्यवर, आपने महामहिम राजयपाल के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में सरकार, शासन एवं प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश में अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, राहजनी की बाढ़ सी आ गयी है। गुण्डा, भू-माफियाओं के ऊपर कोई कार्यवाही न होने से उनका मनोबल दुगना हो गया है।

मान्यवर, वर्ष 2003-04 में पांच परियोजनाओं में से चार सम्पर्क मार्ग-कछवन तीनों पुरवा होते हुये खोखरा इण्टर कालेज से बोड़सर खुर्द गांव तक, पैसारा से रम्पा पासी के पुरवा से होकर भौसिंहपुर गांव की सड़क तक, पैसारा से मुर्दहान पोखरे तक सम्पर्क मार्ग, तरियारी मोड़ से अहिरान पाल पुर परमानन्दपुर होकर सरांवा गांव की सड़क तक सम्पर्क मार्गों को पूर्ण किये जाने हेतु अंतिम धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य अधूरा पड़ा है जिससे आवागमन में परेशानियां हो रही हैं।

मान्यवर, रतनूपुर बाजार में श्री तूफानी सरोज सांसद द्वारा भाजपा कार्यकर्ता श्री प्रेम शंकर सिंह की पिटाई कर दी गयी जिसके सम्बन्ध में जौनपुर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मान्यवर, केराकत बाजार में जनवरी, 2007 के प्रथम सप्ताह में पुनः दो लोगों की हत्या के मुख्य आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने से इनका मनोबल बढ़ गया है जिससे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है।

मान्यवर, दिनांक 17-1-07 की सांयकाल को श्री नान्हू उर्फ नन्हकू यादव पुत्र स्व0 रामधारी यादव निवासी ग्राम पतौरा, जनपद जौनपुर को गोली मारी गयी, अभी तक पुलिस द्वारा मुल्जिमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मान्यवर, जनपद जौनपुर में उर्वरक की कालाबाजारी से किसानों को समय से उर्वरक न मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अधिक कीमत देकर उर्वरक खरीदना पड़ रहा है।

मान्यवर, जनपद जौनपुर में नहरों की नियमित सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण सिंचाई में असुविधा हो रही है, नहरों की सफाई सिर्फ कागजों पर दिखाकर

धन को हड़प लिया गया है जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भूगर्भ जल संचयन के सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव किये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही का न किया जाना सरकार की निष्क्रियता को दर्शाता है।

जनपद जौनपुर में केराकत चौराहे से गोमती नदी पुल पार करते हुये थाना गद्दी चौराहे से नाउपुर-झुन-झुन कम्पनी तक का सम्पर्क मार्ग अत्यन्त खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं जिसका जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है परन्तु सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मान्यवर, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के आदेश संख्या 524/14-74(2003-2006) न्या0 सं0 दिसम्बर, 2006 पर जिलाधिकारी द्वारा भू-माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके कारण भू-माफियाओं का हौसला बुलन्द हो गया है।

मान्यवर, इस प्रकार यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है पूरे प्रदेश में दहशत का वातावरण, जंगलराज, भू-माफियाओं का राज हो गया है। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव के विरोध में बल देता हूं।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल द्वारा पढ़े गये अभिभाषण का विरोध करता हूं क्योंकि महामहिम राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः उक्त अभिभाषण में निम्न बिन्दुओं को भी जोड़ दिया जाये :-

1-माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी दिनांक 10 अप्रैल, 2003 एवं 28 मई, 03 के शासनादेश के तहत गोरखपुर, बस्ती, बुलन्दशहर, बहराइच एवं महराजगंज जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 1000 बी0ए0/एल0टी0 प्रशिक्षितों की नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर की गई थी।

2-लगभग 4 माह शिक्षण कार्य करने के पश्चात् अकारण नियुक्ति निरस्त कर इन्हें सेवा से हटा दिया गया।

3-नगर पालिका परिषद् खुरजा में कार्यरत कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया वेतन, भविष्य निधि एवं पेंशन अंशदान भुगतान किये जाने हेतु अंकन 8 करोड़ रुपये विशेष अनुदान स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

4-नगर पालिका परिषद् शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर के मोहल्ला रहीमनगर खेड़ा में 08 जनवरी, 2007 को कब्रिस्तान की दीवार तथा गेट गिरने से 6 बच्चे दब गये जिनमें विवेक व दिव्या की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अतुल, अमित, कु0 संगीता व अमन आदि बच्चों को गाड़ी में डालकर जिला अस्पताल गम्भीर अवस्था में ले गया और वहां उनका इलाज कराया, डाक्टरों ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में अमन व संगीता के मस्तिष्क का आपरेशन किया।

यह परिवार गरीब व मजदूर है जो रोजाना मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है, अनुसूचित जाति के हैं। आज तक जिला प्रशासन ने इनका हालचाल नहीं पूछा है और न ही कोई आर्थिक सहायता मुहैया करायी है, परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है, आर्थिक तंगी के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है इसलिए घायल तथा मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपया आर्थिक सहायता प्रदान करायी जाय, प्रशासन की लापरवाही से पता चलता है कि सरकार गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है।

5-ग्राम लोहरा व ग्राम अजमारा विकास खण्ड शिकारपुर ग्राम मागलौर बि0ख0 लखावटी जनपद बुलन्दशहर में आग लगने से हुई पशुओं की मृत्यु का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में।

6-आज भुखमरी के कारण व्यक्ति आत्म हत्याएं कर रहे हैं चाहे वह मामला शिक्षा से सम्बन्धित हो या दवा न मिलने के कारण हो और चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमिततायें हों। केन्द्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण कुशीनगर जनपद में 38 आत्महत्यायें हुई हैं एवं जनपद बाराबंकी के गांव जौली के छेदा सिंह पासी ने 15 जनवरी, 2007 को अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी तो 80 प्रतिशत जल गया है। वहां मुझे अपनी पार्टी की कमेटी के द्वारा जाने का अवसर मिला था। इसी प्रकार जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगरपालिका परिषद् के खत्री बाड़ा मोहल्ला में एक ही परिवार के चार सदस्यों ने 01 जनवरी, 2007 को आत्महत्या कर ली है। जब मैंने उसका घर रात्रि में जाकर देखा जब तक दिल्ली से पोस्टमार्टम होकर के लाश नहीं आयी थी तब उसके घर में खाने का कोई भी सामान आटा, दाल, चीनी, मिर्च मसाले आलू तक जैसा सामान नहीं था। एक टोकरी में मैथी और सरसों का साग रखा था। यह सुनकर इसकी सूचना मैंने जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को दी और कहा कि आप इसकी जांच करा लें। यह भुखमरी के कारण आत्महत्या हुई है और मैं घटनास्थल पर मौजूद हूं। आज तक कोई भी जिलाधिकारी भुखमरी की घटनाओं को सत्य ठहराने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि उसका वह स्वयं दोषी होगा। माननीय मुख्य मंत्री ने सदन मे यह कहा था कि जनपद के जिलाधिकारी को दोषी माना जायेगा अगर कोई व्यक्ति भुखमरी के कारण आत्महत्या करता है।

मान्यवर, मैं राष्ट्रकवि की भुखमरी पर चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं :--

मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आज कल।
ना किसी के प्यार की रागिनी है आज कल।
मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिये।
साहित्य का भाषा भी नहीं है माफ कीजिये।
मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूं।
मैं भूख के मजहर पर जला हुआ चिराग हूं।
मेरा गीत तावती नहीं है राजपाट की।

कश्मसाती आत्मा है शोपे राजघाट की।
मेरा गीत झोपड़ी के दर्दो की जबान है।
भुखमरी का आईना है आंसूओं का बयान है।
भावना का ज्वार भाटा जिये जा रहा हूं मैं।
क्रोध वाले आंसुओं को पिये जा रहा हूं मैं।
मेरा होश खो गया है लहू के उबाल में।
कैदी होकर रह गया हूं इसी सवाल में।
आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को
नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को।
सोचकर यह शोक शर्म से भरा हुआ हूं मैं
और मेरे काव्य धर्म से डरा हूं मैं।
मैं स्वयं को आज गुनेंहगार पाने लगा हूं।
इसलिए मैं भुखमरी का गीत गाने लगा हूं।
गा रहा हूं इसलिए कि इन्कलाब ला सकूं।
झोपड़ी के अन्धेरों में आफताब ला सकूं।
इसलिए देशी या विदेशी मूल भूल कर
जो अतीत में हुई है भूल, भूल-भूल कर।
पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोकर कर
व्यभावी विलासता को एक साल रोक कर।
मुझे मेरा पूरा देश आज किरुद्ध चाहिये।
झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिये।
आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तरप।
काल देवता से सुखे तन के प्राणों की झड़प।
मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है।
जहां मां की सूखी छातियों में दूध नहीं।
जहां गरीबों की कोई सीमा रेखा ही नहीं।
लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं।
शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे
कुत्ते जिसे चाट गये पत्तले चाटते हैं वे।
भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़ कर
मां रोटी कमा रही है पत्थरो को तोड़ कर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिनके पांव नंगे हैं विलास तार-तार है।
जिनकी सांस-सांस साहूकारों की उधार है।
जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु के कगार हैं।
आत्म हत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं।
जिसका पसीना उगता है रोटी जहान की।
बूढ़ी हो गयी कुंवारी बेटी उस किसान की।
बेटियां जो शर्म हया होती हैं जहान की
भूख ने तोड़ा तो वस्तु बन गई दुकान की।
भूख आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है
निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है।
भूख कभी-कभी ऐसे दांव पेंच देती है
सिर्फ दो हजार में मां बेटा बेंच देती है।
भूख भावनाओं की जबान काट लेती है
तन बदन के भेड़ियों के बीच बांट देती है।
भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है।
आन बान शान का गुमान तोड़ देती है।
भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है
महाराणा प्रताप की आन तोड़ देती है
भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है
मजदूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है
किसी-किसी की मौत पर धर्म कर्म भी रोता है
क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है।
घर वाले गरीब आंसू गम सहज लेते हैं
बिना दाह संस्कार मुरदा बेच देते हैं।
थूक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को
जो कफन दे न पाये गरीबों की लाश को।
मौत का ये शर्मनाक दौर रुकना चाहिए
भूखमरी से मौत पर तिरंगा झुकना चाहिए।
कहीं-कहीं गोदामों में गेहूं भरा हुआ है
कहीं दाने दाने का आकाल पड़ा हुआ है।
झुग्गी झोपड़ी के बच्चे बिलबिलाते हैं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जेलों में आंतकियों को बिरयानी खिलाते हैं।
पूजा पाठ हो रहा है धन्ना सेठ के लिये
कोई यज्ञ होता नहीं भूखे पेट के लिये।
कोई सुबह का उजाला रेन बना देता है
कोई चमत्कार सोना चैन बना देता है।
कोई मंत्र सिद्धियों को दे रहा है बूटियां
कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां।
पर कोई गरीब की लंगूटी न बना सका।
कोई स्वामी साधु बाबा रोटी न बना सका।
भूख का निदान झूठे वायेदां में नहीं है।
सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है।
भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ
गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ।
भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है
गरीबों की देख भाल सिंहासन का धर्म है।
इस धर्म के पालन में जो किसी से चूक हो
उसके साथ मुल्जिमों के जैसा ही सलूक हो।
भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है
हत्यारों के लिये मृत्यु दण्ड का विधान है।
कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए
मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए।
भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं
समर्थन में जनता का जनून मांगता हूं मैं
खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो
उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो।
वहां का एम0एल0ए0 एम0पी0 भी गुनेहगार है
क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है।
चाहे नेता अफसरों की लाबी आज क्रिरुद्ध हो
हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो।
अब नया कानून व्यवस्था को टोंक सकता है
भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आज से ही संविधान में विधान कीजिये

एक दो गुनेहगारों को फांसी टांक दीजिए।

मान्यवर, इस कवि के इन चार लाईन की कविताओं ने मेरे दिल को झकझोर दिया है। इसीलिए मैंने अपने जनपद बुलन्दशहर में एक फरवरी, 2007 अम्बेडकर पार्क सिकन्दराबाद से प्रत्येक विकास खण्ड, प्रत्येक नगर पालिका परिषद्, पंचायत बड़ी-बड़ी गांव पंचायत तथा प्रत्येक विधान सभा से एक गरीब जन जागरण संघर्ष यात्रा का शुभारम्भ कर रहा हूं और उस गरीब के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और एक रात्रि उसकी झुग्गी झोपड़ी में बिताऊं और जो मुझसे बन सके मैं उसकी सेवा करूंगा। वे अपना बेटा या भाई मानकर आत्महत्या को न करे और अपने को धन्य समझे कि मैं गरीब हूं जब ही विधायक मेरे दरवाजे पर आया है।

7-आप जानते हैं कि पूरे विश्व व देश में पिछले बीस वर्षों के अन्दर भारत में बड़े-बड़े क्रान्तिकारी आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं, विज्ञान व तकनीकी का बड़ी तेजी से प्रादुर्भाव व विस्तार हुआ है। खुली बाजारू व्यवस्था विश्व में संचालित हुई है। इन सब के कारण विकास भी हुआ है लेकिन विकास की अपेक्षा विनाश अधिक हुआ है। खेती का ट्रैक्टरीकरण, कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, उद्योगों के मशीनीकरण ने लोगों के हाथों के काम छीन लिये हैं निरन्तर बेरोजगारी बढ़ रही है। अमीर अधिक अमीर, लेकिन शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में न तो अमीर व्यक्ति पिछड़े दलित गरीबों की बस्तियों में स्कूल खोल रहे हैं और न ही उन्हें मानवीय आधार पर सुविधा मुहैया करायी जाती है और किसानों को नलकूप कनेक्शन कुआं तथा पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं हो रही है पूंजीपतियों का सारा ध्यान उद्योगों का विस्तार करने और अपनी तिजोरियों को भरने तथा कोड़ी के भाव में सरकार से ग्राम समाज किसान की भूमि को कब्जाने की ओर लगा हुआ है। मंहगाई बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सलबाद बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, देश में खेती योग्य जमीन का रकबा घटता जा रहा है। खाद्यान्न, तिलहन, दलहन उत्पादन कम हो रहे हैं। जमीन की उत्पादन शक्ति कम होती जा रही है, किसान की लागत के दाम बढ़ रहे हैं उसे उत्पादन का उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। इसलिए किसान मजदूर बेरोजगार व्यक्ति असहाय व निर्लज्जित होकर आत्म हत्या कर रहे है। बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है महिलाओं की रक्षा व कन्या भ्रूण हत्या बच्चों से प्यार घट रहा है और उनका अपहरण व बलात्कार कर हत्या करके उनके अंगों का व्यापारीकरण किया जा रहा है। राजनैतिक स्थिति अस्थिर है। राष्ट्रव्यापी पार्टियां कमजोर हो रही हैं क्षेत्रीय पार्टियां पनप रही हैं केन्द्र व प्रदेश में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है इसलिए विचार विरोधियों की नापाक सरकार बनती है इसलिए टिकाउपन की असमन्जस में रहती है। यह सब क्षेत्रीय पार्टियां जातिवाद अपराध व भ्रष्टाचार में लिप्त हैं विकास कल्याण के काम ठप्प है। सरकारी योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। अब गरीबों की शासन व प्रशासन में विकास व कल्याण में कोई भागेदारी नहीं है पर गरीब भी पाखण्डों तथा सब ठर्रा के नशे में धुत्त अपने अधिकारों

से पूर्ण अचेत है। हर व्यक्ति भय के वातावरण में जी रहा है और अब आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में अपराधी, माफिया और भ्रष्ट लोगों का कब्जा होता जा रहा है अब इस देश के लोगों का भविष्य क्या होगा यह चिन्ता का विषय है। अब सभी राष्ट्रवादी मानवतावादी चरित्र व सिद्धान्तवादी, सामाजिक समरसता में विश्वास करने वाले और पारदर्शी व उज्ज्वल छवि के लोगों का कर्तव्य है कि वे क्रान्ति का विगुल बजायें एवं देश व प्रदेश की दिशा व दशा बदलें। अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करें।

8-विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में दो दर्जन किसान तथा मजदूर की हत्या हो गयी उन्हें पारिवारिक लाभ नहीं मिला, सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

9-सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को सुचारु रूप से प्रतिमाह सामग्री बंटवाने के सम्बन्ध में।

10-वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में।

11-मध्य गंगा नहर में प्रत्येक सीजन में पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

12-सेफई की भांति बुलन्दशहर में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

13-पहासू-शिकारपुर मार्ग, शिकारपुर सरावा मार्ग, अहमदगढ़-रिवाड़ा मार्ग, सलेमपुर-शिवानी मार्ग, सलेमपुर से हुथैला मार्ग, नगला-लुपातअली मार्ग आदि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

14-बन्द पड़े सहकारी सूत मिल, सहकारी नगर जनपद बुलन्दशहर को चलाये जाने के सम्बन्ध में।

15-धुधरावली बुनवारीपुर में काली नदी पर पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

16-शिकारपुर से काली नदी तक नाले की सफाई के सम्बन्ध में।

17-ग्राम समाज की भूमि में लगे कटीले वृक्षों को कटवाने के सम्बन्ध में।

18-शिकारपुर से शिवाली तथा अनूपशहर को रोडवेज बस चलाये जाने के सम्बन्ध में।

19-बी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षितों की वर्ष 2003 में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो नियुक्तियां 5 जनपदों में की गयी थीं उन्हें बहाल किया जाये। न्यायालय के आदेशानुसार बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

20-शिकारपुर में कोतवाली शिकारपुर तथा क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय का आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ, निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

मा0 नेता विरोधी दल द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं।

चौ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध पर बोलने का हमें मौका दिया आपका आभार प्रकट करते हुए मान्यवर, चोरी, डकैती तथा अपहरण आज प्रदेश में उद्योग धन्धा बन गया है, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या इस सरकार में आम बातें हो गयी हैं लोगों को जिन्दा

जलाया जा रहा है आम आदमी को मौत के घाट उतारना आए दिन होता रहता है प्रदेश में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। मान्यवर, जनपद अलीगढ़ में मुकेश कुमार बघेल पुत्र श्री गौपाली बघेल आयु 30 वर्ष ग्राम बैरमगड़ी भट्टे के साथ कोयले का गोदाम बन्द पड़ा उनमें चारदीवारी एक फाटक लगा है। नीचे होकर लेटकर निकल सकता है। उसमें दो एक कमरा पटा नहीं उस लड़के को जिन्दा जलाया कपड़े व खाल एवं गुप्तांग भी जले हुए कल शाम 6 बजे से लेट्रिन करने आया उसके बाद आया नहीं है। इसी तरह ईशनपुर वाला अलीगढ़ एस0एस0पी0 के दरवाजे पर लूट सन्तरी से राइफल छीनी पुलिस कर्मियों ने पीछा किया तो राइफल कुछ दूरी पर फेक गये तीन बदमाशों ने बिजली कर्मचारी से सामान लूट जैसे की कर्मचारी एस0एस0पी0 आवास के सामने पहुंचा तो वाइक सवार बदमाशों ने बिजली कर्मी सतीश चन्द शर्मा को चकमा देकर दूसरे बदमाशों ने स्कूटर की चाबी छीनी और डिग्गी में रखा सरकारी कैश निकाल लिया गया है। मान्यवर, जनपद अलीगढ़ के हरदुआ गंज कस्बे में 8 फरवरी, 2006 को मोहर्रम पर्व पर ताजियों के अलम जूलूस के दौरान छज्जा एक दीवार गिरने से उसमें करीब 20 बच्चे दब गये जिनमें एक बच्चे की मौत हो गयी बाकी गम्भीर रूप से घायल हो गये रिजवाना 10 वर्ष, की मौके पर मृत्यु हो गयी दानिश 11 वर्ष, घोटू 8 वर्ष, रहीश 16 वर्ष, भोलू 8 वर्ष, हरीवा 9 वर्ष, कासिम 11 वर्ष, नोसीन 10 वर्ष, जावेद 22 वर्ष, इमीषा 9 वर्ष, आमिर 8 वर्ष, नवेद 10 वर्ष, इसरार 40 वर्ष, निकार अहमद 12 वर्ष, शेरवानी 12 वर्ष, रसीद [illegible] वर्ष, इसम 8 वर्ष आदि 10 वर्ष, मुसम्मिल हुसैन 15 वर्ष, खुशनुमा 12 वर्ष, गम्भीर रूप से इन घायल बच्चों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया मैंने इस दर्दनाक घटना को नियम 56 के अन्तर्गत उठाया जिसमें मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा हम दिखवा लेंगे मैं मृतक परिवारों को 5 लाख रुपये की मांग किया परन्तु आज उन सभी पीड़ितों को आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गयी है। मान्यवर, अलीगढ़ महानगर में पानी निकासी न होने के कारण लोगों को गन्दगी में होकर जाना पड़ता है। पला साहिबाबाद कृष्ण मन्दिर हनुमार पुर बिहारी नगर नोरंगा बाद छावनी डोरी नगर उमानगर अम्बेडकर कालोनी विकास नगर टीकाराम कालोनी रावण टीला संजय कालोनी बसन्त बिहार सैकड़ों कालोनी हैं आज भी पानी निकासी का कोई प्रबध न होने से गन्दगी के कारण अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं बड़े पैमाने पर पैदा हो रहे हैं। मान्यवर, सरकार की समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अपने विधान सभा क्षेत्र 358 कोल से 40 गांवों के प्रस्ताव दिये आज तक उन गांवों का विकास कार्य नहीं हो पाया शहर के नजदीक ग्रामों ईकरी महुआ खेड़ा धोरीमाफी, चिलकोरा देवसैनी, देहात कस्बा कोल सराय हरनाम नींवरी, धनीपुर, रामगढ़ पंजूपुर, खरई, बुटासी आदि गांव तो शहर के नजदीक आज तक कोई काम नहीं हुआ इकरी, महुआ खेड़ा में डी0एम0 के साथ लेकर गया डी0एम0 ने माना और काम करवाने का वायदा किया लेकिन आज तक काम नहीं हुआ है। मान्यवर, इस भाषण में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अभूतपूर्व उपलब्धि का जिक्र किया गया है। लेकिन मैंने वित्तीय वर्ष 2003-04 में पांच-पांच गांव दिये गये आज तक उन गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण में लिये गये लेकिन आज तक पूरे

नहीं हुए आज भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं आज भी जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया अवतार नगर और रजानगर का मामला विधान सभा में रक्खा उसके बावजूद भी रजानगर एवं अवतार नगर में विद्युतीकरण नहीं हो पाया धौरामाफी, नगला मान सिंह, भदेशी, धनीपुर, सराय हरनायन, नगला पटवारी आदि ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं कराया गया है। मान्यवर, सरकार किसानों की हितैषी साबित कर रही है। परन्तु आज माइनरों में पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है। जनपद अलीगढ़ विधान सभा कोल में मडराक राजवाहा में मा0 मुख्य मंत्री जी इस समय एकदिन के लिये भी पानी नहीं चला अधिकारियों ने सिंचाई बन्धु की बैठक में माना है। चौ0 चरण सिंह सिंचाई योजना के तहत डावरीकरण पश घाट के प्रस्ताव दिये लेकिन इस सरकार ने किसानों की समस्याओं पर अमल नहीं किया हैं। मान्यवर, मडकराक रजवाहा का जिक्र किया माइनर नानऊ माइनर पनैटी माइनर अहयदादपुर यह माइनरें जगह जगह टूट गयी है। किसानों के खेतों की सिंचाई कहा से हो जायेगी नाला लहडोई पनैटी जाफरी ड्रेन नाला विजय गढ़ की आज तक सफाई न होने के कारण बरसात में पानी भर जाता है किसानों की हजारों बीघा फसल पानी के अभाव में सूख जाती है।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के दिनांक 15-1-2007 को विधान सभा में हुये अभिभाषण के उपरान्त सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

महोदय, महाभारत के प्रमुख दृष्टान्तों में यक्ष प्रश्न को उद्धृत करता हुआ मैं अपनी बात प्रारम्भ करना चाहूंगा। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया था "को पथः ? अर्थात् रास्ता कौन सा है ? धर्मराज युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो आज सम्भवतः अत्यधिक मौजू है। धर्मराज ने कहा

"तर्को अप्रतिष्ठाः श्रुतियों विभिन्ना,
न एको मुर्नियस्य मतम् न भिन्नम्
धर्मस्य तत्वम् निहितम् गुहायाम्
महाजनों येनगताः स पंथा,

अर्थात् यह सरकार कैसे कार्यकर रही है इसके सन्दर्भ में अभी राजनैतिक दल अपने-अपने तरीके से अपनी बात कहेंगे, बुद्धिजीवी इसे अपने तरीके से परिभाषित करेंगे, अलग-अलग समाचार पत्र अपना अलग-अलग आकलन प्रस्तुत करेंगे। सत्य के इतने पहलू इतने तार्किक तरीके से सामने लाये जायेंगे कि सत्य का अनुमान लगाना ही मुश्किल होगा। इसलिये ऐसी परिस्थितियों में सत्य तथा धर्म अर्थात् न्याय का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर किया जा सकता है और किया जाना चाहिये कि महाजन अधीन जनता-जर्नादन क्या महसूस करती है।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आपको भीषण असुरक्षा के भाव से घिरा हुआ पाती है। निठारी के काण्ड ने जनता के विश्वास को पूरी तरह हिला दिया है। महीनों-महीनों तक बच्चों

का अपहरण होता रहा, उनके साथ दुराचार करके उनकी हत्या की जाती रही, हड्डियों तथा नरमुण्डी के ढेर इकट्ठे किये जाते रहे लेकिन शासन प्रशासन मदमस्त तथा पूरी तरह बेखबर सोता रहा। बड़ी पुरानी ऐतिहासिक सच्चाई कही जाती थी, लगता है आज पुनः दोहरानी पड़ेगी कि "रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था"। मैं सोचता था कि आखिर जलते हुये रोम पर बैठकर नीरो बांसुरी कैसे बजाता रहा होगा। आज समझ में आता है जब सरकार का एक प्रमुख मंत्री डंके की चोट पर घोषणा करने का दुस्साहस करता है कि "ऐसी घटनायें होती रहती हैं"।

महोदय, निठारी काण्ड अगर करैला था तो करैली के मदरसे में घुसकर 2 छात्राओं के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार का किस्सा "करैला पर नीम चढ़ा" की कहावत को चरित्रार्थ कर रहा था। घटना का अगर कोई राजनैतिक करण न भी किया जाये तो कोई भी सामान्य व्यक्तित्व का व्यक्ति भी यह कह सकता है कि इस राज्य में फिलहाल अगर कोई पूरी तरह अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकता है तो वह इस प्रदेश के अपराधी हैं, जो यह जानते हैं कि वह न सिर्फ अपराध कर सकते हैं बल्कि बेखौफ और निष्क्रिय, खुले आम घूम भी सकते हैं। महोदय, राज्य दण्ड शक्ति पर चलता है और सरकार इसे मानती भी है लेकिन इस दण्ड शक्ति का प्रयोग मोहिन्दर सिंह, सुरेन्द्र सिंह तथा मदरसा के बलात्कारियों पर करने के स्थान पर सलिल विश्नोई तथा विनोद तिवारी सरीखे माननीय विधायकों पर करती है। कहा जाये तो मेड़ ही खेत खाने पर लग गयी है।

महोदय, यह कहना कि इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया यह तो इस सरकार के साथ अन्याय होगा ? विशेष रूप से गोरखपुर का विधायक होने के कारण यह मैं तो नहीं कह सकता हूं। इन्सेफेलाइटिस के मरीजों के लिये सरकार ने बहुत कुछ किया है। माननीय सदस्य पी0 के0 राय जी के इन बातों से मैं भी सहमत हूं। प्रत्येक मृतक परिवार को रुपये 25000 तथा विकलांग मरीजों को रुपये 5000 दिये गये, इलाज के लिये दवाओं की व्यवस्था हुयी, इन्सेफेलाइटिस वार्ड तथा वायरल रिसर्च सेक्टर के लिये रुपये 6.99 करोड़ निर्गत हुये, 70 लाख बच्चों को टीके लगाये गये लेकिन सत्य का दूसरा पहलू यह भी है कोई इस रिसर्च सेन्टर के लिये स्टाफ तथा उपकरणों की व्यवस्था नहीं हुई तथा 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद केन्द्र अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ। मेडिकल कालेज में आज भी शिक्षकों की संख्या एम0सी0आई के मान्यता प्रारूप से कम है और एम0बी0बी0एस0 की मान्यता आज भी खतरे में है। तथा इन्सेफेलाइटिस का दूसरा दौर अपना भयानक चेहरा दिखाने के लिये तैयार है।

महोदय, यह सत्य है कि धर्मशाला ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है लेकिन सत्य का एक चेहरा यह भी है ओवरब्रिज 1 माह के अन्दर ही दो स्थानों पर धंस गया तथा सम्पर्क मार्ग अभी तक नहीं बनाया गया। गोरखपुर में सूर्यकुण्ड, त्वरंग चौराहा तथा चारफाटक पर ओवरब्रिज की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री ने गोरखपुर में सार्वजनिक मंच से कहा था कि "नगर विधायक डा0 अग्रवाल जनहित में जो मांगेंगे-मैं दे दूंगा" लेकिन अभी तक इन ओवरब्रिज के लिये धन अवमुक्त नहीं किया गया। घोषणा माननीय मुख्य मंत्री ने की है, इसलिये रेलवे पैसा दे या न दे ओवरब्रिज तो बनना

चाहिये। महोदय, गोरखपुर में 19 वर्षों से अधूरे पड़े जिला जेल बाईपास का निर्माण इस कार्यकाल में पूरा होने के नजदीक है लेकिन प्रशासन द्वारा नागरिकों को मुआवजा न दिये जाने के कारण एक हिस्से का निर्माण रुका पड़ा है।

महोदय, हम माननीय मुख्य मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने गोरखपुर को अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना जो 19 वर्षों से अधूरी पड़ी थी, गोरखपुर का तारामण्डल उसका लोकार्पण कराकर उसे प्रारम्भ कराया, तारामण्डल 2 माह तक चला भी, लेकिन अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासनिक लापरवाही तथा संवेदनहीनता के कारण यह अब बन्द पड़ा है। बिना किसी अतिरिक्त व्यय के इसे प्रारम्भ किया जा सकता है यह सरकार की अपनी असफलता है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।

महोदय, यह सत्य है कि शासन ने पिछले 12 वर्षों से पूरी तरह टूट चुके लाला डिग्गी के चिल्ड्रेन पार्क के लिये रुपये 1.41 करोड़ अवमुक्त किये तथा गोरखपुर के नागरिक अब पुनः इसके मनोरम सौन्दर्य का लाभ ले सकेंगे, गोरखपुर नगर की 37 सड़कों के लिये शासन ने रुपये 79 लाख अवमुक्त किये लेकिन मुख्य मंत्री के संज्ञान में गोरखपुर महानगर के दो हिस्सों भेडियागढ़ तथा इन्दिरानगर के जल निकासी तथा जल जमाव की समस्या है, नगर निगम ने रुपये 2.40 करोड़ की योजना बनाकर भेजी भी है लेकिन अभी तक शासन ने इसके लिये धन अवमुक्त नहीं किया गया है।

महोदय, हमने माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण से रुपये 31 करोड़ की योजना बनवा कर भेजी है। यह योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के नये रास्ते खोलेगी। 1700 एकड़ की झील, पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक आकर्षण का केन्द्र बनती और यह उत्तर प्रदेश का सबसे सुन्दर पर्यटन केन्द्र बनता तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी की समस्या के समाधान के नये रास्ते खुलते। अभी तक इस योजना की स्वीकृति न दिया जाना दुःखद है।

महोदय, गोरखपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश शिल्पकारों तथा लघु उद्यमियों की गतिविधियों का केन्द्र है लेकिन इनकी कलाकृतियों के विपणन (मार्केटिंग) की व्यवस्था न होने से न सिर्फ इन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं मिलता है। हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री से गोरखपुर में शिल्प-हाट के निर्माण की मांग की, जो इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के नये रास्ते खुलेंगे। अभी तक इसे स्वीकृति न दिये जाने का मैं विरोध करता हूं। महोदय, गोरखपुर के विद्यालयों के पास खेल के मैदान नहीं हैं। नार्मल स्कूल के मैदान में करीब 12-15 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, इसे एक बहुत अच्छे खेल स्टेडियम के रूप में विकसित किया जा सकता है। माननीय मुख्य मंत्री के यहां से पत्रावलियां क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, गोरखपुर के पास भेजी भी गयी लेकिन शासन का प्रशासन पर नियन्त्रण इतना कम रह गया है कि 9 माह बीतने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महोदय, पी0सी0एस0 के पी0ई0एस0 के संवर्ग के 1997-1999 के चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गयी, जबकि राजकीय इण्टर कालेज तथा हायर के प्रधानाचार्यों तथा वरिष्ठ प्रवक्ताओं के 132 पद खाली पड़े हैं। आई0सी0डी0एस0 (तृतीय) के मुख्य सेविकाओं के संविदा का विस्तारण सदन में हमारे द्वारा यह विषय उठाये जाने के बाद मिला लेकिन इसी विभाग में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को विनियमित करने की कार्यवाही नहीं की गयी। लोक निर्माण विभाग के गोरखपुर ईकाई में ट्रेसर, दैनिक वेतनभोगी तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के रूप में 182 कर्मचारी 20-25 वर्षों से कार्यरत हैं तथा अभी तक इनका विनियमितीकरण नहीं किया गया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पिछले 20 वर्षों से ढेर सारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन कोई वित्तीय व्यय न होने के बावजूद इन्हें अभी तक रेगुलराईज नहीं किया गया। प्राधिकरण के कर्मचारी पिछले एक माह से आंदोलनरत हैं।

महोदय, सरकार इसलिए बधाई का पात्र हो सकती है कि माध्यमिक विद्यालयों के विषय विशेषज्ञों तथा महाविद्यालयों के मानदेय शिक्षकों का विनियमितीकरण किया गया लेकिन विगत 15-1-2007 को विधान सभा में संसदीय कार्य मंत्री तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के स्पष्ट घोषणा के बावजूद कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों का विनियमितीकरण कर दिया जायेगा अभी तक सरकार ने कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया, जिससे इन मानदेय शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। असहायता प्राप्त महाविद्यालयों को जबरदस्ती स्ववित्त पोषित महाविद्यालय घोषित करने का कुप्रयास किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है। यह आश्चर्यजनक है जिनका प्राथमिक विद्यालय के पिछड़ा संवर्ग "विज्ञान" विषय की महिला शिक्षकों की कमी को यह सरकार "कला" विषय की महिला शिक्षकों से भरने का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, प्रदेश में ढेर सारे फिजियोथेरैपी, आकुपेशनल थिरैपी तथा इलेक्ट्रो होमियोपैथी के विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जो संसाधनों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के मानकीकरण के अभाव में अपने तरीके से छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण कर रहे हैं। इन छात्रों के भविष्य को लेकर सभी चिन्तित हैं लेकिन शासन ने अभी तक इनके मानकीकरण के लिये कोई प्रयास नहीं किया है। जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे स्थानों से इनके लिये विधेयकों तथा नियमावलियों का निर्माण कराया जा चुका है।

महोदय, इसके साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में अपना अभिमत जाहिर करता हुआ अपना बयान समाप्त करता हूं।

श्रीमती विद्या चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध पर बोलने का हमें मौका दिया आपका आभार प्रकट करते हुए मान्यवर, जनपद-इलाहाबाद के जामितुस्आलेहात अल इस्लामिया

महमूदाबाद, करेन्दा, थाना करेली के इस्लामियां छात्रावास में जो छात्राओं के साथ दर्दनाक हादसा हुआ वह बहुत शर्मनाक है। इस घटना से सभी लोग शर्मशार हैं। मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि दि0 17/18 जनवरी, 2007 की रात को समय लगभग 11-12 बजे रात को छात्रावास में कुछ अराजक तत्व पुलिस की वर्दी में आए और जबरन छात्रावास का ताला खुलवाकर सभी छात्राओं को एक कतार में खड़ा करके एक-एक छात्राओं से जाति पूछकर उनमें गद्दी जाति की छात्राओं को एक तरफ तथा एक सैय्यद पठान और अंसारी छात्राओं को एक तरफ कर दिया। उनमें से सैय्यद, पठान और अंसारी समाज की छात्राओं में से दो खूबसूरत छात्राओं को वहां से जबरिया उठा ले गये और वहां से एक किलोमीटर दूर जमुना के किनारे पर ले जाकर उनके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया और फिर उन्हें रात में ही उनके छात्रावास के निकट पर लाकर छोड़ दिया। उक्त घटना के सम्बन्ध में छात्राओं ने अवगत कराया है। मान्यवर, उक्त घटना की जितनी निन्दा की जाए वह बहुत ही कम है। मान्यवर, एक तो घिनौना कार्य हुआ है अब वहां पर बलात्कार के आरोपियों को बचाया जा रहा है और जो लोग निर्दोष हैं उन्हें बलात्कारी बताकर उनको जेल भेजा जा रहा है जिसके नाते इलाहाबाद में घोर असन्तोष व्याप्त है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यदि इसकी निष्पक्षता से जांच करना चाहते हैं तो उक्त घटना की सी0बी0आई0 से जांच करा लें, क्योंकि इस मामले में समाजवादी पार्टी के बाहुबली लोगों का हाथ है। मान्यवर, इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले की सी0बी0आई0 जांच करवाई जाए।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ में

12-आजमगढ़ में शुद्ध जल पूर्ति हेतु सभी क्षेत्रों में नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में।

13-आजमगढ़ में कटौती मुफ्त बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में।

14-भूगर्भ जल स्तर को नीचे से रोकने के सम्बन्ध में।

15-विधान सभा मेहनगर जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेंहनगर ग्राम गौरा में आश्रम पद्धति बालिका इण्टर कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में।

16-मेंहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र तरवां के ग्राम भीटी में बैरों नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

17-मेंहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत थाना बोगरिया को स्थापित करने के सम्बन्ध में।

18-मेंहनगर विधान सभा जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र तरवां ग्राम सभा जमीरपुर पुलिया से होते हुए ग्राम सभा ऐराखुर्द प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र से सांसद स्व0 ईशदत्त यादव के घर तक लेपन स्तर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

19-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र मेहनगर में ग्राम सभा धिनहापुर में मिनी स्टेडियम के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

20-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र ठेकमा में ग्राम सभा इरनी मार्ग पर शारदा खण्ड 23 नहर की पटरी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

21-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड मेहनगर ग्राम सभा घटिया घिरजीपुर मार्ग पर लोनी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

22-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड बहोरिकपुर कर्ता मार्ग पर बेसों नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

23-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र मेहनगर ग्राम देवकली मार्ग पर मगई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

24-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र तरवां में ग्राम सभा जुवागतवा मार्ग पर लोनी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

25-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड मेहनगर ग्राम सभा किनिहिनी मार्ग पर मगई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

26-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र पल्हना में ग्राम सभा जिगनी, खरिहानी बाजार विकास खण्ड मेहनगर ग्राम सभा बछवल विकास क्षेत्र मेहनगर में ऊबहुआं बाजार विकास क्षेत्र तरवां में पानी टंकी निर्माण के लिये जमीन प्रस्तावित है पानी टंकी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

27-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

28-उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयं सेवकों के नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

29-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत लो0नि0वि0 के कर्मचारियों को नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

30-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत समस्त विद्यालय परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिये जाने के सम्बन्ध में।

31-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत गरीब पात्र परिवारों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

32-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड मेहनगर ग्राम सभा अमौड़ा में सड़क मरम्मत निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

33-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र ठेकवा पालिका कम्मरपुर राजभर बस्ती मार्ग पर बेसों नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

34-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र मेहनगर में 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन जर्जर पुरानी मशीन नया 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन लगाये जाने के सम्बन्ध में।

35-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र ठेकवा में 33 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन बिल्कुल जर्जर की अवस्था में है क्षमता के अनुसार कार्य संचालन मशीन नहीं कर पा रही है नया 33 के0वी0 का विद्युत सब स्टेशन लगाये जाने के सम्बन्ध में।

36-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ में नहरों की सफाई नहीं होती है जिससे समय से फसल की सिंचाई नहीं हो पाती है सिंचाई के लिए नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में।

37-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड मेहनगर में ग्राम मेण्डलेश्वर, गौरा भड़सारी, चन्द्रभानपुर, कटास की ड्रेन की सफाई खुदाई न होने के कारण जल जमाव होने से किसान लोग समय से खेती नहीं कर पाते हैं। ड्रेन की सफाई, खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में।

38-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत समस्त जर्जर एवं टूटी-फूटी सड़कों के मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

39-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-लालगंज ग्राम लखनी उबारपुर में स्वीकृत 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र के त्वरित निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

40-मेहनगर विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत किसानों को यूरिया/डी0ए0पी0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

पी0एस0यू0पी0-एल0 38 विधान सभा (50)-1-5-07-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।